SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार
रेल मंत्रालय
2026 की प्रतिवेदन संख्या 30
(रेलवे वित्त)

SURJITH K
Digitally signed by SURJITH K
Date: 2026.08.06 17:11:05 +05'30'

मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

-----को लोकसभा/राज्यसभा में प्रस्तुत

संघ सरकार

रेल मंत्रालय

2026 की प्रतिवेदन संख्या 30

(रेलवे वित्त)

विषय सूची

विवरण	*पैरा*	*पृष्ठ*
प्राक्कथन		
कार्यकारी सारांश		*(i)-(vi)*
अध्याय I-वित्त की स्थिति		
चालू वर्ष के वित्तीय लेन-देन का सारांश	1.1	1-4
रेल मंत्रालय के संसाधन	1.2	4-14
यात्री एवं अन्य कोचिंग सेवाओं का क्रॉस-सब्सिडीकरण	1.3	14-16
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.4	16-23
राजस्व अधिशेष	1.5	23-24
दक्षता सूचकांक	1.6	24-28
रेलवे निधियाँ	1.7	28-38
निष्कर्ष	1.8	38-39
अनुशंसाएँ	1.9	39
अध्याय II-विनियोग लेखे		
विनियोग लेखाओं का सारांश	2.1	42-48
वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन	2.2	48-51
पूँजी अनुदान-परिसंपत्तियाँ, अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन	2.3	51-54
निधियों की निकासी/उपयोग	2.4	54-56
पूरक प्रावधान	2.5	56-58
निर्धारित सीमा से अधिक व्यय/बचत	2.6	58-60
व्यय का गलत वर्गीकरण	2.7	60-76
अस्वीकृत व्यय	2.8	76-77
निष्कर्ष	2.9	77-78
अनुशंसाएँ	2.10	79

विवरण	*पैरा*	*पृष्ठ*
अध्याय III-भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन		
परिचय	3.1	81
रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	3.2	81-85
रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ एवं भुगतान किया गया लाभांश	3.3	85-93
इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण	3.4	93-95
रेल मंत्रालय का उत्तर	3.5	95
सारांश	3.6	96
अनुशंसाएँ	3.7	97
अध्याय IV- भारतीय रेलवे में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) का वित्तीय प्रबंधन		
परिचय	4.1	99
संगठनात्मक संरचना	4.2	100
पिछली लेखापरीक्षा एवं वर्तमान लेखापरीक्षा का केन्द्र बिन्दु	4.3	100
लेखापरीक्षा का उद्देश्य	4.4	100-101
लेखापरीक्षा का परिक्षेत्र	4.5	101
लेखापरीक्षा हेतु चुने गए प्रतिदर्श	4.6	101
लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली	4.7	101
लेखापरीक्षा मानदंड	4.8	101-102
लेखापरीक्षा के निष्कर्ष	4.9	102
राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का वित्तीय विवरण	4.9.1	102-107
बजट विश्लेषण	4.9.2	107-116
राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का उपयोग	4.9.3	117-127
राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से वित्तपोषित परियोजनाओं का अग्रेनीत मूल्य (थ्रो फॉरवर्ड)	4.9.4	127-131

विवरण	*पैरा*	*पृष्ठ*
लेखांकन से संबंधित समस्याएं	4.9.5	131-133
संरक्षा कार्यों के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष वित्तपोषण का प्रभाव	4.10	134
राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लिए निगरानी ढांचा	4.11	135-136
निष्कर्ष	4.12	136
अनुशंसाएँ	4.13	137
पारिभाषिक शब्दावली		139-140
संक्षिप्ताक्षरों की सूची		141-142
अनुलग्नक 1.1 - अध्याय I		143
अनुलग्नक 2.1 से 2.2 - अध्याय II		144-151
अनुलग्नक 3.1 से 3.5 - अध्याय III		152-168
परिशिष्ट I - अध्याय IV		169-170
अनुलग्नक 4.1 से 4.8 - अध्याय IV		171-187

प्राक्कथन

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन के **अध्याय I** में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रेलवे के वित्त लेखों की जांच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा-अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं। यह विभिन्न मानदंडों के आधार पर रेलवे की वित्तीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है।

प्रतिवेदन के **अध्याय II** में भारतीय रेलवे के विनियोग लेखों पर लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं। यह अध्याय 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए संसद द्वारा दिए गए प्राधिकार के प्रति बचत/अधिशेष के कारणों का विश्लेषण करता है।

प्रतिवेदन के **अध्याय III** में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का अवलोकन किया गया है।

प्रतिवेदन के **अध्याय IV** में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष (रा रे सं को) की अनुपालन लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा के निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

भारतीय रेल (भा रे) भारत सरकार का एक विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम है। रेल बजट का केंद्रीय बजट के साथ विलय होने के कारण, भारतीय रेलवे के विनियोग लेखाओं पर सारांश एवं टिप्पणियां अब केंद्र सरकार-केंद्र सरकार के लेखों (वित्तीय लेखापरीक्षा) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन - के **अध्याय I** में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रेलवे के वित्त लेखाओं की जांच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा-अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं। यह विभिन्न मानदंडों के आधार पर रेलवे की वित्तीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रमुख अभ्युक्तियां इस प्रकार हैं

क) 2024-25 के दौरान रेल मंत्रालय (भा रे) का कुल व्यय 3.36 *प्रतिशत* और पूंजीगत व्यय 2.69 *प्रतिशत* बढ़ा। वहीं, वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में 4.03 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी हुई। रेल मंत्रालय ने अपने कुल परिचालन व्यय का लगभग 76.83 *प्रतिशत* हिस्सा कर्मचारियों की लागत, पेंशन भुगतान और रोलिंग स्टॉक के पट्टा किराया प्रभार पर खर्च किया। पूंजीगत व्यय में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) की हिस्सेदारी कुल पूंजीगत व्यय का 5.59 *प्रतिशत* थी। आंतरिक संसाधन कम होने की वजह से सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) पर निर्भरता बढ़ गई।

ख) 2023-24 की तुलना में 2024-25 के दौरान सकल यातायात प्राप्तियों में 3.86 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। कुल प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से यात्रियों की आय में वृद्धि, अन्य कोचिंग आय और ढुलाई आय के कारण हुई। कोयले का परिवहन ढुलाई आय का 51.68 *प्रतिशत* था।

ग) पिछले वर्ष के दौरान ₹ 3,259.68 करोड़ के शुद्ध अधिशेष की तुलना में 2024-25 में ₹ 2,660.28 करोड़ का शुद्ध अधिशेष था। परिचालन अनुपात (ओआर) 2024-25 में 98.22 *प्रतिशत* था जबकि 2023-24 में 98.43 *प्रतिशत* था।

घ) मूल्यह्रास के लिए कम प्रावधान के परिणामस्वरूप 2024-25 तक अनुमानित ₹ 6,448 करोड़ के 'थ्रो फॉरवर्ड' (अधिक पुरानी संपत्तियों का नवीनीकरण और प्रतिस्थापन) कार्यों का ढेर लग गया।

अनुशंसाएं:

रेल मंत्रालय:

i. माल ढुलाई से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए अपने माल ढुलाई विकल्पों में विविधता लाने के लिए कदम उठाए।

ii. ट्रेनों के सुचारू परिचालन के लिए पुरानी हो चुकी परिसंपत्तियों के नवीनीकरण के लंबित मामलों का समाधान करे।

iii. आंतरिक राजस्व बढ़ाने के लिए कदम उठाए।

प्रतिवेदन - के **अध्याय II** में भारतीय रेलवे के विनियोग लेखाओं पर लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं। यह अध्याय 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए संसद द्वारा दिए गए प्राधिकार के प्रति की गई बचत/किया गया आधिक्य के कारणों का भी विश्लेषण करता है। प्रमुख अभ्युक्तियां इस प्रकार हैं:

क) रेल मंत्रालय ने राजस्व अनुदान (3002-03) (दत्तमत) के अंतर्गत स्वीकृत बजट ₹ 74,541.34 करोड़ से 2,702.41 करोड़ अधिक का अतिरिक्त व्यय किया।

ख) 7 मामलों में (राजस्व अनुदान 3002-03 और पूंजी अनुदान-5002-03 के अंतर्गत) ₹ 28,923.33 करोड़ की बचत हुई, जहां वर्ष 2024-25 के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत हुई।

ग) मुख्य शीर्ष 3001, 3002-03 (प्रभारित) के अंतर्गत ₹ 126.33 करोड़ के पूरक प्रावधानों के बावजूद, उक्त राजस्व मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 41.56 करोड़ की बचत हुई।

घ) पूंजी अनुदान (5002-03) के क्रमशः दत्तमत एवं प्रभारित खंडों के अंतर्गत प्राप्त ₹ 377.31 करोड़ और ₹ 642.92 करोड़ के पूरक प्रावधानों के बावजूद, उक्त पूंजी मुख्य शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः ₹ 11,515.50 करोड़ और ₹ 238.86 करोड़ की बचत हुई।

ङ) राजस्व से पूंजीगत अनुदान एवं विपरीत, दत्तमत से प्रभारित एवं इसके विपरीत व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के मामले सामने आए एवं अन्य त्रुटियाँ भी थीं जैसे राजस्व से राजस्व अनुदान (उप-मुख्य शीर्षों के बीच), पूंजीगत से पूंजीगत अनुदान (रेलवे निधियों के बीच) और राजस्व अनुदान से आय में गलत वर्गीकरण।

च) 1,321 मामलों से संबंधित ₹ 19,458.25 करोड़ का अस्वीकृत व्यय रेल मंत्रालय द्वारा किया गया था, जो वर्ष 2024-25 के दौरान कुल व्यय का 2.55 *प्रतिशत* था।

अनुशंसाएंः

रेल मंत्रालय:

i. व्यय के प्रवाह और बजट आवंटन की नियमित निगरानी के लिए बजट नियंत्रक प्राधिकरणों पर पर्यवेक्षण करना और अतिरिक्त धन की मांग/आवंटित धन के समर्पण के लिए त्वरित कार्रवाई करना, ताकि धन का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए न्यायिक रूप से किया जा सके।

ii. व्यय के गलत वर्गीकरण के उदाहरणों को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना। प्रमुख नियंत्रक अधिकारियों के स्तर पर अधिक जिम्मेदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।

iii. सुनिश्चित करे कि सभी अस्वीकृत खर्चों को प्राथमिकता के आधार पर नियमित किया जाए।

प्रतिवेदन के **अध्याय III** में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान रेल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का अवलोकन किया गया है। प्रमुख अभ्युक्तियां इस प्रकार हैंः

क) मार्च 2025 तक रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी और ऋण का निवेश ₹ 5,43,860.07 करोड़ था जिसमें ₹ 62,937.63 करोड़ की चुकता पूंजी और ₹ 4,80,922.44 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण शामिल थे। भारत

सरकार ने रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की चुकता शेयर पूंजी में ₹ 49,004.33 करोड़ (₹ 77.86 *प्रतिशत*) का योगदान दिया। ₹ 13,933.30 करोड़ की शेष चुकता शेयर पूंजी में वित्तीय संस्थानों (5.40 *प्रतिशत*), केंद्र सरकार की कंपनियों (5.77 *प्रतिशत*) और राज्य सरकार/राज्य सरकार की कंपनियों (10.97 *प्रतिशत*) का योगदान था। वित्तीय संस्थान और अन्य दीर्घकालिक ऋणों का प्राथमिक स्रोत हैं, जो ₹ 4,80,922.44 करोड़ में से ₹ 4,72,631 करोड़ का योगदान करते हैं।

ख) रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निवल लाभ में वृद्धि का रुझान देखा गया था और यह 2020-21 में ₹ 7,071.14 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 12,661.03 करोड़ हो गया था।

ग) कुल 45 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से, 38 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने 2024-25 के दौरान लाभ (₹ 12,661.03 करोड़) अर्जित किया, जिसमें 11 रेलवे कंपनियां, 17 सहायक, चार संयुक्त उद्यम और छः विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) सम्मिलित थे। लाभ अर्जित करने वाले 38 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से केवल 14 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सात रेलवे कंपनियां, तीन सहायक, एक संयुक्त उद्यम और तीन एसपीवी) ने फरवरी 2018 के डीआईपीएएम निर्देशों में निर्धारित लाभांश (₹ 5,591.50 करोड़) की घोषणा की थी।

घ) 31 मार्च 2025 तक सात सूचीबद्ध रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों का कुल बाजार पूंजीकरण ₹ 3,71,249.38 करोड़ था।

अनुशंसाएंः

रेल मंत्रालय:

i. ***सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं विशेष उद्यम (एसपीवी) द्वारा लाभांश के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए, डीआईपीएएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, इसके निर्देशों (फरवरी 2023 एवं नवंबर 2024) पर कार्रवाई करे।***

ii. घाटे में चल रहे रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा हुए नुकसान के कारणों को दूर करने के लिए कदम उठाए।

प्रतिवेदन के **अध्याय IV** में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष (रा रे सं को) की अनुपालन लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं। प्रमुख अभ्युक्तियां इस प्रकार हैः

क) रेलवे ने परिकल्पित आंतरिक संसाधनों का केवल एक छोटा सा हिस्सा दिया, जिससे लक्षित रा रे सं को की उपलब्धि को रोका जा सका। रा रे सं को के पहले पांच वर्षों के दौरान, भारतीय रेलवे ने अनुमानित ₹ 25,000 करोड़ की तुलना में आंतरिक संसाधनों से केवल ₹ 5,324.62 करोड़ का योगदान दिया, जिससे लक्षित योगदान का केवल 21.30% प्राप्त हुआ।

ख) 20,304 सुरक्षा संबंधी कार्य अधूरे हैं, जो अपेक्षित सुरक्षा परिणामों को प्राप्त करने में विलंब का संकेत देते हैं।

ग) रा रे सं को के अंतर्गत प्राथमिकता रहित वाले कार्यों के लिए ₹ 823.14 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, जो निर्धारित प्राथमिकता रूपरेखा के विपरीत थी, जिससे महत्वपूर्ण सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध निधियों में कमी आई।

घ) बजट अनुदान के बिना व्यय, कम उपयोग, अवास्तविक बजट, बजट अनुदान पर अतिरिक्त व्यय के उदाहरण देखे गए।

ङ) 2022-23 से 2024-25 के दौरान, रा रे सं को निधि के ₹ 3,397.60 करोड़ का उपयोग प्राथमिकता रहित वाले कार्यों के लिए किया गया, जिससे महत्वपूर्ण सुरक्षा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों को कम किया गया और कोष के मुख्य सुरक्षा उद्देश्यों को कम किया गया।

च) पारंपरिक रूप से डीआरएफ़/डीएफ़ से वित्त पोषित नवीनीकरण, प्रतिस्थापन और सुधार कार्यों को रा रे सं को में स्थानांतरित कर दिया गया।

छ) रा रे सं को की शुरुआत के बाद, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि में योगदान और निकासी में तेज गिरावट आई। मूल्यह्रास आरक्षित निधि

और विकास निधि में योगदान में क्रमशः 87.05% और 60.82% की गिरावट आई, जबकि निकासी में 88.96% और 66.17% की गिरावट आई, जो मूल्यह्रास आरक्षित निधि/विकास निधि से रा रे सं को में नवीनीकरण, प्रतिस्थापन और सुरक्षा कार्यों के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है।

ज) रा रे सं को द्वारा वित्त पोषित चल रहे कार्यों के लिए ₹ 2,29,354 करोड़ की एक बड़ी देनदारी मौजूद है, जिसमें पूरी तरह से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए ₹ 93,372 करोड़ और आंशिक रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए ₹ 1,35,982 करोड़ शामिल हैं, जो सुरक्षा से संबंधित कार्यों को लंबित रखने का संकेत देता है।

झ) गलत बुकिंग, व्यय का गलत वर्गीकरण और निधियों का गलत जमा होना देखा गया।

अनुशंसाएं:

रेल मंत्रालय:

(i) संरक्षा से जुड़े ज़रूरी कामों पर खर्च पक्का करने के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के उपयोग के संबंध में वित्त मंत्रालय के नियमों का पालन करे।

(ii) राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से होने वाले खर्च के आवंटन पर असरदार बजट नियंत्रण रखें और खर्च का सही अभिलेखन करे।

(iii) सकल बजटीय सहायता पर ज़्यादा निर्भरता कम करने के लिए अपने आंतरिक संसाधनों से डीआरएफ और डीएफ में पर्याप्त योगदान देने की कार्य योजना तैयार करे।

अध्याय-I

वित्त की स्थिति

अध्याय I वित्त की स्थिति

यह अध्याय 2024-25 के दौरान भारतीय रेल के वित्त का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। इसमें पिछले वर्ष के संदर्भ में प्रमुख वित्तीय संकेतकों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ-साथ समग्र रुझानों का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण का आधार रेल मंत्रालय (रे.मं.) के वित्तीय लेखे हैं। रेल मंत्रालय द्वारा वित्तीय लेखे प्रतिवर्ष संकलित किए जाते हैं तथा इन्हें केंद्र सरकार के वित्त लेखाओं में सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 2024-25 के दौरान भारतीय रेलवे के निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए सरकारी दस्तावेजों एवं प्रतिवेदनों[1] से भी आंकड़े लिए गए हैं।

1.1 चालू वर्ष के वित्तीय लेन-देन का सारांश

निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान भारतीय रेल के वित्तीय लेन-देन का सारांश प्रस्तुत किया गया है। तालिका में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में *प्रतिशत* वृद्धि/कमी को दर्शाते हैं।

तालिका 1.1: वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्तियों एवं व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

पूंजी एवं राजस्व व्यय का सारांश					
क्रम सं.	**विवरण**	**वास्तविक 2023-24**	**बजट अनुमान 2024-25**	**संशोधित अनुमान 2024-25**	**वास्तविक 2024-25**
1.	पूंजीगत व्यय[2]	2,62,216.93 (28.55)	2,65,200	2,65,200	2,69,360.63 (2.69)
2.	राजस्व व्यय[3]	2,52,833.73 (6.38)	2,75,700	2,77,659	2,63,017.80 (4.03)
	कुल व्यय	**5,15,050.66 (16.62)**	**5,40,900**	**5,42,859**	**5,32,378.43 (3.36)**

[1] *वित्तीय लेखे, बजट दस्तावेज, भारतीय रेल के वार्षिक सांख्यिकी विवरण*

[2] *पूंजीगत व्यय में सकल बजटीय सहायता, आंतरिक संसाधन और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) से किया गया व्यय सम्मिलित है।*

[3] *पार्सल, सामान और डाकघर की डाक आदि के परिवहन से होने वाली आय।*

पूंजी एवं राजस्व व्यय का सारांश					
क्रम सं.	**विवरण**	**वास्तविक 2023-24**	**बजट अनुमान 2024-25**	**संशोधित अनुमान 2024-25**	**वास्तविक 2024-25**
1	यात्रियों से होने वाली आय	70,693.33 (11.47)	80,000	80,000	75,367.52 (6.61)
2	अन्य कोचिंग आय	6,727.25 (12.91)	7,500	7,500	6,886.77 (2.37)
3	माल ढुलाई से होने वाली आय	1,68,293.29 (3.72)	1,80,000	1,80,000	1,71,163.15 (1.71)
4	विविध आय[4]	9,652.44 (13.58)	10,500	11,000	11,586.55 (20.04)
5	**कुल यातायात आय**	**2,55,366.31 (6.34)**	**2,78,000**	**2,78,500**	**2,65,003.99 (3.77)**
6	यातायात बकाया (उचंत) का निपटान	(-)93.67 (39.22)	100	100	(+)109.62 (217.03)
7	**सकल यातायात प्राप्तियाँ[5] (मद संख्या 5+6)**	**2,55,272.64 (6.37)**	**2,78,100**	**2,78,600**	**2,65,113.61 (3.86)**
8	विविध प्राप्तियाँ[6]	820.78 (322.21)	400	400	564.47 (-31.23)
9	**कुल प्राप्तियाँ (मद संख्या 7 + 8)**	**2,56,093.42 (6.63)**	**2,78,500**	**2,79,000**	**2,65,678.08 (3.74)**
10	शुद्ध सामान्य परिचालन व्यय[7]	1,91,093.61 (6.01)	2,05,000	2,08,000	2,00,468.89 (4.91)
11	**विनियोजन हेतु**				
	पेंशन निधि*	59,000.00 (8.00)	67,000	66,358.69	59,500.00 (1.00)

[4] किराये से होने वाली आय, भवन पट्टे पर देना, खानपान सेवाएं, विज्ञापन, साइडिंग और लेवल क्रॉसिंग का रखरखाव, सामरिक रेल लाइनों पर हुई हानि की प्रतिपूर्ति आदि से प्राप्त आय।

[5] रेल मंत्रालय की माल ढुलाई, यात्री यातायात, अन्य कोचिंग यातायात तथा विविध आय से प्राप्त परिचालन प्राप्तियां।

[6] विविध प्राप्तियों में रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) तथा रेलवे दावा अधिकरण (आरसीटी) आदि की प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

[7] रेल मंत्रालय के परिचालन व्यय (कार्मिकों के वेतन, परिसंपतियों की मरम्मत एवं अनुरक्षण, ईंधन आदि)।

पूंजी एवं राजस्व व्यय का सारांश					
क्रम सं.	**विवरण**	**वास्तविक 2023-24**	**बजट अनुमान 2024-25**	**संशोधित अनुमान 2024-25**	**वास्तविक 2024-25**
	मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डीआरएफ)*	800.00 (14.29)	1,000	800	800.00 (0.00)
12	**कुल परिचालन व्यय[8] (मद संख्या 10 + 11)**	**2,50,893.61 (6.47)**	**2,73,000**	**2,75,158.69**	**2,60,768.89 (3.94)**
13	विविध व्यय[9]	1,940.12 (-3.18)	2700	2500	2,248.92 (15.92)
14	**कुल व्यय (मद संख्या 12 + 13)**	**2,52,833.73 (6.38)**	**2,75,700**	**2,77,658.69**	**2,63,017.80 (4.03)**
15	शुद्ध अधिशेष (मद संख्या 9 (-) 14)	3,259.68 (29.49)	2,800	1,341.31	2,660.28 (-18.39)
16	**विनियोजन के लिए उपलब्ध अधिशेष**				
	विकास निधि (डीएफ)	1,500	1,000	421.31	541.40
	राष्ट्रीय रेल संरक्षा निधि	1,759.68	1,800	920	2,118.88
17	***परिचालन अनुपात***	**98.43**	**98.22**	**98.90**	**98.22**

स्रोत: 2024-25 के वित्तीय लेखे एवं 2023-24 तथा 2024-25 के रेलवे बजट

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी दर्शाते हैं।

**केवल क्षेत्रीय रेलवे के लिए निधि का विनियोजन*

[8] *क्षेत्रीय रेलों के संबंध में परिचालन व्यय तथा मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डीआरएफ) एवं पेंशन निधि में विनियोजन।*

[9] *विविध व्यय में रेलवे बोर्ड, सर्वेक्षण, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, रेल मंत्रालय के अन्य विविध प्रतिष्ठान तथा सांविधिक लेखापरीक्षा आदि पर किया गया व्यय सम्मिलित है।*

जैसा कि **तालिका 1.1** से देखा जा सकता है:

1. वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान कुल प्राप्तियों में 3.74 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, सभी प्रकार की आय में वृद्धि का मुख्य कारण पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 के दौरान आय में हुई वृद्धि जैसे कि यात्री आय (6.61 *प्रतिशत*), अन्य कोचिंग आय (2.37 *प्रतिशत*), माल ढुलाई आय (1.71 *प्रतिशत*) एवं विविध आय (20.04 *प्रतिशत*) में वृद्धि थी।

2. वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में शुद्ध सामान्य परिचालन व्यय में 4.91 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में पेंशन निधि में अधिक विनियोजन के कारण कुल परिचालन व्यय में भी 3.94 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

3. ₹ 2,800 करोड़ के बजट अनुमान (बीई) के मुकाबले, सभी राजस्व देनदारियों को पूरा करने के बाद, 2024-25 में शुद्ध अधिशेष ₹ 2,660.28 करोड़ था, जबकि 2023-24 में यह शुद्ध अधिशेष ₹ 3,259.68 करोड़ था।

1.2 रेल मंत्रालय के संसाधन

रेल मंत्रालय को (i) केंद्र सरकार से बजटीय सहायता, (ii) इसके अपने आंतरिक संसाधन एवं (iii) अतिरिक्त बजटीय संसाधन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान रेल मंत्रालय की प्राप्तियों के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं:

चित्र 1.1: प्राप्तियों के स्रोत

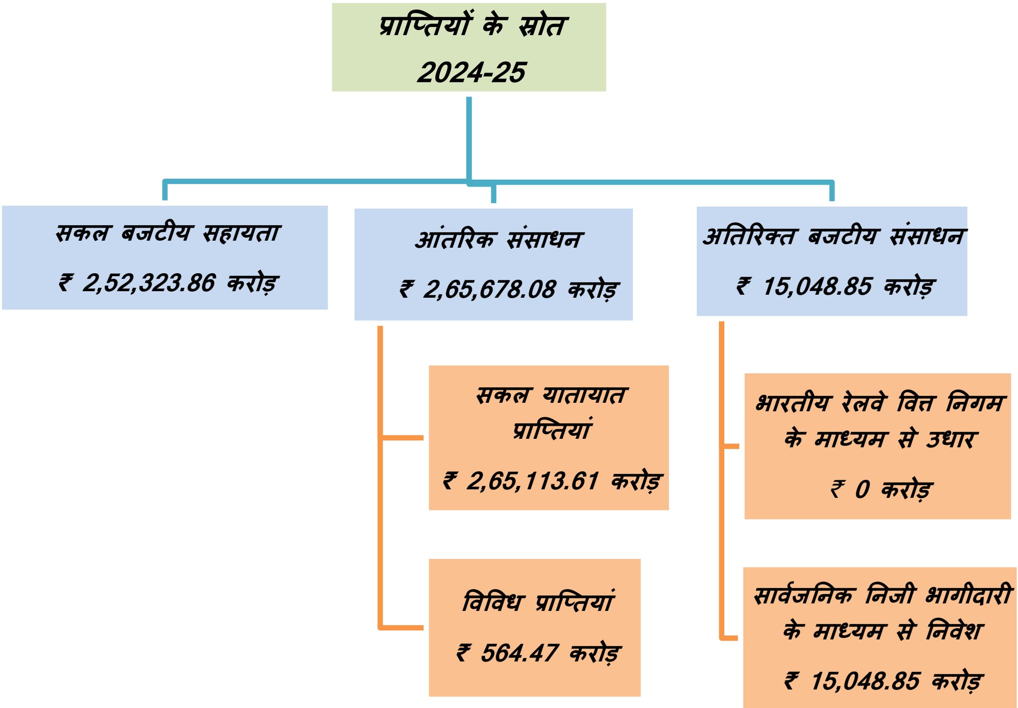

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान रेल मंत्रालय (रे मं) के लिए उपलब्ध विभिन्न संसाधनों की हिस्सेदारी निम्नलिखित चित्र में दर्शाई गई है।

चित्र 1.2: वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान रेल मंत्रालय के विभिन्न संसाधनों की हिस्सेदारी

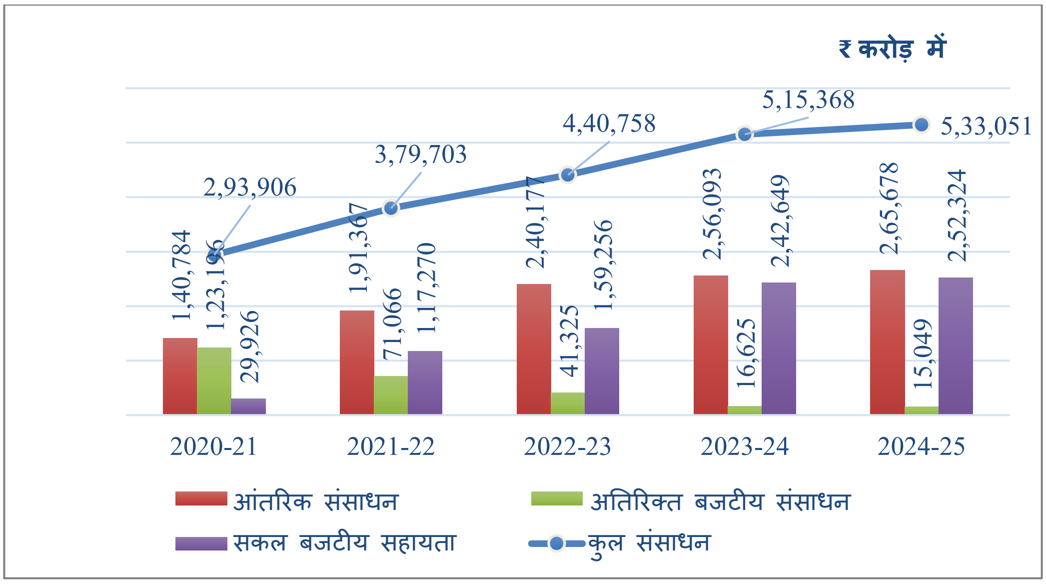

स्रोत: रेल मंत्रालय के वर्ष 2024-25 के बजट दस्तावेज एवं वित्तीय लेखा विवरण

उपरोक्त बार आरेख से पता चलता है कि आंतरिक संसाधन, उसके बाद सकल बजटीय सहायता (स ब स) एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) रेल मंत्रालय के सबसे बड़े संसाधन हैं। रेलवे 1987 में अपनी स्थापना के बाद से रोलिंग स्टॉक की खरीद के लिए भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) के माध्यम से अतिरिक्त बजटीय जुटाता रहा है। रेल मंत्रालय ने 2015-16 से परियोजना वित्तपोषण के लिए भी अतिरिक्त बजटीय संसाधन (अतिरिक्त बजटीय) का सहारा लिया। 2024-25 में, रेल मंत्रालय ने आईआरएफसी के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई। इसने ईबीआर करके ₹ 15,048.85 करोड़ जुटाए।

भारतीय रेल के वर्ष 2024-25 के ब्लॉक खाते से यह भी पता चला कि महानगरीय परिवहन परियोजना की लागत वहन हेतु महाराष्ट्र सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (सिडको) से वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त ₹ 152.37 करोड़ को किसी भी प्रकार के प्राप्ति स्रोत में सम्मिलित नहीं किया गया।

1.2.1 अतिरिक्त बजटीय संसाधन

रोलिंग स्टॉक की खरीद एवं रेल मंत्रालय की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) में आईआरएफसी के माध्यम से जुटाई गई निधियाँ सम्मिलित है। पूंजीगत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से प्राप्त संस्थागत वित्त (ईबीआर-आईएफ) तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) पद्धति के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से जुटाई गई निधि भी ईबीआर का हिस्सा है। 2024-25 में, रेल मंत्रालय ने आईआरएफसी के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई। उसने 2024-25 में सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड के माध्यम से निवेश द्वारा ₹ 15,048.85 करोड़ जुटाए, जबकि 2023-24 में यह राशि ₹ 16,625.36 करोड़ थी।

1.2.2 सकल बजटीय सहायता

वर्ष 2024-25 के दौरान रेल मंत्रालय को भारत सरकार से सकल बजटीय सहायता (स ब स) के रूप में ₹ 2,52,323.86 करोड़ प्राप्त हुए, जबकि वर्ष 2023-24 में ₹ 2,42,648.79 करोड़ प्राप्त हुए थे। केंद्र सरकार से प्राप्त बजटीय सहायता में

पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में 3.99 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए सामान्य राजस्व पर निर्भरता बढ़ गई। इसके अतिरिक्त, रेलवे को वर्ष 2024-25 के दौरान स ब स के अंतर्गत केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (डीजल उपकर से) से ₹ 11,000 करोड़ प्राप्त हुए, जबकि वर्ष 2023-24 में भी ₹ 11,000 करोड़ प्राप्त हुए थे।

1.2.3 भारतीय रेल के आंतरिक संसाधन

रेलवे के आंतरिक संसाधनों में माल ढुलाई एवं यात्री व्यवसाय से होने वाली आय, विविध आय, अन्य कोचिंग तथा अन्य विविध आय सम्मिलित हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, भारतीय रेल ने बजट अनुमान (बीई) में परिकल्पित ₹ 2,78,500 करोड़ तथा संशोधित अनुमान (आरई) में निर्धारित ₹ 2,79,000 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध कुल ₹ 2,65,678.08 करोड़ के आंतरिक संसाधन सृजित किए।

आंतरिक संसाधनों का उपयोग राजस्व व्यय के लिए किया जाता है, जिसमें पेंशन देनदारियों को पूरा करना, पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के मूलधन का भुगतान करना एवं विकास निधि, मूल्यह्रास आरक्षित निधि तथा राष्ट्रीय रेल संरक्षा निधि (आरआरएसके) के माध्यम से अचल परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन तथा नवीनीकरण पर व्यय करना सम्मिलित है।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का रुझान निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है:

चित्र 1.3: वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान प्राप्त राजस्व

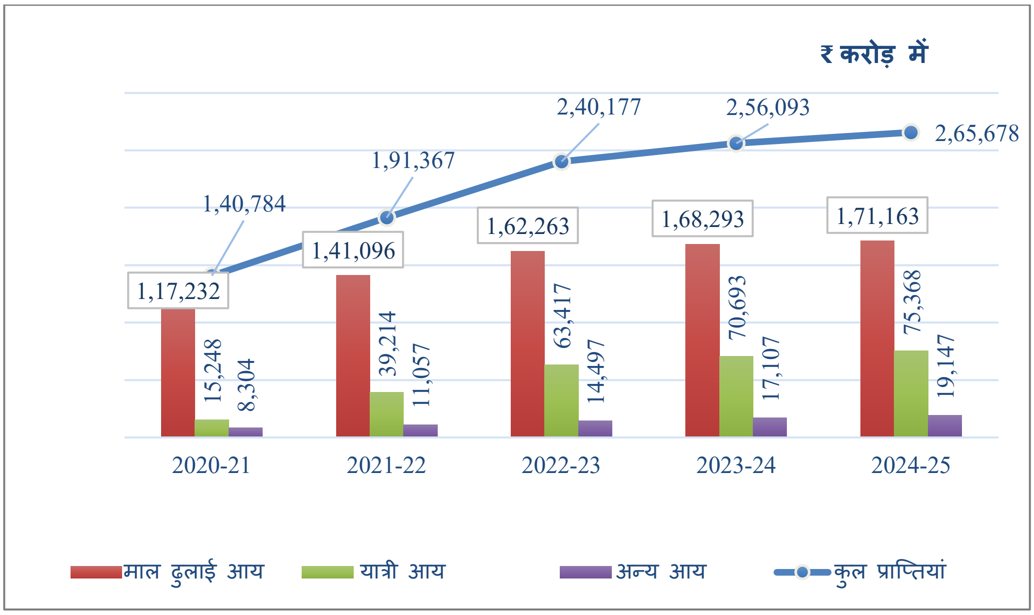

स्रोत: रेल मंत्रालय के वित्तीय लेखा विवरण एवं बजट दस्तावेज

यह प्रवृत्ति राजस्व प्राप्ति के विभिन्न क्षेत्रों की विकास दर पर आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

क) माल ढुलाई से होने वाली आय

बजट में अनुमानित ₹ 1,80,000 करोड़ के मुकाबले, 2024-25 के दौरान वास्तविक माल ढुलाई से होने वाली आय ₹ 1,71,163.15 करोड़ रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान माल ढुलाई सेवाओं के विभिन्न मापदंडों से संबंधित आंकड़े इस प्रकार थे:

तालिका 1.2: माल ढुलाई सेवाओं के आँकड़े

वर्ष	लदान (मिलियन टन)	एनटीकेएम[10] (मिलियन में) (केवल राजस्व माल ढुलाई यातायात)	आय (₹ करोड़ में) (केवल माल ढुलाई यातायात)	औसत लीड[11] (किमी में)	प्रति टन प्रति किलोमीटर औसत आय (पैसे में)
2020-21	1,230.94 (1.86)	7,19,762 (1.71)	1,17,231.82 (3.30)	585 (-0.17)	162.88 (1.56)

---

[10] एनटीकेएम-नेट टन किलोमीटर माल ढुलाई की एक इकाई है जो एक किलोमीटर की दूरी पर एक टन माल के परिवहन को दर्शाती है।

[11] औसत लीड (अर्थात् औसत वहन दूरी) से आशय उस औसत दूरी से है, जितनी दूरी तक प्रत्येक टन माल का परिवहन किया जाता है।

वर्ष	लदान (मिलियन टन)	एनटीकेएम[10] (मिलियन में) (केवल राजस्व माल ढुलाई यातायात)	आय (₹ करोड़ में) (केवल माल ढुलाई यातायात)	औसत लीड[11] (किमी में)	प्रति टन प्रति किलोमीटर औसत आय (पैसे में)
2021-22	1,415.87 (15.02)	8,71,816 (21.13)	1,41,096.39 (20.36)	616 (5.30)	159.77 (-1.91)
2022-23	1,509.10 (6.58)	9,59,566 (10.07)	1,62,262.90 (15.00)	636 (3.25)	166.91 (4.47)
2023-24	1,588.06 (5.23)	9,73,968 (1.50)	1,68,293.29 (3.72)	613 (-3.55)	172.79 (3.52)
2024-25	**1,614.91** **(1.69)**	**9,71,085** **(-0.30)**	**1,71,163.15** **(1.71)**	**601** **(-1.95)**	**176.26** **(2.01)**

स्रोत: रेल मंत्रालय के वर्ष 2024-25 के वार्षिक सांख्यिकी विवरण

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी दर्शाते हैं।

2024-25 के दौरान माल ढुलाई लदान 1,614.91 मिलियन टन (एमटी) रही, जबकि 2023-24 के दौरान यह लदान 1,588.06 एमटी थी। पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 में माल ढुलाई लदान में 1.69 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। माल ढुलाई से होने वाली आय में भी पिछले वर्ष की तुलना में 1.71 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। औसत लीड (एक टन माल की औसत ढुलाई दूरी) 2023-24 में 613 किमी से घटकर 2024-25 में 601 किमी हो गई, जो 1.95 *प्रतिशत* की कमी दर्शाती है।

रेलवे का माल ढुलाई का दायरा कुछ निश्चित थोक वस्तुओं तक ही सीमित है। लदान एवं आय की वस्तु-वार हिस्सेदारी निम्नलिखित चित्र में दी गई है:

चित्र 1.4: प्रमुख वस्तुओं के अनुसार लदान और आय का हिस्सा

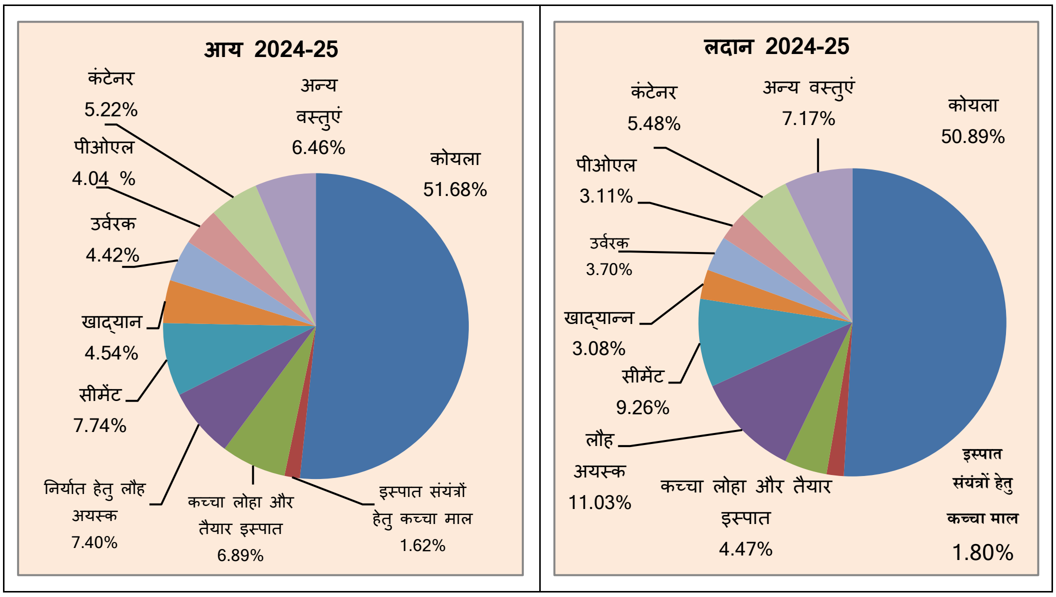

स्रोत: वर्ष 2025 के बजट दस्तावेज एवं रेल मंत्रालय के वर्ष 2024-25 के वार्षिक सांख्यिकी विवरण।

वर्ष 2024-25 के दौरान, लदान (50.89 *प्रतिशत*) एवं आय (51.68 *प्रतिशत*) दोनों में कोयला प्रमुख घटक था, इसके बाद लदान के मामले में लौह अयस्क एवं सीमेंट तथा आय के मामले में सीमेंट एवं लौह अयस्क का स्थान रहा। पिछले वर्ष की तुलना में लदान में सबसे अधिक वृद्धि निम्नलिखित घटकों में देखी गई:

तालिका 1.3: माल ढुलाई सेवाओं के आँकड़े

क्रम सं.	वस्तुएँ	2023-24 (लदान मीट्रिक टन में)	2024-25 (लदान मीट्रिक टन में)	*प्रतिशत* परिवर्तन
1	कोयला	786.84	821.89	4.45
2	कंटेनर	84.76	88.42	4.32
3	उर्वरक	58.92	59.71	1.34
4	पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक	49.88	50.27	0.78
5	इस्पात संयंत्र के लिए कच्चा माल	29.17	29.14	-0.10
6	निर्यात के लिए लौह अयस्क	180.94	178.12	-1.56
7	अन्य सामग्री	117.63	115.80	-1.56

क्रम सं.	वस्तुएँ	2023-24 (लदान मीट्रिक टन में)	2024-25 (लदान मीट्रिक टन में)	प्रतिशत परिवर्तन
8	सीमेंट	152.72	149.53	-2.09
9	खाद्यान्न	51.44	49.77	-3.25
10	कच्चा लोहा एवं तैयार इस्पात	75.76	72.26	-4.62

स्रोत: रेल मंत्रालय के वर्ष 2024-25 के वार्षिक सांख्यिकी विवरण

इस्पात संयंत्र के लिए कच्चे माल, निर्यात के लिए लौह अयस्क, अन्य सामान, सीमेंट, खाद्यान्न, कच्चा लोहा एवं तैयार इस्पात की लदान में 2023-24 की तुलना में 2024-25 के दौरान कमी पाई गई।

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, कोयले के परिवहन पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है। थोक वस्तुओं के परिवहन के तरीके में किसी भी बदलाव से रेलवे की माल ढुलाई आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। रेलवे लंबे समय से विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को चलाने के बावजूद अपने माल ढुलाई विकल्पों में विविधता लाने में सक्षम नहीं हो पाया है।

ख) यात्री आय

वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 80,000 करोड़ के बजट अनुमान के मुकाबले यात्री आय का अनुमानित आंकड़ा था, जबकि वास्तविक यात्री आय ₹ 75,367.52 करोड़ रही। वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान यात्रियों की संख्या एवं यात्री आय को निम्नलिखित आंकड़े में दर्शाया गया है:

चित्र 1.5: यात्रियों की संख्या एवं आय

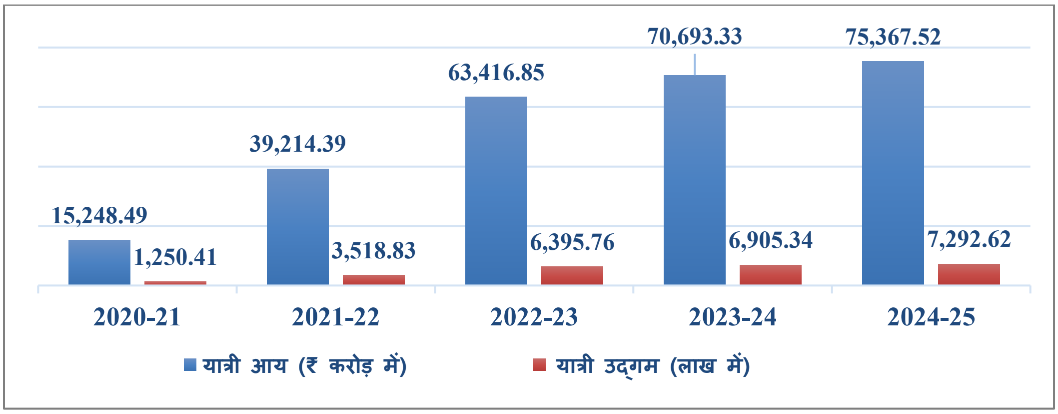

स्रोत: रेल मंत्रालय के वर्ष 2024-25 के वार्षिक सांख्यिकी विवरण

उपरोक्त चित्र से देखा जा सकता है कि पिछले वर्षों की तुलना में 2024-25 के दौरान यात्रियों की संख्या एवं यात्री आय में वृद्धि हुई। यात्री सेवाओं के प्रमुख निष्पादन संकेतक निम्नलिखित हैं:

तालिका 1.4: प्रमुख यात्री संकेतक

क्रम सं.	वर्ष	यात्रियों की संख्या (लाखों में)	यात्री किलोमीटर[12] (मिलियन में)	आय (₹ करोड़ में)	औसत लीड[13] (किलोमीटर में)	प्रति यात्री प्रति किलोमीटर औसत आय (पैसे में)
1	2020-21	1,250.41 (-84.54)	2,31,126 (-78.00)	15,248.49 (-69.91)	184.84 (42.24)	65.97 (36.81)
2	2021-22	3,518.83 (181.41)	5,90,217 (155.37)	39,214.39 (157.17)	167.73 (-9.26)	66.44 (0.71)
3	2022-23	6,395.76 (81.76)	9,58,919 (62.47)	63,416.85 (61.72)	149.93 (-10.61)	66.13 (-0.47)
4	2023-24	6,905.34 (7.97)	10,64,700 (11.03)	70,693.33 (11.47)	154.19 (2.84)	66.40 (0.40)
5	**2024-25**	**7,292.62 (5.61)**	**11,32,500 (6.37)**	**75,367.52 (6.61)**	**155.29 (0.72)**	**66.55 (0.23)**

स्रोत: रेल मंत्रालय के वर्ष 2024-25 के वार्षिक सांख्यिकी विवरण

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी दर्शाते हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में, 2024-25 के दौरान यात्रियों की संख्या एवं यात्री आय में क्रमशः 5.61 *प्रतिशत* तथा 6.61 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

ग) विविध आय एवं अन्य कोचिंग आय

वर्ष 2024-25 के दौरान 'विविध एवं अन्य कोचिंग आय' के लिए बजट अनुमान ₹ 18,000 करोड़ के मुकाबले वास्तविक आय ₹ 18,473.32 करोड़ थी। चालू वर्ष में विविध एवं अन्य कोचिंग आय कुल यातायात प्राप्तियों का मात्र 6.97 *प्रतिशत*

12 यात्री किलोमीटर - एक यात्री का एक किलोमीटर की दूरी तक परिवहन।

13 औसत लीड (अर्थात् औसत यात्रा दूरी) प्रत्येक यात्री द्वारा तय की गई औसत दूरी को दर्शाती है।

रही। इसमें 12.78 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जो 2023-24 में ₹ 16,379.69 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹18,473.32 करोड़ हो गई।

विविध आय में मुख्य रूप से विज्ञापन एवं प्रचार, खानपान विभाग, सैलून का ब्याज एवं रखरखाव प्रभार, लेवल क्रॉसिंग, भूमि पट्टे से प्राप्तियाँ, भूमि/हवाई क्षेत्र के संपत्ति विकास एवं अन्य विविध आय आदि का योगदान था। 'विविध आय' में रेल मंत्रालय द्वारा रणनीतिक मदों पर परिचालन घाटे की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹ 2,602.81 करोड़ की राशि भी सम्मिलित थी। विज्ञापन एवं रेलवे भूमि के वाणिज्यिक उपयोग से राजस्व बढ़ाने की काफी संभावना थी।

घ) अप्राप्त आय

यातायात की आवाजाही के कारण अप्राप्त आय को 'यातायात उचंत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भवन/भूमि के किराए/पट्टे एवं साइडिंग आदि के रखरखाव शुल्क के कारण होने वाली अप्राप्त आय को वसूली योग्य मांग कहा जाता है। बकाया अप्राप्त आय 2023-24 में ₹ 2,232.11 करोड़ से घटकर 2024-25 की समाप्ति तक ₹ 2,126.36 करोड़ हो गई। इसमें से ₹ 1,336.31 करोड़ की राशि यातायात उचंत के अंतर्गत एवं ₹ 790.05 करोड़ की राशि 'मांग वसूलीयोग्य' के अंतर्गत बकाया थी। 'यातायात उचंत' के अंतर्गत बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा पावर हाउस और राज्य विद्युत इकाइयों से माल ढुलाई और अन्य शुल्कों की वसूली न हो पाने के कारण था। यह राशि ₹ 615.14 करोड़ थी और यह कुल अप्राप्त आय का 28.93 *प्रतिशत* थी।

प्रमुख चूककर्ता विद्युत-गृह निम्नलिखित थे:

तालिका 1.5: राज्य विद्युत इकाइयों/पावर हाउस से बकाया देय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य विद्युत इकाइयां/पावर हाउस	तक बकाया राशि	
		31 मार्च 2024	31 मार्च 2025
1.	*पंजाब*	446.53	446.46
2.	*दिल्ली*	114.28	114.28
3.	*राजस्थान*	30.28	30.55
4.	*झारखंड*	15.53	8.77
5.	*नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन*	1.58	2.94
6.	*रिलायंस पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड*	0.02	2.39
7.	*आंध्र प्रदेश*	1.11	1.52
8.	*कर्नाटक*	0.08	1.44
9.	*मध्य प्रदेश*	1.95	1.40
10.	*महाराष्ट्र*	3.18	1.34
11	*अन्य*	4.60	4.05
	योग	**619.14**	**615.14**

स्रोत: राज्य विद्युत इकाइयों/ पावर हाउस से वसूली योग्य देय के विवरण।

रेल मंत्रालय को राज्य विद्युत इकाइयों/पावर हाउस से पुराने बकाया भुगतान की वसूली के लिए अपने प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है।

1.3 यात्री एवं अन्य कोचिंग सेवाओं का क्रॉस-सब्सिडीकरण

रेल मंत्रालय की रिपोर्ट[14], जो 2020-21 से 2024-25 तक पिछले पांच वर्षों के लिए माल ढुलाई की आय से यात्री और अन्य कोचिंग आय में क्रॉस-सब्सिडीकरण को दर्शाती है, का क्षेत्रीय रेलवे तथा भारतीय रेलवे में क्रॉस-सब्सिडीकरण के संबंध में विश्लेषण किया गया, इस विश्लेषण में यह पाया गया कि रेल मंत्रालय यात्री सेवाओं और अन्य कोचिंग सेवाओं की परिचालन लागत को वहन करने में असमर्थ था।

यात्री एवं अन्य कोचिंग सेवाओं में होने वाला घाटा 2023-24 में ₹ 64,569.94 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 63,721.56 करोड़ हो गया। क्षेत्रीय रेलवे पर क्रॉस सब्सिडीकरण के विस्तृत विश्लेषण ***(अनुलग्नक-1.1)*** से पता चला कि प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे यात्री सेवाओं में घाटा उठा रहा था। छः क्षेत्रीय रेलवे[15] को छोड़कर, सभी

---

[14] *वार्षिक सांख्यिकी विवरण (एएसएस) संख्या 15*

[15] *पूरे, उरे, उपूरे, उसीरे, दरे और दपरे*

क्षेत्रीय रेलवे ने वर्ष 2024-25 के दौरान माल ढुलाई सेवाओं में लाभ अर्जित किया। 2020-21 से 2024-25 के दौरान माल ढुलाई सेवाओं पर होने वाले लाभ की तुलना यात्री एवं अन्य कोचिंग सेवाओं पर होने वाली हानि से की गई है एवं वर्ष 2024-25 के लिए परिचालन हानि/लाभ को निम्नलिखित **चित्र 1.6** में दर्शाया गया है।

यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विविध आय[16] वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 11,586.55 करोड़ की राशि को यात्री आय एवं माल ढुलाई आय के बीच आवंटित किया गया था।

चित्र 1.6: यात्री एवं अन्य कोचिंग सेवाओं पर होने वाली हानि बनाम माल ढुलाई सेवाओं पर होने वाला लाभ

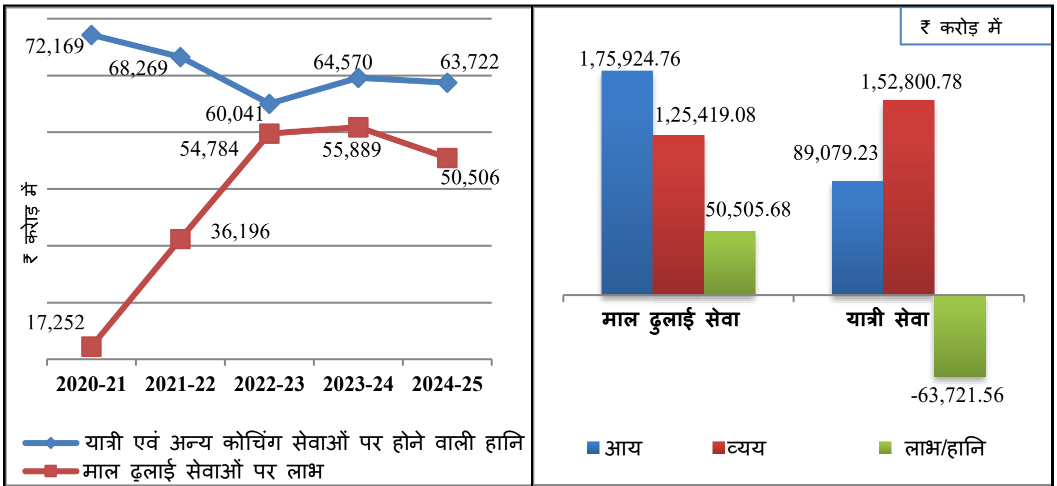

ट्रेन परिचालन पर लाभ एवं हानि	वर्ष 2024-25 के दौरान ट्रेन परिचालन पर लाभ एवं हानि

स्रोत: रेल मंत्रालय के वर्ष 2024-25 के वार्षिक सांख्यिकी विवरण संख्या 6 एवं 15

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, यात्री एवं अन्य कोचिंग सेवाओं पर होने वाली हानि 2020-21 से 2022-23 तक लगातार कम हो रही थी, लेकिन 2023-24 के दौरान इसमें वृद्धि हुई एवं 2024-25 में फिर से कमी आई। दूसरी ओर, माल ढुलाई परिचालन से अर्जित लाभ 2023-24 तक बढ़ते रुझान पर था, लेकिन 2024-25 में इसमें गिरावट आई। माल ढुलाई परिचालन से अर्जित लाभ 2024-25 में ₹ 50,505.68 करोड़ था।

---

[16] *वार्षिक सांख्यिकी विवरण (एएसएस) संख्या 6.*

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान विभिन्न श्रेणियों की यात्री सेवाओं के परिचालन घाटे को निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.6: विभिन्न श्रेणियों की यात्री सेवाओं की परिचालन हानियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणी	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	वातानुकूलित-प्रथम श्रेणी	(-) 718.88	(-) 406.33	(-)245.16	(-)246.91	(-) 70.79
2	प्रथम श्रेणी	(-) 43.28	(-) 45.31	(-)94.86	(-)50.14	(-) 48.77
3	एसी 2 टियर	(-) 2,994.88	(-) 1,564.27	(-)560.55	(-)756.58	(-) 663.47
4	एसी 3 टियर	(-) 6,500.46	(-) 698.12	3,300.08	2,501.07	3,645.44
5	एसी कुर्सी यान	(-) 1,078.55	(-) 473.20	(-)297.62	(-)203.96	376.77
6	शयनयान श्रेणी	(-) 20,134.47	(-) 17,038.17	(-)17,819.21	(-)18,681.37	(-) 19,158.13
7	द्वितीय श्रेणी	(-) 17,640.83	(-) 16,393.33	(-)16,357.02	(-)16,836.42	(-) 15,334.70
8	सामान्य श्रेणी	(-) 11,438.29	(-)15,282.14	(-)17,076.90	(-)18,149.00	(-) 20,705.94
9	ईएमयू उपनगरीय सेवाएं	(-) 7,798.60	(-) 8,316.27	(-)7,841.95	(-)8,024.31	(-) 8,279.04

स्रोत: रेल मंत्रालय के वार्षिक सांख्यिकीय विवरण 2024-25 के कोचिंग सेवाओं की लाभप्रदता/इकाई लागत के अंतिम परिणामों के सारांश

नोट: ऋणात्मक आंकड़े यात्री सेवाओं पर हानि दर्शाते हैं एवं धनात्मक आंकड़े लाभ दर्शाते हैं।

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि एसी थर्ड टियर एवं एसी कुर्सी यान को छोड़कर, वर्ष 2024-25 के दौरान सभी श्रेणियों की ट्रेन सेवाओं को हानि हुई। विभिन्न श्रेणियों की यात्री सेवाओं में घाटा ₹ 20,705.94 करोड़ (सामान्य श्रेणी) से लेकर ₹ 48.77 करोड़ (प्रथम श्रेणी) तक रहा।

1.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

रेल मंत्रालय में व्यय के दो मुख्य घटक 'राजस्व व्यय' एवं 'पूंजीगत व्यय' हैं। राजस्व व्यय में सामान्य परिचालन व्यय एवं विविध व्यय सम्मिलित हैं।

2023-24 में रेल मंत्रालय का कुल व्यय ₹ 5,15,050.66 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 5,32,378.43 करोड़ हो गया है, जो 3.36 *प्रतिशत* की वृद्धि है। पूंजीगत व्यय में 2.69 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान राजस्व[17] व्यय

[17] ***पेंशन निधि के लिए विनियोजित राशि सहित - ₹ 59,500 करोड़***

में 4.03 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। 2023-24 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 50.91 *प्रतिशत* से घटकर 2024-25 में 50.60 *प्रतिशत* हो गया। 2023-24 में राजस्व व्यय का हिस्सा 49.09 *प्रतिशत* से बढ़कर 2024-25 में 49.40 *प्रतिशत* हो गया। 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का विवरण निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है:

चित्र 1.7: वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान पूंजीगत एवं राजस्व व्यय

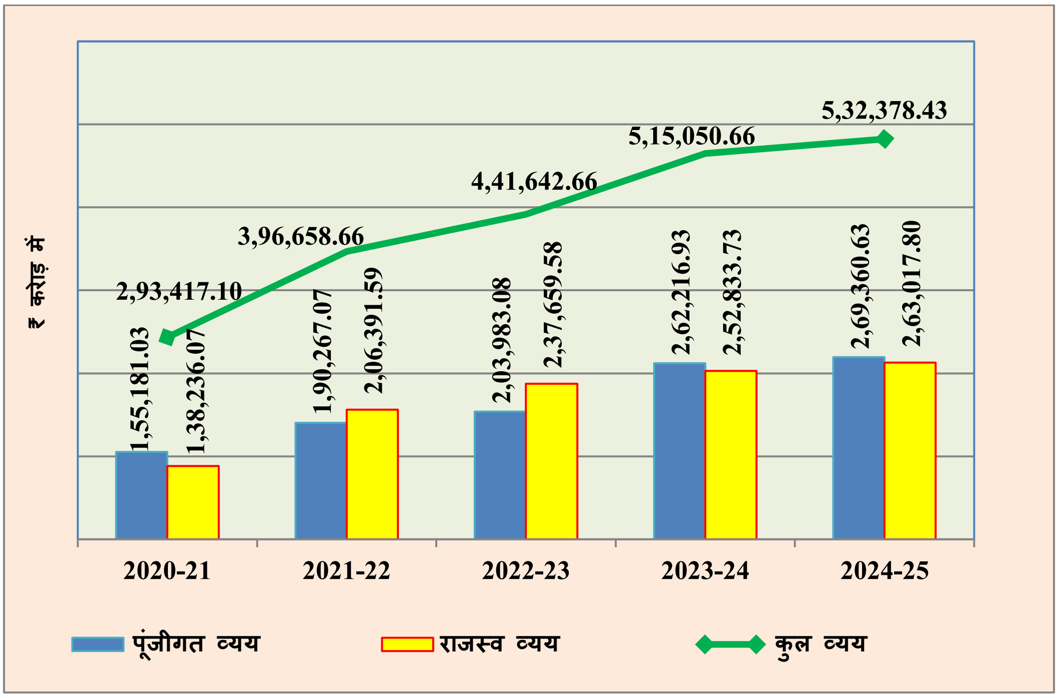

स्रोत: रेल मंत्रालय के वित्तीय लेखे 2024-25

1.4.1 राजस्व व्यय

वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व व्यय के हिस्से की तुलना वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान राजस्व व्यय के औसत हिस्से से इस प्रकार की गई:

चित्र 1.8: राजस्व व्यय का हिस्सा

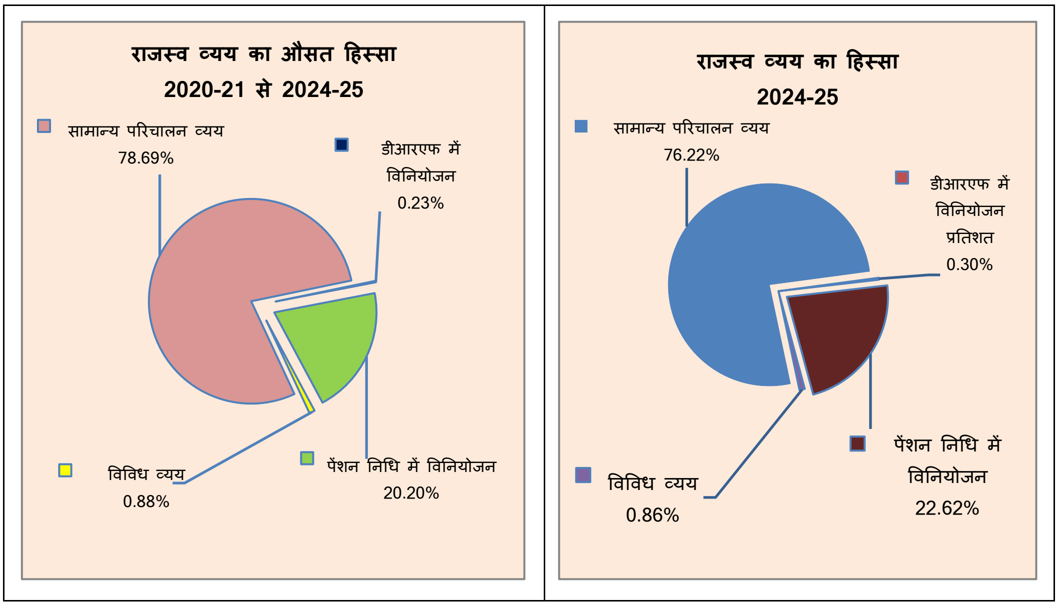

स्रोत: रेल मंत्रालय के 2020-21 से 2024-25 तक के वित्तीय लेखे

सामान्य परिचालन व्यय (ओडब्ल्यूई) में रेलवे के दैनिक रखरखाव एवं परिचालन पर होने वाला व्यय सम्मिलित है। इसमें कार्यालय प्रशासन, पटरियों एवं पुलों की मरम्मत एवं रखरखाव, लोकोमोटिव, डिब्बों एवं वैगनों, संयंत्र एवं उपकरणों पर होने वाला व्यय, कार्मिकों पर परिचालन व्यय, ईंधन, विविध व्यय, पट्टा प्रभार के ब्याज घटक का भुगतान, पेंशन देनदारियां आदि सम्मिलित हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल राजस्व व्यय में ओडब्ल्यूई का हिस्सा 76.22 *प्रतिशत* था, जबकि पिछले पांच वर्षों में यह औसत 78.69 *प्रतिशत* था। वर्ष 2024-25 में पेंशन निधि के लिए विनियोजन का हिस्सा 22.62 *प्रतिशत* था, जो वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान पेंशन निधि के लिए विनियोजन के औसत हिस्से 20.20 *प्रतिशत* से अधिक था। पेंशन निधि के बारे में विस्तृत जानकारी पेंशन निधि शीर्षक के अंतर्गत अगले पैराग्राफ में दी गई है।

घटक-वार राजस्व व्यय

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान रेल मंत्रालय के कार्मिक, ईंधन, पट्टा प्रभार, भंडार, अन्य एवं पेंशन व्यय के अंतर्गत परिचालन व्यय का विवरण निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है:

चित्र 1.9: घटक-वार व्यय

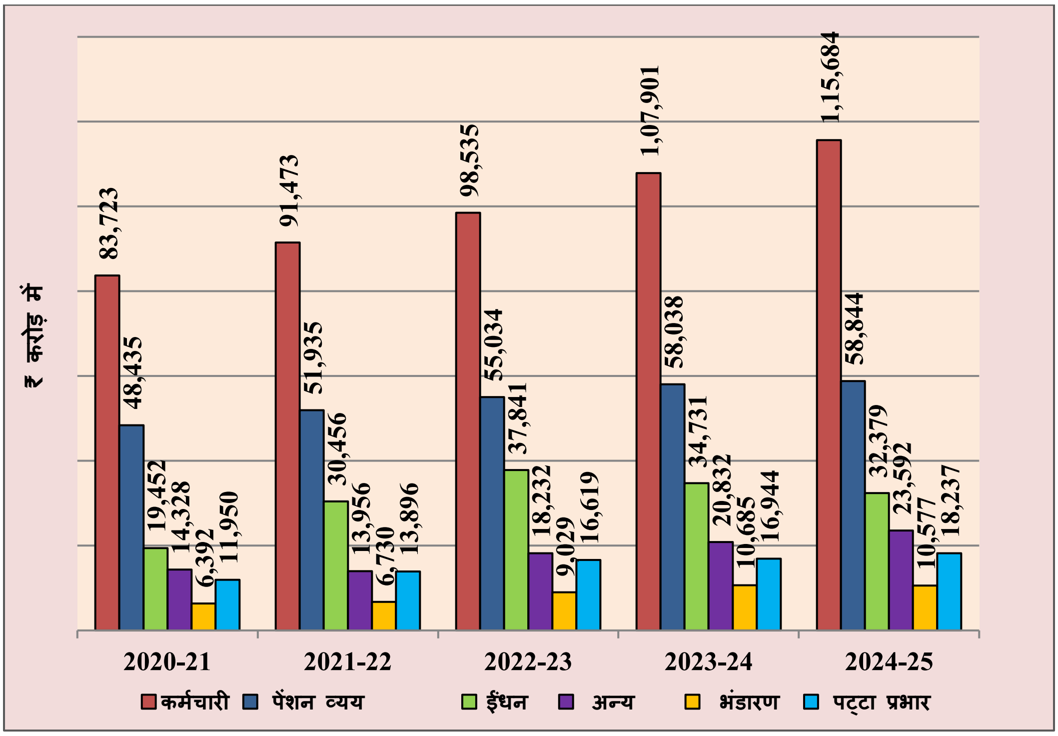

स्रोत: बजट निदेशालय से प्राप्त आंकड़े

वर्ष 2024-25 के दौरान पेंशन व्यय सहित कार्मिकों की लागत कुल परिचालन व्यय का 66.93 *प्रतिशत* थी जबकि पिछले वर्ष में 66.14 *प्रतिशत* थी। वर्ष 2024-25 में रेल मंत्रालय का प्रतिबद्ध व्यय जिसमें कार्मिक लागत, पेंशन भुगतान एवं रोलिंग स्टॉक पर पट्टा किराया प्रभार सहित कुल परिचालन व्यय का 76.83 *प्रतिशत* था।

क) पेंशन निधि के लिए विनियोजन

पेंशन निधि के लिए विनियोजन राजस्व व्यय का दूसरा सबसे बड़ा घटक है। रेलवे ने वर्ष 2024-25 के दौरान पेंशन निधि के लिए (राजस्व से, अर्थात क्षेत्रीय रेलवे के लिए) ₹ 59,500 करोड़ की राशि विनियोजित की, जबकि पिछले वर्ष ₹ 59,000 करोड़ विनियोजित किए गए थे। वर्ष 2024-25 में पेंशन पर वास्तविक खर्च ₹ 60,202.76 करोड़ था जिसमें कोविड से जुड़े संसाधनों के लिए विशेष लोन पर व्याज के तौर पर ₹ 1,358.69 करोड़ का भुगतान भी शामिल है। रेलवे ने वर्ष 2020-21 में कोविड से जुड़े संसाधनों की कमी को पूरा करने तथा वर्ष 2019-20 के दौरान पेंशन निधि में उत्पन्न ऋणात्मक शेष को समाप्त करने के लिए सामान्य राजस्व से ₹ 79,398 करोड़ का विशेष ऋण लिया था।

ख) मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए विनियोजन

क्षेत्रीय रेलवे के लिए बजट में आवंटित ₹ 1,000 करोड़ के मुकाबले, वर्ष 2024-25 के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डीआरएफ) में ₹ 800 करोड़ का विनियोजन किया गया। डीआरएफ में विनियोजन 2021-22 में कम हुआ, 2022-23 में बढ़ा एवं 2023-24 तथा 2024-25 में स्थिर रहा। मूल्यह्रास के लिए अपर्याप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप अधिक अवधि की परिसंपत्तियों के नवीकरण एवं प्रतिस्थापन से संबंधित कार्यों का लंबित कार्य निरंतर बढ़ता जा रहा है। विभिन्न रेलवे निधियों का विस्तृत विश्लेषण **पैरा 1.7** में दिया गया है।

1.4.2 पूंजीगत व्यय

सतत आर्थिक विकास के लिए रेल मंत्रालय को बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की आवश्यकता है। परिवहन क्षेत्र की गति को बनाए रखने एवं तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के दबावों का सामना करने के लिए इसके संसाधनों का प्रभावी उपयोग ज़रूरी है। नए परिसंपत्तियों का निर्माण, पुरानी व क्षयग्रस्त परिसंपत्तियों का समय पर प्रतिस्थापन एवं नवीनीकरण आदि पूंजीगत व्यय के माध्यम से किए जाते हैं।

क) स्रोत-वार पूंजीगत व्यय

रेल मंत्रालय का पूंजीगत व्यय तीन स्रोतों अर्थात् जीबीएस, आंतरिक संसाधन[18] एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन[19] से वित्तपोषित होता है। वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त योगदान को निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:

तालिका 1.7: भारतीय रेल के लिए स्रोत-वार पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

स्रोत	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
सकल बजटीय सहायता[20]	29,925.69 (19.28)	1,17,270.54 (61.63)	1,59,256.15 (78.07)	2,42,648.79 (92.54)	2,52,200	2,52,323.86 (93.68)

---

18 *आरक्षित निधियाँ जैसे मूल्यह्रास आरक्षित निधि, पूंजीगत निधि और विकास निधि*

19 *आईआरएफसी के माध्यम से बाजार उधार तथा पीपीपी।*

20 *इसमें रेलवे सुरक्षा निधि, निर्भया निधि, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष तथा सॉवरेन ग्रीन फंड से किया गया व्यय सम्मिलित है।*

स्रोत	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
आंतरिक संसाधन (रेलवे निधि से)	2,059.17 (1.33)	1,930.67 (1.01)	3,401.47 (1.67)	2,942.78 (1.12)	3,000	1,987.91 (0.74)
कुल (जीबीएस एवं आंतरिक संसाधन)	***31,984.86 (20.61)***	***1,19,201.21 (62.65)***	***1,62,657.62 (79.74)***	***2,45,591.57 (93.66)***	***2,55,200***	***2,54,311.77 (94.41)***
अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईआर एफसी एवं सार्वजनिक निजी साझेदारी)	1,23,196.17 (79.39)	71,065.86 (37.35)	41,325.46 (20.26)	16,625.36 (6.34)	10,000	15,048.85 (5.59)
सकल योग	**1,55,181.03**	**1,90,267.07**	**2,03,983.08**	**2,62,216.93**	**2,65,200**	**2,69,360.63**

स्रोत: वर्ष 2024-25 के वित्तीय लेखे

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल व्यय के प्रतिशत के हिस्से को दर्शाते हैं।

2024-25 के दौरान रेल मंत्रालय का कुल पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में 2.69 *प्रतिशत* बढ़ गया, जिसका कारण कई योजना शीर्षो के अंतर्गत किए गए अधिक व्यय थे, जैसा कि तालिका 1.8 में विस्तार से बताया गया है। 2022-23 के दौरान, एक नया निधि, संप्रभु हरित निधि (एसजीएफ), प्रारम्भ किया गया, जिसके अंतर्गत 2024-25 के दौरान जीबीएस के रूप में ₹ 14,996.29 करोड़ आवंटित किए गए। कुल पूंजीगत व्यय में जीबीएस का हिस्सा 2023-24 में 92.54 *प्रतिशत* से बढ़कर 2024-25 में 93.68 *प्रतिशत* हो गया। 2024-25 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय में आंतरिक संसाधनों (रेलवे निधि से) का हिस्सा घटकर 0.74 *प्रतिशत* हो गया, जबकि 2023-24 में यह 1.12 *प्रतिशत* था। आंतरिक संसाधनों के अपर्याप्त सृजन के कारण 2024-25 के दौरान जीबीएस पर निर्भरता बढ़ गई।

अतिरिक्त बजटीय की हिस्सेदारी 2023-24 में 6.34 *प्रतिशत* से घटकर चालू वर्ष 2024-25 में 5.59 *प्रतिशत* हो गई है, जिसका अर्थ है कि भारतीय रेलवे ने

अतिरिक्त बजटीय पर अपनी निर्भरता कम कर दी। 2024-25 के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) के माध्यम से ₹ 15,048.85 करोड़ की राशि जुटाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य नई लाइन परियोजनाओं एवं सड़क सुरक्षा कार्यों (ओवर/अंडर ब्रिज) आदि पर व्यय करना था।

ख) पूंजीगत व्यय के विभिन्न योजना शीर्षों के अंतर्गत व्यय

भारतीय रेल के पूंजीगत व्यय को मोटे तौर पर निम्नलिखित योजना शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

तालिका 1.8: श्रेणीवार पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

योजना शीर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
नई लाइनें (निर्माण)	14,901.34	21,244.91	24,310.17	33,575.45	33,304.67
	10.70%	11.81%	12.60%	13.67%	13.10%
गेज विपथन	3,980.30	2,836.87	2,833.80	4,356.95	5,101.60
	2.86%	1.58%	1.47%	1.77%	2.01%
दोहरीकरण	24,226.15	32,219.41	29,979.17	36,714.88	32,658.02
	17.40%	17.91%	15.54%	14.95%	12.84%
यातायात सुविधाएं एवं यार्ड का पुनर्निर्माण	1,241.13	2,675.13	4,456.36	7,372.77	7,329.87
	0.89%	1.49%	2.31%	3.00%	2.88%
रेलवे लाइनों का नवीनीकरण	11,657.52	14,082.00	13,811.98	15,907.60	21,060.95
	8.37%	7.83%	7.16%	6.48%	8.28%
सेतु का कार्य	769.67	1,296.79	1,042.82	1,902.16	2,155.86
	0.55%	0.72%	0.54%	0.77%	0.85%
सिग्नलिंग एवं दूरसंचार	1,900.84	2,142.18	2,448.85	3,748.38	5,562.21
	1.37%	1.19%	1.27%	1.53%	2.19%
रोलिंग स्टॉक एवं पट्टा प्रभारों के पूंजीगत घटक का भुगतान	44,161.40	55,986.96	61,335.38	74,184.41	82,688.69
	31.71%	31.12%	31.80%	30.21%	32.51%
कारख़ाने एवं उत्पाद इकाइयाँ	3,003.18	3,555.47	2,478.67	5,028.07	4,423.64
	2.16%	1.98%	1.28%	2.05%	1.74%

योजना शीर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
तथा संयंत्र एवं मशीनरी					
सरकारी उपक्रमों में निवेश	15,629.65	25,750.57	27,532.93	31,909.37	25,740.82
	11.22%	14.32%	14.27%	12.99%	10.12%
अन्य	17,774.81	18,088.37	22,666.94	30,891.53	34,285.44
	12.77%	10.06%	11.75%	12.58%	13.48%
योग	**1,39,245.99**	**1,79,878.66**	**1,92,897.07**	**2,45,591.57**	**2,54,311.77**

स्रोत: संबंधित वर्षों के भारतीय रेल के विनियोजन लेखे।

नोट: 'अन्य' में सड़क सुरक्षा कार्य, विद्युतीकरण परियोजनाएं, कम्प्यूटरीकरण, अन्य विद्युत कार्य, रेलवे अनुसंधान, अन्य निर्दिष्ट कार्य, भंडार उचंत, विनिर्माण उचंत, विविध अग्रिम, कार्मिक कल्याण, ग्राहक सुविधाएं एवं महानगरीय परिवहन परियोजनाएं सम्मिलित हैं।

(प्रतिशत, कुल व्यय में योजना शीर्ष-वार व्यय के हिस्सा को दर्शाता है)

'रोलिंग स्टॉक एवं पट्टा प्रभार के पूंजी घटक' पर व्यय सर्वाधिक रहा, जो वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 82,688.69 करोड़ था। अन्य, नई लाइनें (निर्माण), दोहरीकरण, सरकारी उपक्रमों में निवेश पूंजीगत व्यय के प्रमुख घटक हैं। इसके अतिरिक्त, रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड के माध्यम से नई लाइन (निर्माण), सड़क सुरक्षा कार्य (ओवर/अंडर ब्रिज) आदि भी शुरू किए।

1.5 राजस्व अधिशेष

'शुद्ध राजस्व अधिशेष' वह अधिशेष है जो रेलवे के पास राजस्व संबंधी सभी व्ययों को पूरा करने के बाद जैसे कार्मिकों की लागत (पेंशन सहित), परिचालन व्यय, मरम्मत एवं रखरखाव लागत, एवं डीआरएफ तथा पेंशन निधि में विनियोजन करने के पश्चात उपलब्ध होता है। इस अधिशेष को आगे विभिन्न रेलवे निधियों जैसे डीएफ, सीएफ, डीएसएफ, आरएसएफ एवं आरआरएसके में आवंटित किया जाता है। वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान शुद्ध राजस्व अधिशेष को निम्नलिखित चित्र में देखा जा सकता है:

चित्र 1.10: राजस्व अधिशेष

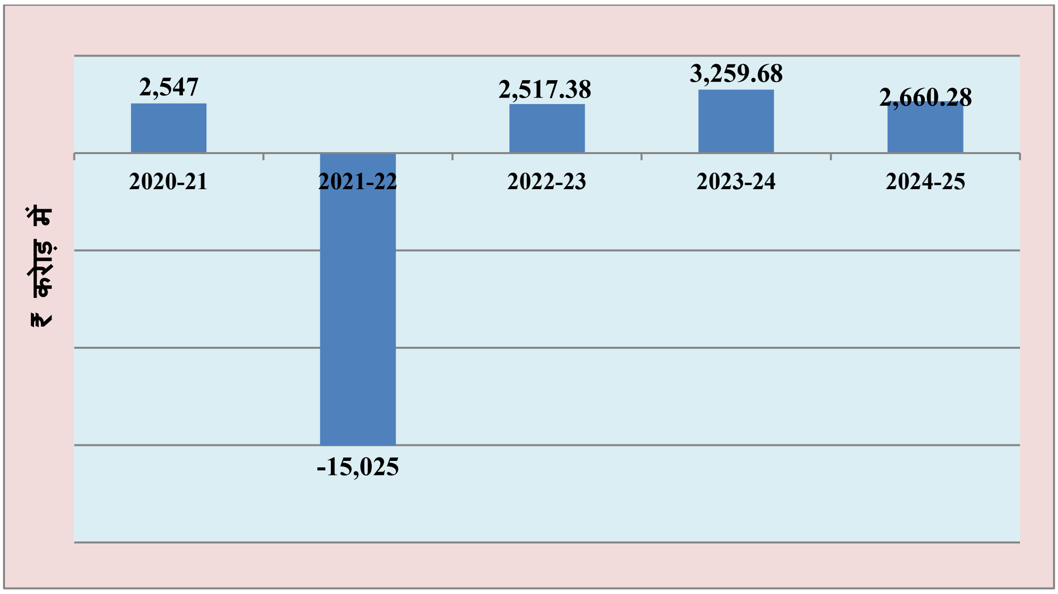

स्रोत: रेल मंत्रालय के बजट दस्तावेज

2024-25 में अनुमानित ₹ 2,800 करोड़ के बजट अनुमान (बीई) के मुकाबले, 'शुद्ध अधिशेष' ₹ 2,660.28 करोड़ रहा, जबकि वर्ष 2023-24 में यह ₹ 3,259.68 करोड़ था। 2024-25 में भारतीय रेल का अधिशेष 2023-24 की तुलना में 18.39% कम रहा। ₹ 2,660.28 करोड़ के शुद्ध अधिशेष को आगे ₹ 541.40 करोड़ की राशि डीएफ एवं ₹ 2,118.88 करोड़ की राशि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) के लिए विनियोजित की गई।

1.6 दक्षता सूचकांक

किसी उद्यम के वित्तीय निष्पादन एवं परिचालन दक्षता को उसके वित्तीय एवं निष्पादन अनुपातों से सबसे अच्छी तरह मापा जा सकता है। इस संदर्भ में रेल मंत्रालय के लिए प्रासंगिक अनुपात 'परिचालन अनुपात' एवं 'कार्मिक उत्पादकता' हैं, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

1.6.1 परिचालन अनुपात

परिचालन अनुपात (प अ) केवल प्रमुख शीर्ष 3002-03 के अंतर्गत केवल परिचालन व्ययों का यातायात आय के सापेक्ष अनुपात है। उच्च अनुपात अधिशेष अर्जित करने की कम क्षमता को इंगित करता है। वर्ष 2024-25 में भारतीय रेल ने बजट अनुमान (बीई) 2024-25 में परिकल्पित 98.22 *प्रतिशत* का परिचालन अनुपात प्राप्त किया। वर्ष 2023-24 में 98.43 *प्रतिशत* के परिचालन अनुपात की तुलना

में वर्ष 2024-25 के दौरान परिचालन अनुपात में सुधार हुआ। वर्ष 2018-19 से 2024-25 की अवधि के दौरान भारतीय रेल का परिचालन अनुपात निम्नानुसार था:

चित्र 1.11: भारतीय रेल का परिचालन अनुपात

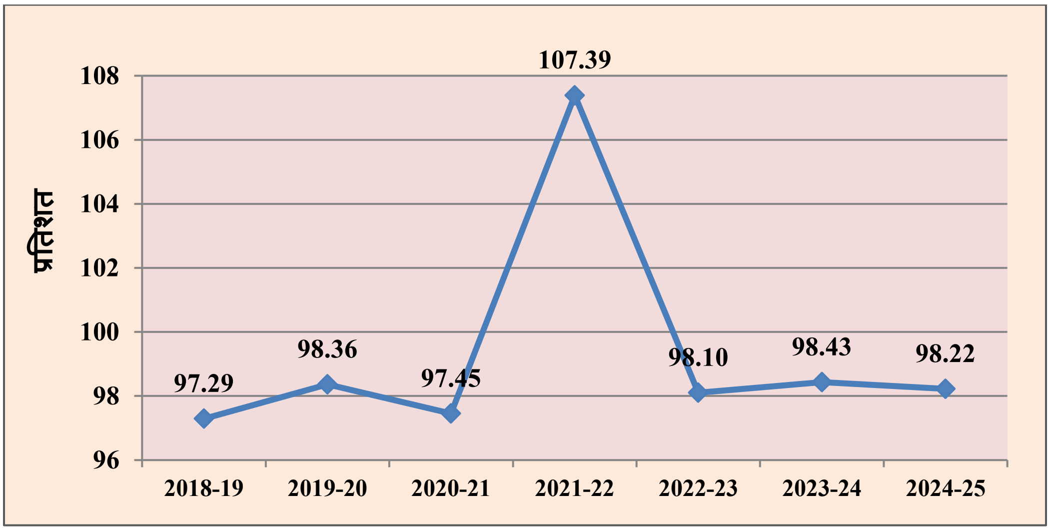

स्रोत: रेल मंत्रालय के संबंधित वर्षों के वित्तीय लेखे

ऊपर दिए गए चित्र से देखा जा सकता है कि भारतीय रेल का परिचालन अनुपात 2021-22 में अब तक के उच्चतम स्तर 107.39 *प्रतिशत* पर पहुंच गया है।

इसके अतिरिक्त, डीआरएफ में धनराशि की कमी के कारण, 2024-25 तक डीआरएफ से प्रतिस्थापित की जाने वाली परिसंपत्तियों का अनुमानित मूल्य ₹ 6,448 करोड़ था, जिसे 2025-26 के लिए आगे बढ़ा दिया गया। जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है, 2024-25 के दौरान ₹ 2,660.28 करोड़ का शुद्ध अधिशेष उपलब्ध था। यदि ₹ 2,660.28 करोड़ के संपूर्ण अधिशेष को डीआरएफ के अंतर्गत विनियोजित किया जाता, यद्यपि यह डीआरएफ की आवश्यकता की तुलना में कम है, तो परिचालन अनुपात बढ़कर 98.22 के बजाय 99.22 हो जाएगा।

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्रीय रेलवे के परिचालन अनुपात को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.9: क्षेत्रीय रेलवे का परिचालन अनुपात

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	क्षेत्रीय रेलवे	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	मध्य	126.24	121.72	110.04	107.82	108.61
2	पूर्व	175.29	192.88	167.43	170.79	163.17
3	पूर्व मध्य	88.58	103.64	98.41	103.41	93.97
4	पूर्व तट	47.34	54.58	53.86	54.51	58.98
5	उत्तर	153.65	146.12	118.38	134.73	135.66
6	उत्तर मध्य	79.22	81.14	73.46	57.09	65.99
7	उत्तर पूर्व	202.99	232.86	205.63	208.35	200.78
8	पूर्वोत्तर सीमांत	138.91	164.80	148.21	158.75	154.43
9	उत्तर पश्चिम	107.24	129.20	110.43	115.45	106.51
10	दक्षिण	218.65	189.27	153.06	147.28	149.44
11	दक्षिण मध्य	101.23	98.25	88.20	86.61	88.77
12	दक्षिण पूर्व	57.31	75.19	73.73	79.24	79.67
13	दक्षिण पूर्व मध्य	46.07	55.43	57.48	56.68	54.87
14	दक्षिण पश्चिम	137.68	138.92	128.95	127.42	128.71
15	पश्चिम	128.32	131.72	114.70	108.67	106.75
16	पश्चिम मध्य	68.03	72.02	66.74	67.09	66.49
17	मेट्रो रेलवे/कोलकाता	677.90	432.19	237.58	237.93	220.51
समग्र भारतीय रेल		**98.36**	**97.45**	**107.39**	**98.10**	**98.22**

स्रोत: रेल मंत्रालय के क्षेत्रीय रेलवे के संबंधित वर्षों के वित्तीय लेखे

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2024-25 में सात क्षेत्रीय रेलों–पूर्व मध्य, पूर्व तट, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मध्य तथा पश्चिम मध्य रेलवे का परिचालन अनुपात 100 *प्रतिशत* से कम रहा। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का परिचालन अनुपात 54.87 *प्रतिशत* के साथ सर्वश्रेष्ठ रहा।

तथापि, वर्ष 2024-25 के दौरान 10 क्षेत्रीय रेलों–मध्य, पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमांत, उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम तथा मेट्रो रेलवे/कोलकाता– का परिचालन अनुपात 100 *प्रतिशत* से अधिक रहा। जिसमें मेट्रो रेलवे/कोलकाता का परिचालन अनुपात 220.51 *प्रतिशत* सबसे खराब था। इसका तात्पर्य यह था कि इन रेलवे का परिचालन व्यय उनकी यातायात आय से अधिक था।

1.6.2 कार्मिक उत्पादकता

भारतीय रेल में, कार्मिकों की उत्पादकता[21] का मापन प्रति हजार कर्मचारियों द्वारा संभाले गए यातायात की मात्रा के आधार पर किया जाता है। उच्च अनुपात माल/यात्री परिवहन की दक्षता को दर्शाता है। 2023-24 में सभी क्षेत्रीय रेलवे के ओपन लाइन कार्मिकों की उत्पादकता 891.10 मिलियन नेट टन किलोमीटर (एनटीकेएम) से बढ़कर 2024-25 में 908.01 मिलियन एनटीकेएम हो गई। वर्ष 2024-25 के दौरान 2,385.11 मिलियन एनटीकेएम की सर्वाधिक कार्मिक उत्पादकता पूर्व तट रेलवे द्वारा प्राप्त की गई। वर्ष 2024-25 के दौरान 52.48 एनटीकेएम के साथ मेट्रो रेलवे/कोलकाता की कार्मिक उत्पादकता सबसे कम रही, जिसके बाद 325.85 एनटीकेएम के साथ दक्षिणी रेलवे का स्थान रहा।

तालिका 1.10: वर्ष 2024-25 के लिए कार्मिक उत्पादकता

रेलवे	चालू लाइन पर कार्यरत कार्मिकों की संख्या (हजारों में)	पीकेएम (मिलियन में)	एनटीकेएम (मिलियन में)	कुल एनटीकेएम (पीकेएम*0.083[22]+ एनटीकेएम) (स्तम्भ 3 * 0.083 + स्तम्भ 4)	कार्मिक उत्पादकता (स्तम्भ 5/ स्तम्भ 2)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
मध्य रेलवे	95.851	1,37,400	60,988	72,392	755.26
पूर्व रेलवे	104.121	71,215	33,252	39,163	376.13
पूर्व मध्य रेलवे	82.942	61,361	84,843	89,936	1,084.32
पूर्व तट रेलवे	48.034	35,971	1,11,581	1,14,567	2,385.11
उत्तर रेलवे	136.178	1,12,391	57,363	66,691	489.74
उत्तर मध्य रेलवे	68.983	1,05,227	95,801	1,04,535	1,515.37
पूर्वोत्तर रेलवे	49.086	40,316	14,395	17,741	361.43
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे	56.634	26,146	20,128	22,298	393.72
उत्तर पश्चिम रेलवे	49.163	47,039	54,281	58,185	1,183.52
दक्षिण रेलवे	82.763	94,910	19,091	26,969	325.85

21 भारतीय रेल के वार्षिक सांख्यिकी विवरण

22 पीकेएम को एनटीकेएम में विपथन करने के लिए, पीकेएम को 0.083 से गुणा किया जाता है।

रेलवे	चालू लाइन पर कार्यरत कार्मिकों की संख्या (हजारों में)	पीकेएम (मिलियन में)	एनटीकेएम (मिलियन में)	कुल एनटीकेएम (पीकेएम*0.083[22]+ एनटीकेएम) (स्तम्भ 3 * 0.083 + स्तम्भ 4)	कार्मिक उत्पादकता (स्तम्भ 5/ स्तम्भ 2)
दक्षिण मध्य रेलवे	81.627	1,08,725	86,165	95,189	1,166.15
दक्षिण पूर्व रेलवे	80.193	35,625	82,316	85,275	1,063.37
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	47.621	23,681	93,374	95,340	2,002.05
दक्षिण पश्चिम रेलवे	38.604	35,920	23,150	26,131	676.91
पश्चिम रेलवे	92.016	1,10,577	67,177	76,355	829.80
मेट्रो	4.125	2,608	0	216	52.48
पश्चिम मध्य रेलवे	55.038	83,361	67,180	74,099	1,346.32
योग	**1172.979**	**11,32,500**	**9,71,085**	**10,65,083**	**908.01**

1.7 रेलवे निधि

निम्नलिखित निधियों का परिचालन भारतीय रेल द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इन निधियों (आरएसएफ एवं आरआरएसके को छोड़कर) पर रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर से ब्याज भी अर्जित होता है। निधियों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया।

तालिका 1.11: निधि शेष

(₹ करोड़ में)

निधि का नाम	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संचय	वर्ष के दौरान आहरण	31 मार्च 2025 को अंत शेष
मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डीआरएफ)	780.09	1,033.83	540.67	1,273.25
पेंशन निधि	1,961.40	60,163.99	60,202.76	1,922.62
विकास निधि (डीएफ)	572.54	562.14	447.53	687.15
पूंजी निधि (सीएफ)	456.97	15.31	0	472.28
रेलवे सुरक्षा निधि (आरएसएफ)	3.13*	44,999.73	44,999.73	3.13

निधि का नाम	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संचय	वर्ष के दौरान आहरण	31 मार्च 2025 को अंत शेष
ऋण सेवा निधि (डीएसएफ)	245.09	8.21	0	253.30
राष्ट्रीय रेल संरक्षा निधि (आरआरएसके)	1,302.40	12,118.88	10,999.70	2,421.58
संप्रभु हरित निधि	0	14,996.29	14,996.29	0
योग	**5,321.62**	**1,33,898.37**	**1,32,186.69**	**7,033.31**

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष के विवरण

नोट- संचय में वित्तीय समायोजन, वर्ष के दौरान निधि के लिए विनियोजन एवं निधि शेष पर प्राप्त ब्याज सम्मिलित है।

**** इसमें 31 मार्च 2024 को ₹ 3.06 करोड़ के अंत शेष में ₹ 0.07 करोड़ का टीडब्ल्यूएफए सम्मिलित है।***

2015-16 से निधि शेष की प्रवृति को निम्नलिखित चित्र से देखा जा सकता है:

चित्र 1.12: वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक रेलवे निधि शेष का रुझान

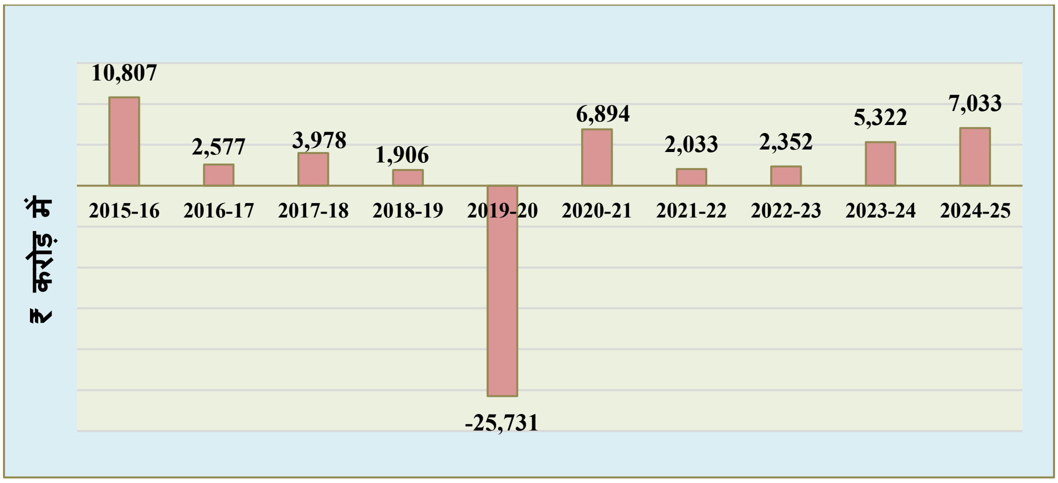

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष के विवरण

जैसा कि उपर्युक्त चित्र से देखा जा सकता है, वर्ष 2024-25 के दौरान निधियों का कुल शेष ₹ 7,033.31 करोड़ था। पिछले 10 वर्षों के दौरान निधियों का कुल शेष वर्ष 2015-16 में ₹ 10,806.68 करोड़ के उच्चतम स्तर पर था, जो पहली बार वर्ष 2019-20 में घटकर ₹ 25,730.65 करोड़ के ऋणात्मक शेष में परिवर्तित हो गया। 2019-20 के दौरान ऋणात्मक निधि शेष का कारण उस वर्ष के दौरान निधि में वास्तविक विनियोजन की तुलना में पेंशन भुगतान पर अधिक व्यय था। 2020-21 के दौरान रेलवे निधि शेष में सुधार मुख्य रूप से सामान्य राजस्व से ₹ 79,398 करोड़ के विशेष ऋण की प्राप्ति के कारण हुआ।

1.7.1 मूल्यह्रास आरक्षित निधि

रेलवे, परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन एवं नवीनीकरण के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डीआरएफ) बनाए रखता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, अनुमानित बजट अनुमान (बीई) ₹ 1,000 करोड़ के मुकाबले ₹ 800 करोड़ आवंटित किए गए एवं इस निधि से ₹ 540.67 करोड़ व्यय किए गए (क्षेत्रीय रेलवे के लिए ₹ 523.77 करोड़ एवं उत्पादन इकाइयों के लिए ₹ 16.90 करोड़)। यह राशि पुरानी परिसंपत्तियों के नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक वास्तविक राशि की तुलना में नगण्य है। वर्ष 2024-25 की समाप्ति तक निधि शेष ₹ 1,273.25 करोड़ था।

डीआरएफ (2024-25 तक) से प्रतिस्थापित की जाने वाली संपत्तियों का 'अग्रेनीत' मूल्य ₹ 6,448 करोड़ आंका गया। इसमें मुख्य रूप से यातायात सुविधाओं पर ₹ 2,240 करोड़, अन्य निर्दिष्ट कार्यों पर ₹ 1,513 करोड़, सिग्नल एवं दूरसंचार कार्यों पर ₹ 1,356 करोड़, कार्मिक कल्याण पर ₹ 280 करोड़, ग्राहक सुविधाओं पर ₹ 273 करोड़ एवं कारख़ानाओं आदि पर ₹ 242 करोड़ सम्मिलित थे। इस प्रकार, पुरानी परिसंपत्तियों के नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन का अत्यधिक लंबित कार्य विद्यमान है, जिन्हें ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन के लिए समयबद्ध रूप से प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। पिछले पांच वर्षों के दौरान मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डीआरएफ) का शेष नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.12: मूल्यह्रास आरक्षित निधि शेष

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	टीडब्ल्यूएफए[23]	निधि के लिए विनियोजन		ब्याज	योग	आहरण	अंत शेष
				क्षेत्रीय रेलवे	उत्पादन इकाइयाँ				
1	2020-21	833.55	0.00	200	200	23.72	1,257.27	671.92	585.35
2	2021-22	585.35	0.00	0	200	11.89	797.23	661.02	136.22
3	2022-23	136.22	0.00	700	200	9.29	1,045.51	617.38	428.13
4	2023-24	428.13	0.00	800	200	19.90	1,448.03	667.94	780.09
5	2024-25	780.09	0.00	800	200	33.83	1,813.92	540.67	1,273.25

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

[23] *वित्तीय समायोजन के बिना अंतरण*

परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन एवं नवीनीकरण के लिए निधि में किया गया प्रावधान अपर्याप्त था। 2021-22 में इसमें कमी आई, लेकिन 2022-23 में बढ़ गया एवं 2023-24, 2024-25 में स्थिर रहा। इसके बावजूद, यह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। विशेष रूप से घटते अधिशेष को देखते हुए, यह पूरी संभावना है कि पुरानी परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन एवं नवीनीकरण भारत सरकार के लिए बोझ बन जाए।

रेलवे ने परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन एवं नवीनीकरण के लिए डीआरएफ के बजाय अन्य निधियों (जैसे आरआरएसके) से धन आवंटित करके डीआरएफ के लिए विनियोजन कम कर दिया। यह भी सत्य है कि डीआरएफ में राशि का विनियोजन, परिचालन अनुपात (ओआर) को प्रभावित करेगा। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रेल मंत्रालय ने शुद्ध अधिशेष से डीआरएफ के बजाय आरआरएसके को अधिक विनियोजन दिया।

1.7.2 पेंशन निधि

इस निधि का सृजन वर्तमान पेंशन भुगतानों के साथ-साथ सेवा के प्रत्येक वर्ष में अर्जित पेंशन लाभों के कारण संचित देयता को पूरा करने के लिए किया गया था। क्षेत्रीय रेलवे के मामले में इस निधि का वित्तपोषण राजस्व से अंतरण द्वारा एवं उत्पादन इकाइयों के मामले में कारख़ाना विनिर्माण उचंत (डब्ल्यूएमएस) से अंतरण द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान रेलवे ने ₹ 67,600 करोड़[24] के बीई के प्रति ₹ 60,100 करोड़[25] की राशि विनियोजित की। वर्ष 2024-25 के दौरान पेंशन भुगतान पर वास्तविक व्यय ₹ 60,202.76 करोड़ था। वर्ष 2019-20 की समाप्ति तक ₹ 28,398.47 करोड़ के ऋणात्मक निधि शेष के कारण, केंद्रीय बजट 2020-21 में ₹ 79,398 करोड़ की राशि "2020-21 में कोविड से संबंधित संसाधन अंतर के लिए एवं 2019-20 में लोक लेखा में ऋणात्मक शेष के परिसमापन हेतु सामान्य

---

[24] *क्षेत्रीय रेलवे- ₹ 67,000 करोड़, उत्पादन इकाइयाँ- ₹ 500 करोड़ और विविध संगठन- ₹ 100 करोड़ (कुल ₹ 67,600 करोड़)।*

[25] *क्षेत्रीय रेलवे- ₹ 59,500 करोड़, उत्पादन इकाइयाँ- ₹ 500 करोड़ और विविध संगठन- ₹ 100 करोड़ (कुल ₹ 60,100 करोड़)।*

राजस्व से विशेष ऋण" के रूप में प्रदान की गई थी। यह ऋण निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों पर प्रदान किया गया था:

i. रेल मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस वर्ष एवं भविष्य के सभी वित्तीय वर्षों में सार्वजनिक खाते में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कोई ऋणात्मक शेष राशि न बचे।

ii. ₹ 63,000 करोड़ का ऋण बिना ब्याज के बीस (20) समान किस्तों में चुकाया जाएगा, जिसमें 31.03.2024 तक तीन (3) वर्ष की अधिस्थगन अवधि होगी।

iii. ₹ 16,398 करोड़ का ऋण 5.8 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित पांच (5) समान किस्तों में चुकाया जाएगा, जिसमें तीन (3) वर्ष की अधिस्थगन अवधि अर्थात 31.03.2024 तक का समय सम्मिलित है। अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज लगेगा, लेकिन यह मूलधन के साथ देय होगा।

2024-25 के दौरान, ₹ 1,358.69 करोड़ का भुगतान ऋण पर ब्याज के रूप में किया गया एवं इसे मुख्य शीर्ष 8121 के अंतर्गत दर्ज किया गया।

पेंशन निधि की शेष राशि का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 1.13: पेंशन निधि शेष

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	टीडब्ल्यूएफए/ पिछला समायोजन	निधि के लिए विनियोजन	अतिरिक्त विनियोजन (ऋण आदि)	वर्ष के दौरान ब्याज	योग (कॉलम 2 से 6 तक का योग)	आहरण	अंत शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020-21	-28,398.47	0.00	1,123.00	79,398.00	-420.09	51,702.45	48,434.96	3,267.49
2021-22	3,267.49	0.00	48,700.00	0.00	55.27	52,022.76	51,935.24	87.51
2022-23	87.51	0.00	55,300.00	0.00	7.39	55,394.90	55,034.00	360.90
2023-24	360.90	0.00	59,600.00	0.00	38.26	59,999.16	58,037.76	1,961.40
2024-25	1,961.40	0.00	60,100.00	0.00	63.98	62,125.38	60,202.76	1,922.62

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान के मद में रेलवे द्वारा किए गए व्यय को निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है:

चित्र 1.13: रेलवे के पेंशन भुगतानों पर व्यय

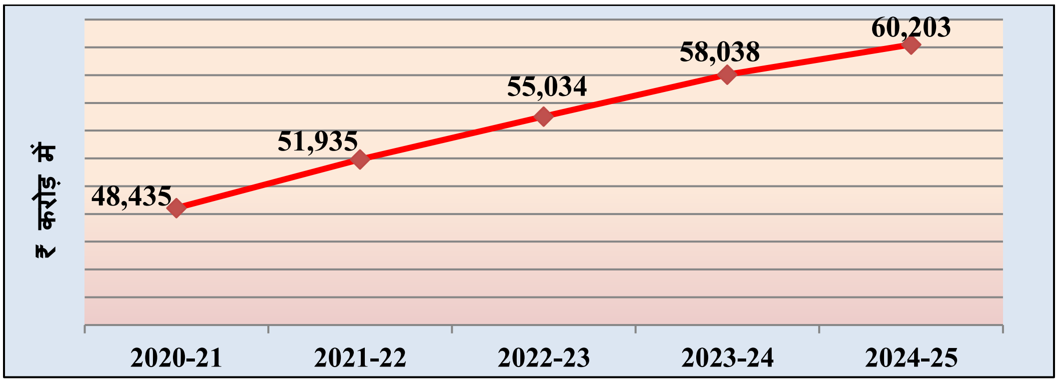

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

जैसा कि चित्र से देखा जा सकता है, पेंशन पर व्यय, जो वर्ष 2020-21 में ₹ 48,435 करोड़ था, वर्ष 2024-25 में बढ़कर ₹ 60,203 करोड़ हो गया, अर्थात् इसमें 24.30 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में इसमें 3.73 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई।

1.7.3 पूंजीगत निधि

इस निधि का सृजन (1992-93 से) पूंजीगत कार्यों की आवश्यकताओं के एक भाग के वित्तपोषण के स्पष्ट उद्देश्य से किया गया था। 2024-25 के दौरान इस निधि में कोई विनियोजन नहीं किया गया। वर्ष 2024-25 की समाप्ति तक निधि में ₹ 472.28 करोड़ की राशि शेष थी, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.14: पूंजीगत निधि शेष

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	टीडब्ल्यूएफए	निधि के लिए विनियोजन	ब्याज	योग	आहरण	अंत शेष
1	2020-21	400.35	0.00	0.00	13.61	413.96	0.00	413.96
2	2021-22	413.96	0.00	0.00	13.87	427.83	0.00	427.83
3	2022-23	427.83	0.00	0.00	14.33	442.16	0.00	442.16
4	2023-24	442.16	0.00	0.00	14.81	456.97	0.00	456.97
5	2024-25	456.97	0.00	0.00	15.31	472.28	0.00	472.28

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

2024-25 के दौरान रेल मंत्रालय ने सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से आईआरएफसी पट्टा प्रभार के मूलधन के लिए ₹ 22,699.42 करोड़ व्यय किए, क्योंकि पूंजीगत निधि (सीएफ) में कोई विनियोजन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पिछले कई वर्षों से, संपूर्ण पट्टा प्रभार (मूलधन) सकल बजटीय सहायता से भुगतान किया जा रहा था। सैद्धांतिक रूप से, आईआरएफसी को पट्टा प्रभार का भुगतान पूंजी निधि (जो राजस्व अधिशेष से प्राप्त होता है) से किया जाना चाहिए था। हालांकि, अपर्याप्त अधिशेष एवं पूंजीगत सहायता में अपर्याप्त धनराशि के कारण, आईआरएफसी को पट्टा प्रभार का भुगतान जीबीएस से किया गया।

1.7.4 विकास निधि

इस निधि का वित्तपोषण राजस्व अधिशेष से विनियोजन द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग रेल परिवहन उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं से संबंधित कार्यों, श्रमिक कल्याण कार्यों, अवैतनिक परिचालन सुधार कार्यों आदि के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। 2024-25 के दौरान, ₹ 1,000 करोड़ के बजट अनुमान के मुकाबले ₹ 541.40 करोड़ विनियोजित किए गए एवं ₹ 447.53 करोड़ व्यय किए गए। वर्ष 2024-25 की समाप्ति तक इस निधि खाते का समापन शेष ₹ 687.15 करोड़ था। जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.15: विकास निधि शेष

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	टीडब्ल्यूएफए	निधि के लिए विनियोजन	ब्याज	योग	आहरण	अंत शेष
1	2020-21	519.29	0.00	1,547.48	25.67	2,092.44	1,075.89	1,016.55
2	2021-22	1,016.55	0.00	0.00	16.75	1,033.30	1,032.65	0.65
3	2022-23	0.65	0.00	1,000.00	0.26	1,000.91	985.39	15.52
4	2023-24	15.52	0.00	1,500.00	9.68	1,525.20	952.66	572.54
5	2024-25	572.54	0.00	541.40	20.74	1,134.68	447.53	687.15

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

1.7.5 ऋण सेवा निधि

इस निधि का सृजन (वर्ष 2013-14 से) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए), विश्व बैंक से लिए गए ऋणों के संबंध में भविष्य के ऋण सेवा

दायित्वों एवं वेतन आयोग की अनुशंसाओं के भविष्य में कार्यान्वयन के लिए किया गया था। इस निधि का वित्तपोषण पूंजी निधि (सीएफ) तथा विकास निधि (डीएफ) की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात राजस्व अधिशेष से विनियोजन द्वारा किया जाता है। पिछले कई वर्षों में, डीएसएफ में न तो कोई राशि बजट में आवंटित की गई है एवं न ही विनियोजित की गई है। 2024-25 की समाप्ति तक निधि में ₹ 253.30 करोड़ का शेष था, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.16: ऋण सेवा निधि शेष

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	निधि के लिए विनियोजन	ब्याज	योग	आहरण	अंत शेष
1	2020-21	214.72	0.00	7.30	222.02	0.00	222.02
2	2021-22	222.02	0.00	7.44	229.46	0.00	229.46
3	2022-23	229.46	0.00	7.69	237.15	0.00	237.15
4	2023-24	237.15	0.00	7.94	245.09	0.00	245.09
5	2024-25	245.09	0.00	8.21	253.30	0.00	253.30

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

1.7.6 रेलवे सुरक्षा निधि

इस निधि का सृजन (अप्रैल 2001 से) मानवरहित लेवल क्रॉसिंग के रूपांतरण एवं सड़क ओवर/अंडर ब्रिज के निर्माण से संबंधित कार्यों के वित्तपोषण के लिए किया गया था। हालांकि, 2016-17 में इस निधि का दायरा बढ़ाकर इसमें नई लाइनें, गेज विपथन, विद्युतीकरण एवं सुरक्षा कार्यों को भी सम्मिलित किया गया। इस निधि का वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा डीजल उपकर से प्राप्त केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से अंतरण माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राजस्व अधिशेष से भी धनराशि विनियोजित की जा सकती है। 2024-25 के दौरान, रेलवे को आरएसएफ के लिए ₹ 44,999.73 करोड़ प्राप्त हुए एवं ₹ 44,999.73 करोड़ का व्यय हुआ। 2024-25 की समाप्ति तक निधि में ₹ 3.13 करोड़ शेष था, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.17: रेलवे सुरक्षा निधि शेष

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	टीडब्ल्यूएफए	निधि के लिए विनियोजन	अतिरिक्त विनियोग	योग	आहरण	अंत शेष
1	2020-21	505.25	3.94	0.00	0.00	509.19	-2.90	512.09
2	2021-22	512.09	0.00	0.00	20,600.00	21,112.09	21,105.43	6.66
3	2022-23	6.66	-1.99	0.00	30,000.00	30,004.67	30,001.29	3.39
4	2023-24	3.39	0.00	0.00	45,000.00	45,003.39	45,000.33	3.06
5	2024-25	3.06	0.07	0.00	44,999.73	45,002.86	44,999.73	3.13

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

1.7.7 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष

इस निधि का सृजन वर्ष 2017-18 से संरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों के वित्तपोषण के लिए किया गया था। इस निधि में स ब स, आरएसएफ, डीआरएफ एवं राजस्व अधिशेष से धनराशि प्राप्त होगी। इस निधि का कोष पाँच वर्षों की अवधि में ₹ 1 लाख करोड़ निर्धारित किया गया था। इसके अंतर्गत ₹ 20,000 करोड़ का वार्षिक सुनिश्चित परिव्यय निर्धारित किया गया था, जिसमें ₹ 15,000 करोड़ का अंशदान जीबीएस से तथा ₹ 5,000 करोड़ का अंशदान रेलवे के आंतरिक संसाधनों से किया जाना था। इस निधि की अवधि को वर्ष 2022-23 में अगले पाँच वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया।

रेल मंत्रालय ने ₹ 1,800 करोड़ के बजट अनुमान के प्रति, अपने आंतरिक संसाधनों से राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) के लिए ₹ 2,118.88 करोड़ विनियोजित किए हैं। इसके अतिरिक्त, रेलवे को वर्ष 2024-25 के दौरान जीबीएस से ₹ 10,000 करोड़ प्राप्त हुए एवं इस निधि से ₹ 10,999.70 करोड़ का व्यय हुआ, जिससे ₹ 2,421.58 करोड़ की शेष राशि बची, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.18: राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष निधि शेष

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्त राशि					व्यय	शेष
			डीआरएफ	स ब स	आरएसएफ	अधिशेष (भारतीय रेलवे)	योग		
1	2020-21	194.66	0.00	0.00	(-)3.94	1,000	1,190.72	314.25	876.47
2	2021-22	876.47	0.00	15,000	10,000	0.00	25,000.00	24,731.54	1,144.93
3	2022-23	1,144.93	0.00	10,000	0.00	1,517.38	11,517.38	11,797.42	864.89
4	2023-24	864.89	0.00	10,000	0.00	1,759.68	11,759.68	11,322.17	1,302.40
5	2024-25	1,302.40	0.00	10,000	0.00	2,118.88	12,118.88	10,999.70	2,421.58

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि महत्वपूर्ण सुरक्षा परिसंपत्तियों के नवीनीकरण, प्रतिस्थापन एवं उन्नयन का कार्य पहले से ही मौजूदा निधियों, अर्थात् डीआरएफ एवं आरएसएफ के माध्यम से किया जा रहा है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीआरएफ के बजाय आरआरएसके के माध्यम से परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन एवं नवीनीकरण के लिए धन आवंटित करके रेलवे ने डीआरएफ के लिए विनियोजन को कम कर दिया है।

1.7.8 संप्रभु हरित निधि

अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को काफी हद तक कम करने के उद्देश्य के अनुरूप, केंद्रीय बजट 2022-23 में हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने हेतु संप्रभु हरित बांड जारी करने की घोषणा की गई। प्राप्त धनराशि को सार्वजनिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में सहायक हों। निधि शेष की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 1.19: संप्रभु हरित निधि शेष

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	निधि के लिए विनियोजन	आहरण	अंत शेष
1	2022-23	0.00	10,239.00	10,239.00	0.00
2	2023-24	0.00	12,478.99	12,478.99	0.00
3	2024-25	0.00	14,996.29	14,996.29	0.00

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

₹ 15,000 करोड़ के बीई के प्रति ₹ 14,996.29 करोड़ विनियोजित किए गए एवं वर्ष 2024-25 के लिए निधि से उतनी ही राशि का व्यय किया गया।

1.8 निष्कर्ष

वर्ष 2023-24 में रेल मंत्रालय का कुल व्यय ₹ 5,15,050.66 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 5,32,378.43 करोड़ हो गया, जो 3.36 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान पूंजीगत व्यय में 2.69 *प्रतिशत* एवं राजस्व व्यय में 4.03 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। कुल प्राप्तियों में 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 3.74 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। माल ढुलाई से होने वाली आय कोयले के परिवहन पर काफी हद तक निर्भर करती है। माल ढुलाई से होने वाली आय से यात्री एवं अन्य कोचिंग सेवाओं से होने वाली आय को क्रॉस-सब्सिडी दी गई।

2024-25 में ₹ 2,660.28 करोड़ का शुद्ध अधिशेष था, जबकि 2023-24 में यह ₹ 3,259.68 करोड़ था। 2023-24 की तुलना में 2024-25 में शुद्ध अधिशेष के उत्पादन में 18.39% की कमी आई।

रेल मंत्रालय (रे मं) ने वर्ष 2024-25 के दौरान जीबीएस से आईआरएफसी पट्टा प्रभार के पूंजीगत घटक के लिए ₹ 22,699.42 करोड़ व्यय किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि संपूर्ण पट्टा प्रभार (मूलधन घटक) सकल बजटीय सहायता से चुकाया जा रहा था। सैद्धांतिक रूप से, आईआरएफसी को पट्टा प्रभार का भुगतान पूंजी निधि (जो राजस्व अधिशेष से प्राप्त होता है) से किया जाना चाहिए था। हालांकि, अपर्याप्त अधिशेष एवं पूंजी निधि में अपर्याप्त धनराशि के कारण, आईआरएफसी को पट्टा प्रभार का भुगतान जीबीएस से किया गया। जीबीएस से आईआरएफसी को भुगतान करने की यह व्यवस्था एक उचित नहीं है एवं इससे रेलवे उन अतिरिक्त निवेश से वंचित हो जाएगा जो पूंजीगत कार्यों पर किए जा सकते थे। वर्ष 2023-24 की तुलना में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर निर्भरता में 9.48 *प्रतिशत* की कमी आई है।

मूल्यह्रास के लिए अपर्याप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन कार्यों को समय से पहले ही स्थगित कर दिया गया।

रेल मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के दौरान आंतरिक संसाधनों से ₹ 2,118.88 करोड़ एवं स ब स से आरआरएसके को ₹ 10,000 करोड़ की राशि अंतरित करके विनियोजित की।

1.9 अनुशंसाएँ

रेल मंत्रालय निम्नलिखित कार्य करे:

i. ***माल ढुलाई से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए अपने माल ढुलाई विकल्पों में विविधता लाने के लिए कदम उठाए।***

ii. ***ट्रेनों के सुचारू परिचालन के लिए पुरानी हो चुकी परिसंपत्तियों के नवीनीकरण के लंबित मामलों का समाधान करे।***

iii. ***आंतरिक राजस्व बढ़ाने के लिए कदम उठाए।***

अध्याय-II

विनियोग लेखे

अध्याय II	विनियोग लेखे

इस अध्याय में विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा के माध्यम से रेल मंत्रालय (रे.मं.) की वित्तीय जवाबदेही और बजटीय प्रथाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में, रेलवे बजट वित्तीय नियंत्रण का एक माध्यम होने के साथ-साथ रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय (वि.मं.), भारत सरकार के लिए एक प्रबंधन का महत्वपूर्ण साधन भी है।

वित्तीय नियंत्रण न केवल इस तथ्य से सुनिश्चित होता है कि सभी दत्तमत व्यय संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करते हैं, बल्कि संसद द्वारा स्वीकृत प्रमुख/उप प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक व्यय की रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करने की प्रणाली से भी सुनिश्चित होता है। वित्त मंत्रालय के माध्यम से संसद को प्रस्तुत किए जाने वाले वे विवरण, जिनमें वास्तविक व्यय की राशि की तुलना संसद द्वारा स्वीकृत राशि और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत विनियोग राशि से की जाती है, **"विनियोग लेखे"** कहलाते हैं।

विनियोग लेखे किसी विशेष वर्ष के लिए राजस्व मंत्रालय के व्यय से संबंधित लेखाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं, जिसकी तुलना संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम की अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए गए विनियोगों से की जाती है। इन लेखाओं में मूल बजट आवंटन, पूरक अनुदान, त्यागपत्र और पुनर्विनियोग स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध होते हैं और बजट की प्रभारित और स्वीकृत दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे वित्त प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी में सहायक होते हैं और इसलिए वित्त लेखाओं के पूरक होते हैं।

विनियोग लेखाओं पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और रेलवे के वित्त सदस्य दोनों के हस्ताक्षर होते हैं और इन्हें लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एवं एजी) को प्रस्तुत किया जाता है। सी एवं एजी द्वारा लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न प्रमुख मदों/उप प्रमुख मदों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दी गई अनुमति के दायरे में है या नहीं और यह भी कि किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

2.1 विनियोग लेखाओं का सारांश

रेल बजट के केंद्रीय बजट में विलय के बाद से, रेल मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक (सी. जी. ए.) द्वारा जारी सिविल लेखा नियमावली में निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार मुख्य शीर्षों / उप मुख्य शीर्षों के संचालन के माध्यम से व्यय के लिए अधिकृत किया गया।

रेलवे अनुदान में मुख्य शीर्ष 3001, 3002 के तहत राजस्व अनुदान[26] और वर्ष के दौरान अपनी आय के माध्यम से मंत्रालय द्वारा उत्पन्न आंतरिक संसाधनों के माध्यम से वित्तपोषित 3003 और प्रमुख शीर्ष 5002-03 (प्रमुख शीर्ष 8115, 8117, 8118, 8230 और 8231 सहित) के तहत पूंजी अनुदान[27] (अनुदान संख्या 16) मुख्य रूप से सामान्य बजट, आंतरिक संसाधनों और केंद्रीय सड़क निधि[28] (सी. आर. एफ.) से "डीजल उपकर" के हिस्से के माध्यम से वित्तपोषित हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 और 115 के अंतर्गत पारित और व्यय के लिए अनुदान की मूल और पूरक मांगों में अधिकृत राशियों की तुलना में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशियों के लिए विनियोग लेखे (रेलवे) का सारांश **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: विनियोग लेखे का सारांश 2024-25

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक अनुदान	योग स्वीकृत अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ अतिरिक्त (+)
			दत्तमत			
1	राजस्व (3001,3002, 3003, 3006 और 3075)	3,50,040.22	0.01	3,50,040.23	3,35,217.54	**- 14,822.69**
2 (i)	पूँजी (5002,5003)	3,43,063.57	377.31	3,43,440.88	3,34,729.36	**- 8,711.52**

---

[26] संसद द्वारा स्वीकृत कामकाजी खर्चों और अन्य राजस्व खर्चों का विवरण देने वाले अनुदान।

[27] संसद द्वारा स्वीकृत संपत्ति खरीदने, निर्माण और बदलने पर होने वाले खर्च का विवरण देने वाला अनुदान।

[28] केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री से मिलने वाले सेस (उपकर) से एक खास 'सेंट्रल रोड फंड' बनाया था।

क्र. सं.	विवरण	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक अनुदान	योग स्वीकृत अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ अतिरिक्त (+)
2 (ii)	केंद्रीय सड़क निधि (सी. आर. एफ.) से हस्तांतरण	11,000	0	11,000	11,000.00	**0.00**
2 (iii)	राष्ट्रीय निवेश निधि (एन. आई. एफ.) से हस्तांतरण	14,800	0	14,800	12,000.00	**- 2,800.00**
2 (iv)	आरआरएसके में स्थानांतरण	10,000	0	10,000	10,000.00	**0.00**
2 (v)	आर. एस. एफ. में स्थानांतरण	45,000	0	45,000	44,999.73	**- 0.27**
2 (vi)	एसजीएफ में स्थानांतरण	15,000	0	15,000	14,996.29	**- 3.71**
योग पूँजी		**4,38,863.57**	**377.31**	**4,39,240.88**	**4,27,725.38**	**- 11,515.50**
योग दत्तमत		**7,88,903.79**	**377.32**	**7,89,281.11**	**7,62,942.92**	**- 26,338.19**
प्रभारित						
3	राजस्व (3001, 3002, 3003, 3006 और 3075)	454.79	126.33	581.12	539.56	**- 41.56**
4	पूँजी (5002,5003)	459.97	642.92	1,102.89	864.03	**- 238.86**
योग प्रभारित		**914.76**	**769.25**	**1,684.01**	**1,403.59**	**- 280.42**
सकल योग		**7,89,818.55**	**1,146.57**	**7,90,965.12**	**7,64,346.51**	**- 26,618.61**

स्रोतः रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

अनुदान-वार व्यय **(अनुलग्नक-2.1)** के विश्लेषण से यह पता चला कि ₹26,618.61 करोड़ की शुद्ध बचत, ₹29,415.17 करोड़ की कुल बचत के कारण हुई। यह बचत राजस्व अनुदानों (मुख्य शीर्ष 3002-03) के अंतर्गत मतदान (दत्तमद) वाले नौ खंडों तथा प्रभारित विनियोगों[29] के तीन खंडों और पूंजीगत अनुदानों (मुख्य शीर्ष 5002-03) के अंतर्गत मतदान (दत्तमत) वाले आठ तथा प्रभारित विनियोगों के पाँच घटकों में हुई। हालांकि, इस बचत को राजस्व अनुदानों (मुख्य शीर्ष 3002-03) के अंतर्गत मतदान (दत्तमत) वाले छह खंडों तथा प्रभारित विनियोगों के नौ खंडों में ₹2,796.56 करोड़ के अतिरिक्त व्यय द्वारा आंशिक रूप से समायोजित कर दिया गया।

[29] *विनियोग का मतलब भारत की संचित निधि पर भारित खर्च से है।*

2.1.1 राजस्व अनुदान

रेल मंत्रालय प्रमुख शीर्ष 3001, 3002-03 के तहत निम्नलिखित राजस्व अनुदान का संचालन करता है। इन्हें कार्यात्मक रूप से **तालिका 2.2** में सूचीबद्ध छः अलग-अलग समूहों के तहत जोड़ा गया है:

तालिका 2.2: रेलवे द्वारा संचालित अनुदान

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	विवरण	छः विशिष्ट समूह
1	3001		विविध व्यय (रेलवे बोर्ड के व्यय सहित)	**सभी रेलवे के लिए समान नीति निर्माण और सेवाएं**
2	3002-03	01	रेलवे पर सामान्य अधीक्षण और सेवा	**रेलवे पर सामान्य अधीक्षण और सेवा**
		02	स्थायी मार्ग और कार्यों की मरम्मत और रखरखाव	**मरम्मत और रखरखाव**
		03	इंजन की मरम्मत और रखरखाव	
		04	गाड़ियों और वैगनों की मरम्मत और रखरखाव	
		05	संयंत्र और उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव	
		06	परिचालन व्यय-रोलिंग स्टॉक और उपकरण	**परिचालन**
		07	परिचालन व्यय-यातायात	
		08	परिचालन व्यय-ईंधन	
		09	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	**कर्मचारी कल्याण, सेवानिवृत्ति लाभ और विविध**
		10	विविध कार्य व्यय	
		11	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
		12	निधियों के लिए विनियोग	**रेलवे निधि**

स्रोतः भारतीय रेलवे वित्त संहिता, खंड II

निम्नलिखित आरेख 2024-25 में समूह-वार व्यय को दर्शाता हैः

चित्र-2.1: समूह-वार राजस्व व्यय (2024-25)

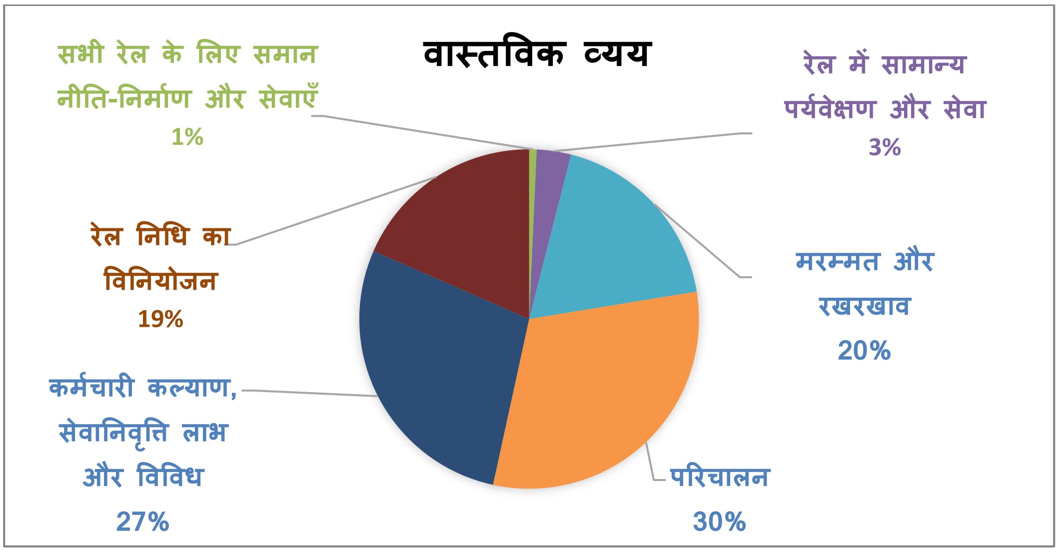

स्रोतः रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

राजस्व अनुदान के तहत समूह-वार अनुमान, व्यय और भिन्नता का विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3: समूह-वार अनुमान, व्यय और भिन्नता (2024-25)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक प्रावधान	कुल स्वीकृत अनुदान	वास्तविक व्यय	स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष परिवर्तन (-) बचत/ (+) आधिक्य	प्रतिशत भिन्नता
1	सभी रेलवे के लिए समान नीति निर्माण और सेवाएं	2,600.01	6.82	2,606.83	2,176.93	-429.90	-16.49
2	रेलवे पर सामान्य अधीक्षण और सेवा	10,277.30	1.43	10,278.73	10,083.33	-195.40	-1.90
3	मरम्मत और रखरखाव	64,743.66	11.66	64,755.32	66,256.01	1,500.69	2.32

क्रम संख्या	विवरण	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक प्रावधान	कुल स्वीकृत अनुदान	वास्तविक व्यय	स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष परिवर्तन (-) बचत/ (+) आधिक्य	प्रतिशत भिन्नता
4	परिचालन	1,05,982.12	12.42	1,05,994.54	1,00,273.30	-5,721.25	-5.40
5	कर्मचारी कल्याण, सेवानिवृत्ति लाभ और विविध	92,598.92	94.00	92,692.93	90,590.80	-2,102.12	-2.27
6	रेलवे निधियों के लिए विनियोग	70,900.00	0.00	70,900.00	63,060.28	-7,839.72	-11.06

स्रोतः रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

स्वीकृत प्रावधानों के संदर्भ में भिन्नताओं के मुख्य कारण इस प्रकार थेः

i) भारतीय रेलवे नीति निर्माण

व्यय में बचत के लिए कर्मचारियों की लागत में कमी, कुछ सर्वेक्षण कार्यों की धीमी प्रगति, कुछ कार्यों की निविदाओं को अंतिम रूप न देना, अनुबंध भुगतान में कमी, विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों (रे भ बो) द्वारा कम संख्या में परीक्षाओं का आयोजन और वर्ष के दौरान कम प्रशिक्षण व्यय को जिम्मेदार ठहराया गया।

ii) रेलवे पर सामान्य अधीक्षण और सेवा

व्यय में बचत के लिए महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधकों की स्थापना, कर्मचारियों के खाते की लागत, नकद और वेतन, सांख्यिकीय और इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन, स्टोर शाखा, स्टोर डिपो के तहत कम व्यय, लोको, कैरिज और वैगन (सी एंड डब्ल्यू) शाखा, कार्यशालाओं में यांत्रिक, संचालन और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग (ईडीपी), विद्युत ट्रैक्शन, यातायात (संचालन), सुरक्षा और योजना के लिए कम व्यय को जिम्मेदार ठहराया गया।

iii) मरम्मत और रखरखाव

आकस्मिक खर्चों के लिए अधिक व्यय, स्थायी मार्ग के रखरखाव पर अधिक व्यय और मरम्मत पर अधिक व्यय, पी. ओ. एच., आई. ओ. एच. और अन्य मरम्मत, बीमार लाइनों में मरम्मत पर अधिक व्यय, बीमार लाइनों और विशेष मरम्मत के लिए कार्यशालाओं में अधिक व्यय, बिजली कर्षण के लिए ओवरहेड उपकरण के लिए अधिक व्यय, सामान्य सेवा के लिए बिजली आपूर्ति उपकरण, प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से संबंधित विशेष मरम्मत और पर्यवेक्षकों और उनके कार्यालय कर्मचारियों की अधिक कर्मचारी लागत के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ।

iv) परिचालन

व्यय में बचत शेड और यार्ड कर्मचारियों के लिए कम व्यय, स्नेहक और उपभोग्य सहित अन्य परिचालन व्यय, सिग्नलिंग और दूरसंचार की गतिविधियों, वर्ष के दौरान के परिवहन के तहत कम व्यय, यातायात और आवाजाही निरीक्षकों, ट्रेन पासिंग और नियंत्रण कार्यालय कर्मचारियों, स्टेशन कर्मचारियों, सामान और पार्सल स्टेशन कर्मचारियों, स्टेशन स्वच्छता पर कम व्यय, रोलिंग स्टॉक से संबंधित अंतर रेलवे वित्तीय समायोजन पर कम व्यय, आई. आर. एफ. सी. को पट्टे के शुल्क का कम भुगतान और ई. बी. आर.-आई. एफ. के लिए कम भुगतान, वाष्प कर्षण के लिए कोयले की कम खपत और कर्षण सेवाओं के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा की लागत के लिए कम व्यय के कारण थी।

v) कर्मचारी कल्याण, सेवानिवृत्ति लाभ और विविध

व्यय में बचत अस्पतालों और औषधालयों पर कम व्यय, औषधियों की लागत, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा उपकरणों के रखरखाव, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना, रेलवे कॉलोनियों, खेल संस्थानों और अवकाश गृहों में स्वच्छता, कैंटीन सब्सिडी, दावों के निपटान के तहत कम व्यय, मुआवजे-नकद और पुस्तक समायोजन के माध्यम से सामान का निपटान, आतिथ्य और मनोरंजन व्यय, सेवानिवृत्ति पेंशन मामलों के लिए कम व्यय, कम्यूटेड और अनुग्रह राशि पेंशन और पेंशनभोगियों के लिए छुट्टी नकदीकरण आदि के कारण हुई।

vi) रेलवे निधि

व्यय में बचत अंतिम संशोधन चरण में अनुमानित कम व्यय के कारण थी।

राजस्व और पूंजी अनुदान और विनियोग के तहत अनुदान-वार प्राधिकरण और व्यय का विवरण **अनुलग्नक-2.1** में दिया गया है।

2.2 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

2.2.1 बजट प्रावधान से अधिक व्यय

तालिका 2.4 में राजस्व अनुदान के अनुदान और विनियोजन उप-प्रमुख मदों के अनुसार (प्रमुख मद 3002-03-(XX) के अंतर्गत) दिए गए हैं।

तालिका 2.4: अतिरिक्त व्यय (2024-25)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या 85	नाम	मूल	पूरक	स्वीकृत	वास्तविक	अधिशेष (+)
प्रभारित							
1	मुख्य शीर्ष 3002-03-(1)	सामान्य अधीक्षण और सेवाएँ	1.60	1.43	3.03	4.59	**1.56**
2	मुख्य शीर्ष 3002-03-(02)	स्थायी मार्ग और कार्यों की मरम्मत और रखरखाव	0.42	10.73	11.15	11.94	**0.79**
3	मुख्य शीर्ष 3002-03-(03)	इंजन की मरम्मत और रखरखाव	0.00	0.04	0.04	0.04	**0.01**
4	मुख्य शीर्ष 3002-03-(04)	गाड़ियों और वैगनों की मरम्मत और रखरखाव	0.00	0.52	0.52	0.59	**0.07**
5	मुख्य शीर्ष 3002-03-(06)	परिचालन व्यय-रोलिंग स्टॉक और उपकरण	0.00	4.07	4.07	4.74	**0.67**
6	मुख्य शीर्ष 3002-03-(07)	परिचालन व्यय-यातायात	0.00	0.30	0.30	0.52	**0.22**
7	मुख्य शीर्ष 3002-03-(08)	परिचालन व्यय-ईंधन	0.00	8.05	8.05	32.15	**24.10**

क्र. सं.	अनुदान संख्या 85	नाम	मूल	पूरक	स्वीकृत	वास्तविक	अधिशेष (+)
8	मुख्य शीर्ष 3002-03-(09)	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	0.00	0.64	0.64	0.77	**0.13**
9	मुख्य शीर्ष 3002-03-(11)	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	0.10	0.65	0.74	1.19	**0.45**
सकल योग (प्रभारित)			**2.12**	**26.42**	**28.54**	**56.54**	**28.00**
दत्तमत							
1	मुख्य शीर्ष 3002-03-(02)	स्थायी मार्ग और कार्यों की मरम्मत और रखरखाव	21,385.32	0	21,385.32	22,013.50	**628.18**
2	मुख्य शीर्ष 3002-03-(03)	इंजन की मरम्मत और रखरखाव	8,042.81	0	8,042.81	8,705.01	**662.21**
3	मुख्य शीर्ष 3002-03-(04)	गाड़ियों और वैगनों की मरम्मत और रखरखाव	23,450.69	0	23,450.69	23,665.75	**215.06**
4	मुख्य शीर्ष 3002-03-(05)	संयंत्र और उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव	11,852.38	0	11,852.38	11,858.73	**6.34**
5	मुख्य शीर्ष 3002-03-(10)	विविध कार्य व्यय	9,810.14	0	9,810.14	11,000.76	**1,190.62**
सकल योग (दत्तमत)			**74,541.34**	**0**	**74,541.34**	**77,243.75**	**2,702.41**

स्रोतः रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

राजस्व विनियोग के नौ उप प्रमुख शीर्षों के तहत 2024-25 के दौरान ₹ 28.00 करोड़ की राशि के व्यय अधिशेष (प्रभारित) का कारण अनुमान से अधिक डिक्री संबंधी भुगतान भुगतानों को मूर्त रूप देने की दिशा में अधिक व्यय को बताया गया था। राजस्व अनुदान (दत्तमत) के पांच उप प्रमुख शीर्षों के तहत ₹ 2,702.41 करोड़ की राशि का अतिरिक्त व्यय हुआ। स्थायी मार्ग के रखरखाव, मरम्मत चलाने, पी. ओ. एच., आई. ओ. एच. और अन्य मरम्मतों पर अधिक व्यय, बीमार लाइनों में मरम्मत चलाने पर अधिक व्यय, बीमार लाइनों और विशेष मरम्मत के लिए कार्यशालाओं में अधिक व्यय, बिजली कर्षण के लिए ओवरहेड उपकरण के लिए अधिक व्यय, सामान्य सेवाओं के लिए बिजली आपूर्ति उपकरण, प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से संबंधित विशेष मरम्मत और पर्यवेक्षकों और उनके कार्यालय कर्मचारियों की अधिक लागत, आर पी एफ. और आर पी एस एफ

के मुआवजे के लिए अधिक व्यय, अनुबंध खानपान और विविध अग्रिम राजस्व मुआवजे के दावों को पूरा करने के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ।

2.2.2 बचत

पांच मामलों में योग बचत (राजस्व अनुदान 3002-03 और पूंजी अनुदान-5002-03) (दत्तमत) जहां बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी, वर्ष के दौरान ₹ 50,694.82 करोड़ थी जैसा कि **तालिका 2.5** में विस्तृत है।

तालिका 2.5: ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या 85	नाम	मूल	पूरक	स्वीकृत	वास्तविक व्यय	बचत (-)
1	मुख्य शीर्ष 3001	रेलवे बोर्ड को छोड़कर विविध व्यय	2,586.72	0.00	2,586.72	2,172.21	**- 414.51**
2	मुख्य शीर्ष 3002-03-(1)	सामान्य अधीक्षण और सेवाएँ	10,275.69	0.00	10,275.69	10,078.73	**- 196.96**
3	मुख्य शीर्ष 3002-03-(07)	परिचालन व्यय-यातायात	46,709.08	0.01	46,709.09	42,836.88	**- 3,872.21**
4	मुख्य शीर्ष 3002-03-(08)	परिचालन व्यय-ईंधन	34,778.71	0.00	34,778.71	32,909.55	**- 1,869.16**
5	मुख्य शीर्ष 3002-03-(11)	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	72,175.78	0.00	72,175.78	68,960.62	**- 3,215.16**
6	मुख्य शीर्ष 3002-03,3006-(12)	निधियों के लिए विनियोग	70,900.00	0.00	70,900.00	63,060.28	**- 7,839.72**
7	मुख्य शीर्ष 5002-03	परिसंपत्ति, अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन	4,38,863.57	377.31	4,39,240.88	4,27,725.38	**- 11,515.50**
सकल योग			**6,76,289.55**	**377.32**	**6,76,666.87**	**6,47,743.65**	**- 28,923.33**

स्रोतः रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

व्यय में बचत का कारण कर्मचारियों की लागत में कमी, कुछ सर्वेक्षण कार्यों की धीमी प्रगति, कुछ कार्यों की निविदाओं को अंतिम रूप न देना, अनुबंध भुगतान को कम मूर्त रूप देना, विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) द्वारा कम संख्या में परीक्षा आयोजित करना और वर्ष के दौरान कम प्रशिक्षण व्यय, महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधकों की स्थापना के लिए कम व्यय, खाते की लागत, नकद और वेतन, सांख्यिकीय और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, स्टोर शाखा, स्टोर डिपो के तहत कम व्यय, लोको, कैरिज और वैगन (सी एंड डब्ल्यू) शाखा, यांत्रिक संचालन और कार्यशाला में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग (ईडीपी), विद्युत ट्रैक्शन, यातायात (संचालन), सुरक्षा और योजना के लिए कम व्यय, वर्ष के दौरान कम व्यय, संविदा बिलों की प्राप्ति।

2.3 पूँजी अनुदान-परिसंपत्तियाँ, अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन

पूंजी अनुदान संख्या 16 रेल मंत्रालय की परिसंपत्तियों के निर्माण, अधिग्रहण और प्रतिस्थापन पर व्यय से संबंधित है। इस अनुदान के तीन खंड हैं और यह चार अलग-अलग स्रोतों से धन प्राप्त करता हैः

- भारत सरकार के आम बजट द्वारा प्रस्तावित **पूंजी**-बजटीय सहायता
- **रेलवे निधि-** तीन अलग-अलग भंडारों[30] के तहत रखे गए आंतरिक संसाधन
- **रेलवे सुरक्षा निधि**- केंद्रीय सड़क निधि से डीजल उपकर के रेलवे के हिस्से द्वारा वित्तपोषित
- **राष्ट्रीय रेल संरक्षण निधि**- यह निधि महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी कार्यों के वित्तपोषण के लिए 2017-18 से बनाया गया था। इस निधि को जी. बी. एस., आर. एस. एफ., डी. आर. एफ. और राजस्व अधिशेष से ऋण प्राप्त होंगे।

[30] *रिज़र्व फंड में डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड, डेवलपमेंट फंड और कैपिटल फंड शामिल थे।*

खंड-वार आवंटन और व्यय नीचे दी गई **तालिका 2.6** में दिया गया है:

तालिका 2.6: अनुदान संख्या 16 के तहत खंड-वार व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निधि (मुख्य शीर्ष)	विवरण	मूल	पूरक	स्वीकृत	वास्तविक व्यय	अधिशेष (+)/ बचत (-)
	दत्तमत						
1	5002-03	रेल मंत्रालय पर पूंजीगत परिव्यय	2,82,301.80	377.31	2,82,679.11	2,74,859.48	**-7,819.63**
2	8115 8117 8118	डीआरएफ, डीएफ, सी. एफ	2,081.67	0	2,081.67	1,297.61	**-784.06**
3	8231	आरएसएफ	45,882.43	0	45,882.43	45,880.28	**-2.15**
4	8230	आरआरएसके	12,797.67	0	12,797.67	12,691.99	**-105.68**
		कुल (दत्तमत)	**3,43,063.57**	**377.31**	**3,43,440.88**	**3,34,729.36**	**-8,711.52**
	प्रभारित						
5	5002-03	रेल मंत्रालय पर पूंजीगत परिव्यय	457.64	541.29	998.93	760.08	**-238.86**
6	8115 8117 8118	डीआरएफ, डीएफ, सी. एफ	0	5.97	5.97	5.97	**0.00**
7	8231	आरएसएफ	0	61.63	61.63	61.63	**0.00**
9	8230	आरआरएसके	2.33	34.02	36.35	36.35	**0.00**
		कुल (प्रभारित)	**459.97**	**642.92**	**1,102.89**	**864.03**	**-238.86**
सकल योग (दत्तमत + प्रभारित)			**3,43,523.54**	**1,020.23**	**3,44,543.77**	**3,35,593.39**	**-8,950.38**

स्रोतः रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

क) पूँजी

2024-25 में परिसंपत्तियों/रोलिंग स्टॉक आदि के अधिग्रहण और निर्माण के लिए ₹ 3,44,543.77 करोड़ का प्रावधान किया गया था। अनुदान के इस खंड में स्वीकृत प्रावधान के खिलाफ ₹ 8,950.38 करोड़ (स्वीकृत अनुदान का 2.60%) की शुद्ध बचत की गई थी। बचत के कारणों में काम की कम प्रगति, सामग्री की कम उपलब्धता, कम संविदात्मक भुगतान, पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के पूंजी घटक का कम भुगतान, स्टोर डेबिट का कम समायोजन, एम एंड पी वस्तुओं की कम खरीद, वर्ष के दौरान कम निवेश, प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कम व्यय और वर्ष के दौरान देय ईंधन/एचएसडी तेल की कम खपत शामिल थी।

ख) रेलवे निधि

अनुदान संख्या 16 के तहत 'रेलवे निधि' के लिए विनियोग लेखे का वित्तपोषण मंत्रालय के आंतरिक संसाधनों से या तो 'कार्य व्यय' (डी. आर. एफ.) या 'शुद्ध राजस्व अधिशेष' से किया जाता है। इस प्रकार, रेल मंत्रालय का प्रदर्शन और निधि खातों में शेष राशि की उपलब्धता अनुदान के इस खंड के तहत व्यय की योजना को प्रभावित करती है। रेलवे निधि के तहत स्वीकृत आवंटन और व्यय का स्रोत-वार विवरण **तालिका 2.7** में सारणीबद्ध किया गया है।

तालिका 2.7: रेलवे निधि का घटक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मूल	पूरक	योग स्वीकृत	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ अधिशेष (+)
	दत्तमत					
1	मूल्यह्रास आरक्षित निधि	1,081.67	0	1,081.67	855.43	**- 226.24**
2	विकास निधि	1,000	0	1,000	442.18	**- 557.82**
3	पूँजी निधि	0	0	0	0	**0**
	कुल दत्तमत	**2,081.67**	**0**	**2,081.67**	**1,297.61**	**- 784.06**
	प्रभारित					
4	मूल्यह्रास आरक्षित निधि	0	0.62	0.62	0.62	**0**
5	विकास निधि	0	5.35	5.35	5.35	**0**
6	पूँजी निधि	0	0	0	0	**0**
	कुल प्रभारित	**0**	**5.97**	**5.97**	**5.97**	**0**
	सकल योग दत्तमत एवं प्रभारित	**2,081.67**	**5.97**	**2,087.64**	**1,303.58**	**- 784.06**

स्रोतः रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

अनुदान के इस खंड के विश्लेषण से पता चला है कि वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 784.06 करोड़ (स्वीकृत अनुदान का 37.66 *प्रतिशत*) की शुद्ध बचत (दत्तमत) हुई थी।

ग) रेलवे सुरक्षा निधि

पूंजीगत व्यय के इस स्रोत का वित्त पोषण केंद्रीय सड़क निधि में डीजल उपकर के रेल मंत्रालय के हिस्से से किया जाता है। उपलब्ध धनराशि का उपयोग मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के संचालन और पुलों के ऊपर/नीचे सड़क के निर्माण जैसे सड़क

सुरक्षा कार्यों के लिए किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 45,882.43 करोड़ के स्वीकृत अनुदान के मुकाबले ₹ 2.15 करोड़ (दत्तमत) की बचत हुई, जो कि 0.005 *प्रतिशत* है। रेल मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त व्यय का कोई विशिष्ट कारण नहीं दिया गया था।

घ) राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष

यह निधि महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी कार्यों के वित्तपोषण के लिए 2017-18 से बनाया गया था। इस निधि को जी. बी. एस., आर. एस. एफ., डी. आर. एफ. और राजस्व अधिशेष से ऋण प्राप्त होंगे।

अनुदान के इस भाग (खंड) के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 12,797.67 करोड़ के स्वीकृत अनुदान के विरुद्ध ₹ 105.68 करोड़ (3.44 *प्रतिशत*) की बचत (दत्तमत) दर्ज की गई।

2.4 निधियों की निकासी/उपयोग

नीचे दी गई **तालिका 2.8** में वर्ष 2024-25 के दौरान 3001-02-03-06 (राजस्व अनुदान) के तहत निधियों से 'निधियों के विनियोग' और 'उपयोग की गई राशि' के संबंध में बजट अनुमानों और वास्तविकताओं की स्थिति दर्शाई गई हैः

तालिका 2.8: 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान रेलवे निधि का विनियोग और उससे निकासी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निधि	विवरण	2024-25
1	डीआरएफ	निधि के लिए विनियोग (बी.ई.)	1,000.00
		निधि के लिए विनियोग (वास्तविक)	800.00
		अतिरिक्त (+)/लघु (-) विनियोग	(-) 200.00
		निधि से व्यय/निकासी	540.67
2	डी.एफ.	निधि के लिए विनियोग (बी.ई.)	1,000.00
		निधि के लिए विनियोग (वास्तविक)	541.40
		अतिरिक्त (+)/लघु (-) विनियोग	(-) 458.60
		निधि से व्यय/निकासी	447.53

क्र. सं.	निधि	विवरण	2024-25
3	सी.एफ.	निधि के लिए विनियोग (बी.ई.)	0.00
		निधि के लिए विनियोग (वास्तविक)	0.00
		अतिरिक्त (+)/लघु (-) विनियोग	0.00
		निधि से व्यय/निकासी	0.00
4	पेंशन निधि	निधि के लिए विनियोग (बी.ई.)	67,100.00
		निधि के लिए विनियोग (वास्तविक)	59,600.00
		अतिरिक्त (+)/लघु (-) विनियोग	(-) 7,500.00
		निधि से व्यय/निकासी	60,202.76
5	आरआर एसके	निधि के लिए विनियोग (बी.ई.)	1,800.00
		निधि के लिए विनियोग (वास्तविक) *	12,118.88
		अतिरिक्त (+)/लघु (-) विनियोग	318.88
		निधि से व्यय/निकासी	10,999.71

स्रोतः रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

****** जी. बी. एस. से अधिशेष से ₹ 10,000 करोड़ के अलावा ₹ 2,118.88 करोड़ भी विनियोजित किए गए***

डी. आर. एफ. और पेंशन निधि के लिए विनियोग में उत्पादन इकाइयों के लिए शामिल नहीं है

मूल्यह्रास आरक्षित निधि जिसका गठन मौजूदा पुरानी और समय-सीमा पार कर चुकी परिसंपत्तियों के नवीनीकरण/प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया है, में विनियोजन परिसंपत्तियों के जीवनकाल के अनुसार नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस निधि में विनियोजन केवल उस सीमा तक किया गया जिसे कार्यशील व्यय वहन कर सके। 2024-25 के दौरान, ₹ 800 करोड़ विनियोजित किए गए थे, जबकि ₹ 540.67 करोड़ राजस्व शीर्ष के तहत निधि से निकाले गए थे।

पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए पूंजी निधि (सी. एफ.) बनाया गया था। हालाँकि, वर्ष 2024-25 के दौरान निधि में कोई राशि विनियोजित नहीं की गई थी।

रेलवे परिवहन, श्रम कल्याण कार्यों, अवैतनिक परिचालन सुधार कार्यों आदि के उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं से संबंधित कार्यों के व्यय को पूरा करने के लिए

विकास निधि (डी. एफ.) का गठन किया गया था। 2024-25 के दौरान, ₹ 1,000 करोड़ का विनियोग किया गया था, जबकि ₹ 447.53 करोड़ को निधि से निकाला गया था।

2.5 पूरक प्रावधान

पूरक प्रावधानों वाले बजट आवंटन का विवरण इस प्रकार थाः

तालिका 2.9: 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए पूरक अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निधि	विवरण	मूल	पूरक	स्वीकृत	वास्तविक व्यय	अधिशेष (+)/ बचत (-)
राजस्व (प्रभारित)							
1	मुख्य शीर्ष 3001	विविध व्यय-सामान्य	13.29	6.82	20.11	4.72	- 15.39
2	मुख्य शीर्ष 3002-03-(01)	रेलवे पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएँ	1.60	1.43	3.03	4.59	1.56
3	मुख्य शीर्ष 3002-03-(2)	स्थायी मार्ग और कार्यों की मरम्मत और रखरखाव	0.42	10.73	11.15	11.94	0.79
4	मुख्य शीर्ष 3002-03-(3)	इंजन की मरम्मत और रखरखाव	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00
5	मुख्य शीर्ष 3002-03-(4)	गाड़ियों और वैगनों की मरम्मत और रखरखाव	0.00	0.52	0.52	0.59	0.07
6	मुख्य शीर्ष 3002-03-(5)	संयंत्र और उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव	12.03	0.37	12.40	0.45	- 11.95
7	मुख्य शीर्ष 3002-03-(6)	परिचालन व्यय-रोलिंग स्टॉक और उपकरण	0.00	4.07	4.07	4.74	0.67
8	मुख्य शीर्ष 3002-03-(7)	परिचालन व्यय-यातायात	0.00	0.30	0.30	0.52	0.22

क्र. सं.	निधि	विवरण	मूल	पूरक	स्वीकृत	वास्तविक व्यय	अधिशेष (+)/ बचत (-)
9	मुख्य शीर्ष 3002-03-(8)	परिचालन व्यय- ईंधन	0.00	8.05	8.05	32.16	24.11
10	मुख्य शीर्ष 3002-03-(9)	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	0.00	0.64	0.64	0.77	0.13
11	मुख्य शीर्ष 3002-03-(10)	विविध कार्य व्यय	427.35	92.72	520.07	477.85	- 42.22
12	मुख्य शीर्ष 3002-03-(11)	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	0.10	0.65	0.74	1.19	0.45
		कुल	**454.79**	**126.33**	**581.12**	**539.56**	**- 41.56**
राजस्व (दत्तमत)							
13	मुख्य शीर्ष 3002-03-(7)	परिचालन व्यय- यातायात	46,709.08	0.01	46,709.09	42,836.88	3,872.21
पूँजी (दत्तमत)							
14	मुख्य शीर्ष 5002-03	परिसंपत्तियाँ- अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन	4,38,863.57	377.31	4,39,240.88	4,27,725.38	- 11,515.50
पूँजी (प्रभारित)							
15	मुख्य शीर्ष 5002-03	परिसंपत्तियाँ- अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन (प्रभारित)	459.97	642.92	1,102.89	864.03	- 238.86

स्रोतः रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

i. एम. एच. 3001, 3002-03 (प्रभारित) के तहत ₹ 126.33 करोड़ के पूरक प्रावधानों के बावजूद, उक्त राजस्व प्रमुखों के तहत ₹ 41.56 करोड़ की बचत हुई।

ii. कैपिटल ग्रांट ₹ 377.31 करोड़ और ₹ 642.92 करोड़ के पूरक प्रावधानों के बावजूद, उक्त कैपिटल मेजर हेड्स के तहत क्रमशः ₹ 5,002.03 करोड़ और ₹ 11,515.50 करोड़ की बचत हुई।

5002-03 के दौरान पूंजी अनुदान (2024-25) (दत्तमत) के तहत पूरक अनुदान का विस्तृत उपयोग इस प्रकार हैः -

(i) ₹ 377.31 करोड़ की अनुपूरक अनुदान राशि का उपयोग नहीं किया गया

अनुदान खाते के अनुसार, यह देखा गया कि निम्नलिखित योजना शीर्ष में अनुदान संख्या 85 एम. एच. 5002-03 (दत्तमत) के तहत ₹ 377.31 करोड़ का पूरा पूरक अनुदान अप्रयुक्त रहा। पूरक अनुदान के 100 *प्रतिशत* से अधिक बचत का विवरण इस प्रकार हैः

तालिका 2.10: 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान उपयोग न किए गए अनुपूरक अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना मुख्य शीर्ष	योजना शीर्ष का नाम	बजट अनुमान	अनुपूरक	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	बचत	स्वीकृत बजट हेतु बचत (-) का *प्रतिशत*	अनुपूरक मांग हेतु बचत (-) का *प्रतिशत*
1	6100	सरकारी उपक्रमों में निवेश	32,760.58	377.31	33,137.89	25,740.82	- 7,397.07	- 22.32	> 100.00

स्रोतः रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

2.6 निर्धारित सीमा से अधिक/बचत

वर्ष 2024-25 के दौरान दोषपूर्ण बजट के बड़ी संख्या में उदाहरण देखे गए, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित सीमा[31] से अधिक/बचत हुई। रेल मंत्रालय के लिए बजट में त्रुटियों के मामलों का सारांश इस प्रकार थाः

---

[31] भारतीय रेलवे वित्त संहिता, (भाग I) के पैरा 409 और 410 में स्वीकार्य बदलावों की सीमा तय की गई है, जो 10 प्रतिशत या ₹250 लाख, इनमें से जो भी ज़्यादा हो।

तालिका 2.11: विभिन्न अनुदानों के तहत अतिरिक्त/बचत (दत्तमत) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	मामलों की संख्या	अधिशेष राशि	मामलों की संख्या	बचत राशि
1	3001	3	111.90	3	526.41
2	3002-03 (01)	3	165.66	6	362.62
3	3002-03 (02)	1	871.39	5	243.92
4	3002-03 (03)	2	782.28	2	121.39
5	3002-03 (04)	1	644.41	5	427.53
6	3002-03 (05)	3	394.76	5	388.42
7	3002-03 (06)	2	512.01	4	518.87
8	3002-03 (07)	4	369.45	2	4,240.43
9	3002-03 (08)	1	866.37	1	2,734.13
10	3002-03 (09)	2	113.29	3	149.04
11	3002-03 (10)	4	399.16	3	625.43
12	3002-03 (11)	2	240.39	5	3,454.95
13	5002-03	6	18,879.34	20	29,052.61
मामलों का योग		**34**	**24,350.41**	**64**	**42,845.75**
मामलों का सकल योग		**98**	**67,196.16**		

स्रोतः रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

तालिका 2.12: 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान विभिन्न अनुदानों के तहत अधिशेष /बचत (प्रभारित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	मामलों की संख्या	अधिशेष	मामलों की संख्या	बचत राशि
1	3001	-	-	1	15.39
2	3002-03 (05)	-	-	1	11.95
3	3002-03 (08)	1	24.11	-	-
4	3002-03 (10)	-	-	1	40.71
5	5002-03	-	-	1	288.85
मामलों का योग		**1**	**24.11**	**4**	**356.90**
मामलों का सकल योग		**5**	**381.01**		

क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर, वर्ष 2024-25 के दौरान दोषपूर्ण बजट के बड़ी संख्या में उदाहरण देखे गए, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित सीमा[32] से अधिक बचत हुई। मध्य रेलवे (02 मामले), पूर्व रेलवे (12 मामले), पूर्व तट रेलवे (24 मामले), पूर्व मध्य रेलवे (82 मामले), उत्तर मध्य रेलवे (9 मामले), उत्तर पूर्व रेलवे (06 मामले), पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (70 मामले), उत्तर रेलवे (87 मामले), उत्तर पश्चिम रेलवे (11 मामले), दक्षिण रेलवे (14 मामले), दक्षिण पूर्व रेलवे (17 मामले), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (03 मामले), दक्षिण मध्य रेलवे (13 मामले), दक्षिण पश्चिम रेलवे (10 मामले), पश्चिम मध्य रेलवे (05 मामले) और पश्चिम रेलवे (1) में बजट में महत्वपूर्ण त्रुटियों के मामले थे। बजट में इस तरह के महत्वपूर्ण दोषों के सभी उदाहरण ***अनुलग्नक-2.2*** में दिए गए हैं।

रेल मंत्रालय को अपनी बजट प्रक्रिया पर व्यापक रूप से पुनर्विचार करने और अनुमानों को अधिक यथार्थवादी बनाने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसद द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के लिए धन का पूरी तरह से उपयोग किया जाए। मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 09 में लेखापरीक्षा द्वारा इसी तरह की आपत्तियां उठाई गई थीं। रेल मंत्रालय ने ए. टी. एन. में कहा था कि यह बचत/अधिकता की ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सबसे अधिक यथार्थवादी अनुमान प्रदान करने का प्रयास करेगा।

2.7 व्यय का गलत वर्गीकरण

व्यय के गलत वर्गीकरण और अन्य लेखांकन गलतियों के उदाहरण देखे गए। इन मामलों में राजस्व अनुदान से पूंजी अनुदान और इसके विपरीत और दत्तमत से प्रभारित और इसके विपरीत के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण शामिल था। राजस्व अनुदान के उप प्रमुख शीर्षों और पूंजी अनुदान के तहत रेलवे निधियों के बीच व्यय के गलत वर्गीकरण के मामले भी देखे गए। 2024-25 के दौरान क्षेत्रीय रेलवे के खातों में व्यय के गलत वर्गीकरण के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

2.7.1 राजस्व और पूंजी अनुदान के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण

निम्नलिखित मामलों में व्यय का गलत वर्गीकरण शामिल है जहां व्यय को गलत तरीके से पूंजी अनुदान के बजाय राजस्व अनुदान एवं विपरीततः दर्ज किया गया था।

[32] *भारतीय रेलवे वित्त संहिता, (भाग I) के पैरा 409 और 410 में स्वीकार्य बदलावों की सीमा तय की गई है, जो 10 प्रतिशत या ₹250 लाख, इनमें से जो भी ज़्यादा हो।*

तालिका 2.13: राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण

क्रमांक	क्षेत्रीय रेलवे	मामले का विवरण	वास्तव में बुक किया गया	बुक किया जाना चाहिए	राशि (₹ में)
1	पूतरे	पूंजीगत व्यय के तहत सही बुकिंग के बजाय राजस्व के रूप में 'एच. एच. पी. लोको के लिए एसी ट्रैक्शन मोटर' की लागत के रूप में किए गए ₹ 1,02,06,543 की राशि का गलत वर्गीकरण।	राजस्व	पूँजी	1,02,06,543
2	पूतरे	पूंजीगत व्यय के तहत सही बुकिंग के बजाय राजस्व के रूप में 'ट्रैक्शन अल्टरनेटर' (₹ 23,13,754) की लागत के रूप में किए गए ₹ 23,13,754 की राशि का गलत वर्गीकरण	राजस्व	पूँजी	23,13,754
3	उपरे	भारतीय रेलवे वित्त संहिता, (भाग II) के अनुसार, माइनर हेड 200 (एसएमएच-07) के तहत डिटेल्ड हेड 294 को स्टेशन ऑपरेशन्स में आग, लाइटिंग और सामान्य सामान से जुड़े खर्चों के लिए तय किया गया है। हालाँकि, बैलास्ट और पीआरसी स्लीपर से जुड़े कामों के लिए जनरल वाउचर नंबर 330532401568 (तारीख 04.03.2025) के ज़रिए हेड 09029427 के तहत ₹ 2,34,64,540 की राशि बुक की गई थी। सपोर्टिंग वाउचर की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि: डबलिंग प्रोजेक्ट के लिए बैलास्ट के काम से जुड़ी ₹ 17,45,585 की राशि को मेजर हेड 5002-03 के तहत एलोकेशन 20154003 में बुक किया जाना चाहिए था। ट्रैक रिन्यूअल प्रोजेक्ट में पीआरसी स्लीपर के काम से जुड़ी ₹ 17,18,955 की राशि (जिसमें ₹ 26,00,144 + ₹ 11,18,811 शामिल हैं) को मेजर हेड 5002-03 के तहत एलोकेशन 21314205 में बुक किया जाना	एसएम एच-07	5002-03	69,29,080

क्रमांक	क्षेत्रीय रेलवे	मामले का विवरण	वास्तव में बुक किया गया	बुक किया जाना चाहिए	राशि (₹ में)
		चाहिए था। कैपिटल (मेजर हेड 5002-03) और रेवेन्यू (मेजर हेड 3002-03) के बीच इस गलत वर्गीकरण के कारण रेवेन्यू सब-मेजर हेड-07 के तहत खर्च ज़्यादा दिखाया गया है।			
4	मैट्रो रेलवे	सी. ए. पी./आर. आर. एस. के. के तहत स्वीकृत मुख्य कार्यों के लिए अनुदान संख्या 04 के बजाय कार्यों पर व्यय की गलत बुकिंगः -			
		(ए) अनुदान संख्या 16 _ सीएपी (8100)	3002-03-(02)	5002-03-20-8100	2,94,000
		(ख) अनुदान सं. 16 _ सीएपी (5300)	3002-03-(02)	5002-03-20-5300	4,72,150
		(ग) अनुदान संख्या 16 _ आर. आर. एस. के. (3600)	3002-03-(02)	5002-03-29-3600	5,80,872
5	दरे	0.6 के. वी. ए. और 1.0 के. वी. ए. साइबर पावर लाइन इंटरएक्टिव यू. पी. एस. को कैपिटल हेड के बजाय राजस्व हेड के तहत बुक किया जाता है।	3002-03-(09)	5002-03	43,649
6	दरे	यूपीएस, लैपटॉप, डीएसएलआर कैमरा, रिवॉल्विंग चेयर आदि को कैपिटल हेड के बजाय राजस्व हेड के तहत बुक किया जाता है।	3002-03-(05)	5002-03	21,20,719
7	दरे	डब्ल्यू. एम. एस. के बजाय एस. एम. एच. 09 में ठेकेदारों से विद्युत ऊर्जा का अनियमित लेखाकार बरामद किया गया	3002-03-(09)	5002-03	10,55,396
8	दमरे	सी. टी. स्टेशन एस. सी. डी. एन. पर मशीन दृष्टि आधारित निरीक्षण प्रणाली के डिजाइन, विकास, आपूर्ति और शुरुआत पर व्यय को गलत तरीके से पूंजी के बजाय राजस्व में दर्ज किया गया था	अनुदान संख्या 85-एम. एच. 3002-एस. एम. एच. 07	अनुदान संख्या 85-एम. एच. 5002 20539308	9,93,010
9	मरे	मंजूरी के अनुमानों के अनुसार, अनुबंध सं. सी. आर./एस. यू. आर./सिविल/2023/0089	पूँजी	राजस्व	1,48,12,940

क्रमांक	क्षेत्रीय रेलवे	मामले का विवरण	वास्तव में बुक किया गया	बुक किया जाना चाहिए	राशि (₹ में)
		₹ 1,48,12,939.52 की राशि आवंटन शीर्ष-04 _ 0221 _ 32 (अनुदान संख्या 4) के तहत बुक की जानी थी। हालाँकि, इसे प्लान हेड 31 के तहत बुक किया गया था। यह राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय में गलत वर्गीकरण है।			
10	पूतरे	संबलपुर मंडल के तहत कांताबंजी स्टेशन पर एक पी. ओ. एच. (आवधिक ओवरहॉल) कार्यशाला की आधारशिला रखने से संबंधित औपचारिक अवसर के लिए राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में ₹ 1,09,408 की गलत बुकिंग की गई।	पूँजी	राजस्व	1,09,408
11	उपूरे	परिचालन विभाग और केंद्रीय नियंत्रण के कार्यालयों के स्वच्छता कार्य के संबंध में ₹ 3,75,000 की राशि का गलत वर्गीकरण, जो राजस्व अनुदान संख्या 09 (परिचालन व्यय-यातायात) के बजाय पूंजीगत व्यय शीर्ष-20159308 (दोहरीकरण परियोजना) के तहत प्रभारित किया गया था।	5002-03 (20159308)	3002-03 (09-280)	3,75,000
12	उपूरे	कार्य के संबंध में ₹ 14,92,161 की राशि का गलत वर्गीकरण-विभिन्न रेलवे कॉलोनियों में प्रकार-I विशेष क्वार्टर (40 यूनिट), प्रकार-II (118 यूनिट), प्रकार-III (50 यूनिट) और प्रकार-IV (42 यूनिट) क्वार्टर/बंगलों का पुनर्निर्धारण, जिन्हें राजस्व (अनुदान संख्या 11) के बजाय पूंजी (आर. आर. एस. के.) के तहत बुक किया गया था।	5002-03 (29367603), (29367663), (29367664)	3002-03 (01151332), (01151372), (01151373)	14,92,161
13	उपूरे	2 बी. एन./आर. पी. एस. एफ./राजाही शिविर में बैरकों का पुनरुद्धार, जो राजस्व (अनुदान संख्या 12) के बजाय पूंजी (आर. आर. एस. के.) के तहत	5002-03 (29367603), (29367663), (29367664)	3002-03 (12-120)	2,61,723

क्रमांक	क्षेत्रीय रेलवे	मामले का विवरण	वास्तव में बुक किया गया	बुक किया जाना चाहिए	राशि (₹ में)
		बुक किया गया था, कार्य के संबंध में ₹ 2,61,723 की राशि का गलत वर्गीकरण।			
14	उपूरे	डिप्टी चीफ इंजीनियर/कॉलोनी के लिए 1 गाड़ी किराए पर लेने पर हुए ₹ 3,74,850 के खर्च को गलत कैटेगरी में डाला गया; इसे रेवेन्यू ग्रांट के बजाय कैपिटल (आरआरएसके) के तहत चार्ज किया गया था।	5002-03 (29367603), (29367663), (29367664)	3002-03 (03071332), (03071372), (03071373)	3,74,850
15	मैट्रो रेलवे	विभिन्न स्थानों पर वातानुकूलित संयंत्रों, वेंटिलेशन पंखों, मोटरों आदि के संचालन, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग की लागत की गलत बुकिंग और विभिन्न स्टेशनों, डिपो आदि के अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रों और अग्नि सुरक्षा लेखापरीक्षा के आवधिक नवीनीकरण की लागत की गलत बुकिंग, राजस्व अनुदान संख्या 07 के बजाय अनुदान संख्या 16 के धन के तहत। सं. (i) और (ii)] और राजस्व अनुदान सं. 12 [क्र. सं. के लिए। नं. (iii)]: -			
		(1) आर. आर. एस. के. (3600)	5002-03-29-3600	3002-03-(05)	1,34,01,410
		(2) पूंजी (5300)	5002-03-20-5300	3002-03-(05)	2,71,943
		(3) आर. आर. एस. के. (5300)	5002-03-29-5300	3002-03-(10)	20,13,654
16	मैट्रो रेलवे	अनुदान संख्या. 07 के बजाय अनुदान संख्या. 16 के निम्नलिखित निधियों के तहत रेल और रेल वेल्ड के यू. एस. एफ. डी. परीक्षण पर कार किराया शुल्क की गलत बुकिंग और इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की लागत। सं. (क) और राजस्व अनुदान सं. 12 [क्र. सं. के लिए। नं. (ख)]: -			

क्रमांक	क्षेत्रीय रेलवे	मामले का विवरण	वास्तव में बुक किया गया	बुक किया जाना चाहिए	राशि (₹ में)
		(ए) सीएपी (8100)	5002-03-20-8100	3002-03-(05)	1,18,02,134
		(ख) आरएसएफ (3100)	5002-03-26-3100	3002-03-(10)	7,39,465
17	दपरे	उद्घाटन समारोहों आदि के लिए 'जन औषधि केंद्र, ओ. एस. ओ. पी., जी. सी. टी., एस. बी. सी. प्रभाग पर 10 स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गुड शेड की आधारशिला रखने, मंच, कालीन, बैकड्रॉप व्यवस्था, माइक और प्रदर्शन प्रणाली, खानपान, वी. आई. पी. और गणमान्य व्यक्तियों की सुविधा, बैनर, होर्डिंग परिवहन आदि के लिए व्यय' के लिए राजस्व के बजाय पूंजी व्यय बुक किया गया	पी. एच.-42 (पूँजी)	माँग सं. 03-144 (राजस्व)	24,27,390
18	दपरे	गोल्फ लिंक में ट्रांजिट हाउस के रूप में उपयोग करने के लिए क्वार्टर-1376 और 1377 ब्लॉकों की मरम्मत के लिए किए गए व्यय को किसी भी नई लाइन परियोजना में प्रावधान के बिना धारवाड़ बेलगाम नई लाइन परियोजना (11548) के लिए बुक किया गया है। इस तरह के व्यय का आवंटन जो नई लाइन परियोजना से संबंधित नहीं है, गलत है और इसके परिणामस्वरूप परियोजना की लागत बढ़ गई है और पूंजी और राजस्व के बीच गलत वर्गीकरण हुआ है	पीएच-11 (पूँजी)	माँग सं. 11 (राजस्व)	24,53,060
19	दपरे	यातायात के लिए खोली गई नई लाइन के हिस्से का रखरखाव शुल्क राजस्व प्रमुख के बजाय कैपिटल हेड से लिया गया है।	पी. एच.-31 (पूँजी)	माँग सं. 04-241 (राजस्व)	3,89,66,143
20	दरे	3 पीसी के लिए प्रिंटर टोनर राजस्व शीर्ष के बजाय कैपिटल हेड के तहत बुक किए जाते हैं	5002-03	3002-03-(01)	14,400

क्रमांक	क्षेत्रीय रेलवे	मामले का विवरण	वास्तव में बुक किया गया	बुक किया जाना चाहिए	राशि (₹ में)
21	दरे	ओमालुर-सलेम के बीच नई चालू दोहरी लाइन के रखरखाव के लिए किए गए व्यय को राजस्व अनुदान के बजाय पूंजी अनुदान के तहत दर्ज किया गया था	5002-03	3002-03-(02)	58,67,088
22	उमरे	पूँजी (20) और माँग संख्या-10 के बीच गलत वर्गीकरण	पूँजी (20)	माँग-10	1,66,61,174
23	दमरे	मासिक सिम शुल्क सहित जी. पी. एस. ट्रैकरों के वार्षिक रखरखाव के लिए व्यय को गलत तरीके से राजस्व के बजाय पूंजी के तहत दर्ज किया गया था	अनुदान संख्या 85-एम. एच. 5002 26319108	अनुदान संख्या 85-एम. एच. 3002-एस. एम. एच. 02	12,28,380
24	दमरे	एस. सी. आर. में विभिन्न उद्घाटन समारोहों और समारोहों के लिए भुगतान राजस्व के बजाय पूंजी के तहत बुक किया गया	अनुदान संख्या 85-एम. एच. 5002 20539308 29304603	अनुदान संख्या 85-एम. एच. 3002-एस. एम. एच. 01	1,75,65,821
25	दमरे	सी. एफ. ओ. के संचालन के लिए सहमति के नवीनीकरण और आई. एस. ओ. 14001:2015 ई. एम. एस. (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) के व्यय को गलत तरीके से राजस्व के बजाय पूंजी के तहत दर्ज किया गया था।	अनुदान संख्या 85 मुख्य शीर्ष 5002 29-3000	अनुदान संख्या 85-एम. एच. 3002-एस. एम. एच. 10	16,08,850
26	दमरे	खरीद आदेश के अनुसार 408 रेडियो की आपूर्ति के लिए व्यय राजस्व के बजाय गलत तरीके से पूंजी को बुक किया गया था	अनुदान संख्या 85-एम. एच. 5002-293300	अनुदान संख्या 85-एम. एच. 3002-एस. एम. एच. 05	1,04,95,392
27	दमरे	"कीपैड और डिस्प्ले के बिना 5-वाट के वी. एच. एफ. डिजिटल वॉकी टॉकी सेट" पर किया गया व्यय गलत तरीके से राजस्व के बजाय पूंजी से लिया गया था।	अनुदान संख्या 85-एम. एच. 5002-293100	अनुदान संख्या 85-एम. एच. 3002-एस. एम. एच. 07	1,43,27,365

स्रोतः रेल मंत्रालय के वर्ष 2024-25 के लिए अनुलग्नक 'जे'

2.7.2 दत्तमत और प्रभारित के मध्य व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

निम्नलिखित मामलों में व्यय का गलत वर्गीकरण शामिल है जहां व्यय को गलत तरीके से प्रभारित के बजाय दत्तमत अनुदान एवं इसके विपरीत दर्ज किया गया था।

तालिका 2.14: दत्तमत और प्रभारित के तहत व्यय का गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	मामले का विवरण	वास्तव में बुक किया गया	बुक किया जाना चाहिए	राशि (₹ में)
1	मैट्रो रेलवे	अधिग्रहण दावा मामला माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उचंत शीर्ष 00844536 (प्रभारित) के बजाय उचंत शीर्ष 00844536 (दत्तमत) के तहत दिया गया	उचंत शीर्ष 008445-36 (दत्तमत)	उचंत शीर्ष 008445-36 (प्रभारित)	59,77,22,789
2	मैट्रो रेलवे	पूर्व. माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार वेतन के अंतर पर सक्षम प्राधिकरण और अनुदान संख्या 03 (प्रभारित) के बजाय अनुदान संख्या 03 (दत्तमत) के तहत माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को दिए गए पारिश्रमिक की गलत बुकिंग	3002-03-(01)-दत्तमत	3002-03-(01)-प्रभारित	18,76,390
3	मैट्रो रेलवे	किसी पूर्व कर्मचारी को दिए गए विदहेल्ड ग्रेच्युटी पर ब्याज अनुदान संख्या 13 (प्रभारित) के बजाय अनुदान संख्या 13 (दत्तमत) के तहत माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार	3002-03-(11)-दत्तमत	3002-03-(11)-प्रभारित	80,502
4	मैट्रो रेलवे	अनुदान संख्या 16 (प्रभारित) के बजाय अनुदान संख्या 16 (दत्तमत) के तहत माननीय सिटी सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए धन निष्पादन मामले के संबंध में एक ठेकेदार को भुगतान	5002-03-20 (दत्तमत)	5002-03-20 (प्रभारित)	3,02,388

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	मामले का विवरण	वास्तव में बुक किया गया	बुक किया जाना चाहिए	राशि (₹ में)
5	दरे	कर्मचारियों को अदालत के निर्देश के तहत डी. सी. आर. जी. के अंतर के रूप में भुगतान की गई ₹ 3,16,980 की राशि को प्रभारित व्यय के बजाय दत्तमत के रूप में दर्ज किया जाता है	3002-03-(11) दत्तमत	3002-03-(11) प्रभारित	3,16,980
6	दरे	कैट 12/2024 के अनुसार अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजे (ई. जी. एल. सी.) के रूप में भुगतान की गई ₹ 13,84,658 की राशि को गलत तरीके से "प्रभारित" व्यय के बजाय "दत्तमत" व्यय के रूप में दर्ज किया गया था।	3002-03-(11) दत्तमत	3002-03-(11) प्रभारित	13,84,658
7	दरे	प्रभारित व्यय के बजाय दत्तमत व्यय में बुक किए गए भूमि अधिग्रहण भुगतान के लिए बढ़े हुए मुआवजे	5002-03 दत्तमत	5002-03 प्रभारित	4,37,883
8	दरे	एल. ए. आर. मामलों में प्रभारित व्यय के बजाय दत्तमत के लिए आवंटित अवमूल्यन राशि का भुगतान	5002-03 दत्तमत	5002-03 प्रभारित	9,83,596
9	दपरे	आर. सी. टी. भुगतान के लिए व्यय शुल्क प्रभारित के बजाय दत्तमत के लिए बुक किया गया	दत्तमत	प्रभारित	60,95,839
10	दमरे	प्रभारित व्यय को गलत तरीके से दत्तमत के रूप में दर्ज किया गया था: (i) दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक के निर्देशों के अनुसार सी. ओ. एफ. एम. ओ. डब्ल्यू. से मध्यस्थता पुरस्कार राशि का वितरण (₹ 40,67,530). (ii) मुआवजे का दावा गलत तरीके से आवंटित किया गया था (₹ 5,52,067). (iii) आर. सी. टी. के आदेश को पूरा करने वाला मुआवजे का दावा (₹ 1,57,175).	दत्तमत	प्रभारित	63,69,022

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	मामले का विवरण	वास्तव में बुक किया गया	बुक किया जाना चाहिए	राशि (₹ में)
		(iv) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के आदेश को पूरा करने वाला मुआवजे का दावा (₹ 15,92,250)			
11	दमरे	फर्म को भुगतान को गलत तरीके से 'दत्तमत' के बजाय 'प्रभारित' के रूप में दर्ज किया गया था, क्योंकि विवाद से विश्वास-II के तहत मामला अदालत के बाहर सुलझा लिया गया था	प्रभारित	दत्तमत	5,59,556

स्रोतः रेल मंत्रालय के वर्ष 2024-25 के लिए अनुलग्नक 'जे'

2.7.3 राजस्व अनुदान के उप मुख्य शीर्ष के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण

निम्नलिखित मामलों में राजस्व अनुदान के उपमुख्य शीर्ष (3002-03) के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण शामिल है।

तालिका 2.15: राजस्व अनुदान के तहत व्यय के गलत वर्गीकरण के विविध मामले (उप मुख्य शीर्ष से उप प्रमुख शीर्ष)

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	मामले का विवरण	वास्तव में बुक किया गया	बुक किया जाना चाहिए	राशि (₹ में)
1	उरे	प्रशिक्षण पर कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की गलत बुकिंग (अनुदान प्रभावित एम. एच. 85-3002-03-(10)) और अनुदान प्रभावित एम. एच. 85-3002-03-(6)) एल. के. ओ. डी. एन. के कारण व्यय राशि ₹ 1,77,174 का गलत वर्गीकरण।	3002-03-(06)	3002-03-(10)	1,77,174
2	उरे	इंजीनियरिंग विभाग के विज्ञापन पर गलत बुकिंग व्यय के कारण ₹ 4,92,111 की राशि का गलत वर्गीकरण। (अनुदान प्रभावित मुख्य शीर्ष 85-3002-03-(2))	3002-03-(05)	3002-03-(2)	4,92,111

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	मामले का विवरण	वास्तव में बुक किया गया	बुक किया जाना चाहिए	राशि (₹ में)
		और अनुदान प्रभावित मुख्य शीर्ष 85-3002-03-(5)) डीएलआई डीएन।			
3	उरे	इलेक्ट्रॉनिक-इन-मोशन वेट ब्रिज (ई. आई. एम. डब्ल्यू.) के ए. एम. सी. के लिए रु. 5,16,275 की राशि का गलत वर्गीकरण। (अनुदान प्रभावित मुख्य शीर्ष 85-3002-03-(6) और अनुदान प्रभावित मुख्य शीर्ष 85-3002-03-(5))-एलकेओ डीएन।	3002-03-(06)	3002-03-(05)	5,16,275
4	उरे	गैर-रेलवे अस्पताल के भुगतान के लिए ₹ 15,36,058 की राशि का गलत वर्गीकरण। (अनुदान प्रभावित मुख्य शीर्ष 85-3002-03-(9) और अनुदान प्रभावित मुख्य शीर्ष 85-3002-03-(7)) डीएलआई डीएन।	3002-03-(07)।	3002-03-(9)	15,36,058
5	उरे	विद्युत विभाग में उपयोग किए जाने वाले भंडार की लागत के लिए गलत बुकिंग व्यय के कारण ₹ 19,57,569 की राशि का गलत वर्गीकरण। (अनुदान प्रभावित मुख्य शीर्ष 85-3002-03-(8) और अनुदान प्रभावित मुख्य शीर्ष 85-3002-03-(5)) डीएलआई डीएन।	3002-03-(08)	3002-03-(5)	19,57,569
6	उरे	लोको को जारी किए गए एच. एस. डी. तेल की लागत के लिए ₹ 4,69,96,512 की राशि का गलत वर्गीकरण। (अनुदान प्रभावित मुख्य शीर्ष 85-3002-03-(8) और अनुदान प्रभावित मुख्य शीर्ष 85-3002-03-(6)) डीएलआई डीएन।	3002-03-(06)	3002-03-(8)	4,69,96,512

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	मामले का विवरण	वास्तव में बुक किया गया	बुक किया जाना चाहिए	राशि (₹ में)
7	उपरे	आई. आर. एफ. सी. के खंड - II, के तहत एस. एम. एच.-10 विस्तृत शीर्ष 512 में प्रशिक्षुओं और व्यापार प्रशिक्षुओं (चिकित्सा कर्मियों को छोड़कर) का वजीफा, वेतन और भत्ते शामिल हैं, हालांकि, जे. ई.-एस. एंड. टी. प्रशिक्षु (बिल इकाई 3302179) के वेतन और भत्ते के लिए एस. एम. एच.-05 के विस्तृत शीर्ष 121 के तहत राशि ₹ 6,45,696 गलत तरीके से दर्ज किया गया था	एस. एम. एच-05	एसएमएच-10	6,45,696
8	उपरे	आई. आर. एफ. सी. खंड II के अनुसार, एस. एम. एच.-1 के तहत विस्तृत शीर्ष 123 में डी. आर. एम. कार्यालय के आकस्मिक खर्चों को शामिल किया जाना चाहिए। हालाँकि, डी. आर. एम. कक्ष के लिए समाचार पत्र के व्यय से संबंधित ₹ 8,859 की राशि को एस. एम. एच.-10 के विस्तृत शीर्ष 687 के तहत गलत वर्गीकृत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एस. एम. एच.-01 और एस. एम. एच.-10 के बीच गलत वर्गीकरण हुआ है।	एसएमएच-10	एसएमएच-01	8,859
9	एसईआर	आर. एन. सी. प्रभाग द्वारा एस. एम. एच.-2/261-27 के बजाय एस. एम. एच.-2/251-27 (मीटर अनुमान) के तहत गलत तरीके से स्टोर डेबिट के लिए ₹ 11.53 लाख की राशि बुक की गई है।	एसएमएच-02/261-27	एसएमएच-02/251-27	11,53,240
10	मैट्रो रेलवे	अनुदान संख्या 11 के बजाय अनुदान संख्या 04 के तहत जी. एम. बंगले और अधिकारियों और	3002-03-(02)	3002-03-(09)	1,32,62,119

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	मामले का विवरण	वास्तव में बुक किया गया	बुक किया जाना चाहिए	राशि (₹ में)
		कर्मचारियों के आवास के रखरखाव की लागत की गलत बुकिंग।			
11	उमरे	राजस्व मांग संख्या-7 और मांग संख्या-10 के बीच गलत वर्गीकरण	3002-03-(05)	3002-03-(08)	71,57,521

स्रोतः रेल मंत्रालय के वर्ष 2024-25 के लिए अनुलग्नक 'जे'

2.7.4 पूंजी अनुदान के रेलवे कोषों के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण

निम्नलिखित मामलों में पूंजी अनुदान के रेलवे निधि (5002-03) के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण शामिल है।

तालिका 2.16: पूंजी अनुदान 5002-03 (रेलवे निधियों के बीच) के तहत व्यय के गलत वर्गीकरण के विविध मामले

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	मामले का विवरण	वास्तव में बुक किया गया	बुक किया जाना चाहिए	राशि (₹ में)
1	उपरे	ट्रैक नवीकरण से संबंधित कार्य के संबंध में गिट्टी आपूर्ति पर व्यय के लेखांकन के लिए जी. 16 का विस्तृत शीर्ष 3144 निर्धारित किया गया है। हालांकि गिट्टी आपूर्ति से संबंधित ₹ 6,00,32,096 को अनुदान संख्या 16 के विस्तृत शीर्ष 3144 के बजाय विस्तृत शीर्ष 3141 आवंटित किया गया है।	5002-03 (3141-विस्तृत शीर्ष)	5002-03 (3144-विस्तृत शीर्ष)	6,00,32,096
2	मैट्रो रेलवे	ए. एफ. सी.-पी. सी. प्रणाली के लिए 20 के. वी. ए. यू. पी. एस., ई. सी. यू., डी. आर. एफ./डी. एफ. के बजाय आर. आर. एस. के. के तहत ए. एस. सी. आर. एम. और टावर प्रकार सर्वर की लागत की			

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	मामले का विवरण	वास्तव में बुक किया गया	बुक किया जाना चाहिए	राशि (₹ में)
		गलत बुकिंग, हालांकि संबंधित अनुमानों को इसके तहत स्वीकृत थीः			
		(ए) डी. आर. एफ	5002-03-29-5300	5002-03-21-5300	4,10,55,812
		(ख) डी. एफ	5002-03-29-5300	5002-03-डी. एफ.-5300	2,63,23,440
3	मैट्रो रेलवे	मौजूदा क्वार्टरों की पूरी तरह से मरम्मत और नवीनीकरण की लागत की गलत बुकिंग, विभिन्न स्टेशनों में एयर वेंटिलेशन, एयर वॉशरी, मिड प्वाइंट शाफ्ट के पूरी तरह से नवीनीकरण की लागत और डी. एफ. के बजाय धन के निम्नलिखित स्रोतों के तहत विभिन्न मेट्रो स्टेशनों के सुधार कार्यों की लागत			
		(ए) सीएपी (5100)	5002-03-20-5100	5002-03-डीएफ-5100	1,55,77,015
		(ख) सीएपी (4200)	5002-03-20-4200	5002-03-डी. एफ.-5300	1,52,41,920
		(ग) सीएपी/आरआरएसके	5002-03-20/29-4200	5002-03-डी. एफ.-5300	1,17,26,683

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	मामले का विवरण	वास्तव में बुक किया गया	बुक किया जाना चाहिए	राशि (₹ में)
4	परे	विनियोग लेखे 2024-25 की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि अक्टूबर-2023 में डी. एफ. (आकलन के अनुसार) के बजाय कैपिटल (20516603) को जी. एस. टी. की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 13,07,869 की राशि बुक की गई थी। यह भी देखा गया कि उप मुख्य अभियंता-सी-सीसीजी ने अप्रैल 2024 में कैपिटल को क्रेडिट करने और डीएफ को डेबिट करने के लिए ₹ 13,07,869/- का एक समायोजन ज्ञापन संख्या डीवाई सीई -सी -1-769 तैयार किया था, लेकिन इसे अमल में नहीं लाया जा सका। इसके परिणामस्वरूप लेखांकन में गलती हुई है और इसे अनुलग्नक 'जे' में शामिल किया जेएई	पूँजी	डी. एफ	13,07,869

स्रोतः रेल मंत्रालय के वर्ष 2024-25 के लिए अनुलग्नक 'जे'

2.7.5 राजस्व अनुदान 3002-03 और आय के तहत व्यय के गलत वर्गीकरण के विविध मामले

निम्नलिखित मामलों में राजस्व अनुदान और आय के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण शामिल है।

तालिका 2.17: राजस्व अनुदान 3002-03 और आय के तहत व्यय के गलत वर्गीकरण के विविध मामले

क्रमाक	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में बुक किया गया	बुक किया जाना चाहिए	राशि (₹ में)
1	पमरे	पूंजीगत कार्यों और जमा कार्यों के बीच गलत वर्गीकरण-पूंजी अनुदान कार्यः मेसर्स आर. सी. सी. पी. एल. प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ए. डी. ई. एन. (एस)/एस. टी. ए. अधिकार क्षेत्र के तहत भादनपुर रेलवे स्टेशन पर 3 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज का प्रस्तावित निर्माण।	20536209	00844521	60,00,000
2	उपरे	एम. एच. 0020-निगम कर का संचालन नहीं किया गया है और कंपनियों से एकत्र की गई राशि को एम. एच. 0021 के तहत निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर के रूप में गिना गया है। यह मुद्दा 2011-12 से 2023-24 तक खातों के प्रमाणन के दौरान उठाया गया था। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने कहा था कि उसने इस मामले को रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। योग ₹33,40,59,142 जैसा कि तालिका में दिखाया गया है-रेलवे प्रशासन द्वारा 2024-25 के दौरान निगम कर के लिए कटौती की गई है, लेकिन इसका हिसाब ₹ 0020 के बजाय मुख्य शीर्ष 0021 के तहत किया गया है।	मुख्य शीर्ष-0021	मुख्य शीर्ष-0020	33,40,59,142
3	मैट्रो रेलवे	योजना शीर्ष 2100 सी. ए. पी. के तहत आयातित मेट्रो डिब्बों के लिए भुगतान की गई सीमा शुल्क की गलत बुकिंग के कारण लेखांकन में गलती, हालांकि			

क्रमाक	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में बुक किया गया	बुक किया जाना चाहिए	राशि (₹ में)
		संबंधित बजट को उत्तर रेलवे के तहत स्वीकृत थी और हस्तांतरण प्रमाण पत्र जारी नहीं करने और इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित संदिग्ध शीर्षों से ऋण न लेने के कारण पूर्वी रेलवे को आपूर्ति किए गए भंडारों के मूल्य के योजना शीर्ष 8100 सी. ए. पी. को क्रेडिट नहीं किया गया था: -			
		(i) उचंत शीर्ष 00879703 (ट्रांसफर रेलवे उरे)	5002-03-20-2100	उचंत शीर्ष 08797-03	3,85,60,531
		(ii) उचंत शीर्ष 00879702 (ट्रांसफर रेलवे पूरे)	5002-03-20-8100	उचंत शीर्ष 08797-02	37,91,235
4	पूमरे	परिनिर्धारित हर्जाना का गलत वर्गीकरण।	उचंत शीर्ष	विविध प्राप्तियाँ	66,33,573
5	पूमरे	एस. बी. एफ. और पूँजी का गलत वर्गीकरण	कर्मचारी लाभ निधि	पूँजी	4,86,160
6	दपरे	क्वाड्रपलिंग प्रोजेक्ट पर हुए ₹ 7,75,66,907/- के खर्च को बीएमआरसीएल (00844524) के डिपॉजिट वर्क के बजाय रेलवे (एलोकेशन -20155109) के खाते में गलत तरीके से दर्ज किया गया है, जिसके कारण रेलवे हेड के तहत ज़रूरत से ज़्यादा खर्च दर्ज हो गया है।	20155109-रेलवे	बी. एम. आर. सी. एल. का 91808 जमा कार्य	7,75,66,907

स्रोतः रेल मंत्रालय के वर्ष 2024-25 के लिए अनुलग्नक 'जे'

2.8 अस्वीकृत व्यय

भारतीय रेलवे द्वारा किए गए अनियमित व्यय के सभी मद, जैसे कि स्वीकृत अनुमानों से अधिक व्यय, विस्तृत अनुमानों के बिना किए गए व्यय और विविध अधिक भुगतान आदि को क्षेत्रीय रेलवे प्रशासन द्वारा आपत्ति योग्य मद (ओ. आई. बी.) की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है और अ-स्वीकृत व्यय के रूप में माना जाता है।

वर्ष के दौरान, भारतीय रेलवे द्वारा 1,321 मामलों से संबंधित ₹ 19,458.25 करोड़ का अ-स्वीकृत व्यय किया गया, जो वर्ष के दौरान उनके योग व्यय का 2.55% था। पिछले पाँच वर्षों के दौरान अस्वीकृत व्यय की प्रवृत्ति को **चित्र 2.2** से देखा जा सकता है।

2020-21 के बाद से अ-स्वीकृत व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई थी। 2024-25 में अ-स्वीकृत व्यय में 113.31 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। रेलवे को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस तरह के व्यय को कम से कम किया जाए।

चित्र-2.2 अस्वीकृत व्यय

(₹ करोड़ में)

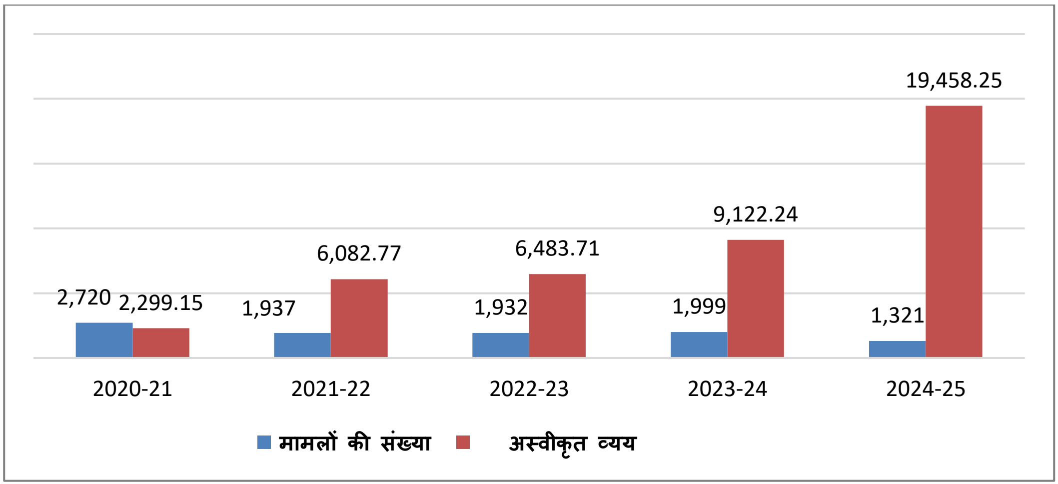

स्रोतः रेल मंत्रालय के अस्वीकृत व्यय का विवरण 2024-25

2.9 निष्कर्ष

विनियोग लेखे संसद द्वारा दत्तमत किए गए अनुदान की राशि और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत विनियोग के साथ वास्तविक व्यय की तुलना को दर्शाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 114 (3) में प्रावधान है कि अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई भी धन न निकाला जाए। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियम 52 (3) में कहा गया है कि ऐसा कोई भी संवितरण नहीं किया जा सकता है जिसका प्रभाव किसी वित्तीय वर्ष के लिए संसद द्वारा अधिकृत कुल अनुदान या विनियोग से अधिक हो, सिवाय पूरक अनुदान या आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने के।

रेल मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व अनुदानों (मुख्य शीर्ष 3001, 3002, 3003, 3006, 3075) और एक पूंजीगत अनुदान (5002-03) के संबंध में ₹ 7,90,965.12 करोड़ के स्वीकृत अनुदान[33] के मुकाबले ₹ 7,64,346.51 करोड़ का व्यय किया, जिससे ₹ 26,618.61 करोड़ की शुद्ध बचत दर्ज की गई। अनुदान-वार व्यय ***(अनुलग्नक-2.1)*** के विश्लेषण से यह पता चला है कि ₹ 26,618.61 करोड़ की शुद्ध बचत, ₹ 29,415.17 करोड़ की बचत के कारण हुई थी, जिसमें राजस्व अनुदान (मुख्य शीर्ष 3002-03) के स्वीकृत (दत्तमत) विनियोगों के नौ खंड व प्रभारित विनियोगों[34] के तीन खंड और पूंजीगत अनुदान (मुख्य शीर्ष 5002-03) के आठ स्वीकृत (दत्तमत) व पाँच प्रभारित घटक शामिल थे, जिसे राजस्व अनुदान (मुख्य शीर्ष 3002-03) के स्वीकृत (दत्तमत) विनियोगों के छः खंडों व प्रभारित विनियोगों के नौ खंडों में हुए ₹ 2,796.56 करोड़ के आधिक्य (अतिरिक्त व्यय) द्वारा समायोजित किया गया था।

राजस्व अनुदान और पूंजी अनुदान में बचत से संकेत मिलता है कि मुख्य गतिविधियाँ (यात्री और मालगाड़ियों का संचालन और उनके संचालन से राजस्व का सृजन), परिसंपत्तियों का निर्माण और मूल्यवर्धन जिसके लिए अनुदान की मांगों के माध्यम से धन की मांग की गई थी, नहीं की गई और रेलवे द्वारा वांछित लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके। साथ ही, स्वीकृत अनुदानों पर ₹ 24,374.52 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना इंगित करता है कि अनधिकृत व्यय किया गया था। इसे संसद द्वारा नियमित किए जाने की आवश्यकता है।

रेल मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के तहत व्यय के गलत वर्गीकरण के मामले एक आवर्ती घटना साबित हुए हैं। रेल मंत्रालय को व्यय इकाइयों द्वारा व्यय के गलत वर्गीकरण की घटनाओं को रोकने/समाप्त करने के लिए गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।

चालू वर्ष के दौरान, अ-स्वीकृत व्यय में 2024-25 की तुलना में 113.31 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है।

---

[33] ***मूल और अनुपूरक अनुदानों का योग।***

[34] ***विनियोग का मतलब भारत की संचित निधि पर भारित खर्च से है।***

2.10 अनुशंसाएँ

रेल मंत्रालय करे:

i. ***व्यय के प्रवाह और बजट आवंटन की नियमित निगरानी के लिए बजट नियंत्रक प्राधिकरणों पर पर्यवेक्षण करना और अतिरिक्त धन की मांग/आवंटित धन के समर्पण के लिए त्वरित कार्रवाई करना, ताकि धन का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए न्यायिक रूप से किया जा सके।***

ii. ***व्यय के गलत वर्गीकरण के उदाहरणों को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना। प्रमुख नियंत्रक अधिकारियों के स्तर पर अधिक जिम्मेदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।***

iii. ***सुनिश्चित करे कि सभी अस्वीकृत खर्चों को प्राथमिकता के आधार पर नियमित किया जाए।***

अध्याय-III

भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्‌यमों का वित्तीय प्रदर्शन

अध्याय III भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन

3.1 परिचय

इस अध्याय में रेल मंत्रालय (एमओआर) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के वर्ष 2024-25 के वित्तीय प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। भारतीय रेल मंत्रालय के पीएसई में सरकारी कंपनियाँ[35] सम्मिलित हैं। रेलवे मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन (इसके बाद रेलवे कंपनियां कहा जाएगा), रेलवे कंपनियों की सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम एवं विशेष प्रयोजन वाहन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित, स्वामित्व वाले या नियंत्रित हैं एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित हैं।

3.2 रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसमें कम से कम 51 *प्रतिशत* चुकता शेयर पूंजी केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित होती है, एवं इसमें वह कंपनी भी शामिल है जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 2(6) के तहत किसी अन्य कंपनी के संबंध में सहयोगी कंपनी को ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें उस अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव[36] होता है, लेकिन जो कि इस तरह का प्रभाव

---

[35] ***सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत चुकता शेयर पूंजी केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है और इसमें ऐसी कंपनी शामिल है जो सरकार की सहायक कंपनी है।***

[36] ***इस खंड के प्रयोजनों के लिए "महत्वपूर्ण प्रभाव" का अर्थ कुल शेयर पूंजी के कम से कम बीस प्रतिशत पर नियंत्रण, या किसी समझौते के अंतर्गत व्यावसायिक निर्णयों पर नियंत्रण है।***

रखने वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है एवं इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है।

31 मार्च 2025 तक, रेलवे मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एवं उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 50 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (45 कार्यशील एवं 5 अकार्यशील) थे ***(अनुलग्नक-3.1)***। इनमें 13 रेलवे कंपनियां[37] शामिल थीं। भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसई) में रेलवे मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, 20 सहायक कंपनियां, पांच संयुक्त उद्यम (जेवी) एवं सात विशेष प्रयोजन सहयोगी कंपनियां (एसपीवी) शामिल हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित किया गया है, उनका स्वामित्व है या वे उनके नियंत्रण में हैं। इन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रमुख प्रबंधन कर्मियों एवं स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति रेलवे मंत्रालय द्वारा की गई है।

तालिका 3.1: 31 मार्च 2025 तक भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या

रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (रेलवे पीएसई)	कार्यशील रेलवे पीएसई	अ-कार्यशील[38]/ परिसमाप्त/ विलय किए गए रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	योग
रेलवे कंपनियां[39]	13	4	17
सहायक कंपनियां	20	1[40]	21
संयुक्त उपक्रम	5	0	5
विशेष प्रयोजन वाहन	7	0	7
योग	**45**	**5**	**50**

37 बर्न स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को छोड़कर, जिन्हें भंग कर दिया गया था और जिनके नाम क्रमशः 22 सितंबर 2022 और 5 जुलाई 2022 से कंपनी रजिस्टर से हटा दिए गए थे।

38 अकार्यशील रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वे उपक्रम हैं जिन्होंने अपना परिचालन बंद कर दिया है। वैगन इंडिया लिमिटेड और एनआरटीयू फाउंडेशन ने अपना परिचालन बंद कर दिया है और जनवरी 2024 से परिसमापन प्रक्रिया में हैं। बर्न स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड नामक दो कंपनियों को भंग कर दिया गया और उनके नाम क्रमशः 22 सितंबर 2022 और 5 जुलाई 2022 से कंपनी रजिस्टर से हटा दिए गए।

39 रेल मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कंपनियां।

40 रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड का सितंबर 2023 में मूल कंपनी यानी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में विलय कर दिया गया था।

3.2.1 31 मार्च 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश

वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निवेश, लाभप्रदता, लाभांश, शेयर पूंजी आदि का विवरण[41] तालिका 3.2 में दिया गया है। वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक के लिए कंपनी-वार विवरण ***अनुलग्नक 3.2*** से 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.2: वर्ष 2024-25 के लिए रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

(1) चुकता पूंजी (इक्विटी)	भारत सरकार		49,004.33
	वित्तीय संस्थान एवं अन्य		3,401.08
	केंद्र सरकार की कंपनियां		3,629.92
	राज्य सरकारें		6,510.28
	राज्य सरकार की कंपनियां		392.02
	योग (1)		**62,937.63**
(2) दीर्घकालिक ऋण	भारत सरकार		3,174.60
	वित्तीय संस्थान एवं अन्य		4,72,631.00
	केंद्र सरकार की कंपनियां		5,116.84
	राज्य सरकारें		0
	राज्य सरकार की कंपनियां		0
	योग (2)		**4,80,922.44**
चुकता पूंजी एवं दीर्घकालिक ऋणों का योग योग	**योग (1)+ (2)**		**5,43,860.07**
लाभप्रदता	लाभ	38 कंपनियाँ	12,716.72
	हानि	05 कंपनियाँ	(55.69)
	शून्य लाभ	02 कंपनियाँ	-
	अकार्यशील	05 कंपनियाँ	-
	योग		**12,661.03**
भुगतान किया गया लाभांश	14 कंपनियाँ		**5,591.50**

स्रोत: रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से संकलित।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2025 के अंत में रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों ***(अनुलग्नक-3.2 एवं 3.3)*** में इक्विटी एवं ऋण के निवेश की राशि थी।इसमें

[41] *महाराष्ट्र रेल विकास निगम लिमिटेड नामक एक रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (संयुक्त उपक्रम) के लेखा को दिसंबर 2025 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।*

क्रमशः ₹ 62,937.63 करोड़ की चुकता पूंजी एवं ₹ 4,80,922.44 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) ने ₹ 49,004.33 करोड़ का योगदान दिया, जो रेलवे पीएसई में भुगतान की गई शेयर पूंजी का 77.86 *प्रतिशत* है। वित्तीय संस्थानों एवं अन्य ने ₹ 3,401.08 करोड़ (5.40 *प्रतिशत*), केंद्र सरकार की कंपनियों ने ₹ 3,629.92 करोड़ (5.77 *प्रतिशत*), एवं राज्य सरकारों/राज्य सरकार की कंपनियों ने ₹ 6,902.30 करोड़ (10.97 *प्रतिशत*) का योगदान दिया, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट 3.1 में दिया गया है:

चार्ट 3.1: मार्च 2025 तक रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की चुकता पूंजी में योगदान (*प्रतिशत*)

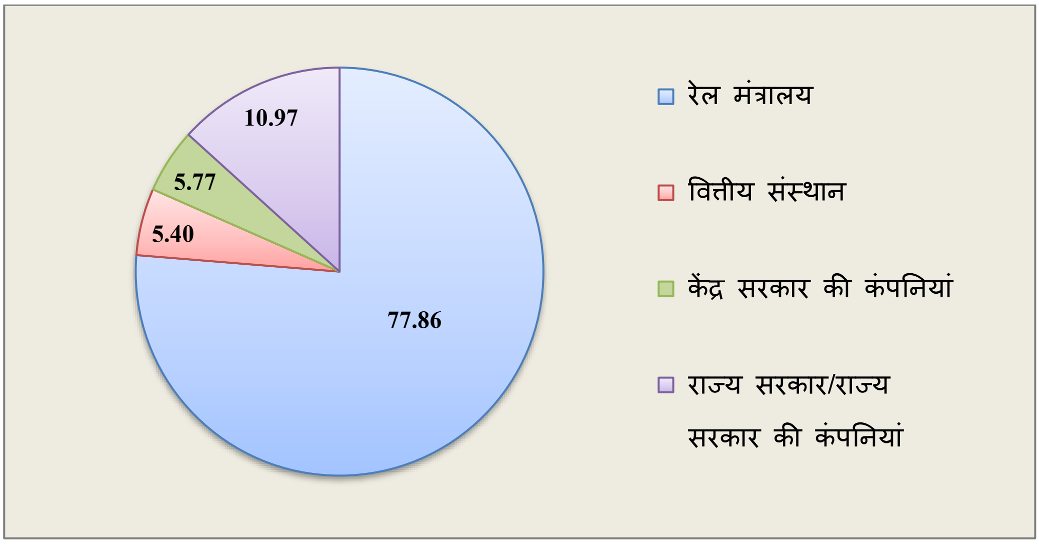

रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की योग चुकता शेयर पूंजी में ₹ 10,805.56 करोड़ की वृद्धि हुई है, जो 2020-21 में ₹ 52,132.07 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 62,937.63 करोड़ हो गई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसई) में शेयर पूंजी के योगदान में वृद्धि के कारण हुई, जिसमें नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) में ₹ 5,426 करोड़, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) में ₹ 1,652.36 करोड़, कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹ 2,355.62 करोड़, कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड में ₹ 571 करोड़, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹ 321.26 करोड़, अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड में ₹ 193.40 करोड़ एवं हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड

में ₹ 112.63 करोड़ का योगदान शामिल है। हालांकि, इसी अवधि के दौरान, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (जुलाई 2022) एवं बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (सितंबर 2022) के विघटन के कारण शेयर पूंजी में ₹ 260.48 करोड़ की कमी आई।

मार्च 2025 तक, योग दीर्घकालिक ऋण ₹ 4,80,922.44 करोड़ था, जो मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों एवं अन्य स्रोतों (₹ 4,72,631 करोड़) से प्राप्त हुआ था। शेष ऋण भारत सरकार (₹ 3,174.60 करोड़) एवं केंद्र सरकार की कंपनियों (₹ 5,116.84 करोड़) से प्राप्त किए गए थे। वित्तीय संस्थानों एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋणों का निवेश आइआरएफ़सी (₹ 4,12,129.40 करोड़), डीएफ़सीसीआइएल (₹ 46,672.92 करोड़), कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 3,094.84 करोड़) एवं अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड (₹ 2,437.59 करोड़) में किया गया था ***(अनुलग्नक-3.3)***।

मार्च 2025 तक, रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का शुद्ध लाभ ₹ 12,661.03 रहा। लाभ में वृद्धि का रुझान देखा गया, जो 2020-21 में ₹ 7,071.14 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 12,661.03 करोड़ हो गया ***(अनुलग्नक-3.4)***।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 45 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 38 ने कुल ₹ 12,716.72 करोड़ का लाभ दर्ज किया, जबकि पांच रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संयुक्त रूप से ₹ 55.69 करोड़ की हानि हुई।

3.3 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ एवं भुगतान किया गया लाभांश

रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 2020-21 से 2024-25 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्जित लाभ एवं भुगतान किए गए लाभांश का विवरण ***अनुलग्नक 3.4*** में दिया गया है।

3.3.1 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लाभप्रदता

योग 45 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 38 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने वर्ष 2024-25 के दौरान लाभ अर्जित किया, जिनमें 11 रेलवे कंपनियां, 17 सहायक कंपनियां, चार संयुक्त उद्यम एवं छः विशेष उद्यम शामिल हैं ***(अनुलग्नक-3.4)***। पिछले पांच वर्षों के दौरान इन 45 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ में वृद्धि एवं उनके द्वारा भुगतान किए गए लाभांश का विवरण चार्ट 3.2 में दिया गया है।

चार्ट 3.2: रेलवे कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ एवं भुगतान किया गया लाभांश

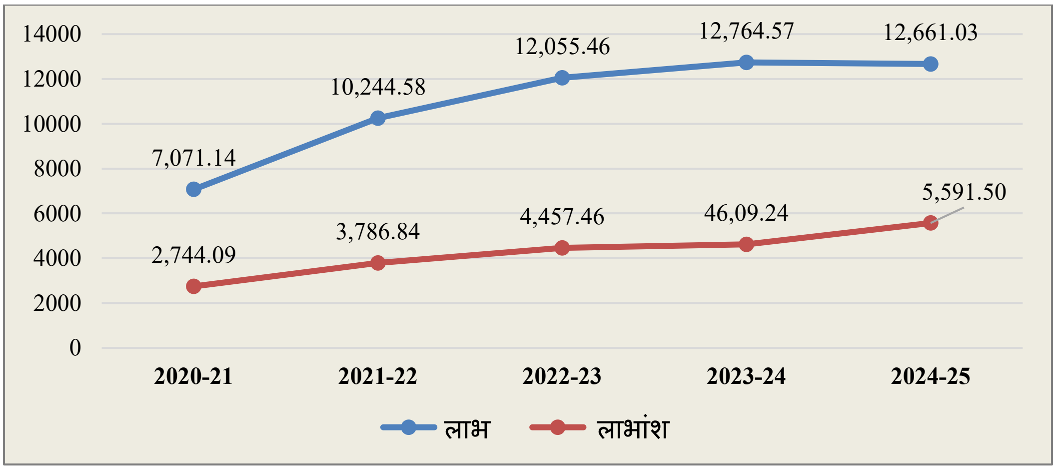

स्रोत: रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से संकलित।

- उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि 2024-25 में शुद्ध लाभ ₹ 7,071.14 करोड़ से बढ़कर ₹ 12,661.03 करोड़ हो गया, जो पांच वर्षों में 79.05 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार, रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भुगतान किए गए लाभांश में 103.76 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले शीर्ष पांच रेलवे पीएसई आईआरएफसी (₹ 6,502 करोड़), आईआरसीटीसी (₹ 1,314.66 करोड़), कॉनकोर (₹ 1,271.98 करोड़), आरवीएनएल (₹ 1,188.62 करोड़) एवं इरकॉन (₹ 737.59 करोड़) थी।
- भारत में सात रेलवे कंपनियां स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थीं। इन सात सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के रेलवे उपक्रमों ने 2020-21 से 2024-25 तक

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक का लाभ अर्जित किया, जैसा कि तालिका 3.3 में विस्तार से बताया गया है:

तालिका 3.3: रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो ₹ 100 करोड़ या इससे अधिक लाभ कमा रहे हैं

क्रम संख्या	रेलवे पीएसई का नाम	अर्जित लाभ (₹ करोड़ में)				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	503.33	1,062.34	1,169.08	1,230.79	1,271.98
2.	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	4,416.13	6,089.84	6,337.01	6,412.10	6,502.00
3.	रेल विकास निगम लिमिटेड	940.55	1,087.35	1,267.97	1,462.95	1,188.62
4.	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	189.90	659.55	1,005.88	1,111.26	1,314.66
5.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	404.56	544.32	776.83	862.90	737.59
6.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	140.41	208.34	187.38	246.21	299.81
7.	राईट्स लिमिटेड	424.35	497.10	530.54	454.11	380.22
	योग	**7,019.23**	**10,148.84**	**11,274.69**	**11,780.32**	**11,694.88**

स्रोत: रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से संकलित।

सभी सात सूचीबद्ध रेलवे कंपनियों ने 2020-21 से 2024-25 के दौरान प्रत्येक वर्ष ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक का लाभ अर्जित किया। योग शुद्ध लाभ में से वर्ष 2024-25 के दौरान सभी रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित ₹ 12,661.03 करोड़ में से लाभ का एक बड़ा हिस्सा यानी ₹ 11,694.88 करोड़ (92.36 *प्रतिशत*) सात सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अर्जित किया गया था।

• अ-सूचीबद्ध रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों में से कोंकण रेलवे कंपनी लिमिटेड ने तीन वर्षों में ₹ 100 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया (यानी, वर्ष 2022-23 में ₹ 278.93 करोड़, वर्ष 2023-24 में ₹ 329.27 करोड़ एवं वर्ष 2024-25 में ₹ 137.69 करोड़)। मुंबई रेल विकास निगम (₹ 168.41 करोड़) एवं हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड (₹ 122.78 करोड़) ने भी 2024-25 में ₹ 100 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया।

3.3.2 घाटे में चल रहे रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

वर्ष 2024-25 के दौरान, पाँच रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसई) को घाटा हुआ। घाटा उठाने वाले पीएसई में एक रेलवे कंपनी, तीन सहायक कंपनियां एवं एक एसपीवी शामिल थे ***(अनुलग्नक-3.4)***।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान घाटे में चल रहे पांच प्रमुख रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा हुई हानि का विवरण तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: बहुत अधिक हानि में चल रहे रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	कोलकाता मेट्रो रेल निगम	0.00	0.06	0.75	(0.012)	(0.0027)
2.	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	(21.38)	(24.62)	(17.17)	(7.76)	(31.60)
3.	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	(14.06)	(12.05)	(14.34)	(6.39)	(22.58)
4.	ब्रेथवेट एनएसीओएफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड	-	-	-	(0.02)	(0.02)
5.	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	0.70	0.53	0.44	(48.48)	(1.49)

स्रोत: रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से संकलित। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े हानि दर्शाते हैं।

सूचीबद्ध नवरत्न कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की दो सहायक कंपनियां, इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड एवं इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड, पिछले पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान लगातार घाटे में रहीं। इसी प्रकार, सूचीबद्ध कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड को भी पिछले दो वर्षों में घाटा हुआ।

3.3.3 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभांश का भुगतान

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 के दौरान रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ एवं भुगतान किए गए लाभांश का विवरण ***अनुलग्नक-3.4*** में दिया गया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 38 रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों ने ₹ 12,661.03 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया था, जिसमें से केवल 14 रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों[42] (सात रेलवे कंपनियां, तीन सहायक कंपनियां, तीन एसपीवी एवं एक जेवी) ने लाभांश (₹ 5,591.50 करोड़) घोषित किया था। तुलनात्मक रूप से, 35 रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों ने 2023-24 के दौरान ₹ 12,764.57 करोड़ का लाभ अर्जित किया था, जिसमें से 12 रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों (सात रेलवे कंपनियां, दो सहायक कंपनियां, एक जेवी एवं दो एसपीवी) ने लाभांश (₹ 4,609.24 करोड़) घोषित किया था।

3.3.3.1 रेलवे कंपनियों द्वारा लाभांश भुगतान संबंधी डीआईपीएएम दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना

लाभ अर्जित करने वाली रेलवे कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ एवं भुगतान किए गए लाभांश का विवरण 2020-21 से 2024-25 तक चार्ट 3.3 में दिए गए हैं।

---

[42] ***कॉनकोर, आईआरसीटीसी, ईरकॉन, आईआरएफसी, राइट्स, आरवीएनएल, आरसीआईएल, एचएसआरसी इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड, इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड, आरईएमसी लिमिटेड, हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड, भरूच दाहेज रेल कंपनी लिमिटेड, हसन मंगलौर रेल विकास निगम और सेल राइट्स बंगाल लिमिटेड।***

चार्ट 3.3: रेलवे कंपनियों द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ एवं भुगतान किया गया लाभांश

(₹ करोड़ में)

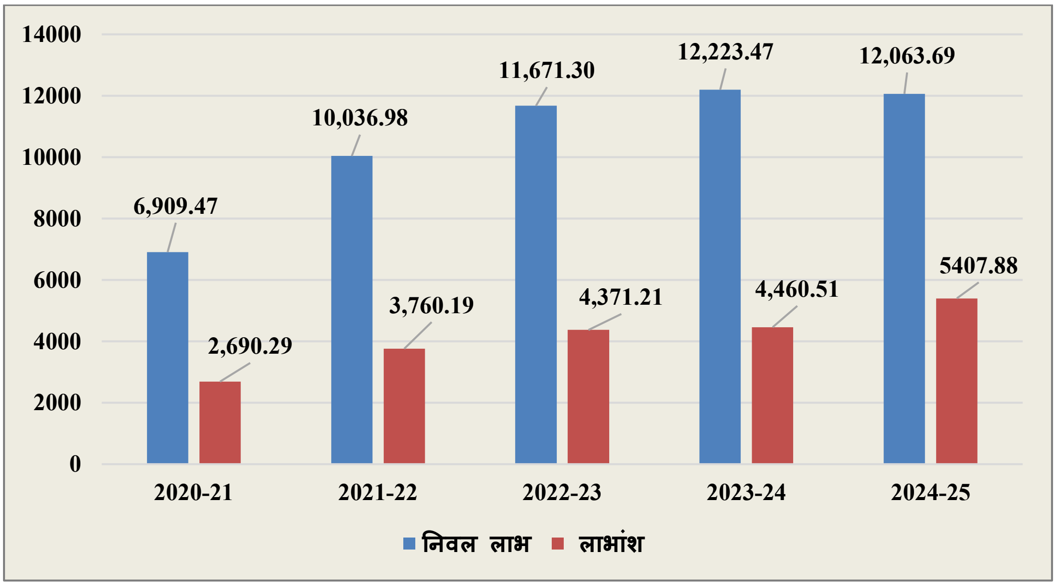

स्रोत: रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से संकलित।

निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने निर्देश जारी किए (नवंबर 2024) कि प्रत्येक सीपीएसई कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 30 *प्रतिशत* या शुद्ध संपत्ति का चार *प्रतिशत*, जो भी अधिक हो, का वार्षिक लाभांश अदा करेगा, जो मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन होगा। वर्ष 2024-25 में विभिन्न रेलवे कंपनियों द्वारा देय एवं भुगतान किए गए लाभांश का विवरण ***अनुलग्नक-3.5*** में दिया गया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) डीआईपीएएम के उपरोक्त निर्देशों के अनुसार 12 रेलवे कंपनियों को लाभांश का भुगतान करना अनिवार्य था। हालांकि, इन 12 रेलवे कंपनियों में से केवल सात ने ही वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान किया। लाभांश का भुगतान करने वाली सभी सात रेलवे कंपनियां स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।

(ii) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड को वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक लाभांश भुगतान से छूट दी गई थी। मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए के तहत पंजीकृत है एवं इसलिए अपने शेयरधारकों को लाभांश वितरित करने से प्रतिबंधित है। चूंकि केआरसीएल को

संचित घाटा हो रहा था, इसलिए डीआईपीएएम के लाभांश भुगतान दिशानिर्देश लागू नहीं थे। रेल मंत्रालय ने (मार्च 2026) बताया कि कोलकाता मेट्रो रेल निगम लिमिटेड राजस्व अर्जित नहीं कर रही थी।

(iii) उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने के बावजूद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लाभांश का भुगतान न करने के कारणों की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

3.3.3.2 सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों द्वारा लाभांश भुगतान संबंधी डीआईपीएएम दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना

डीआईपीएएम ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को सीपीएसई की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा लाभांश के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश[43] दिए। रेल मंत्रालय ने पत्र संख्या 2013/पीएल/57/1 (भाग II) दिनांक 01.03.2018 के माध्यम से सभी सीपीएसई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि उनकी सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/एसपीवी द्वारा लाभांश के भुगतान के संबंध में कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/2/2016-नीति दिनांक 01.02.2018 में निहित डीआईपीएएम के निर्देशों का पालन किया जाए। श्रम मंत्रालय ने पत्र संख्या 2023/पीएल/57/1 दिनांक 16 फरवरी 2023 के माध्यम से सभी रेलवे पीएसई को इन निर्देशों को पुनः प्रेषित किया।

लाभ अर्जित करने एवं लाभांश का भुगतान करने का विवरण सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं विशेष उद्यम (एसपीवी) का विवरण ***अनुलग्नक-3.4*** में दिया गया है।

[43] *दिनांक 01.02.2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से*

चार्ट 3.4: सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं विशेष उद्यम (एसपीवी) द्वारा अर्जित लाभ एवं भुगतान किया गया लाभांश

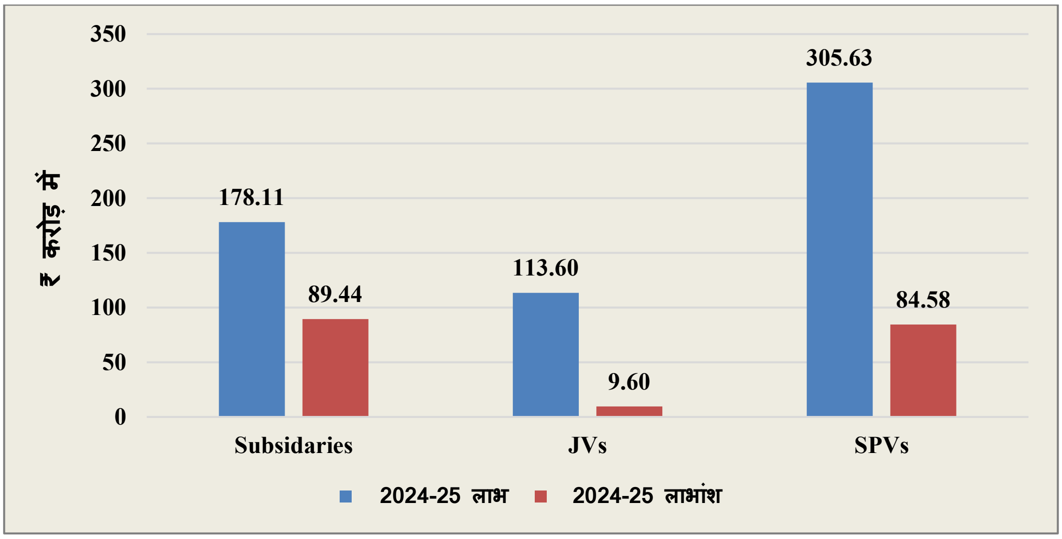

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के रेलवे उपक्रमों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से संकलित।

यह पाया गया कि:

(i) वर्ष 2024-25 के दौरान 20 सहायक कंपनियों का शुद्ध लाभ ₹ 178.11 करोड़ था, जिसमें से रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की 17 सहायक कंपनियों ने ₹ 232.31 करोड़ का लाभ अर्जित किया। हालांकि, केवल तीन सहायक कंपनियों इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, एचएसआरसी इन्फ्रा सर्विसेज लिमिटेड एवं आरईएमसी लिमिटेड ने ₹ 89.44 करोड़ का योग लाभांश घोषित किया। शेष 14 सहायक कंपनियों ने न तो डिविडेंड का भुगतान किया था एवं न ही डीआईपीएएम के निर्देशों के अनुसार डिविडेंड भुगतान से छूट की मांग की थी।

(ii) सात एसपीवी में से छह एसपीवी ने 2024-25 के दौरान ₹ 307.12 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं एक एसपीवी को ₹ 1.49 करोड़ का घाटा हुआ। हालांकि, केवल तीन एसपीवी (हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड, भरूच दाहेज रेल कंपनी लिमिटेड एवं हसन मंगलौर रेल विकास निगम) ने डीआईपीएएम के उपरोक्त निर्देशों के अनुसार योग ₹ 84.58 करोड़ का लाभांश घोषित किया। शेष तीन एसपीवी (कृष्णापटनम रेल कंपनी लिमिटेड, कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड एवं पिपावाव रेलवे निगम लिमिटेड) ने ₹ 139.39 करोड़ लाभ अर्जित करने के बावजूद कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

(iii) पांच[44] में से चार कंपनियों ने 2024-25 के दौरान ₹ 113.60 करोड़ का लाभ अर्जित किया। हालांकि, केवल एक संयुक्त उद्यम (सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड) ने ₹ 9.60 करोड़ का लाभांश घोषित किया। शेष तीन संयुक्त उद्यमों ने ₹ 91.85 करोड़ का लाभ दर्ज करने के बावजूद वर्ष के दौरान न तो लाभांश का भुगतान किया एवं न ही लाभांश भुगतान से छूट मांगी। महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने अभी तक 2024-25 के लिए अपने लेखा को अंतिम रूप नहीं दिया है।

इस प्रकार, डीआईपीएएम के दिशानिर्देशों (नवंबर 2024) एवं रेल मंत्रालय के निर्देशों (फरवरी 2023) के बावजूद, 14 सहायक कंपनियों, तीन एसपीवी एवं तीन संयुक्त उद्यमों ने न तो प्रवर्तकों को लाभांश घोषित किया है एवं न ही अर्जित लाभ का पुनर्निवेश किया है।

3.4 इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

'बाजार पूंजीकरण' किसी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के शेयरों का बाजार मूल्य है जो स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध है। 31 मार्च 2025 तक, निम्नलिखित सात रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयर भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध थे।

- कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (मई 1997 से सूचीबद्ध);
- राइट्स लिमिटेड (जुलाई 2018 में सूचीबद्ध);
- इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (सितंबर 2018 में सूचीबद्ध);
- रेल विकास निगम लिमिटेड (अप्रैल 2019 में सूचीबद्ध);
- इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सूचीबद्ध) अक्टूबर 2019);
- रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (फरवरी 2021 में सूचीबद्ध); एवं
- इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जनवरी 2021 में सूचीबद्ध)

---

[44] *इंडियन रेलवे स्टेशन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसएआईएल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।*

31 मार्च, 2025 तक इन सात रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (रेलवे पीएसई) के शेयरों का योग बाजार पूंजीकरण ₹ 3,71,249.38 करोड़ था।

पिछले वर्ष की तुलना में कुल बाजार पूंजीकरण में 10.59 *प्रतिशत* की कमी आई है। रेल विकास निगम लिमिटेड को छोड़कर सात में से छह रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के बाजार पूंजीकरण में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान गिरावट आई है। रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बाजार पूंजीकरण की स्थिति तालिका 3.5 में दी गई है।

तालिका 3.5: रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का बाजार पूंजीकरण

रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	*(₹ करोड़ में)*					2024 की तुलना में 2025 में परिवर्तन (%)	मूल्य-आय अनुपात (2025)
	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक		
1	2	3	4	5	6	7 = (6-5)/5*100	8
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	36,435.80	40,953.72	35,354.30	53,751.95	42,071.77	(21.73)	33.07
राईट्स लिमिटेड	5,786.42	6,315.08	8,522.24	15,963.25	10,739.09	(32.73)	28.25
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	4,152.38	3,743.25	5,266.89	20,587.89	14,700.26	(28.60)	19.94
रेल विकास निगम लिमिटेड	6,067.41	6,818.02	14,303.24	52,740.58	73,340.58	39.08	61.71
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	28,099.20	61,968.00	45,840.00	74,396.00	58,176.00	(21.80)	44.26
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4,069.50	2,699.09	3,244.69	11,672.53	9,714.81	(16.77)	32.41
भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	29,992.22	28,031.95	34,762.23	1,86,095.53	1,62,506.87	(12.68)	24.97
योग	**1,14,602.93**	**1,50,529.11**	**1,47,293.59**	**4,15,207.73**	**3,71,249.38**	**(10.59)**	

स्रोत: रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से संकलित।

चार्ट 3.5 में वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान सूचीबद्ध रेलवे कंपनियों के योग बाजार पूंजीकरण का एसएंडपी, बीएसई-सीपीएसई सूचकांक के सापेक्ष रुझान दर्शाया गया है।

चार्ट 3.5: एसएंडपी बीएसई-सीपीएसई सूचकांक के सापेक्ष रेलवे कंपनियों के बाजार पूंजीकरण का रुझान

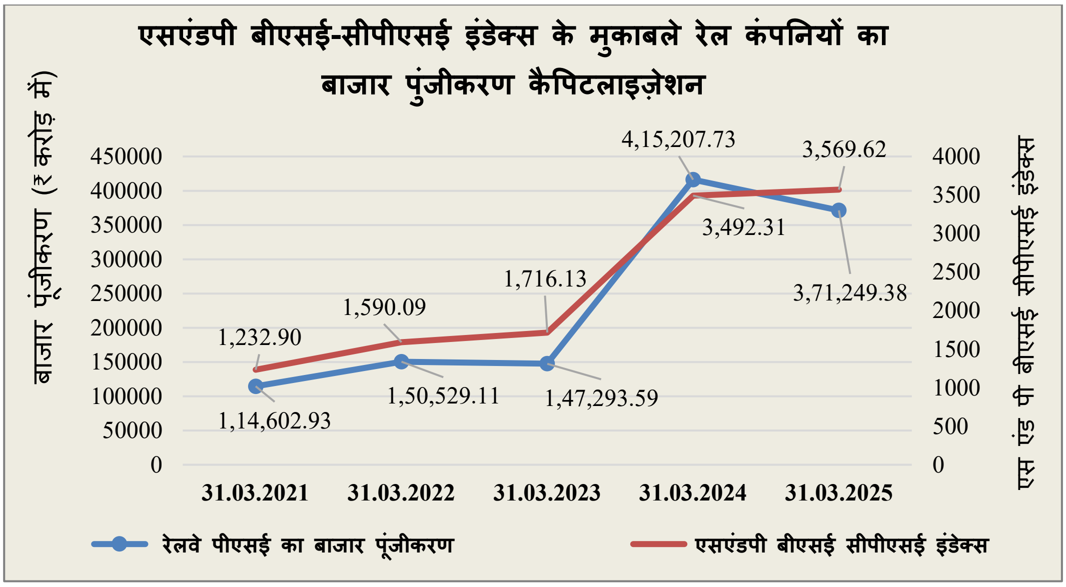

यह देखा गया है कि 2020-21 से 2024-25 के दौरान रेलवे कंपनियों के योग बाजार पूंजीकरण का रुझान एसएंडपी बीएसई-सीपीएसई सूचकांक के समान था। हालांकि, इसमें बदलाव हो सकता है। तालिका 3.5 से देखा जा सकता है कि रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को छोड़कर सभी सूचीबद्ध रेलवे कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में नकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

3.5 रेल मंत्रालय का उत्तर

'रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय अवलोकन' (02 फरवरी 2026) रेल मंत्रालय को टिप्पणियों एवं तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के लिए जारी किया गया था। रेल मंत्रालय से इसका उत्तर 06 मार्च 2025 को प्राप्त हुआ।

यह प्रतिवेदन रेल मंत्रालय से प्राप्त सभी प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

3.6 सारांश

- मार्च 2025 तक, रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) में योग निवेश ₹ 62,937.63 करोड़ था, जिसमें भारत सरकार का योगदान कुल चुकता शेयर पूंजी का 77.86 *प्रतिशत* यानी ₹ 49,004.33 करोड़ था।

- गौरतलब है कि 2020-21 से रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसई) के मुनाफे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 79.05 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्शाती है, जबकि इसी अवधि में रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भुगतान किया गया लाभांश दोगुना (103.76 *प्रतिशत*) हो गया है। सूचीबद्ध सात रेलवे कंपनियों ने लगातार प्रति वर्ष ₹ 100 करोड़ से अधिक का मुनाफा अर्जित किया है।हालांकि, राइट्स लिमिटेड के मुनाफे में पिछले पांच वर्षों में ₹ 44.13 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई है (2020-21 में ₹ 424.35 करोड़ एवं 2024-25 में ₹ 380.22 करोड़)। वर्ष 2024-25 के दौरान, एक रेलवे कंपनी, तीन सहायक कंपनियां एवं एक एसपीवी को घाटा हुआ।

- डीआईपीएएम एवं रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे पीएसई को अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं एसपीवी द्वारा लाभांश का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देशों के बावजूद, सत्रह लाभ कमाने वाली सहायक कंपनियों में से केवल तीन, चार लाभ कमाने वाले संयुक्त उद्यमों में से एक एवं छह लाभ कमाने वाले एसपीवी में से तीन ने ही 2024-25 में लाभांश घोषित किया।

- मार्च 2025 तक रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसई) का कुल बाजार पूंजीकरण ₹ 3,71,249.39 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.59 *प्रतिशत* की गिरावट दर्शाता है। सूचीबद्ध सात रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से छह के बाजार पूंजीकरण में गिरावट दर्ज की गई, सिवाय रेल विकास निगम लिमिटेड के।

3.7 अनुशंसाएं

रेल मंत्रालय निम्नलिखित कार्य करे:

i. ***सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं विशेष उद्यम (एसपीवी) द्वारा लाभांश के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए, डीआईपीएएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, इसके निर्देशों (फरवरी 2023 एवं नवंबर 2024) पर कार्रवाई करे।***

ii. ***घाटे में चल रहे रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा हुए नुकसान के कारणों को दूर करने के लिए कदम उठाए।***

अध्याय-IV

भारतीय रेलवे में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) का वित्तीय प्रबंधन

अध्याय IV	भारतीय रेलवे में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) का वित्तीय प्रबंधन

4.1 परिचय

भारतीय रेलवे (भा.रे.) दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है जो एक ही मैनेजमेंट के तहत काम करता है। रोज़ाना 13,940 से ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं जिनमें लगभग दो करोड़ यात्री सफ़र करते हैं, इसलिए संरक्षा भारतीय रेलवे के लिए चिंता और सबसे बड़ी प्राथमिकता का विषय है।

संरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले मुख्य मुद्दों में ट्रेन का पटरी से उतरना (डिरेलमेंट) और लेवल क्रॉसिंग (एलसी) दुर्घटनाएं शामिल हैं, जिनमें बिना कर्मचारी वाले लेवल क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाएं और लोको पायलट द्वारा सिग्नल पार कर जाना (सिग्नल ओवररन) शामिल हैं।

इन चिंताओं को दूर करने के लिए, वित्त मंत्रालय (वि.मं.) ने 2017-18 के बजट में 'राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष' (आरआरएसके) बनाया। इसका उद्देश्य संरक्षा से जुड़े कामों को पूरा करना था। इसके लिए पांच साल तक हर साल ₹ 20,000 करोड़ का योगदान तय किया गया [₹ 15,000 करोड़ सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) और केंदीय सड़क कोष (सीआरएफ) से; और ₹ 5,000 करोड़ रेलवे के अपने संसाधनों से]।

आरआरएसके के तहत संरक्षा संकेतकों में सुधार को देखते हुए, इसकी अवधि 2021-22 के बाद और पांच साल के लिए बढ़ा दी गई और इसके लिए जीबीएस से ₹ 45,000 करोड़ का योगदान दिया गया।

वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2017 में संरक्षा से जुड़े कामों में फंड की योजना बनाना और उपयोग के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों जारी कीं। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए फंड के उपयोग के ढांचे में अहम क्षेत्रों की पहचान की गई, जैसे ट्रैक को बदलना, पुलों की मरम्मत, लेवल क्रॉसिंग को खत्म करना, आरओबी/आरयूबी का निर्माण, संकेत एवं दूरसंचार से संबंधित संपत्तियों को उन्नत करना आदि।

इस तरह, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष एक अहम फंड है जिसका उद्देश्य संरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण और तकनीकी अपग्रेडेशन के ज़रिए यात्रियों की

संरक्षा बढ़ाना और संचालनल भरोसेमंदता में सुधार करना है, ताकि दुर्घटनाओं, खासकर रेल का पटरी से उतरना और लेवल क्रॉसिंग दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का महत्व इस बात में है कि यह प्राथमिकता वाले संरक्षा कार्यों के लिए पक्का और सुरक्षित फंड मुहैया कराता है, जिससे रेलवे ऑपरेशन्स की कुल संचालनल संरक्षा, भरोसेमंदता और स्थिरता मज़बूत होती है।

4.2 संगठनात्मक ढांचा

रेलवे बोर्ड राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत संरक्षा से जुड़े अलग-अलग कामों के लिए फंड देता है। ज़ोनल रेलवे हेडक्वार्टर और मंडलों में लेखा विभाग प्रत्येक काम पर होने वाले खर्च की प्रगति पर नज़र रखता है।

ज़ोनल हेडक्वार्टर में, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र और चीफ़ अकाउंट्स ऑफ़िसर और सीनियर असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र करते हैं। डिवीज़न में, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र के अंडर, सीनियर डिवीज़नल फ़ाइनेंस मैनेजर अकाउंट्स का हेड होता है और असिस्टेंट डिवीज़नल फ़ाइनेंस मैनेजर उसकी मदद करता है।

4.3 पिछली लेखापरीक्षा एवं वर्तमान लेखापरीक्षा का केन्द्र बिन्दु

आरआरएसके से होने वाले खर्च की योजना बनाना, उपयोग और नतीजों को 'भारतीय रेलवे में ट्रेन के पटरी से उतरने की घटनाओं' (रिपोर्ट नंबर 22, 2022) के परफॉर्मेंस लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था। इसमें 2017-18 से 2020-21 तक के चार साल की अवधि को कवर किया गया था। रेल मंत्रालय (रे.मं.) द्वारा की गई कार्रवाई को लेखापरीक्षा (मई 2024) ने स्वीकार कर लिया।

मौजूदा लेखापरीक्षा में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत मिलने वाली और खर्च की जाने वाली रकम, साथ ही इसके हिसाब-किताब और उपयोग पर ध्यान दिया गया। इसमें गलत तरीके से उपयोग, गलत वर्गीकरण, फंड के उपयोग में अक्षमता (जैसे फंड सरेंडर करना या दोबारा आवंटित करना), एसेट्स के हिसाब-किताब में गड़बड़ी और गैर-प्राथमिकता वाले कामों पर खर्च आदि की जांच की गई।

4.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए किया गया था। इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष

(आरआरएसके) के तहत फंड की प्राप्ति, आवंटन, वितरण और लेखांकन का काम भारतीय रेलवे वित्त/लेखा संहिता के प्रावधानों, रेलवे बोर्ड के मौजूदा निर्देशों और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

4.5 लेखापरीक्षा का परिक्षेत्र

लेखापरीक्षा में एक साल की अवधि, यानी 2024-25 को शामिल किया गया।

4.6 लेखापरीक्षा हेतु चुने गए प्रतिदर्श

साल 2024-25 के लेखापरीक्षा के लिए, एकीकृत पेरोल और लेखा प्रणाली (आईपीएएस) से बजट रिपोर्ट, कैपिटल एलोकेशन रजिस्टर, ब्लॉक अकाउंट, सस्पेंस हेड रिपोर्ट, कंटिन्यूटी ऑर्डर 7 (सीओ7) वाउचर, जर्नल वाउचर (जेवी) और चालू खाता के पूंजी अनुसूची के अनुसार अलग-अलग फंड से हुए खर्च के सैंपल चुने गए। हर आइटम के लिए सैंपल चुनने के तरीके और स्टडी के लिए चुने गए सैंपल की जानकारी **परिशिष्ट I** में दी गई है।

4.7 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा में इन दस्तावेज/रिकॉर्ड्स/प्रतिवेदन की जांच शामिल थी:

- भारतीय रेलवे के 2024-25 के विनियोजन खाते
- एकीकृत पेरोल और लेखा प्रणाली (आईपीएएस) से निकाला गया डेटा
- राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से किए गए खर्च वाले काम और भारतीय रेलवे परियोजना संस्वीकृति एवं प्रबंधन (आईआरपीएसएम) वेब-आधारित सिस्टम से 2025-26 के लिए 'थ्रो-फॉरवर्ड' (आगे ले जाए जाने वाले) खर्च की जानकारी।

4.8 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखापरीक्षा के मानदंडों के तौर पर रेलवे बोर्ड (रे.बो.) द्वारा जारी निम्नलिखित कोड, मैनुअल और दिशानिर्देशों को अपनाया गया:

- भारतीय रेलवे वित्त संहिता, भाग I और II;
- भारतीय रेलवे लेखा संहिता, भाग I;

- राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष और फंड के पुनर्विनियोजन पर रेलवे बोर्ड के परिपत्र; और
- राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के संचालन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश।

4.9 लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

4.9.1 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का वित्तीय विवरण

भारतीय रेलवे में संरक्षा से जुड़े ज़रूरी कामों के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत 2017-18 से 2024-25 की अवधि के लिए कुल ₹ 1,27,000 करोड़ का फंड तय किया गया था। इसके मुकाबले, असल में ₹ 1,10,720.56 करोड़ आवंटित किए गए, जिसमें सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से ₹ 80,000 करोड़, केंदीय सड़क कोष (सीआरएफ) से ₹ 20,000 करोड़ और रेलवे के अपने संसाधनों से ₹ 10,720.56 करोड़ शामिल थे।

चित्र 4.1: राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का वित्तीय विवरण

(2017-18 से 2024-25 तक)

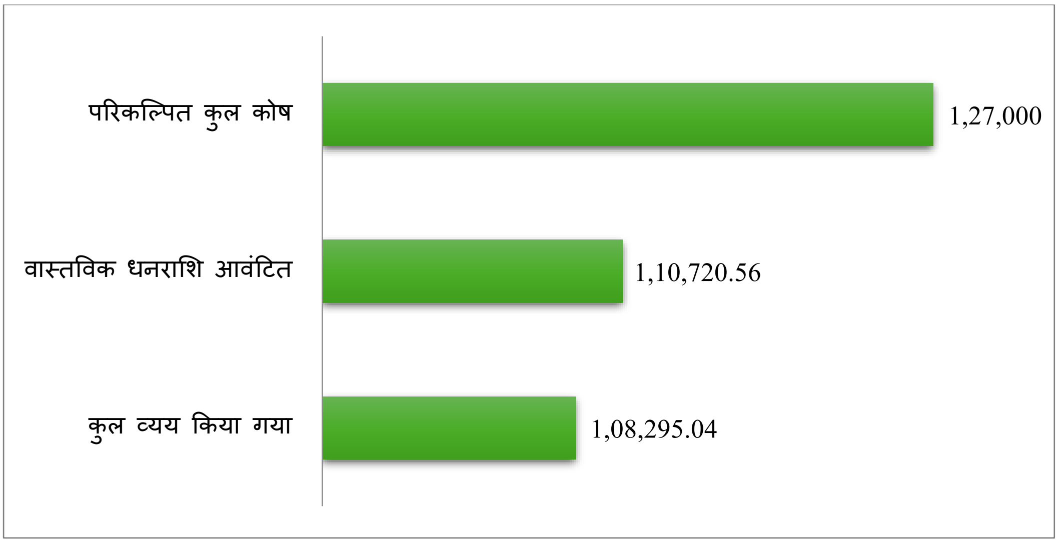

स्रोत: वर्ष 2017-18 से 2024-25 के लिए भारतीय रेलवे की वार्षिक रिपोर्ट और खाते

आवंटित किए गए फंड में से, संरक्षा से जुड़े कामों पर ₹ 1,08,295.04 करोड़ (97.81 प्रतिशत) खर्च किए गए हैं। 2024-25 के आखिर में जमा शेष (क्लोजिंग बैलेंस) ₹ 2,421.58 करोड़ है।

चित्र 4.2: अलग-अलग स्रोतों से राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लिए की गई फंडिंग

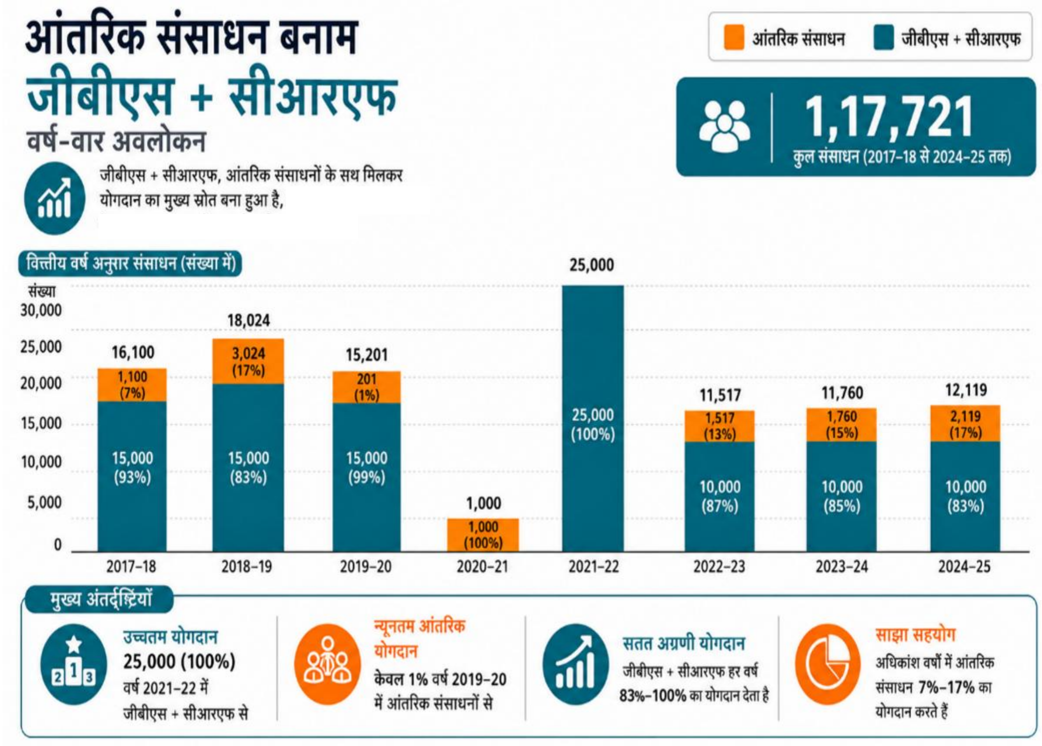

स्रोत: वर्ष 2017-18 से 2024-25 के लिए भारतीय रेलवे की वार्षिक रिपोर्ट और खाते

2017-18 से 2021-22 तक के शुरुआती पांच सालों में, ₹ 1,00,000 करोड़ के बजट के मुकाबले राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष को कुल ₹ 75,324.62 करोड़ आवंटित किए गए (जीबीएस/सीआरएफ फंडिंग से ₹ 70,000 करोड़ और आंतरिक संसाधनों के योगदान से ₹ 5,324.62 करोड़)। इस दौरान कुल खर्च ₹ 74,175.74 करोड़ हुआ।

दूसरे चरण (2022-23 से 2024-25) के दौरान, ₹ 27,000 करोड़ के अनुमानित जीबीएस योगदान के मुकाबले राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष को कुल ₹ 35,395.94 करोड़ आवंटित किए गए (जीबीएस से ₹ 30,000 करोड़ और आंतरिक संसाधनों से ₹ 5,395.94 करोड़)।

रेल मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष संरक्षा से जुड़े खर्चों के लिए फंडिंग के कई स्रोतों में से सिर्फ़ एक है और संरक्षा पर होने वाला कुल खर्च राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से होने वाले खर्च से कहीं ज़्यादा है।

यह माना जाता है कि संरक्षा पर खर्च कई स्रोतों से किया जाता है। लेखापरीक्षा की बात विशिष्ट रूप से सरकार द्वारा मंज़ूर किए गए तय कॉर्पस और फंडिंग के तरीके वाले समर्पित संरक्षा कोष राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लागू होने से जुड़ी है। उठाया गया मुद्दा यह है कि आंतरिक संसाधनों से अपर्याप्त योगदान के कारण अनुमानित कॉर्पस हासिल नहीं हो पाया। फंडिंग के दूसरे स्रोतों से किया गया खर्च राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लिए तय फंडिंग के ढांचे में आई कमी को पूरा नहीं करता है।

4.9.1.1 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत आंतरिक संसाधन योगदान में उल्लेखनीय कमी: बजट बनाम वास्तविक

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष को 2017-18 के सालाना बजट में पाँच साल के लिए ₹ 1,00,000 करोड़ के फंड (कॉर्पस) के साथ बनाया गया था। इसके लिए हर साल ₹ 20,000 करोड़ की फंडिंग दी जानी थी, जिसमें भारतीय रेलवे के अपने संसाधनों से ₹ 5,000 करोड़ भी शामिल थे। नीति आयोग की सिफारिश पर, सरकार 2021-22 के बाद राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की अवधि को और पाँच साल के लिए बढ़ाने पर सहमत हुई, जिसमें जीबीएस से कुल ₹ 45,000 करोड़ का योगदान शामिल था।

अलग-अलग स्रोतों से फंड का असल प्रावधान और खर्च नीचे दिए गए हैं:

तालिका 4.1: राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से फंडिंग के स्रोतों और खर्च की साल-दर-साल स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक प्रावधान				व्यय
	जीबीएस	सीआरएफ	आंतरिक संसाधन	कुल	
2017-2018	5,000	10,000	1,100.00	16,100.00	16,090.74
2018-2019	15,000	0.00	3,023.86	18,023.86	18,015.33
2019-2020	15,000	0.00	200.76	15,200.76	15,023.88
2020-2021*	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	314.25
2021-2022	15,000	10000	0.00	25,000.00	24,731.54
पहला चरण - कुल	**50,000**	**20,000**	**5,324.62**	**75,324.62**	**74,175.74**

वर्ष	वास्तविक प्रावधान				व्यय
	जीबीएस	सीआरएफ	आंतरिक संसाधन	कुल	
2022-2023	10,000	0.00	1,517.38	11,517.38	11,797.42
2023-2024	10,000	0.00	1,759.68	11,759.68	11,322.17
2024-2025	10,000	0.00	2,118.88	12,118.88	10,999.71
चरण II - कुल	**30,000**	0.00	**5,395.94**	**35,395.94**	**34,119.30**
कुल योग (2017-18 से 2024-25)	**80,000**	**20,000**	**10,720.56**	**1,10,720.56**	**1,08,295.04**

****: वर्ष 2020-21 के लिए ₹ (-) 3.94 करोड़ का टीडब्ल्यूएफए***

स्रोत: वर्ष 2017-18 से 2024-25 के लिए भारतीय रेलवे की वार्षिक रिपोर्ट और खाते

ऊपर दी गई तालिका से साफ़ है कि शुरुआती पाँच सालों में भारतीय रेलवे के आंतरिक संसाधन से मिलने वाली फ़ंडिंग ₹ 5,324.62 करोड़ थी। यह उस ₹ 25,000 करोड़ का सिर्फ़ 21.30 प्रतिशत था, जिसे रेलवे को हर साल ₹ 5,000 करोड़ की एक समान दर से अपने आंतरिक संसाधन से देना था। आंतरिक संसाधन से मैचिंग हिस्से में कमी के कारण, शुरुआती पाँच सालों में ₹ 1,00,000 करोड़ का टारगेटेड कॉर्पस हासिल नहीं किया जा सका।

तालिका 4.2: पहले चरण (2017-18 से 2021-22) के दौरान आंतरिक संसाधनों से फंड के लिए बजट और वास्तविक व्यवस्था की तुलना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल (पहला चरण)
आंतरिक संसाधन (बजट)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	**25,000.00**
आंतरिक संसाधन (वास्तविक)	1,100.00	3,023.86	200.76	1,000.00	0.00	**5,324.62**

स्रोत: रेलवे बोर्ड का डेटा

चित्र 4.3: पहले चरण के दौरान आंतरिक संसाधन फंडिंग में अंतर

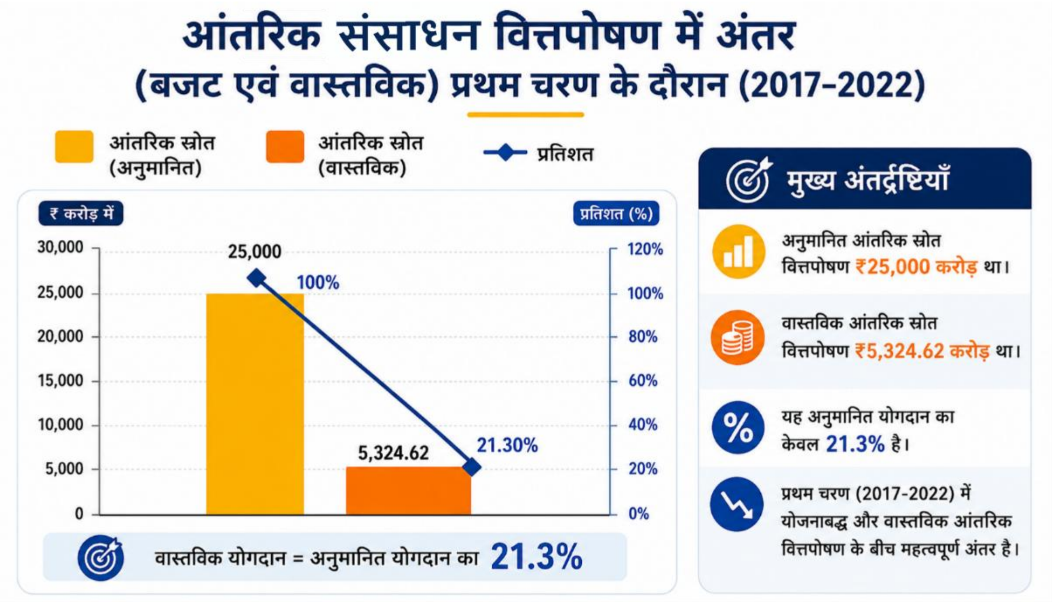

स्रोत: रेलवे बोर्ड का डेटा

रेलवे पर बनी स्थाई समिति (14वीं रिपोर्ट, 2022-23) ने रेल मंत्रालय को सलाह दी थी कि वह राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लिए तय फ़ंडिंग को अपने आंतरिक संसाधनों से जुटाने की पूरी कोशिश करे। हालाँकि, ऊपर दी गई तालिका और ग्राफ़ से साफ़ पता चलता है कि 2017-18 से 2021-22 के दौरान असल योगदान, वित्त मंत्रालय के अनुमानित योगदान से काफ़ी कम था।

रेल मंत्रालय ने बताया है कि यह कमी 7वें सीपीसी को लागू करने, कोविड-19, कर्मचारी लागत बढ़ने और आंतरिक संसाधनों से कम फ़ंड जुटने की वजह से हुई।

भले ही इन कारणों ने आंतरिक संसाधनों से फ़ंड जुटाने पर असर डाला हो, लेकिन राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के पहले चरण में अनुमानित ₹ 25,000 करोड़ के मुकाबले सिर्फ़ ₹ 5,324.62 करोड़ (21.30 प्रतिशत) का योगदान ही मिल पाया। नतीजतन, ₹ 1 लाख करोड़ का अनुमानित कॉर्पस नहीं जुटाया जा सका। रेलवे पर बनी स्थाई समिति ने यह भी सलाह दी थी कि मंत्रालय को आंतरिक संसाधनों से तय योगदान पक्का करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए।

4.9.1.2 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का भौतिक विवरण

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से कुल 22,350 कामों के लिए पूरी फंडिंग की गई, जिनमें से 14,016 (62.71 प्रतिशत) काम पूरे हो चुके हैं, जबकि 8,334 (37.29 प्रतिशत)

काम अभी भी चल रहे हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के ज़रिए 28,340 कामों के लिए आंशिक फंडिंग की गई, जिनमें से 16,370 (57.76 प्रतिशत) काम पूरे हो चुके हैं और 11,970 (42.24 प्रतिशत) काम अभी भी चल रहे हैं।

चित्र 4.4: राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से पूरी तरह/आंशिक रूप से वित्तपोषित कार्यों की स्थिति

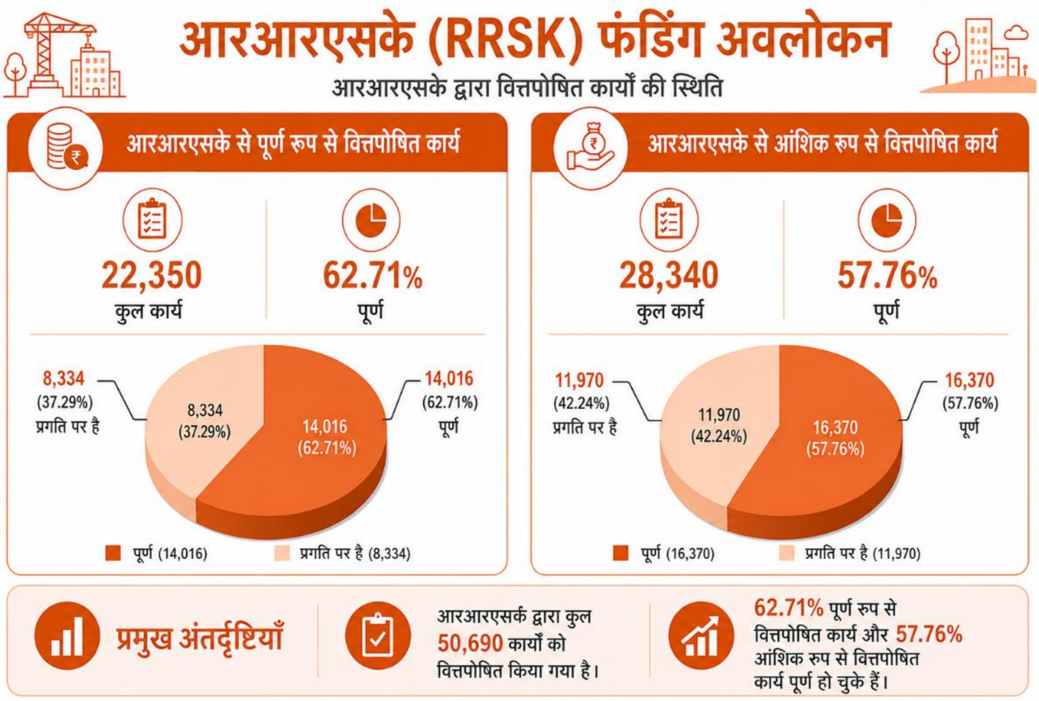

स्रोत: भारतीय रेलवे परियोजना संस्वीकृति एवं प्रबंधन (आईआरपीएसएम)

संरक्षा से जुड़े 20,304 कामों के पूरे न होने से पता चलता है कि रेलवे संचालन संरक्षा जोखिमों के दायरे में हैं और संरक्षा के तय लक्ष्यों को पाने में देरी हो रही है। काम का इतना बड़ा बकाया रेलवे प्रशासन की योजना बनाना और उसे लागू करने में कमियों को भी दिखाता है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है।

4.9.2 बजट विश्लेषण

4.9.2.1 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत 'गैर-प्राथमिकता' वाले कार्यों के लिए फंड का आवंटन

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के संचालन पर जुलाई 2017 की वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, नीचे दिखाए गए विभिन्न योजना शीर्ष (प्लान हेड) (पीएच)

के तहत संरक्षा संबंधी जोखिमों/कमज़ोरियों को ध्यान में रखते हुए संरक्षा कार्यों को प्राथमिकता दी जानी थी:

चित्र 4.5: प्राथमिकता के सिद्धांतों के अनुसार योजना शीर्ष

प्राथमिकता I	• पीएच 16: यातायात सुविधाएँ • पीएच 29: सड़क सुरक्षा कार्य- लेवल क्रॉसिंग • पीएच 30: सड़क सुरक्षा कार्य- रोड ओवर/अंडर ब्रिज • पीएच 31: पटरी नवीनीकरण • पीएच 32: पुल/संरचनाएँ
प्राथमिकता II	• पीएच 21: रोलिंग स्टॉक • पीएच 36: अन्य विद्युत कार्य जिसमें टीआरडी कार्य शामिल हैं • पीएच 41: मशीनरी एवं संयंत्र • पीएच 42: उत्पादन इकाइयों सहित कार्यशालाएँ
प्राथमिकता III	• पीएच 33: सिग्नलिंग एवं दूरसंचार • पीएच 65: प्रशिक्षण/एचआरडी

स्रोत: जुलाई 2017 की वित्त मंत्रालय दिशानिर्देशों

प्राथमिकता के सिद्धांत के अनुसार 2024-25 के दौरान आवंटित फंड का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.3: 2024-25 के दौरान विभिन्न योजना मदों के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत फंड का कुल आवंटन

(₹ करोड़ में)

प्राथमिकता वाला क्षेत्र	योजना शीर्ष	ज़ोनल रेलवे को कुल भुगतान
प्राथमिकता I सिविल इंजीनियरिंग	पीएच-16 (ट्रैफ़िक सुविधाएँ)	762.00
	पीएच-29 (सड़क संरक्षा कार्य - लेवल क्रॉसिंग)	0.00
	पीएच-30 (रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज)	1,660.59
	पीएच-31 (ट्रैक नवीनीकरण)	2,669.05
	पीएच-32 (पुल निर्माण कार्य)	2,025.00
	कुल	**7,116.64**
प्राथमिकता II इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल	पीएच-21 (रोलिंग स्टॉक)	1,040.56
	पीएच-36 (ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कार्यों सहित अन्य इलेक्ट्रिकल कार्य)	781.10
	पीएच-41 (मशीनरी और प्लांट)	81.10

प्राथमिकता वाला क्षेत्र	योजना शीर्ष	ज़ोनल रेलवे को कुल भुगतान
	पीएच-42 (प्रोडक्शन यूनिट्स सहित वर्कशॉप)	240.61
	कुल	**2,143.37**
प्राथमिकता III	पीएच-33 (सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन)	2,569.87
	पीएच-65 (ट्रेनिंग/एचआरडी)	146.96
	कुल	**2,716.83**
गैर-प्राथमिकता वाले काम	पीएच-18 (रेलवे अनुसंधान)	9.00
	पीएच-53 (ग्राहक सुविधाएँ)	549.14
	पीएच-64 (अन्य निर्दिष्ट कार्य)	265.00
	कुल	**823.14**
राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लिए कुल सकल आवंटन		**12,799.98**

स्रोत: रेलवे बोर्ड का डेटा

चित्र 4.6: 2024-25 के दौरान प्राथमिकता के सिद्धांतों के अनुसार फंड का आवंटन

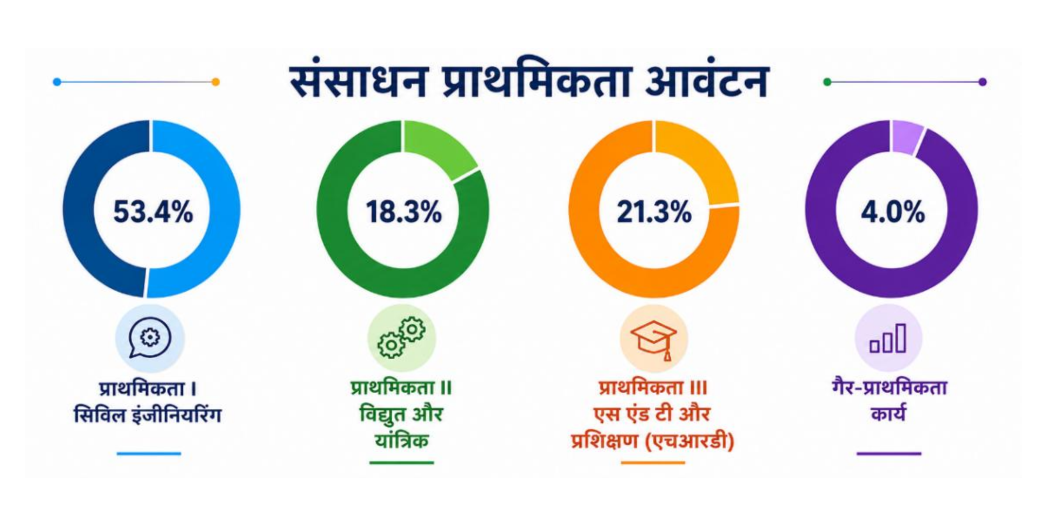

स्रोत: रेलवे बोर्ड का डेटा

ऊपर दी गई जानकारी से यह साफ़ है कि वित्त मंत्रालय द्वारा तय प्राथमिकता के नियमों के उलट, 'गैर-प्राथमिकता वाले कामों' के लिए ₹ 823.14 करोड़ आवंटित किए गए, जो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत कुल आवंटन का 6.43 प्रतिशत था।

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का मुख्य उद्देश्य उन परियोजनाओं को फंड देना है जिनका सीधा असर ट्रेनों के सुरक्षित संचालन, यात्रियों की संरक्षा और ट्रेन दुर्घटनाओं/पटरी से उतरने की घटनाओं को कम करने पर पड़ता है। गैर-प्राथमिकता वाले कामों के लिए ₹ 823.14 करोड़ आवंटित करने से राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के उद्देश्य पर असर पड़ा और संरक्षा से जुड़े कामों के लिए फंड की उपलब्धता कम हो गई।

रेल मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश[45] किसी भी काम को 'गैर-प्राथमिकता' वाला नहीं बताती हैं और रेलवे अतिरिक्त संरक्षा के कार्य शामिल कर सकता है।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के प्राथमिकता-आधारित उपयोग के बारे में साफ़ निर्देश हैं और यह भी कहा गया है कि किसी भी अतिरिक्त कार्यों को राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष अनुमोदन समिति से मंज़ूरी मिलनी चाहिए। रेल मंत्रालय ने ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं दिया है जिससे पता चले कि ग्राहक सुविधाओं, रेलवे अनुसंधान और अन्य विशिष्ट कामों जैसे योजना शीर्ष के तहत खर्च को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष समिति की मंज़ूरी ली गई थी। इसलिए, इन योजना शीर्ष के लिए ₹ 823.14 करोड़ का आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा तय प्राथमिकता के नियमों के अनुरूप नहीं है।

4.9.2.2 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण

कैपिटल, डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड, डेवलपमेंट फंड, रेलवे सेफ्टी फंड, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष और कैपिटल फंड से जुड़े कामों पर होने वाले खर्च के लिए, रेलवे बोर्ड हर अनुदान के तहत रेलवे प्रशासन को अलग-अलग फंड आवंटित करता है।

भारतीय रेलवे वित्त संहिता (भाग I) के पैरा 504 के अनुसार, रेलवे प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह अपने पास मौजूद फंड पर बजट नियंत्रण रखे ताकि यह पक्का किया जा सके कि खर्च उन्हीं कामों के लिए और उन्हीं सीमाओं के भीतर किया जाए, जिन्हें संसद ने मंज़ूरी दी है।

---

[45] *रेलवे द्वारा आंकी गई नई जोखिमों/कमज़ोरियों के आधार पर, आरआरएसके मंज़ूरी समिति के विचारार्थ रेलवे द्वारा सूची में काम की अतिरिक्त मदें जोड़ने का प्रस्ताव दिया जा सकता है।*

लेखापरीक्षा ने 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के उपयोग की जांच की और ये बातें पाईं:

(i) बिना बजट अनुदान के किया गया खर्च

एनएफआर और एसडब्ल्यूआर में योजना शीर्ष (पीएच) 29 - सड़क संरक्षा के काम-लेवल क्रॉसिंग के तहत न तो कोई मांग थी और न ही कोई बजट आवंटन। फिर भी, इन दो ज़ोन ने पीएच-29 के तहत क्रमशः ₹ 0.20 करोड़ और ₹ 0.47 करोड़ का खर्च दिखाया।

(ii) बजट अनुदान का कम उपयोग

लेखापरीक्षा ने अलग-अलग ज़ोन के लिए बजट अनुदान में दिए गए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के उपयोग का विश्लेषण किया और पाया कि नीचे दी गई तालिका में बताए गए योजना शीर्ष के तहत फंड का पूरा उपयोग नहीं हुआ:

तालिका 4.4: 2024-25 के दौरान योजना शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुदान का कम उपयोग

क्रम संख्या	ज़ोन	योजना शीर्ष	बजट अनुदान का कम उपयोग (₹ करोड़ में)
1	ईसीओआर, ईसीआर, ईआर, एनसीआर, एनईआर, एनआर, एससीआर, एसईसीआर, एसईआर, एसआर, डब्ल्यूसीआर, डब्ल्यूआर	पीएच 16 - ट्रैफ़िक सुविधाएँ	462.83
2	सीआर, ईसीओआर, एनएफआर, एसईसीआर, एसआर, डब्ल्यूसीआर, डब्ल्यूआर	पीएच 30 - सड़क संरक्षा कार्य (आरओबी/आरयूबी)	239.21
3	ईसीओआर, एनईआर, एसईआर	पीएच 31 - ट्रैक नवीनीकरण	134.78
4	ईसीओआर, ईसीआर, ईआर, एनसीआर, एनडब्ल्यूआर, एससीआर, एसईआर, डब्ल्यूसीआर	पीएच 32 - पुल, सुरंग और एप्रोच से जुड़े कार्य	283.57
5	ईसीओआर, ईसीआर, एनआर, एनडब्ल्यूआर, एससीआर, एसईसीआर, एसआर	पीएच 33 - सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन कार्य	253.23

क्रम संख्या	ज़ोन	योजना शीर्ष	बजट अनुदान का कम उपयोग (₹ करोड़ में)
6	ईसीओआर, ईसीआर, एनएफआर, एनआर, एससीआर, एसआर, एसडब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर	पीएच 36 - अन्य इलेक्ट्रिकल कार्य (टीआरडी कार्यों सहित)	179.40
7	सीआर, ईसीओआर, एनसीआर, एनएफआर, एनआर, एनडब्ल्यूआर, एससीआर, एसडब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर	पीएच 41 - मशीनरी और प्लांट	47.52
8	ईसीओआर, ईसीआर, एनसीआर, एनईआर, एनआर, एसईसीआर, एसआर, एसडब्ल्यूआर	पीएच 42 - वर्कशॉप (प्रोडक्शन यूनिट्स सहित)	49.53
9	सीआर, ईसीओआर, ईसीआर, ईआर, एनसीआर, एनईआर, एनएफआर, एनआर, एनडब्ल्यूआर, एससीआर, एसआर, एसडब्ल्यूआर, डब्ल्यूआर	पीएच 53 - ग्राहकों के लिए सुविधाएँ	644.77
10	ईसीआर, एनएफआर, एनआर, एनडब्ल्यूआर, एससीआर, एसईआर	पीएच 64 - अन्य निर्दिष्ट कार्य	41.25
11	सीआर, ईसीओआर, ईसीआर, ईआर, एनसीआर, एनईआर, एनएफआर, एनआर, एनडब्ल्यूआर, एससीआर, एसईसीआर, एसईआर, एसआर, एसडब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर, डब्ल्यूआर	पीएच 65 - प्रशिक्षण/एचआरडी	139.83
		कुल	**2,475.92**

स्रोत: आईपीएएस में कैपिटल एलोकेशन रजिस्टर की बजट रिपोर्ट

इस तरह, ₹ 6,174.80 करोड़ के बजट अनुदान के मुकाबले ₹ 2,475.92 करोड़ (40 *प्रतिशत*) का कम उपयोग हुआ। तीन ज़ोन (एनएफआर-56.39 *प्रतिशत*, एसडब्ल्यूआर-74.42 *प्रतिशत*, डब्ल्यूसीआर-50.25 *प्रतिशत*) में कम उपयोग 50 *प्रतिशत* से ज़्यादा था। संसद द्वारा मंज़ूर किए गए बजट अनुदान का कम उपयोग बजट बनाने में योजना बनाना की कमी को दिखाता है।

(अनुलग्नक 4.1)

(iii) ज़रूरत से ज़्यादा फ़ंड की मांग

ऊपर (ii) में बताए गए बजट अनुदान के कम उपयोग के मामलों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि नीचे दिए गए ज़ोन में बजट अनुदान से ज़्यादा फ़ंड की मांग की गई थी और खर्च, आवंटन से बहुत कम हुआ; नतीजतन, फ़ंड का कम उपयोग हुआ, जो अवास्तविक बजटिंग और उपलब्ध फ़ंड के अक्षम उपयोग को दिखाता है।

तालिका 4.5: आवश्यकता से अधिक धनराशि की मांग

क्रम संख्या	ज़ोन	योजना शीर्ष	बजट अनुदान का कम उपयोग (₹ करोड़ में)
1	ईसीआर, एसईआर	पीएच 16- ट्रैफ़िक सुविधाएँ	170.70
2	ईसीओआर, एसईसीआर, एसआर, डब्ल्यूसीआर डब्ल्यूआर	पीएच 30- सड़क संरक्षा कार्य (आरओबी/आरयूबी)	181.23
3	ईसीआर, ईआर, एनसीआर, एनडब्ल्यूआर, एसईआर	पीएच 32- पुल, सुरंग और अप्रोच (पहुँच मार्ग) के काम	137.88
4	ईसीओआर, ईसीआर, एनआर, एनडब्ल्यूआर, एससीआर	पीएच 33- सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के काम	164.30
5	ईसीओआर, ईसीआर, एनएफआर, एससीआर, एसडब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर	पीएच 36- टीआरडी कार्यों सहित अन्य इलेक्ट्रिकल काम	108.29
6	ईसीओआर, एनएफआर, एससीआर, एसडब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर	पीएच 41- मशीनरी और प्लांट	10.33
7	ईसीआर, एनईआर, एनआर, एसआर, एसडब्ल्यूआर	पीएच 42- प्रोडक्शन यूनिट सहित वर्कशॉप	33.78
8	ईसीआर, एनआर, एनडब्ल्यूआर, एसईआर	पीएच 64- अन्य निर्दिष्ट कार्य	27.71
9	ईसीओआर, डब्ल्यूआर	पीएच 65- ट्रेनिंग/एचआरडी	28.50
		कुल	**862.71**

***स्रोत:** आईपीएएस में कैपिटल एलोकेशन रजिस्टर की बजट रिपोर्ट*

(iv) बजट अनुदान से अधिक व्यय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित योजना शीर्षों में बजट अनुदान से अधिक खर्च हुआ:

तालिका 4.6: 2024-25 के दौरान बजट अनुदान से अधिक खर्च

क्रम संख्या	ज़ोन	योजना शीर्ष	बजट अनुदान से अधिक खर्च (₹ करोड़ में)
1	सीआर, एनएफआर, एनडब्ल्यूआर, एसडब्ल्यूआर	पीएच 16 - ट्रैफ़िक सुविधाएँ	70.86
2	एनसीआर, एनईआर, एनआर, एनडब्ल्यूआर, एसईआर, एसडब्ल्यूआर	पीएच 30 - सड़क संरक्षा कार्य (आरओबी/आरयूबी)	293.48
3	सीआर, ईसीआर, ईआर, एनसीआर, एनएफआर, एनआर, एनडब्ल्यूआर, एसईसीआर, एसआर, एसडब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर, डब्ल्यूआर	पीएच 31 - ट्रैक नवीनीकरण	1,127.23
4	सीआर, एनईआर, एनएफआर, एसईसीआर, एसआर, एसडब्ल्यूआर, डब्ल्यूआर	पीएच 32 - पुल के काम, सुरंग के काम और एप्रोच रोड	355.38
5	सीआर, ईआर, एनसीआर, एनईआर	पीएच 33 - सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के काम	269.50
6	ईआर, एनईआर, एसईआर, डब्ल्यूआर	पीएच 36 - अन्य इलेक्ट्रिकल काम (टीआरडी कार्यों सहित)	101.06
7	ईसीआर, एनईआर, एसईसीआर, डब्ल्यूआर	पीएच 41 - मशीनरी और प्लांट	3.19
8	सीआर, ईआर, एनएफआर, डब्ल्यूसीआर	पीएच 42 - वर्कशॉप (प्रोडक्शन यूनिट्स सहित)	28.02
9	एसईसीआर, एसईआर	पीएच 53 - ग्राहकों के लिए सुविधाएँ	32.86
10	सीआर, ईसीओआर, ईआर, एनसीआर, एसईसीआर, एसडब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर	पीएच 64 - अन्य निर्दिष्ट कार्य	42.14
		कुल	**2,323.72**

स्रोत: आईपीएएस में कैपिटल एलोकेशन रजिस्टर की बजट रिपोर्ट

इस तरह, ज़ोन ने ₹ 3,818.75 करोड़ के बजट अनुदान से ₹ 2,323.72 करोड़ (61 प्रतिशत) ज़्यादा खर्च किया। नौ ज़ोन में बजट अनुदान से काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ (सीआर-51.31 प्रतिशत, ईसीआर-136.72 प्रतिशत, ईआर-59.72 प्रतिशत, एनएफआर-59.04 प्रतिशत, एसईसीआर-78.91 प्रतिशत, एसआर-93.05 प्रतिशत,

एसडब्ल्यूआर-157.10 प्रतिशत, डब्ल्यूसीआर-51 प्रतिशत, डब्ल्यूआर-74.32 प्रतिशत)। संसद द्वारा मंज़ूर बजट अनुदान से ज़्यादा खर्च होना दोषपूर्ण बजट को दिखाता है।

(अनुलग्नक 4.2)

(v) मांग से अधिक खर्च

ऊपर (iv) में बताए गए बजट अनुदान से अधिक खर्च के मामलों में, निम्नलिखित ज़ोन ने बजट आवंटन और अपनी मांग, दोनों से ज़्यादा खर्च किया।

तालिका 4.7: मांगी गई धनराशि से अधिक व्यय

क्रम संख्या	ज़ोन	योजना शीर्ष	बजट अनुदान से अधिक खर्च (₹ करोड़ में)
1	एसईआर	पीएच 30-सड़क संरक्षा कार्य (आरओबी/आरयूबी)	7.60
2	सीआर, एनसीआर, एनडब्ल्यूआर	पीएच 31-ट्रैक नवीनीकरण	75.84
3	सीआर, एसईसीआर, एसडब्ल्यूआर	पीएच 32-पुल, सुरंग और एप्रोच से जुड़े कार्य	179.74
4	सीआर, एनईआर	पीएच 33-सिग्नल और दूरसंचार कार्य	123.84
5	एसईआर	पीएच 36-टीआरडी कार्यों सहित अन्य विद्युत कार्य	10.73
6	एनईआर, एसईसीआर, डब्ल्यूआर	पीएच 41-मशीनरी और प्लांट	2.14
7	डब्ल्यूसीआर	पीएच 42-वर्कशॉप (उत्पादन इकाई सहित)	2.86
8	एसईसीआर, एसईआर	पीएच 53-ग्राहक सुविधाएँ	32.86
9	एसईसीआर	पीएच 64-अन्य निर्दिष्ट कार्य	0.91
		कुल	**436.52**

स्रोत: आईपीएएस में कैपिटल एलोकेशन रजिस्टर की बजट रिपोर्ट

(अनुलग्नक 4.3)

चित्र 4.7: राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के दोषपूर्ण बजटीय नियंत्रण के मामले

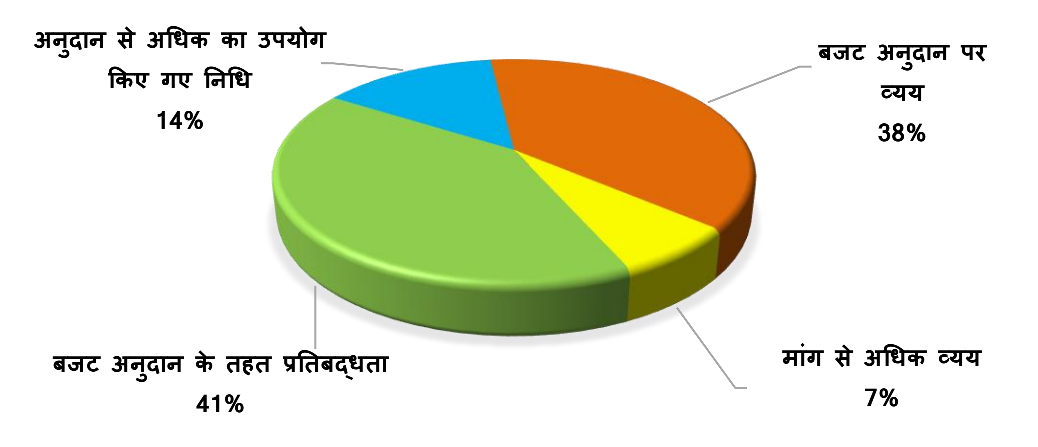

स्रोत: आईपीएएस में कैपिटल एलोकेशन रजिस्टर की बजट रिपोर्ट

हर ज़ोनल रेलवे एक साल के दौरान होने वाले संभावित खर्च का बजट अनुमान तैयार करती है और उसे पहले ही रेलवे बोर्ड को सौंप देती है। इन अनुमानों के आधार पर, रेलवे बोर्ड अनुदान की मांग तैयार करता है और मंज़ूरी के लिए संसद में पेश करता है। इसलिए बजट एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि यह खर्च को मंज़ूरी देता है और सार्वजनिक धन की सही योजना, आवंटन और नियंत्रण सुनिश्चित करता है। ज़ोनल रेलवे प्रशासन द्वारा बजट अनुमान तैयार करने के बावजूद, बजट बनाने में गड़बड़ी के ये मामले सामने आए:

1- बिना बजट अनुदान के खर्च करना

2- बजट अनुदान का पूरा उपयोग न करना

3- ज़रूरत से ज़्यादा फंड की मांग करना

4- बजट अनुदान से ज़्यादा खर्च करना

5- मांग से ज़्यादा खर्च करना

ऊपर दिए गए मामले राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष पर अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण, बजट बनाने में गड़बड़ी और कमज़ोर वित्तीय अनुशासन को दर्शाते हैं। इस तरह की अनियमितताएँ सार्वजनिक धन पर संसदीय नियंत्रण को कमज़ोर करती हैं और एक समर्पित संरक्षा फंड के तौर पर राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की प्रभावशीलता को कम करती हैं।

4.9.3 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का उपयोग

4.9.3.1 'गैर-प्राथमिकता' वाले कार्यों पर ₹ 3,397.60 करोड़ का अनियमित राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष खर्च

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष को चलाने के लिए वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों में यह बताया गया था कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष मंज़ूरी समिति[46] को काम की उन अतिरिक्त चीज़ों को मंज़ूरी देनी चाहिए जिन्हें रेलवे ने लिस्ट में जोड़ने का प्रस्ताव दिया हो। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का उपयोग चार योजना शीर्ष (पीएच 17, 18, 51 और 64) में किया गया, जबकि ये वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों या भारतीय रेलवे वित्त संहिता (भाग I) में शामिल नहीं थे।

इसके अलावा, भारतीय रेलवे वित्त संहिता (भाग I) के अनुसार, रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से फ़ंडिंग के लिए योजना शीर्ष 53 (ग्राहक सुविधाएँ) को शामिल किया। हालाँकि, ऐसा कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह पता चले कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष मंज़ूरी समिति ने इसे शामिल करने की मंज़ूरी दी थी।

2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के उपयोग की जानकारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

तालिका 4.8: प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का उपयोग

(₹ करोड़ में)

फ़ंड	प्राथमिकता वाला ज़ोन	प्राथमिकता	योजना शीर्ष	वास्तविक व्यय (शुद्ध)		
				2022-23	2023-24	2024-25
राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष	सिविल अभियंत्रण	I	16	591.30	715.91	649.89
			29	0.15	1.84	0.67
			30	1,498.86	1,671.31	1,704.86
			31	2,390.66	431.30	1,351.03
			32	1,033.72	1,882.05	2,045.82
		कुल		**5,514.69**	**4,702.41**	**5,752.27**

[46] *रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की अंतर-विभागीय समिति, जो आरआरएसके के तहत फंड किए जाने वाले कामों की जांच और उन्हें मंज़ूरी देती है।*

फ़ंड	प्राथमिकता वाला ज़ोन	प्राथमिकता	योजना शीर्ष	वास्तविक व्यय (शुद्ध)		
				2022-23	2023-24	2024-25
	यांत्रिक एवं विद्युत	II	21	1,543.55	1,937.87	775.34
			36	537.99	712.93	695.77
			41	194.77	147.23	80.52
			42	317.07	344.67	218.64
		कुल		**2,593.38**	**3,142.70**	**1,770.27**
	संकेत एवं दूरसंचार और मानव संसाधन विकास	III	33	2,194.10	2,274.10	2,523.85
			65	78.45	58.12	117.35
		कुल		**2,272.55**	**2,332.22**	**2,641.20**
	अन्य	प्राथमिकता I, II और III के अलावा	17	0	0	0.01
			18	0	0	0.80
			51	0	0.01	0
			53	1,092.12	831.76	574.55
			64	324.67	313.08	260.60
		कुल		**1,416.79**	**1,144.85**	**835.96**
		कुल योग		**11,797.41**	**11,322.18**	**10,999.70**
'प्राथमिकता वाले कार्यों के अलावा' अन्य कार्यों का प्रतिशत				**12.01**	**10.11**	**7.60**

स्रोत: 2022-23 से 2024-25 के लिए भा.रे. का कैपिटल शेड्यूल

चित्र 4.8: खर्च को प्राथमिकता देना

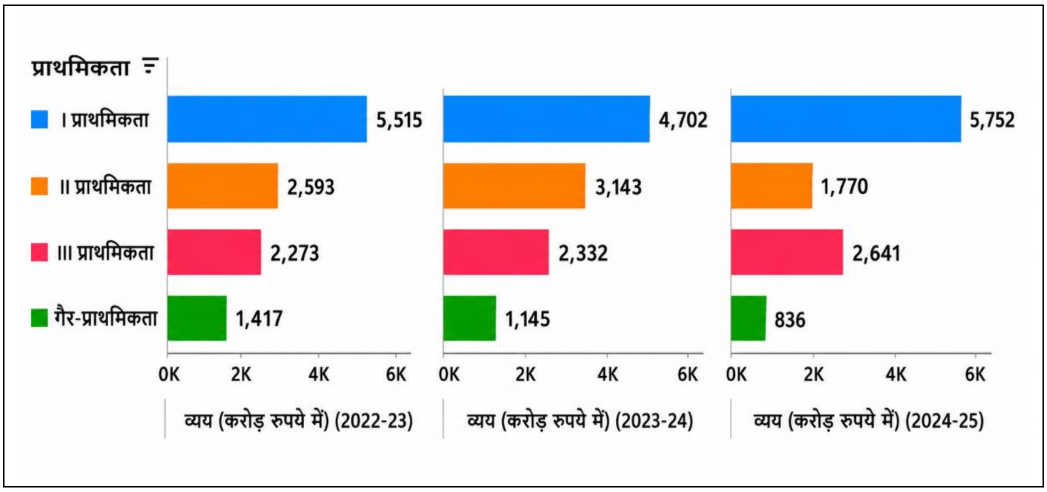

स्रोत: रेलवे बोर्ड का डेटा

जैसा कि ऊपर बताया गया है, रेलवे प्रशासन ने 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान गैर-प्राथमिकता वाले कामों पर क्रमशः ₹ 1,416.79 करोड़, ₹ 1,144.85 करोड़ और ₹ 835.96 करोड़ खर्च किए। इसके अलावा, यह देखा गया है कि गैर-प्राथमिकता वाले कामों (पीएच 17-कंप्यूटराइजेशन, पीएच 18-रेलवे अनुसंधान, पीएच 51-स्टाफ वेलफेयर, पीएच 53-कस्टमर एमेनिटीज़, पीएच 64-अन्य निर्दिष्ट कार्य) के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का उपयोग उस अवधि के दौरान कुल उपयोग किए गए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का 7 प्रतिशत से 12 प्रतिशत था।

इस प्रकार, 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान ₹ 3,397.60 करोड़ का राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष संरक्षा कार्यों को प्राथमिकता दिए बिना अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया गया, जो संरक्षा के लिए समर्पित फंड को उसके मुख्य उद्देश्यों से हटाने का संकेत देता है। फंड का इस तरह का उपयोग, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष प्राथमिकता ढांचे के विपरीत है, जिससे महत्वपूर्ण संरक्षा कार्यों के लिए संसाधनों की उपलब्धता कम हो गई है और फंड का अपेक्षित प्रभाव कम हो गया है।

रेल मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधाएं जैसे पैदल यात्रिओं के लिए पुल, हाई-लेवल प्लेटफॉर्म आदि संरक्षा से संबंधित कार्य हैं। लेखापरीक्षा मानता है कि यात्रियों की कुछ सुविधाएं अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षा में योगदान दे सकती हैं। हालाँकि, संरक्षा के लिए समर्पित फंड से खर्च वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित प्राथमिकताओं और प्रक्रियाओं के अनुरूप होना चाहिए। मंत्रालय ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से फंडिंग से पहले इन योजना शीर्ष को राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष अनुमोदन समिति द्वारा औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई थी। इसलिए ऐसे कार्यों पर ₹ 3,397.60 करोड़ का उपयोग अनियमित है।

4.9.3.2 अस्वीकार्य व्यय

ऊपर पैरा 4.9.3.1 में बताए गए अनुसार, 2024-25 के दौरान गैर-प्राथमिकता वाले कामों पर ₹ 835.96 करोड़ के खर्च के अलावा, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत गैर-संरक्षा वाली मदों पर ₹ 92.02 करोड़ खर्च किए गए।

चित्र 4.9: गैर-संरक्षा वाली मदों पर किया गया अमान्य खर्च (2024-25)

(₹ करोड़ में)

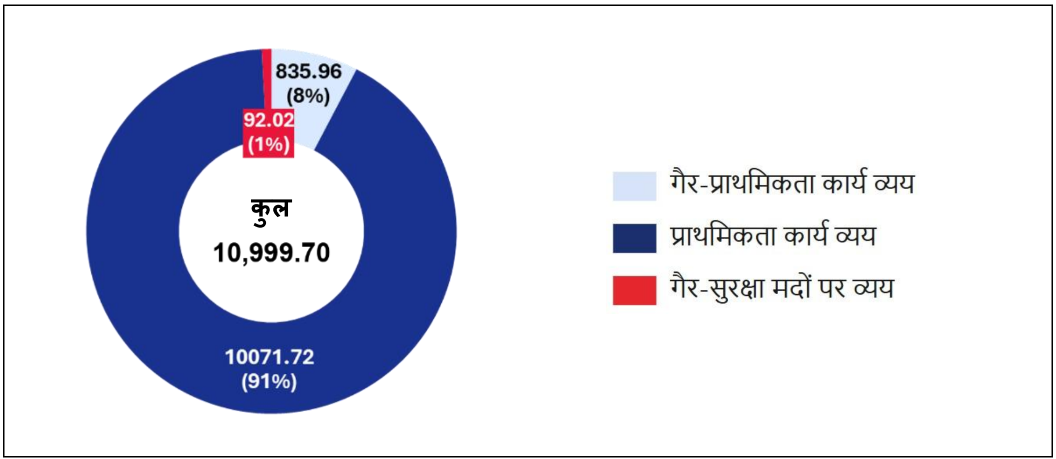

स्रोत: 2024-25 के लिए भारतीय रेलवे का कैपिटल शेड्यूल

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से गैर-संरक्षा वाली चीज़ों पर ₹ 92.02 करोड़ का खर्च यह दिखाता है कि फंड का उपयोग उसके मुख्य उद्देश्य यानी संरक्षा से हटकर किया गया। इससे ज़रूरी संरक्षा कामों के लिए संसाधन कम हो गए और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का उद्देश्य कमज़ोर पड़ गया। यह न सिर्फ़ नियमों के खिलाफ है बल्कि वित्त मंत्रालय की दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन है।

रेल मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि भारतीय रेलवे में ट्रेन के पटरी से उतरने की घटनाओं पर पहले हुए परफॉर्मेंस लेखापरीक्षा (रिपोर्ट नंबर 22, 2022) में भी ऐसा ही मुद्दा उठाया गया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाएँ, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, ड्यूटी गुमटी, माल ढुलाई के लिए लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी, स्टेशन पर बेहतर लाइटिंग और रनिंग रूम में सुविधाएँ (फिटनेस उपकरण सहित) जैसी चीज़ों पर किया गया खर्च मंज़ूर किए गए काम के अनुमानों का हिस्सा है और इससे परिचालन संरक्षा और क्रू की फिटनेस में मदद मिलती है।

मौजूदा लेखापरीक्षा अवलोकन सिर्फ़ इस बात पर है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत यह खर्च मंज़ूर है या नहीं; इसमें यह नहीं देखा गया है कि ये चीज़ें मंज़ूर किए गए अनुमानों का हिस्सा थीं या नहीं। मौजूदा लेखापरीक्षा अवलोकन खास तौर पर वित्त मंत्रालय की राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से जुड़ी दिशानिर्देशों के तहत खर्च की मंज़ूरी की जाँच करता है। इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, समर्पित संरक्षा

कोष का उपयोग सिर्फ़ उन ज़रूरी संरक्षा कामों के लिए किया जाना चाहिए जिनका ट्रेनों के सुरक्षित संचालन और दुर्घटनाओं को रोकने पर सीधा असर पड़ता हो।

(अनुलग्नक 4.4)

4.9.3.3 कॉस्ट शेयरिंग परियोजना पर राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का अनियमित खर्च

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष को चलाने के लिए जुलाई 2017 की वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों, रेलवे और राज्य सरकारों के बीच लागत-साझाकरण व्यवस्था के तहत किए जाने वाले कार्यों के लिए फंड का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि रेलवे को राज्यों का हिस्सा न मिल जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 ज़ोन[47] में रेलवे और राज्य अधिकारी आरओबी/आरयूबी के अपने-अपने हिस्से का काम करते हैं। रेलवे और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार, काम पूरा होने पर खर्च का समायोजन किया जाता था। बाकी पांच ज़ोन[48] में, राज्य सरकार का हिस्सा मिलने के बाद काम शुरू किए गए थे। हालाँकि, इन पांच ज़ोन में वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, संबंधित राज्य सरकार से ₹ 754.60 करोड़ का हिस्सा मिलने से पहले ही 33 लागत-साझाकरण परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का उपयोग किया गया था।

(अनुलग्नक 4.5)

4.9.3.4 डीआरएफ/डीएफ के बजाय राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल कार्यों के लिए फंडिंग

2017-18 में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के शुरू होने से पहले, बदलने और नवीनीकरण के सभी कामों का खर्च 'डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड' (डीआरएफ) से उठाया जाता था, जबकि संचालनल क्षमता को बेहतर बनाने और दूसरे अपग्रेडेशन और डेवलपमेंट के कामों का खर्च डेवलपमेंट फंड (डीएफ) से उठाया जाता था।

---

[47] *सीआर, ईसीओआर, एनसीआर, एनईआर, एनएफआर, एनआर, एससीआर, एसआर, एसईसीआर, डब्ल्यूसीआर, डब्ल्यूआर*

[48] *ईसीआर-2 काम, ईआर-5 काम, एनडब्ल्यूआर-5 काम, एसईआर-2 काम, एसडब्ल्यूआर-19 काम*

डीआरएफ बदलने और नवीनीकरण[49] की लागत उठाता है, जिसमें हटाने, संभालने और शिफ्ट करने वगैरह का खर्च भी शामिल है। डीएफ ग्राहकों की सुविधाओं, रेलवे का उपयोग करने वालों की दूसरी सुविधाओं, कर्मचारियों के कल्याण के कामों, कम मुनाफ़े वाले कामों और संरक्षा से जुड़े कामों[50] का खर्च उठाता है। ये दोनों फंड आंतरिक संसाधनों से बनाए जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने 2024-25 के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, डीआरएफ और डीएफ में खर्च की योजना शीर्ष के हिसाब से बुकिंग की जांच की और पाया कि बदलने और नवीनीकरण के कामों के लिए ₹ 2,583.36 करोड़ और सुधार के कामों के लिए ₹ 1,078.72 करोड़ का खर्च राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से किया गया। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के शुरू होने से पहले, इस तरह के कामों के लिए डीआरएफ और डीएफ से फंड मिलता था।

नीचे दी गई **तालिका 4.9** में 2024-25 के लिए योजना शीर्ष के हिसाब से खर्च का विश्लेषण यह दिखाता है कि जिन कामों के लिए पहले डीआरएफ और डीएफ से फंड मिलता था, उनके लिए अब ज़्यादातर राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से फंड मिल रहा है।

तालिका 4.9: 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, डीआरएफ और डीएफ के तहत दर्ज किया गया खर्च

(₹ करोड़ में)

योजना शीर्ष	राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष	डीआरएफ	डीएफ
पीएच 16 - ट्रैफ़िक सुविधाएँ	650.32	2.52	33.72
पीएच 17 - कंप्यूटरीकरण	0.01	50.11	38.23
पीएच 18 - रेलवे अनुसंधान	0.80	1.30	11.38
पीएच 21 - रोलिंग स्टॉक	994.18	284.43	2.69
पीएच 29 - सड़क संरक्षा कार्य - लेवल क्रॉसिंग	0.67	0	0
पीएच 30 - सड़क संरक्षा कार्य (आरओबी/आरयूबी)	1,705.16	0	0
पीएच 31 - ट्रैक नवीनीकरण	2,814.71	-1.26	0

[49] *भारतीय रेलवे वित्त संहिता, भाग I के पैरा 709 को पैरा 758 के साथ पढ़ें।*

[50] *भारतीय रेलवे वित्त संहिता, भाग I के पैरा 711*

योजना शीर्ष	राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष	डीआरएफ	डीएफ
पीएच 32 - पुल, सुरंग और एप्रोच से जुड़े कार्य	2,049.92	14.02	0
पीएच 33 - सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन कार्य	2,528.17	0	0
पीएच 36 - अन्य इलेक्ट्रिकल कार्य (टीआरडी कार्यों सहित)	732.56	34.45	11.44
पीएच 41 - मशीनरी और प्लांट	80.52	99.98	44.92
पीएच 42 - वर्कशॉप (प्रोडक्शन यूनिट्स सहित)	218.66	62.08	50.64
पीएच 51 - कर्मचारियों के लिए सुविधाएँ	0	212.48	100.28
पीएच 53 - ग्राहकों के लिए सुविधाएँ	574.71	24.23	85.37
पीएच 64 - अन्य निर्दिष्ट कार्य	260.60	68.70	51.91
पीएच 65 - प्रशिक्षण/एचआरडी	117.35	3.00	16.96
कुल	**12,728.34**	**856.04**	**447.54**
क्रेडिट	**1,728.63**	**315.37**	**0**
कुल	**10,999.71**	**540.67**	**447.54**

स्रोत: 2024-25 के लिए कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट का कैपिटल शेड्यूल 2

ऊपर दी गई तालिका से साफ़ है कि 2024-25 में ज़्यादातर कामों के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से फ़ंडिंग की गई, जिसमें कुल खर्च ₹ 10,999.71 करोड़ था, जबकि डीआरएफ से ₹ 540.67 करोड़ और डीएफ से ₹ 447.54 करोड़ खर्च किए गए।

चित्र 4.10: 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, डीआरएफ और डीएफ के तहत दर्ज किया गया खर्च

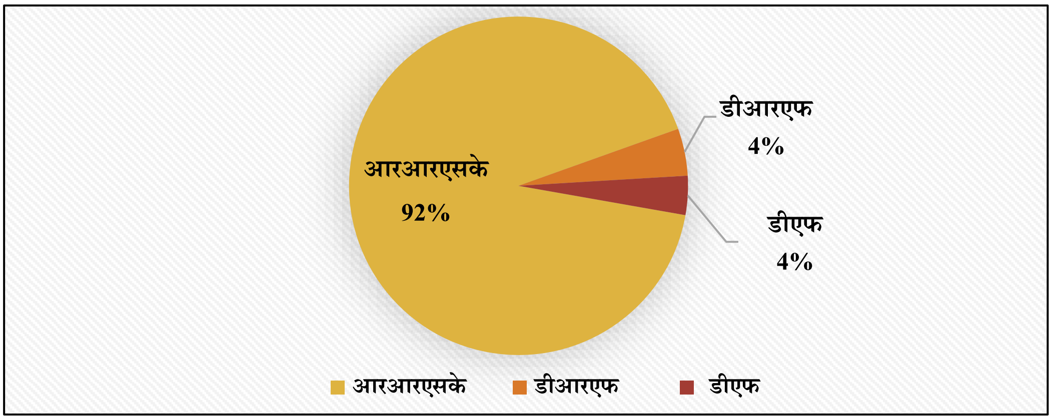

स्रोत: 2024-25 के लिए कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट का कैपिटल शेड्यूल 2

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष को संरक्षा से जुड़े ज़रूरी कामों के लिए एक समर्पित संरक्षा कोष के तौर पर बनाया गया था। जिन कामों के लिए पहले डीआरएफ/डीएफ से पैसा लिया जाता था उनके लिए अब राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से पैसा लेने से फंड का मुख्य उद्देश्य कमज़ोर हो जाता है और इससे फंडिंग के तरीकों में एक बड़ा बदलाव दिखता है। फंडिंग के तरीके में इस बदलाव की वजह से डीआरएफ में कम पैसा डाला गया, जिससे ऑपरेटिंग रेश्यो में सुधार हुआ है।

रेल मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि डीआरएफ और डीएफ में पैसा ज़रूरत के हिसाब से डाला जाता है। संरक्षा से जुड़े ज़्यादातर कामों के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष और आरएसएफ से पैसा मिलता है, जबकि बदलने, नवीनीकरण और अपग्रेडेशन के दूसरे कामों के लिए डीआरएफ और डीएफ से पैसा मिलता रहता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि डीआरएफ और डीएफ के तहत काफ़ी पैसा उपलब्ध है और संरक्षा पर कुल खर्च लगातार बढ़ रहा है।

यह देखा गया है कि 2024-25 के दौरान, डीआरएफ और डीएफ में डाला गया पैसा कुल कैपिटल खर्च का क्रमशः सिर्फ़ 0.30 प्रतिशत और 0.20 प्रतिशत था, जो इन फंडों के लिए बहुत कम आवंटन को दिखाता है। लेखापरीक्षा ने बदलने, नवीनीकरण और सुधार के कामों की फंडिंग को डीआरएफ/डीएफ से हटाकर राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में बदलने की ओर इशारा किया है। मंत्रालय ने उन कामों के लिए खास राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से पैसा लेने का कारण नहीं बताया है जिनके लिए पहले डीआरएफ/डीएफ से पैसा लिया जाता था; इस बदलाव से राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का असल उद्देश्य कमज़ोर हुआ है और डीआरएफ और डीएफ में डाले जाने वाले पैसे में कमी आई है।

4.9.3.4.1 डीआरएफ और डीएफ में राशि जमा करने और उनसे राशि निकालने के रुझान में गिरावट

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनने से पहले, संरक्षा से जुड़े कामों के लिए डीआरएफ और डीएफ से फ़ंड मिलता था, जबकि लेवल क्रॉसिंग बंद करने जैसे कामों के लिए फ़ंड वित्त मंत्रालय से मिलने वाली सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से आता था।

लेखापरीक्षा में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनने से पहले के आठ सालों (2009-10 से 2016-17) और बनने के बाद के आठ सालों (2017-18 से 2024-25) के दौरान

डीआरएफ और डीएफ में जमा की गई और निकाली गई रकम की तुलना की गई। देखा गया कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष शुरू होने के बाद डीआरएफ और डीएफ में जमा होने वाली रकम में भारी कमी आई। डीआरएफ में जमा रकम राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से पहले के समय के ₹ 48,947 करोड़ से घटकर राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के बाद के समय में ₹ 6,340 करोड़ हो गई, जो 87.05 प्रतिशत की कमी दिखाती है, जबकि डीएफ में जमा रकम ₹ 21,015.32 करोड़ से घटकर ₹ 8,233.35 करोड़ हो गई, जो 60.82 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है।

तालिका 4.10: डीआरएफ और डीएफ में योगदान और निकासी

(₹ करोड़ में)

अवधि	डीआरएफ		डीएफ	
	योगदान	निकासी	योगदान	निकासी
2009-10 to 2016-17 (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से पहले की अवधि)	48,947.00	52,020.30	21,015.32	24,000.40
2017-18 to 2024-25 (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के पश्चात की अवधि)	6,340.00	5,742.58	8,233.35	8,120.03
2017-18 से 2024-25 तक प्रतिशत में कमी	87.05	88.96	60.82	66.17

स्रोत: भारतीय रेलवे के 2009-10 से 2024-25 की अवधि के विनियोग खाते

डीआरएफ और डीएफ में कम योगदान के लिए मंत्रालय के कारणों–जैसे कि कम आंतरिक संसाधन जेनरेशन, संरक्षा से जुड़े रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट के कामों को राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में शिफ्ट करना और रिसोर्स की उपलब्धता के आधार पर ज़रूरत के अनुसार फंड का आवंटन–को संसद की रेलवे संबंधी स्थायी समिति (14वीं रिपोर्ट, 2022-23) ने स्वीकार नहीं किया। समिति ने मंत्रालय को सलाह दी कि वे समझदारी से और जहाँ तक संभव हो, वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएँ।

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से साफ़ है, इन फंड से पैसे निकालने के मामले में भी ऐसा ही ट्रेंड देखा गया। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से पहले के समय में डीआरएफ से ₹ 52,020.30 करोड़ निकाले गए थे, जो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के बाद के समय में घटकर ₹ 5,742.58 करोड़ रह गए; यानी इसमें 88.96 प्रतिशत की कमी

आई। वहीं, डीएफ से निकाली गई रकम ₹ 24,000.40 करोड़ से घटकर ₹ 8,120.03 करोड़ हो गई, जो 66.17 प्रतिशत की कमी को दिखाता है।

(अनुलग्नक 4.6)

चित्र 4.11: राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से पहले और बाद की अवधि के लिए डीआरएफ/डीएफ में योगदान और निकासी

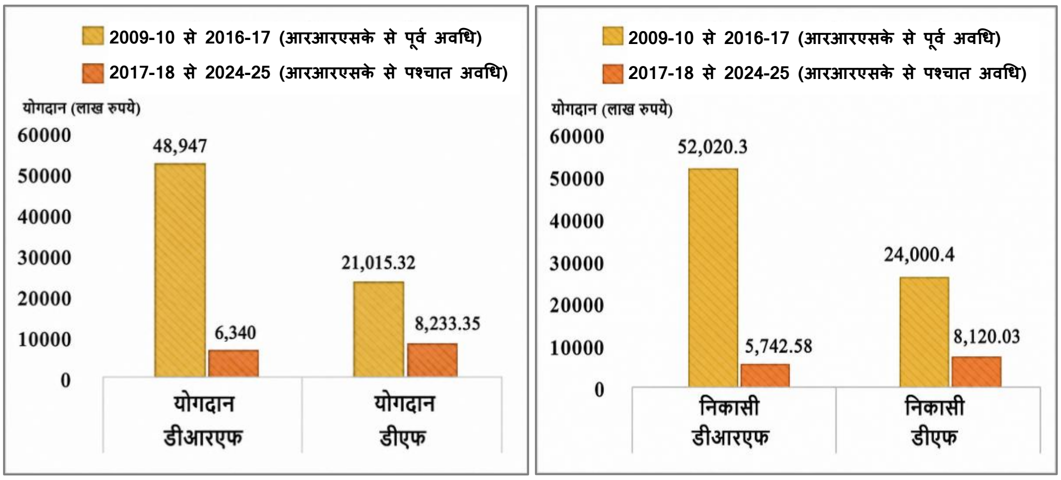

स्रोत: 2009-10 से 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय रेलवे के विनियोग खाते

ऊपर दिए गए आंकड़ों से साफ़ है कि डीआरएफ और डीएफ से मिलने वाली फ़ंडिंग में भारी कमी के कारण, नवीनीकरण, रिप्लेसमेंट और सुधार के कई काम राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत किए जाने लगे हैं। इससे पता चलता है कि आंतरिक संसाधनों से मिलने वाले योगदान में कमी के कारण राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष पर निर्भरता बढ़ गई है। डीआरएफ (89 प्रतिशत) और डीएफ (66 प्रतिशत) से पैसे निकालने में आई भारी कमी से पता चलता है कि फ़ंडिंग का स्रोत बदला गया है, जिससे राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की मांग बढ़ गई है और संरक्षा से जुड़े खास कामों के लिए इसके उपयोग पर असर पड़ा है।

रेल मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि डीआरएफ और डीएफ में पैसे कम जमा होने की वजह बढ़ते कामकाजी खर्च, कम राजस्व आधिक्य, सामाजिक सेवा की ज़िम्मेदारियां और बढ़ा हुआ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। उसने कहा कि आर्थिक तंगी के बावजूद, रिप्लेसमेंट और नवीनीकरण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी पैसे का इंतज़ाम किया गया है और उम्मीद है कि क्षमता बढ़ाने के मौजूदा उपायों से भविष्य में आंतरिक संसाधन जुटाने में सुधार होगा।

रेल मंत्रालय ने आंतरिक संसाधन कम जुटने के कारणों को फिर से बताया है, लेकिन राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के शुरू होने के बाद डीआरएफ और डीएफ में योगदान और उनसे पैसे निकालने में आई भारी कमी के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसमें आई भारी कमी से पता चलता है कि जो काम पहले डीआरएफ और डीएफ के पैसे से होते थे, उनके लिए अब राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष पर निर्भरता बढ़ रही है, जिससे तय फ़ंडिंग का ढांचा कमज़ोर हो रहा है और संरक्षा के लिए बने खास फ़ंड पर निर्भरता बढ़ रही है।

4.9.4 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से वित्तपोषित परियोजनाओं का अग्रेनीत मूल्य (थ्रो फॉरवर्ड)

लेखापरीक्षा में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से फंड किए जा रहे चल रहे कामों को पूरा करने के लिए ज़रूरी 'थ्रो फॉरवर्ड'[51] (2025-26) का आकलन किया गया। इसमें पाया गया कि पूरी तरह से राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से फंड होने वाले परियोजना के लिए ₹ 93,372 करोड़ और आंशिक रूप से राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से फंड होने वाले परियोजना के लिए ₹ 1,35,982 करोड़ की बड़ी रकम की ज़रूरत है। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के ज़रिए किए जाने वाले कामों के लिए योजना शीर्ष के अनुसार 'थ्रो फॉरवर्ड' नीचे दिया गया है:

तालिका 4.11: राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से फंड किए गए कामों को पूरा करने के लिए ज़रूरी थ्रो फॉरवर्ड

क्रम संख्या	योजना शीर्ष	पूरी तरह से वित्तपोषित कार्य राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष		आंशिक रूप से वित्तपोषित कार्य राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष		कुल आगे ले जाया गया
		कामों की संख्या	थ्रो फॉरवर्ड (₹ करोड़ में)	कामों की संख्या	थ्रो फॉरवर्ड (₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
1	पीएच 16 - ट्रैफ़िक सुविधाएँ	77	486.33	131	3,045.62	3,531.95
2	पीएच 21 - रोलिंग स्टॉक	179	306.33	16	36.69	343.02
3	पीएच 29 - सड़क संरक्षा कार्य - लेवल क्रॉसिंग	45	135.32	140	593.52	728.84

[51] *भारतीय रेलवे परियोजना मंज़ूरी और प्रबंधन प्रणाली के अनुसार।*

क्रम संख्या	योजना शीर्ष	पूरी तरह से वित्तपोषित कार्य राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष		आंशिक रूप से वित्तपोषित कार्य राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष		कुल आगे ले जाया गया
		कामों की संख्या	थ्रो फॉरवर्ड (₹ करोड़ में)	कामों की संख्या	थ्रो फॉरवर्ड (₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
4	पीएच 30 - सड़क संरक्षा कार्य - (आरओबी/आरयूबी)	534	2,141.72	2,494	44,033.91	46,175.63
5	पीएच 31 - ट्रैक नवीनीकरण	1,593	15,165.6	6,959	53,692.47	68,858.07
6	पीएच 32 - पुल संबंधी कार्य सुरंग और पहुँच मार्ग	1,888	14,716.36	1,111	17,948.08	32,664.44
7	पीएच 33 - सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्य	1,730	41,833.96	440	7,105.62	48,939.58
8	पीएच 36 - अन्य विद्युत कार्य (टीआरडी कार्यों सहित)	1,047	3,398.12	214	4,903.80	8,301.92
9	पीएच 41 - मशीनरी और प्लांट	122	129.31	31	76.55	205.86
10	पीएच 42 - कारखाना एवं उत्तपदन इकाई	123	1,394.90	135	929.54	2,324.44
11	पीएच 52 - कर्मचारी कल्याण	3	1.26	1	0.09	1.35
12	पीएच 31 - ग्राहक सुविधाएँ	690	7,875.56	110	910.53	8,786.09
13	पीएच 64 - अन्य निर्दिष्ट कार्य	222	5,461.21	79	1714.40	7,175.61
14	पीएच 65 - प्रशिक्षण/एचआरडी	81	326.02	109	991.64	1,317.66
	कुल	**8,334**	**93,372**	**11,970**	**1,35,982.46**	**2,29,354.46**

स्रोत: भारतीय रेलवे परियोजना संस्वीकृति एवं प्रबंधन (आईआरपीएसएम) से सक्रिय कार्यों की रिपोर्ट

'थ्रो फॉरवर्ड' वैल्यू में मुख्य रूप से ट्रैक रिन्यूअल पर ₹ 68,858.07 करोड़, सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के कामों पर ₹ 48,939.58 करोड़, सड़क संरक्षा के कामों पर ₹ 46,175.63 करोड़ और पुल/टनल के कामों पर ₹ 32,664.44 करोड़ शामिल थे।

चित्र 4.12: राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत वित्तपोषित कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक 'थ्रो-फॉरवर्ड' (अगले वर्षों के लिए शेष कार्य)

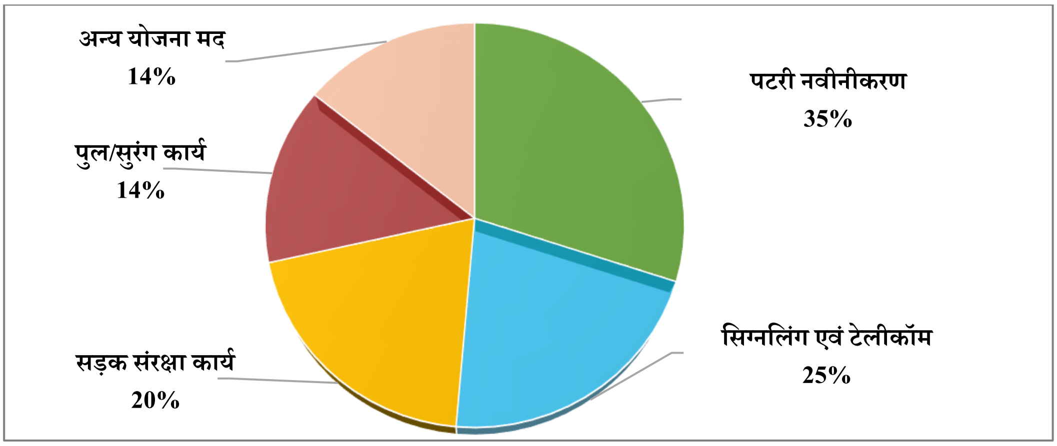

स्रोत: भारतीय रेलवे परियोजना संस्वीकृति एवं प्रबंधन (आईआरपीएसएम) से सक्रिय कार्यों की रिपोर्ट

ऊपर दी गई तालिका और चित्र से पता चलता है कि कामों का काफ़ी बैकलॉग है, जिसे ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए समय पर पूरा करने की ज़रूरत है। राजस्व आधिक्य से डीआरएफ और डीएफ में कम योगदान के कारण, मंत्रालय मुख्य रूप से जीबीएस से फंड होने वाले राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष पर निर्भर है। चूँकि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की बढ़ी हुई अवधि 2026-27 तक है, इसलिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से फंड होने वाले कामों के समय पर पूरा होने की गारंटी नहीं है। चूँकि रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए रेलवे को अपने आंतरिक संसाधनों के ज़रिए डीआरएफ और डीएफ में योगदान बढ़ाना होगा और 2026-27 के बाद की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने की योजना बनानी होगी।

₹ 2,29,355 करोड़ की भारी 'थ्रो-फ़ॉरवर्ड' देयता (आगे ले जाई जाने वाली देनदारी) एक बड़े बैकलॉग की ओर इशारा करती है, जिससे 2026-27 तक बढ़ी हुई राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष अवधि के भीतर संरक्षा कार्यों के समय पर पूरा होने को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं। वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के विपरीत, 2017-18 से पहले मंज़ूर किए गए चल रहे कामों के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से फ़ंडिंग करने से संरक्षा के लिए सीमित संसाधन और कम हो जाते हैं और भविष्य की वित्तीय प्रतिबद्धताएँ बढ़ जाती हैं, जिससे फंड का सही उपयोग प्रभावित होता है।

रेल मंत्रालय ने बताया (नवंबर 2025) कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से पूरी तरह और आंशिक रूप से फ़ंड किए जाने वाले कामों के लिए 'थ्रो-फ़ॉरवर्ड' खर्च क्रमशः

₹ 34,962 करोड़ और ₹ 79,831 करोड़ है। हालाँकि, यह लेखापरीक्षा द्वारा आंके गए आईआरपीएसएम डेटा से काफ़ी अलग था, जो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से पूरी तरह और आंशिक रूप से फ़ंड किए गए परियोजना के लिए क्रमशः ₹ 93,372 करोड़ और ₹ 1,35,982 करोड़ है। रेल मंत्रालय को इतने बड़े अंतर के कारणों की जाँच करनी चाहिए और उन्हें मिलाना चाहिए।

अपने जवाब में, रेल मंत्रालय ने कहा है कि 2026-27 के लिए 'थ्रो-फ़ॉरवर्ड' देयता ₹ 1,10,814 करोड़ है और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की बढ़ी हुई अवधि खत्म होने के बाद भी इन कामों के लिए जीबीएस और अन्य स्रोतों से फ़ंडिंग जारी रहेगी। इसने आगे कहा कि संरक्षा कार्यों के लिए कैपिटल, रेलवे संरक्षा निधि और आंतरिक संसाधनों सहित कई स्रोतों से फ़ंडिंग की जाती है और 'थ्रो-फ़ॉरवर्ड' आंकड़ों में अंतर आईपीएएस और आईआरपीएसएम डेटाबेस के बीच चल रहे मिलान के कारण है। रेल मंत्रालय ने न तो आगे ले जाई जाने वाली बड़ी देनदारी के बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया है और न ही मंत्रालय द्वारा बताई गई संख्याओं और आईआरपीएसएम में मौजूद आंकड़ों के बीच के बड़े अंतर का मिलान किया है, जो लेखापरीक्षा अवलोकन का आधार बने थे।

4.9.4.1 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से 2017 से पहले के संरक्षा कार्यों की फंडिंग के कारण बड़ी मात्रा में 'थ्रो-फ़ॉरवर्ड' देनदारी

लेखापरीक्षा में 2017-18 से पहले मंज़ूर किए गए और अभी राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के ज़रिए फ़ंड किए जा रहे संरक्षा कार्यों की जाँच की गई। यह देखा गया कि 1996-97 और 2016-17 के बीच मंज़ूर किए गए कई कार्यों के लिए शुरू में कैपिटल, डेवलपमेंट फ़ंड, डेप्रिसिएशन रिज़र्व फ़ंड, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स (ईबीआर) और सेफ़्टी फ़ंड जैसे दूसरे स्रोतों से फ़ंडिंग की गई थी। हालाँकि, 2017-18 में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लागू होने के बाद, इन कार्यों के लिए बाद में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से फ़ंडिंग की गई। इन कार्यों के लिए 2025-26 तक का बकाया काम नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 4.12 और चित्र 4.13: राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से पूर्व के कार्यों की 'थ्रो-फ़ॉरवर्ड' (आगे ले जाई जाने वाली) देनदारी

पूरी तरह से वित्तपोषित कार्य राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष		आंशिक रूप से वित्तपोषित कार्य राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष	
कामों की संख्या	अग्रसारित राशि (₹ करोड़ में)	कामों की संख्या	अग्रसारित राशि (₹ करोड़ में)
181	331.80	1,568	16,077.51

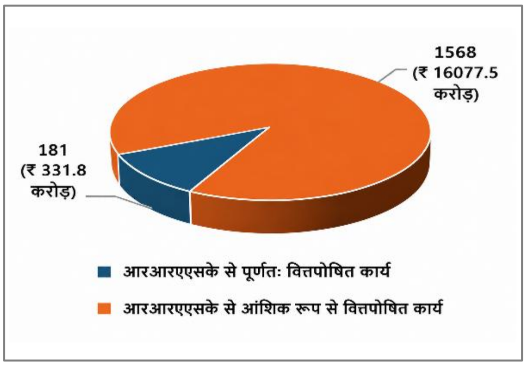

स्रोत: भारतीय रेलवे परियोजना संस्वीकृति एवं प्रबंधन (आईआरपीएसएम) से सक्रिय कार्यों की रिपोर्ट

ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से पहले के कामों के लिए आगे ले जाई जाने वाली देनदारी पूरी तरह से पोषित कामों के लिए ₹331.80 करोड़ और आंशिक रूप से पोषित कामों के लिए ₹16,077.51 करोड़ है। वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों में यह तय किया गया था कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष फंडिंग का उपयोग उन चल रहे संरक्षा कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा, जिन्हें रेलवे ने पहले ही अपने संसाधनों से फंड किया है। हालाँकि, ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि ये काम पहले से ही चल रहे थे और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के बनने से पहले ही इनके लिए वित्तीय प्रतिबद्धता की जा चुकी थी। पहले से मौजूद कामों के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का आवंटन सीमित संसाधनों के बेहतर उपयोग पर असर डालता है और इसके परिणामस्वरूप आगे ले जाए जाने वाले खर्च में भी बढ़ोतरी हुई है।

रेल मंत्रालय का जवाब 2017 से पहले के कामों के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के मुद्दे को संबोधित नहीं करता है।

(अनुलग्नक 4.7)

4.9.5 लेखांकन से संबंधित समस्याएं

4.9.5.1 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में क्रेडिट की गलत बुकिंग

भारतीय रेलवे वित्त संहिता, (भाग I) के पैरा 710 के अनुसार, डीआरएफ से फाइनेंस किए गए काम से निकले सामग्री को बेचने से मिली रकम को केवल डीआरएफ में ही जमा किया जाना चाहिए।

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एससीआर और डब्ल्यूआर ने क्रमशः ₹ 16.37 करोड़ और ₹ 0.79 करोड़ की रकम को डीआरएफ के बजाय गलत तरीके से राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में जमा किया। स्लीपर बिल के लिए ₹ 0.67 करोड़ का एडवांस पेमेंट गलती से क्रेडिट (एनसीआर) के तौर पर दर्ज कर लिया गया। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में क्रेडिट की गलत एंट्री के कारण डीआरएफ में ₹ 17.83 करोड़ का क्रेडिट कम हो गया, जो कमजोर लेखांकन नियंत्रण को दिखाता है। ऐसी गलतियां संबंधित फंड की वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से दिखाती हैं।

(अनुलग्नक 4.8)

4.9.5.2 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में खर्च का गलत वर्गीकरण/गलत बुकिंग

भारतीय रेलवे लेखा संहिता, (भाग I) का पैरा 218 यह बताता है कि लेखों में खर्च दर्ज करते समय सही वर्गीकरण का पालन किया जाना चाहिए, भले ही बजट में सही बजट हेड के तहत प्रावधान किया गया हो। इसके अलावा, कोड का पैरा 217 यह तय करता है कि प्राप्तियों और खर्च के आवंटन की मुख्य ज़िम्मेदारी संबंधित विभागीय अधिकारियों की होती है। सही आवंटन सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट की है। फंड के अलग-अलग स्रोतों से खर्च के सही आवंटन के बारे में भारतीय रेलवे वित्त संहिता (भाग II) में बताया गया है।

लेखापरीक्षा ने साल 2024-25 के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत खर्च की बुकिंग से जुड़े आईपीएएस[52] से चुने हुए वाउचर और सस्पेंस हेड रिपोर्ट की जांच की और पाया कि किया गया खर्च कोड के प्रावधानों और रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार बुक नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में बताया गया है:

तालिका 4.13: खर्च का गलत वर्गीकरण/गलत बुकिंग

क्रम संख्या	विवरण	ज़ोन	राशि (करोड़ में)
1	कार्य के अनुमान को स्वीकृत करने के लिए 'वित्त के अन्य	सीआर, ईसीओआर, ईसीआर, ईआर, एनसीआर, एनईआर,	134.75

[52] *एकीकृत पेरोल और लेखा प्रणाली (आईपीएएस)*

क्रम संख्या	विवरण	ज़ोन	राशि (करोड़ में)
	स्रोतों' के बजाय राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में व्यय की बुकिंग	एनएफआर, एनआर, एनडब्ल्यूआर, एससीआर, एसईआर, एसआर, डब्ल्यूसीआर, डब्ल्यूआर	
2	गलत योजना शीर्ष/प्राथमिक इकाई में व्यय की बुकिंग	ईसीओआर, एनसीआर, एनआर, एससीआर, एसडब्ल्यूआर	33.67
3	गलत कार्य में व्यय की बुकिंग	एससीआर	2.66
4	मध्यस्थता निर्णय के कारण भुगतान के लिए किए गए व्यय को प्रभारित के बजाय दत्तमत के रूप में बुक करना	एनआर, डब्ल्यूआर	5.61
5	राजस्व के बजाय राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में व्यय की बुकिंग	सीआर, ईसीओआर, ईआर, एनसीआर, एनईआर, एनएफआर, एनआर, एससीआर, एसईसीआर, एसईआर, एसआर, एसडब्ल्यूआर	26.30
	कुल		**201.99**

स्रोत: आईपीएएस से चुने हुए वाउचर और सस्पेंस हेड रिपोर्ट

यह बताना ज़रूरी है कि ऊपर दी गई तालिका के सीरियल नंबर 5 में बताए गए खर्च इन चीज़ों पर किए गए थे, जिन्हें राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के बजाय राजस्व शीर्ष में दर्ज किया जाना चाहिए था:

- एएमसी, कैटरिंग का इंतज़ाम, पानी, विज्ञापन का बिल, समारोह, प्रिंटर की मरम्मत, इम्प्रैस्ट, मरम्मत और रखरखाव, कार किराए पर लेना, लॉजिस्टिक्स का इंतज़ाम, ऑफिस की कुर्सियाँ, लैंप, तालिका, अलमारी, कार्ट्रिज, सीयूजी बिल, रेनकोट, नेम प्लेट, यूएमआईडी कार्ड की प्रिंटिंग वगैरह।

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत ₹ 201.99 करोड़ का गलत वर्गीकरण नियमों का पालन न करने और कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण को दिखाता है और इससे संरक्षा से जुड़े फंड का उपयोग उसके असली उद्देश्य के बजाय दूसरी जगह हो जाता है।

4.10 संरक्षा कार्यों के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष वित्तपोषण का प्रभाव

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत मुख्य रूप से टक्कर, पटरी से उतरने की घटनाओं और बिना कर्मचारी वाले लेवल क्रॉसिंग पर होने वाले हादसों को कम करने पर ध्यान दिया जाता है। 2017-18 में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाने का उद्देश्य संरक्षा से जुड़े अहम कामों के लिए आर्थिक मदद देना और हादसों को रोकना था।

तालिका 4.14: भारतीय रेलवे में हुई दुर्घटनाओं की सूची

वर्ष	एसपीएडी[53]	दुर्घटनाएं						
		पटरी से उतरना	कर्मचारी वाले समपार फाटक	बिना कर्मचारी वाले समपार फाटक	टक्कर	आग	अन्य	कुल दुर्घटनाएं
2017-18	55	54	3	10	3	3	-	73
2018-19	64	46	3	3	-	6	1	59
2019-20	57	40	1	-	5	8	1	55
2020-21	35	17	1	-	1	3	-	22
2021-22	39	27	1	-	2	4	1	35
2022-23	35	36	1	-	6	4	1	48
2023-24	38	25	-	-	6	9	-	40
2024-25	33	24	1	-	3	3	-	31

स्रोत: रेलवे बोर्ड का डेटा

गंभीर ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या 2017-18 में 73 से घटकर 2024-25 में 31 हो गई है। सुरक्षित ट्रेन संचालन को बेहतर बनाने के लिए, अब तक ₹ 1,08,295 करोड़ की राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष राशि का उपयोग किया गया है। हालांकि, ट्रेनों की टक्कर और आग लगने की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, डीआरएफ और डीएफ में आंतरिक स्रोतों से कम योगदान के कारण राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाने का उद्देश्य पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है।

रेल मंत्रालय ने अपने जवाब में ट्रेनों की टक्कर में कमी और गंभीर ट्रेन दुर्घटनाओं में कुल मिलाकर आई गिरावट पर ज़ोर दिया है। इन सुधारों को स्वीकार करते हुए भी 2025-26 के दौरान आग लगने की घटनाओं में उस अनुपात में कमी नहीं आई है और ये घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं।

---

[53] *सिग्नल पासिंग एट डैन्जर*

4.11 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लिए निगरानी ढांचा

वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक स्वतंत्र 'राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष निगरानी समिति' बनाई जानी थी, जिसके प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी - नीति आयोग होंगे। समिति को हर तिमाही में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के परफॉर्मेंस/आउटपुट/ परिणामों की समीक्षा करनी थी। इसके अलावा, मंत्रालय में सबसे ऊंचे स्तर पर हर महीने हुई प्रगति की निगरानी की जानी थी। लेखापरीक्षा में वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के पालन की जांच की गई और पाया गया कि:

- 2017-18 से 2020-21 तक नीति आयोग ने तिमाही बैठकों के ज़रिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की निगरानी की। 2021 के बाद, नीति आयोग द्वारा निगरानी से जुड़ा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया।
- हालांकि रेलवे बोर्ड ने राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत किए गए कामों की समीक्षा के लिए योजना निदेशालय को नोडल निदेशालय के तौर पर नामित किया था, लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत किए गए कामों की मासिक/तिमाही समीक्षा से जुड़ा कोई रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

2020-21 के बाद नीति आयोग द्वारा निगरानी से जुड़े रिकॉर्ड का न होना और रेलवे बोर्ड द्वारा मासिक/तिमाही समीक्षा का कोई लिखित रिकॉर्ड न होना वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन न करने को दिखाता है। निगरानी का कमज़ोर ढांचा राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के परफॉर्मेंस की निगरानी को कमज़ोर करता है और संरक्षा से जुड़े तय नतीजों को पाने की जवाबदेही पर असर डालता है।

रेल मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि नीति आयोग द्वारा निगरानी सिर्फ़ 2021-22 तक की मूल राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष स्कीम की अवधि के दौरान लागू थी। 2022-23 से राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जारी रहने के बाद, नीति आयोग द्वारा निगरानी के लिए कोई नया निर्देश जारी नहीं किया गया। इसलिए, तब से राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की निगरानी रेल मंत्रालय के मौजूदा आंतरिक समीक्षा प्रणाली के ज़रिए की जा रही है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भले ही राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष को 2021-22 के बाद भी जारी रखा गया, लेकिन पुरानी निगरानी व्यवस्था की जगह लेने वाली कोई

संशोधित दिशानिर्देश या सरकारी आदेश उपलब्ध नहीं कराए गए। ऐसे निर्देशों के अभाव में, नीति आयोग द्वारा निगरानी बंद करने के लिए किसी संशोधित निगरानी ढांचे का कोई आधार नहीं था।

4.12 निष्कर्ष

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के पहले चरण के दौरान भारतीय रेलवे के आंतरिक संसाधन से मिलने वाले योगदान में काफी कमी आई। सभी ज़ोन में बजट अनुदान से ज़्यादा खर्च और फंड का सही उपयोग न होना, खराब बजटिंग को दिखाता है। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से पोषित होने वाले कामों का दायरा रेलवे बोर्ड ने कम कर दिया है क्योंकि वित्त मंत्रालय के प्राथमिकता वाले नियमों के उलट 'गैर-प्राथमिकता' वाले कामों के लिए फंड दिए गए। 2024-25 के दौरान, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से 'गैर-प्राथमिकता' वाले कामों पर ₹ 835.96 करोड़ खर्च हुए और संरक्षा से जुड़े न होने वाले कामों पर ₹ 92.02 करोड़ खर्च किए गए। इसके अलावा, ₹ 202.99 करोड़ के खर्च को गलत कैटेगरी में दिखाया गया। रेलवे प्रशासन ने अपने पास मौजूद फंड पर कोई असरदार बजट नियंत्रण नहीं बनाया है, जिससे यह पक्का किया जा सके कि खर्च तय उद्देश्य और तय सीमा के अंदर ही हो।

प्राथमिकता वाले योजना शीर्ष के लिए आंतरिक संसाधन से मिलने वाला फंड बहुत कम था। डीआरएफ और डीएफ में फंड का आवंटन कम हो रहा था और संरक्षा से जुड़े ज़्यादातर काम, जो पहले डीआरएफ और डीएफ से फंड होते थे, अब राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में शिफ्ट कर दिए गए हैं। 2025-26 में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से बदले जाने वाले संपत्ति के लिए 'थ्रो-फॉरवर्ड' मूल्य उन परियोजना के लिए ₹ 93,372 करोड़ है जो पूरी तरह से राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से पोषित होते हैं और उन परियोजना के लिए ₹ 1,35,982 करोड़ है जो आंशिक रूप से राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से पोषित होते हैं। राजस्व आधिक्य से डीआरएफ और डीएफ में कम योगदान के कारण, मंत्रालय पूरी तरह से सकल बजटीय सहायता से पोषित होने वाले राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष पर निर्भर है। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की बढ़ाई गई अवधि 2026-27 में खत्म हो रही है, जिससे राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से पोषित होने वाले कामों के समय पर पूरा होने को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है।

4.13 सिफारिशें

रेल मंत्रालय:

(i) ***संरक्षा से जुड़े ज़रूरी कामों पर खर्च पक्का करने के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के उपयोग के संबंध में वित्त मंत्रालय के नियमों का पालन करे।***

(ii) ***राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से होने वाले खर्च के आवंटन पर असरदार बजट नियंत्रण रखें और खर्च का सही अभिलेखन करे।***

(iii) ***सकल बजटीय सहायता पर ज़्यादा निर्भरता कम करने के लिए अपने आंतरिक संसाधनों से डीआरएफ और डीएफ में पर्याप्त योगदान देने की कार्य योजना तैयार करे।***

नई दिल्ली **(प्रवीर पाण्डेय)**
दिनांक: 04 अगस्त 2026 **अपर उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 05 अगस्त 2026 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

पारिभाषिक शब्दावली

पारिभाषिक शब्दावली

पद	वर्णन
औसत लीड/दूरी	एक यात्री या एक टन माल की औसत ढुलाई दूरी
पूँजीगत व्यय	परिसंपत्तियों के सृजन, अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन हेतु व्यय
वसूली योग्य आय	भूमि और भवनों के किराए/पट्टे, साइडिंग के ब्याज और रखरखाव शुल्क आदि के कारण वसूली योग्य अप्राप्य आय।
अतिरिक्त बजटीय संसाधन	सामान्य बजट सहायता और आंतरिक रूप से उत्पन्न संसाधनों के अलावा भारतीय रेलवे के संसाधन
ढुलाई से आय	रेल पर माल ढुलाई से आय
सकल यातायात प्राप्तियाँ	रेलवे के परिचालन से प्राप्त आय
शुद्ध अधिशेष	सकल आय और कार्य व्यय के बीच का अंतर
नई लाइनें	पहले अस्तित्व में न रहीं नई रेलवे लिंक/लाइनों का निर्माण/बिछाना
परिचालन अनुपात	सकल आय हेतु कार्यशील व्यय (उचंत को छोड़कर लेकिन मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि के विनियोग सहित) का अनुपात।
सामान्य कार्यशील व्यय	प्रशासन, संचालन, रखरखाव और मरम्मत पर खर्च, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन कोष में योगदान
अन्य कोचिंग आय	पार्सल, सामान और डाकघर डाक और खान-पान आदि के परिवहन से होने वाली आय
यात्रियों से आय	रेल यात्रियों के परिवहन से होने वाली आय

पद	वर्णन
राजस्व व्यय	*लाभांश भुगतान सहित रेलवे के दैनिक संचालन, रखरखाव के लिए किया गया खर्च*
कर्मचारियों की उत्पादकता	*इसे प्रति हजार कर्मचारियों द्वारा नियंत्रित ट्रैफिक की मात्रा (एन. टी. के. एम. के संदर्भ में) के संदर्भ में मापा जाता है।*
यातायात उचंत	*रेलवे की अप्राप्य परिचालन आय*
कुल कार्यशील व्यय	*सामान्य कार्य व्यय और मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि के लिए विनियोग*
अग्रेनीत व्यय	*ऐसा व्यय जो किसी विशेष वर्ष में किया जाना था लेकिन वास्तव में अगले वर्ष में किया गया।*

संक्षिप्ताक्षरों की सूची

संक्षिप्ताक्षरों की सूची

बीई	**बजट अनुमान**
म.रे.	मध्य रेलवे
डीआईपीएएम	निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
ईबीआर	अतिरिक्त बजटीय संसाधन
ईबीआर(आइएफ़)	अतिरिक्त बजटीय संसाधन (संस्थागत वित्त)
ईबीआर-आइएफ़	अतिरिक्त बजटीय संसाधन - संस्थागत वित्त
पू.त.रे.	पूर्व तट रेलवे
पू.म.रे.	पूर्व मध्य रेलवे
पू.रे.	पूर्व रेलवे
एफजी	अंतिम अनुदान
एमएच	मुख्य शीर्ष
एमओआर	रेलवे मंत्रालय
एम आर	मेट्रो रेलवे, कोलकाता
उ.म.रे.	उत्तर मध्य रेलवे
एनई एफआर/पू.स.रे.	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे
उ.पू.रे.	उत्तर पूर्व रेलवे
उ.रे.	उत्तर रेलवे
उ.प.रे.	उत्तर पश्चिम रेलवे
ओबीजी	मूल बजट अनुदान
पीएसई	सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
आरबी	रेलवे बोर्ड
द.म.रे.	दक्षिण मध्य रेलवे
द.पू.म.रे.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
द.पू.रे.	दक्षिण पूर्व रेलवे
द.रे.	दक्षिणी रेलवे
द.प.रे.	दक्षिण पश्चिम रेलवे
प.म.रे.	पश्चिम मध्य रेलवे
प.रे.	पश्चिम रेलवे
जेड आर	क्षेत्रीय रेलवे

बीई	**बजट अनुमान**
पीओएच	आवधिक मरम्मत
आईओएच	मध्यवर्ती मरम्मत
आरपीएफ	रेलवे सुरक्षा बल
आरपीएसएफ	रेलवे सुरक्षा विशेष बल
एमएआर	विविध अग्रिम राजस्व
एम एंड पी	मशीनरी और संयंत्र

अनुलग्नक

अनुलग्नक-1.1
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.3)
यात्री और अन्य कोचिंग सेवाओं का क्रॉस-सब्सिडीकरण

	सी आर	ईआर	ईसीआर	ईसीओआर	एनआर	एन सी आर	एनईआर	एनएफआर	एन. डब्ल्यू. आर	एसआर	एससीआर	एसईआर	एस. ई. सी. आर	एसडब्ल्यूआर	डब्ल्यूआर	डब्ल्यूसीआर	मेट्रो	योग (रेलवे + पी.यू.)
यातायात राजस्व																		
(क) कोचिंग	7704.51	3253.97	4139.52	2356.44	9238.88	7420.89	2606.71	2092.06	3469.31	6667.94	7398.88	2398.25	1543.18	2444.20	7185.80	5116.69	330.32	75367.52
(ख) अन्य प्रशिक्षण	813.62	376.13	330.32	203.67	1232.67	237.15	118.87	396.68	315.90	640.13	532.47	270.43	110.71	349.35	775.28	183.12	0.27	6886.77
(ग) विविध	449.07	379.27	194.62	207.55	1301.37	216.09	141.94	1323.74	357.65	468.61	270.73	299.44	76.05	196.30	689.91	186.54	66.07	6824.94
कुल कोचिंग (क + ख + ग)	**8967.20**	**4009.37**	**4664.45**	**2767.66**	**11772.91**	**7874.12**	**2867.52**	**3812.48**	**4142.85**	**7776.68**	**8202.08**	**2968.13**	**1729.93**	**2989.84**	**8650.99**	**5486.34**	**396.66**	**89079.23**
(घ) वस्तुएँ	10878.65	6790.92	16017.83	20931.51	9487.32	15883.10	1893.94	3021.30	7667.42	3588.17	14955.78	16279.33	19141.01	4380.60	8604.34	11641.93	0.00	171163.15
(ई) वस्तुओं के लिए विविध	193.66	249.27	144.71	76.53	885.41	175.65	123.07	1235.71	321.56	230.09	186.34	190.22	79.15	111.75	410.23	148.24	0.00	4761.61
कुल वस्तुएँ	**11072.32**	**7040.19**	**16162.54**	**21008.04**	**10372.73**	**16058.75**	**2017.01**	**4257.01**	**7988.98**	**3818.26**	**15142.12**	**16469.55**	**19220.17**	**4492.36**	**9014.57**	**11790.16**	**0.00**	**175924.76**
कुल राजस्व प्राप्तियां	**20039.52**	**11049.56**	**20827.00**	**23775.70**	**22145.64**	**23932.88**	**4884.53**	**8069.49**	**12131.84**	**11594.94**	**23344.20**	**19437.68**	**20950.10**	**7482.20**	**17665.56**	**17276.51**	**396.66**	**265003.99**
व्यय वस्तुएँ																		
बीजी/माल	8327.62	7540.37	10980.91	10514.41	11546.18	10743.05	2936.83	5007.52	6809.11	4917.50	10951.26	9111.92	8081.88	4515.84	6855.97	6578.70	0.00	125419.08
एमजी/माल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एनजी/माल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वस्तुओं पर कुल व्यय	**8327.62**	**7540.37**	**10980.91**	**10514.41**	**11546.18**	**10743.05**	**2936.83**	**5007.52**	**6809.11**	**4917.50**	**10951.26**	**9111.92**	**8081.88**	**4515.84**	**6855.97**	**6578.70**	**0.00**	**125419.08**
कोचिंग सेवा पर होने वाला व्यय																		
बीजी/कोचिंग	15794.07	14005.50	9635.32	3378.01	19764.12	10671.93	5115.71	7469.47	7420.00	14963.37	11362.82	5595.52	2618.68	5371.09	11735.49	5679.07	874.67	151454.83
एमजी/कोचिंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00	0.00	43.17	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	123.90	0.00	0.00	853.91
एनजी/कोचिंग	140.27	0.00	0.00	0.00	313.08	0.00	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38	0.00	0.00	492.05
कोचिंग पर कुल व्यय	**15934.33**	**14005.50**	**9635.32**	**3378.01**	**20077.20**	**10671.93**	**5752.71**	**7499.79**	**7463.17**	**15013.21**	**11362.82**	**5595.52**	**2618.68**	**5371.09**	**11867.77**	**5679.07**	**874.67**	**152800.78**
सेवाओं पर लाभ/हानि																		
कोचिंग में हानि	**-6967.14**	**-9996.12**	**-4970.87**	**-610.35**	**-8304.29**	**-2797.80**	**-2885.20**	**-3687.30**	**-3320.31**	**-7236.53**	**-3160.74**	**-2627.39**	**-888.75**	**-2381.25**	**-3216.78**	**-192.72**	**-478.01**	**-63721.56**
वस्तुओं पर लाभ	**2744.70**	**-500.18**	**5181.64**	**10493.62**	**-1173.45**	**5315.70**	**-919.82**	**-750.51**	**1179.87**	**-1099.24**	**4190.85**	**7357.63**	**11138.29**	**-23.49**	**2158.60**	**5211.46**	**0.00**	**50505.68**

अनुलग्नक-2.1: विनियोजन लेखा 2024-25
(संदर्भ पैराग्राफ संख्या 2.1)

(₹ में)

अनुदानों और विनियोजनों के अनुसार विनियोजन लेखे का विस्तृत सारांश-2024-25

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का नाम	दत्तमत / प्रभारित	मूल	अनुपूरक	योग अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	अंतर
3001 (1)	रेलवे बोर्ड	दत्तमत	4400100000	0	4400100000	5061730625	661630625
		प्रभारित	0	0	0	0	0
3001 (02)	विविध व्यय	दत्तमत	21467100000	0	21467100000	16660340242	-4806759758
		प्रभारित	132900000	68200000	201100000	47223364	-153876636
3002-3003 (01)	सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएँ	दत्तमत	102756927000	0	102756927000	100787328789	-1969598211
		प्रभारित	16038000	14300000	30338000	45923345	15585345
3002-3003 (02)	पथ मार्ग की मरम्मत एवं अनुवीक्षण	दत्तमत	213853234000	0	213853234000	220134995530	6281761530
		प्रभारित	4210000	107337000	111547000	119448021	7901021
3002-3003 (03)	वाहक शक्ति की मरम्मत और अनुवीक्षण	दत्तमत	80428056000	0	80428056000	87050113531	6622057531
		प्रभारित	0	356000	356000	407718	51718
3002-3003 (04)	सवारी एवं मालडिब्बे की मरम्मत एवं अनुवीक्षण	दत्तमत	234506936000	0	234506936000	236657515969	2150579969
		प्रभारित	0	5215000	5215000	5860615	645615
3002-3003 (05)	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत एवं अनुवीक्षण	दत्तमत	118523848000	0	118523848000	118587270458	63422458
		प्रभारित	120315000	3725000	124040000	4507281	-119532719
3002-3003 (06)	रोलिंग स्टॉक उपस्करों के परिचालन व्यय	दत्तमत	244943250000	0	244943250000	244894429559	-48820441
		प्रभारित	0	40683000	40683000	47416458	6733458
3002-3003 (07)	यातायात से जुड़े परिचालन व्यय	दत्तमत	467090827000	100000	467090927000	428368847213	-38722079787
		प्रभारित	11000	2985000	2996000	5242545	2246545
3002-3003 (08)	ईंधन से जुड़े परिचालन व्यय	दत्तमत	347787128000	0	347787128000	329095522190	-18691605810
		प्रभारित	0	80455000	80455000	321505241	241050241
3002-3003 (09)	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएँ	दत्तमत	101855618000	0	101855618000	101496249578	-359368422
		प्रभारित	0	6371000	6371000	7687701.05	1316701.05
3002-3003 (10)	विविध कार्य संबंधी व्यय	दत्तमत	98101414000	0	98101414000	110007586907	11906172907
		प्रभारित	4273466000	927195000	5200661000	4778414731	-422246269
3002-3003 (11)	भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	दत्तमत	721757762000	0	721757762000	689606166730	-32151595270
		प्रभारित	960000	6478000	7438000	11920583	4482583

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का नाम	दत्तमत / प्रभारित	मूल	अनुपूरक	योग अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	अंतर
3002-3003 एवं 3006	निधियों का विनियोजन	दत्तमत	709000000000	0	709000000000	630602790621	-78397209379
		प्रभारित	0	0	0	0	0
3075	अन्य यातायात सुविधाएं	दत्तमत	33930000000	0	33930000000	33164531627	-765468373
		प्रभारित	0	0	0	0	0
5002 एवं 5003	परिसंपत्तियाँ - अर्जन, निर्माण एवं प्रतिस्थापन						
	ओपन लाइन कार्य राजस्व	दत्तमत	0	0	0	0	0
		प्रभारित	0	0	0	0	0
	पूंजी	दत्तमत	2823018010000	3773100000	2826791110000	2748594797809	-78196312191
		प्रभारित	4576390000	5412909000	9989299000	7600752563	-2388546437
	रेलवे निधियाँ,मूल्य ह्रास आरक्षित निधि.सीएफ़ एवं विकास निधि						
	मूल्य ह्रास आरक्षित निधि	दत्तमत	10816700000	0	10816700000	8554259992	-2262440008
		प्रभारित	0	6280000	6280000	6279047	-953
	विकास निधि	दत्तमत	10000000000	0	10000000000	4421843671	-5578156329
		प्रभारित	0	53468000	53468000	53466626	-1374
	कैप निधि	दत्तमत	0	0	0	0	0
		प्रभारित	0	0	0	0	0
	रेल सुरक्षा निधि	दत्तमत	458824300000	0	458824300000	458802821023	-21478977
		प्रभारित	0	616320000	616320000	616309087	-10913
	राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष को अंतरण	दत्तमत	100000000000	0	100000000000	100000000000	0
		प्रभारित	0	0	0	0	0
	रेल सुरक्षा निधि को अंतरण	दत्तमत	450000000000	0	450000000000	449997300071	-2699929
		प्रभारित	0	0	0	0	0
	एसजीएफ़ को अंतरण	दत्तमत	150000000000	0	150000000000	149962885139	-37114861
		प्रभारित	0	0	0	0	0
	राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष	दत्तमत	127976690000	0	127976690000	126919907818	-1056782182
		प्रभारित	23310000	340223000	363533000	363531514	-1486
	केंद्रीय अवसंरचना एवं सड़क निधि को अंतरण	दत्तमत	110000000000	0	110000000000	110000000000	0
		प्रभारित	0	0	0	0	0
	राष्ट्रीय निवेश कोष को अंतरण	दत्तमत	148000000000	0	148000000000	120000000000	-28000000000
		प्रभारित	0	0	0	0	0
	रेलवे निधियाँ, मूल्य ह्रास आरक्षित निधि,सीएफ़ एवं विकास निधि का योग	दत्तमत	20816700000	0	20816700000	12976103662	-7840596338
		प्रभारित	0	59748000	59748000	59745673	-2327
	सकल योग	दत्तमत	7889037900000	3773200000	7892811100000	7629429235092	-263381864908
		प्रभारित	9147600000	7692500000	16840100000	14035896441	-2804203560
	सकल योग - दत्तमत एवं प्रभारित		7898185500000	11465700000	7909651200000	7643465131533	-266186068467

अनुलग्नक-2.2: विनियोजन लेखा 2024-25
(संदर्भ पैराग्राफ संख्या 2.6)

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	दत्तमत/ प्रभारित	अनुदान का नाम	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
मध्य रेलवे	(दत्तमत/ प्रभारित)		आधिक्य		बचत	
	दत्तमत	5002-03	1	29.83	1	0.01
	दत्तमय योग		**1.00**	**29.83**	**1.00**	**0.01**
	मध्य रेलवे योग		**1.00**	**29.83**	**1.00**	**0.01**
पूर्व तट रेलवे		3002-03(2)	**1**	**10.50**		
		3002-03(3)	1	28.69		
		3002-03(4)	1	182.12		
		3002-03(5)	1	37.59		
		3002-03(6)	1	52.91		
		3002-03(10)	1	12.42		
		5002-03	3	3435.36	15	1922.11
	दत्तमय योग		**9**	**3759.59**	**15**	**1922.11**
	पूर्व तटीय रेलवे योग		**9**	**3759.59**	**15**	**1922.11**
पूर्व मध्य रेलवे	दत्तमत	3002-03(1)	4	26.41	5	39.50
		3002-03(2)	1	36.31	3	37.08
		3002-03(3)	2	111.87		
		3002-03(4)	1	17.71	3	68.85
		3002-03(5)	2	28.44	4	48.36
		3002-03(6)	3	154.56	1	50.52
		3002-03(7)	1	2.46	2	1765.76
		3002-03(8)	1	40.19	1	497.70
		3002-03(9)	2	38.40	2	15.70
		3002-03(10)	2	45.51	2	39.33
		3002-03(11)			7	524.41
		5002-03	16	3905.59	17	908.09
	दत्तमय योग		**35**	**4407.45**	**47**	**3995.30**
	पूर्व मध्य रेलवे योग		**35**	**4407.45**	**47**	**3995.30**
पूर्व रेलवे	दत्तमत					
		3002-03(1)			1	45.29
		3002-03(3)	1	54.33		
		3002-03(4)	2	152.24		
		3002-03(5)	1	48.04		

क्षेत्र	दत्तमत/ प्रभारित	अनुदान का नाम	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
		3002-03(6)	1	40.06		
		3002-03(7)			1	979.40
		3002-03(10)			1	209.77
		3002-03(11)			1	55.41
		3001			1	6.06
		5002-03	2	4367.08		
	दत्तमय योग		**7**	**4661.75**	**5**	**1295.93**
	पूर्व रेलवे योग		**7**	**4661.75**	**5**	**1295.93**
उत्तर मध्य रेलवे	दत्तमत					
		3002-03(02)			1	2.77
		3002-03(06)			1	2.79
		3002-03(07)			2	7.02
		3002-03(08)			1	3.95
		3002-03(11)			1	2.76
		5002-03			3	161.86
		दत्तमय योग			**9**	**181.15**
	पूर्व मध्य रेलवे योग				**9**	**181.15**
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे	दत्तमत	3002-03(01)			1	14.52
		3002-03(02)			1	24.12
		3002-03(03)	1	0		
		3002-03(04)			1	39.79
		3002-03(05)	1	57.04		
		3002-03(06)	1	0.02		
		3002-03(07)			1	298.16
		3002-03(08)	1	291.10		
		3002-03(09)			1	29.55
		3002-03(10)			1	29.36
		5002-03	23	3980.01	30	2079.94
		दत्तमय योग	**27**	**4328.17**	**36**	**2515.44**
	प्रभारित	3002-03(5)	1	0.05		
		3002-03(9)	1	0.07		
		3002-03(10)	1	11.57		
		3002-03(11)	1	0.07		

क्षेत्र	दत्तमत/ प्रभारित	अनुदान का नाम	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
		5002-03	2	22.38	1	117.26
		प्रभारित योग	**6**	**34.14**	**1**	**117.26**
	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे योग		**33**	**4362.31**	**37**	**2632.70**
पूर्वोत्तर रेलवे	दत्तमत	3002-03(02)			1	2.77
		3002-03(06)			1	2.79
		3002-03(07)			2	7.02
		3002-03(08)			1	3.95
		3002-03(11)	1	2.76		
	दत्तमय योग		**1**	**2.76**	**5**	**16.53**
	पूर्वोत्तर रेलवे योग		**1**	**2.76**	**5**	**16.53**
उत्तर रेलवे	दत्तमत	3002-03(01)	2	73.41	1	13.00
		3002-03(02)	2	99.03	1	12.12
		3002-03(03)	1	110.68	1	20.39
		3002-03(04)	2	50.80	2	78.61
		3002-03(05)	3	156.40	4	80.27
		3002-03(06)	2	240.33	2	230.30
		3002-03(07)			2	1418.86
		3002-03(08)	1	283.61	1	489.58
		3002-03(09)	1	70.86		
		3002-03(10)			3	136.14
		3002-03(11)	5	532.70	1	175.86
		3002-03(12)			2	889.26
		5002-03	11	7877.57	29	12541.55
		सिविल अनुदान	1	18.62		
		3001(XXX)	3	203.18	3	287.16
	दत्तमय योग		**34**	**9717.19**	**52**	**16373.10**
	प्रभारित |3002-03(10)				**1**	**12.00**
	प्रभारित योग				**1**	**12.00**
	उत्तर रेलवे योग		**34**	**9717.19**	**53**	**16385.10**
उत्तर पश्चिम रेलवे	दत्तमत	5002-03(3)			1	2.83
		5002-03(4)			1	13.11
		5002-03(7)	1	14.26		

क्षेत्र	दत्तमत/ प्रभारित	अनुदान का नाम	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
		5002-03(10)	1	8.49		
		5002-03	7	2103.21		
	दत्तमय योग		**9**	**2125.96**	**2**	**15.94**
	उत्तर पश्चिम रेलवे योग		**9**	**2125.96**	**2**	**15.94**
दक्षिण मध्य रेलवे	दत्तमत	3002-03(2)			1	4.56
		3002-03(4)			1	3.83
		3002-03(5)			1	2.26
		3002-03(6)			1	4.60
		3002-03(7)			1	10.13
		3002-03(8)			1	9.30
		3002-03(10)	1	4.10		
		5002-03			1	431.57
		सिविल अनुदान	1	11.04	1	0.72
		3001			1	8.73
	दत्तमय योग		**2**	**15.14**	**9**	**475.70**
	प्रभारित	5002-03			1	39.33
		3002-03			1	5.00
	प्रभारित योग		**0**		**2**	**44.33**
	दक्षिण मध्य रेलवे योग		**2**	**15.14**	**11**	**520.03**
दक्षिण पूर्व रेलवे	दत्तमत					
		3002-03(02)			1	12.99
		3002-03(04)	2	70.84	1	6.06
		3002-03(07)			1	161.17
		3002-03(08)	1	62.94	1	180.60
		3002-03(09)			2	25.25
		3002-03(10)	1	25.59		
		5002-03	2	362.85	5	276.95
	दत्तमत योग		**6**	**522.22**	**11**	**663.02**
	दक्षिण पूर्व रेलवे योग		**6**	**522.22**	**11**	**663.02**
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	दत्तमत	3002-03(3)	1	53.34		
		3002-03(4)				
		3002-03(5)				

क्षेत्र	दत्तमत/ प्रभारित	अनुदान का नाम	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
		3002-03(6)				
		3002-03(7)			1	371.83
		3002-03(10)	1	68.35		
	दत्तमय योग		**2**	**121.69**	**1**	**371.83**
	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे योग		**2**	**121.69**	**1**	**371.83**
दक्षिण रेलवे	दत्तमत	3002-03(05)			1	86.13
		3002-03(06)			2	47.14
		3002-03(07)	1	57.76		
		3002-03(08)			1	2.01
		3002-03(10)			1	53.31
		5002-03	1	108.35	7	135.38
	दत्तमय योग		**2**	**166.11**	**12**	**323.97**
	दक्षिण रेलवे योग		**2**	**166.11**	**12**	**323.97**
दक्षिण पश्चिम रेलवे	दत्तमत	3002-03(01)	1	10.14		
		3002-03(02)	1	54.04		
		3002-03(03)	2	113.24		
		3002-03(10)	1	31.86		
		5002-03	2	1711.17	3	673.03
	दत्तमत योग		**7**	**1920.45**	**3**	**673.03**
	दक्षिण पश्चिम रेलवे योग		**7**	**1920.45**	**3**	**673.03**
पश्चिम मध्य रेलवे	दत्तमत	3002-03(7)			1	5.32
		5002-03			2	6.87
		सिविल अनुदान			2	0.54
	दत्तमत योग				**5**	**12.73**
	पश्चिम मध्य रेलवे योग				**5**	**12.73**
पश्चिम रेलवे	प्रभारित	5002-03			1	40.45
	प्रभारित योग				**1**	**40.45**
	पश्चिम रेलवे योग				**1**	**40.45**
मेट्रो रेलवे	दत्तमत	5002-03	2	398.97		
		सिविल अनुदान			1	43.87
	प्रभारित योग		**2**	**398.97**	**1**	**43.87**
	एमआर योग		**2**	**398.97**	**1**	**43.87**

क्षेत्र	दत्तमत/ प्रभारित	अनुदान का नाम	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
बीएलडबल्यू वाराणसी	दत्तमत	5002-03			2	202.26
	बीएलडबल्यू वाराणसी योग				**2**	**202.26**
सीएलडबल्यू चितरंजन	दत्तमत	5002-03	1	92.40		
	सीएलडबल्यू चितरंजन योग		**1**	**92.40**		
आरडबल्यू एफ़ पीयू	दत्तमत	5002-03			5	3.57
	आरडबल्यूएफ़ पीयू योग				**5**	**3.57**
सकल योग			**149.00**	**32182.14**	**225.00**	**28927.70**

अनुलग्नक-3.1

रेलवे लेखापरीक्षा स्कंध के अंतर्गत रेलवे वाणिज्यिक उपक्रमों की सूची

क्र. सं.	रेलवे वाणिज्यिक उपक्रमों के नाम	गतिविधि
	रेलवे कंपनी	
1.	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएफ़सीसीआईएल)	निर्माण
2.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीओएनसीओआर)	संभारिकी
3.	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	खानपान, आतिथ्य एवं पर्यटन
4.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफ़सी)	वित्तपोषण
5.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (आईआरसीओएन)	निर्माण
6.	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	निर्माण
7.	रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (आरएआईएलटीईएल)	संचार एवं नेटवर्क
8.	राइट्स लिमिटेड (आरआईटीईएस)	परामर्श कार्य
9.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	निर्माण
10.	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (इसे बंद कर दिया गया है और 22 सितंबर 2022 से कंपनी रजिस्टर से इसका नाम हटा दिया गया है)	वैगन निर्माण
11.	कोलकाता मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	निर्माण
12.	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (इसे बंद कर दिया गया है और 5 जुलाई 2022 से कंपनी के रजिस्टर से इसका नाम हटा दिया गया है)	वैगन निर्माण
13.	कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड	निर्माण
14.	मुंबई रेल विकास निगम	निर्माण
15.	वैगन इंडिया लिमिटेड (समापन प्रक्रिया के अंतर्गत)	वैगन निर्माण
16.	एनआरटीयू फाउंडेशन (परिसमापन के अंतर्गत)	अन्य
17.	रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड	अन्य
	सहायक कंपनियां	
18.	कॉनकोर एयर लिमिटेड	एयर कार्गो संभारिकी
19.	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	संभारिकी
20.	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	संभारिकी
21.	सिडकुल कॉनकोर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	संभारिकी
22.	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाइवे लिमिटेड	निर्माण
23.	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	निर्माण
24.	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	निर्माण
25.	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	निर्माण

क्र. सं.	रेलवे वाणिज्यिक उपक्रमों के नाम	गतिविधि
26.	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	निर्माण
27.	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	निर्माण
28.	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाइवे लिमिटेड	निर्माण
29.	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	निर्माण
30.	इरकॉन अकलोली - शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	निर्माण
31.	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	निर्माण
32.	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	निर्माण
33.	एचएसआरसी इंफ्रा लिमिटेड	निर्माण
34.	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (रेल टेल के साथ विलय सितंबर 2023)	संचार और नेटवर्क
35.	रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड	परामर्श कार्य
36.	मसाकानी पारादीप रोड विकास लिमिटेड	निर्माण
37.	आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड (10 फरवरी 2024 को निगमित)	अन्य
38.	ब्रैथवेट एनएसीओएफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड (5 जनवरी 2023 को निगमित)	अन्य
	संयुक्त उद्यम	
39.	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	अन्य
40.	सूरत एकीकृत परिवहन विकास निगम लिमिटेड	अन्य
41.	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	वैगन निर्माण
42.	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	निर्माण
43.	महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	निर्माण
	विशेष प्रयोजन वाहन	
44.	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर	निर्माण
45.	भरूच दहेज रेल कंपनी लिमिटेड	निर्माण
46.	कृष्णापट्टनम रेल कंपनी लिमिटेड	निर्माण
47.	कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड	निर्माण
48.	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	निर्माण
49.	पीपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	निर्माण
50.	हासन मैंगलोर रेल विकास निगम	निर्माण

अनुलग्नक 3.2

रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी में भारत सरकार और केंद्र सरकार की कंपनियों/राज्य सरकारों/राज्य सरकार की कंपनियों आदि का कुल निवेश। (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	2020-21						2021-22						2022-23						2023-24						2024-25					
		कुल इक्विटी	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार की कंपनियाँ	राज्य सरकार	एसजीसी	एफ़ आई एवं अन्य	कुल इक्विटी	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार की कंपनियाँ	राज्य सरकार	एसजीसी	एफ़ आई एवं अन्य	कुल इक्विटी	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार की कंपनियाँ	राज्य सरकार	एसजीसी	एफ़ आई एवं अन्य	कुल इक्विटी	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार की कंपनियाँ	राज्य सरकार	एसजीसी	एफ़ आई एवं अन्य	कुल इक्विटी	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार की कंपनियाँ	राज्य सरकार	एसजीसी	एफ़ आई एवं अन्य
रेलवे कंपनियाँ																															
1	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	14076.63	14076.63	0	0	0	0	14076.63	14076.63	0	0	0	0	15728.99	15728.99	0	0	0	0	15728.99	15728.99	0	0	0	0	15728.99	15728.99	0	0	0	0
2	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	304.65	166.94	0	0	0	137.71	304.65	166.94	0	0	0	137.71	304.65	166.94	0	0	0	137.71	304.65	166.94	0	0	0	137.71	304.65	166.94	0	0	0	137.71
3	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	160	107.84	0	0	0	52.16	160	107.84	0	0	0	52.16	160	99.84	0	0	0	60.16	160.00	99.84	0	0	0	60.16	160.00	99.84	0	0	0	60.16
4	भारतीय रेलवे वित्त निगम	13068.51	11286.44	0	0	0	1782.07	13068.51	11286.44	0	0	0	1782.07	13068.51	11286.44	0	0	0	1782.07	13068.51	11286.44	0	0	0	1782.07	13068.51	11286.44	0	0	0	1782.07
5	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	94.05	68.83	0	0	0	25.22	188.1	137.66	0	0	0	50.44	188.1	137.66	0	0	0	50.44	188.10	122.58	0	0	0	65.52	188.10	122.58	0	0	0	65.52
6	रेल विकास निगम लिमिटेड	2085.02	1630.6	0	0	0	454.42	2085.02	1630.5	0	0	0	454.52	2085.02	1630.5	0	0	0	454.52	2085.02	1518.74	0	0	0	566.28	2085.02	1518.74	0	0	0	566.28
7	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	320.94	233.78	0	0	0	87.16	320.94	233.78	0	0	0	87.16	320.94	233.78	0	0	0	87.16	320.94	233.78	0	0	0	87.16	320.94	233.78	0	0	0	87.16
8	आरआईटीईएस लिमिटेड	240.3	173.5	0	0	0	66.8	240.3	173.5	0	0	0	66.8	240.3	173.5	0	0	0	66.8	240.30	173.50	0	0	0	66.80	480.60	347.00	0	0	0	133.60
9	ब्रेथवेट एवं कंपनी लिमिटेड	83.42	83.42	0	0	0	0	83.42	83.42	0	0	0	0	83.42	83.42	0	0	0	0	83.4226	83.42	0	0	0	0	83.42	83.42	0	0	0	0
10	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	184.63	184.63	0	0	0	0	विघटित																							
11	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1403	1403	0	0	0	0	3758.62	3758.62	0	0	0	0	3758.62	3758.62	0	0	0	0	3758.62	3758.62	0	0	0	0	3758.62	3758.62	0	0	0	0
12	भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड	75.85	75.85	0	0	0	0	विघटित																							
13	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5560.7	4855.5	0	705.2	0	0	5703.04	4936.88	0	766.16	0	0	5865.12	4998.74	0	866.38	0	0	5865.12	4998.74	0	866.38	0	0	5881.97	3672.7	0	2209.27	0	0
14	मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	25	12.75	0	12.25	0	0	25	12.75	0	12.25	0	0	25	12.75	0	12.25	0	0	25	12.75	0	12.25	0	0	25	12.75	0	12.25	0	0
15	वैगन इंडिया लिमिटेड	समापन के अंतर्गत																													
16	एनआरटीयू फ़ाउंडेशन	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग		37683.7	34360.71	0	717.45	0	2605.54	40015.23	36605.96	0	778.41	0	2630.86	41829.67	38312.18	0	878.63	0	2638.86	41829.67	38185.34	0.00	878.63	0.00	2765.70	42085.82	37031.80	0.00	2221.52	0.00	2832.50
सहायक कंपनियाँ																															
18	कॉनकोर एयर लिमिटेड	36.65	0	36.65	0	0	0	36.65	0	36.65	0	0	0	36.65	0	36.65	0	0	0	36.65	0	36.65	0	0	0	36.65	0	36.65	0	0	0
19	फ्रेश एवं हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	215.01	0	215.01	0	0	0	220.47	0	220.47	0	0	0	228.68	0	228.68	0	0	0	228.68	0	228.68	0	0	0	228.68	0	228.68	0	0	0
20	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	200	0	102	0	98	0	200	0	102	0	98	0	200	0	102	0	98	0	200.00	0	102.00	0.00	98.00	0.00	200.00	0	102.00	0	98.00	0
21	सिडकुल कॉनकोर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	100	0	74	0	26	0	100	0	74	0	26	0	100	0	74	0	26	0	99.47	0	73.61	0.00	25.86	0.00	99.47	0	73.61	0	25.86	0
22	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	0	0.05	0	0	0
23	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165.00	0	165.00	0	0	0	165.00	0	165.00	0	0	0
24	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150.00	0	150.00	0	0	0	150.00	0	150.00	0	0	0
25	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	164.05	0	164.05	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173.00	0	173.00	0	0	0	173.00	0	173.00	0	0	0
26	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10.00	0	10.00	0	0	0	10.00	0	10.00	0	0	0
27	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज लिमिटेड	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65.00	0	65.00	0	0	0	65.00	0	65.00	0	0	0
28	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	दिसंबर 2021 को निगमित						0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	0	0.05	0	0	0	3.62	0	3.62	0	0	0	11.11	0	11.11	0	0	0
29	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	जनवरी 2022 को निगमित						लेखे देय नहीं हैं						0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	0	0.05	0	0	0

क्र. सं.	रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	2020-21						2021-22						2022-23						2023-24						2024-25					
		कुल इक्विटी	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार की कंपनियाँ	राज्य सरकार	एसजीसी	एफ़ आई एवं अन्य	कुल इक्विटी	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार की कंपनियाँ	राज्य सरकार	एसजीसी	एफ़ आई एवं अन्य	कुल इक्विटी	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार की कंपनियाँ	राज्य सरकार	एसजीसी	एफ़ आई एवं अन्य	कुल इक्विटी	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार की कंपनियाँ	राज्य सरकार	एसजीसी	एफ़ आई एवं अन्य	कुल इक्विटी	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार की कंपनियाँ	राज्य सरकार	एसजीसी	एफ़ आई एवं अन्य
30	इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड	दिसंबर 2021 को निगमित						0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	0	0.05	0	0	0	4.34	0	4.34	0	0	0	4.34	0	4.34	0	0	0
31	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	जनवरी 2022 को निगमित						लेखे देय नहीं हैं						0.05	0	0.05	0	0	0	5.20	0	5.20	0	0	0	10.60	0	10.60	0	0	0
32	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	जनवरी 2022 को निगमित						लेखे देय नहीं हैं						5	0	3.8	0	0	1.2	5.00	0	3.80	0	0	1.2	5.00	0	3.80	0	0	1.2
33	एचएसआरसी इंफ्रा सर्विसेज़ लिमिटेड	0.11	0	0.11	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45.00	0	45.00	0	0	0	45.00	0	45.00	0	0	0
34	रेलटेल एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	मूल कंपनी के साथ विलय किया गया											
35	आरईएमसी लिमिटेड (पूर्व में रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड)	105	51.45	53.55	0	0	0.02	105	51.45	53.55	0	0	0	105	51.45	53.55	0	0	0.02	105.00	51.45	53.55	0	0	0	105.00	51.44	53.54	0	0	0.02
36	मसाकानी पारादीप रोड विकास लिमिटेड	21 अगस्त 2023 को निगमित																		27.65	0	27.65	0	0	0	72.65	0	72.65	0	0	0
37	आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड	10 फरवरी 2024 को निगमित																								25.00	0.00	25.00	0	0	0
38	ब्रैथवेट एनएसीओएफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड	5 जनवरी 2024 को निगमित																		0.10	0	0.05	0	0	0.05	**0.10**	**0**	**0.05**	**0**	**0**	**0.05**
	योग	**1220.87**	**51.45**	**1045.4**	**0**	**124**	**0.02**	**1280.27**	**51.45**	**1104.82**	**0**	**124**	**0**	**1293.58**	**51.45**	**1116.93**	**0**	**124**	**1.22**	**1323.81**	**51.45**	**1147.25**	**0.00**	**123.86**	**1.25**	**1406.70**	**51.44**	**1230.13**	**0.00**	**123.86**	**1.27**
	संयुक्त उपक्रम																														
39	इंडियन रेलवे स्टेशंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	200	100	100	0	0	0	200	100	100	0	0	0	200	100	100	0	0	0	200.00	100.00	100.00	0	0	0	200.00	100.00	100.00	0	0	0
40	सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	0	6.3	3.4	0	0.3	10	0	6.3	3.4	0	0.3	10	6.3	0	3.4	0	0.3	10.00	0	6.30	0	3.40	0.30	10.00	0	6.30	0	3.40	0.30
41	सेल आरआईटीईएस बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48.00	0	48.00	0	0	0	48.00	0	48.00	0	0	0
42	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9580	8950	0	630	0	0	12930	10000	0	2930	0	0	14211.43	10000	0	4211.43	0	0	15006.00	10000.00	0	5006.00	0	0	15006.00	10000.00	0	5006.00	0	0
43	महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	85.42	42.71	0	42.71	0	0	100	50	0	50	0	0	321.56	160.78	0	160.78	0	0	661.56	330.78	0	330.78	0	0	खातों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है					
	योग	**9923.42**	**9092.71**	**154.3**	**676.11**	**0**	**0.3**	**13288**	**10150**	**154.3**	**2983.4**	**0**	**0.3**	**14790.99**	**10267.08**	**148**	**4375.6**	**0**	**0.3**	**15925.56**	**10430.78**	**154.30**	**5336.78**	**3.40**	**0.30**	**15264.00**	**10100.00**	**154.30**	**5006.00**	**3.40**	**0.30**
	विशेष प्रयोजन वाहन																														
44	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	1187.37	138.57	668.13	200.9	92.97	86.8	1300	138.58	726.83	237.77	109.98	86.84	1300	138.58	726.83	237.77	109.98	86.84	1300.00	138.58	726.83	237.77	109.98	86.84	1300.00	0.00	731.77	237.77	111.93	218.53
45	भरूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड	155.11	0	55	35.72	23.53	40.86	155.11	0	55	35.72	23.53	40.86	155.11	0	55	35.72	23.53	40.86	155.11	0	55.00	35.72	23.53	40.86	155.11	0	55.02	35.70	23.53	40.86
46	कृष्णपट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	625	0	476	35	0	114	625	0	476	35	0	114	625	0	476	35	0	114	625.00	0.00	476.00	35.00	0.00	114.00	625.00	0.00	476.00	35.00	0.00	114.00
47	कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड	250	65	125	10	0	50	250	65	125	10	0	50	250	65	125	10	0	50	821.00	213.46	410.50	32.84	0.00	164.20	821.00	213.46	410.50	32.84	0.00	164.20
48	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	778.6	0	460	170.4	88.2	60	783.7	0	460	175.5	88.2	60	798.97	0	470.65	177.6	90.72	60	937.04	0	527.19	239.47	110.38	60	972	0	562.2	239.5	110.3	60
49	पिपावाव रेलवे निगम लिमिटेड	196	98	10	0	0	88	196	98	10	0	0	88	196	98	10	0	0	88	196.00	98.00	10.00	0	0	88.00	196.00	98.00	10.00	0	0	88.00
50	हासन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	112	55	0	28	19	10	112	55	0	28	19	10	112	55	0	28	19	10	112	55	0	28	19	10	112	45	0	28	19	20
	योग	**3304.08**	**356.57**	**1794.1**	**480.02**	**223.7**	**449.66**	**3421.81**	**356.58**	**1852.83**	**521.99**	**240.71**	**449.7**	**3437.08**	**356.58**	**1863.48**	**524.09**	**243.23**	**449.7**	**4146.15**	**505.04**	**2205.52**	**608.80**	**262.89**	**563.90**	**4181.11**	**356.46**	**2245.49**	**608.81**	**264.76**	**705.59**
	सकल योग	**52132.07**	**43861.44**	**2993.9**	**1873.6**	**347.7**	**3055.52**	**58005.31**	**47163.99**	**3111.95**	**4283.8**	**364.71**	**3080.86**	**61351.32**	**48987.29**	**3128.41**	**5778.3**	**367.23**	**3090.08**	**63225.19**	**49172.61**	**3507.07**	**6824.21**	**390.15**	**3331.15**	**62937.63**	**47539.70**	**3629.92**	**7836.33**	**392.02**	**3539.66**

अनुलग्नक 3.3

भारत सरकार एवं अन्य से कुल दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	2020-21						2021-22						2022-23						2023-24						2024-25					
		कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	केंद्र सरकार की कंपनियाँ	एसजी	एसजीसी	एफ़ आई एवं अन्य	कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	केंद्र सरकार की कंपनियाँ	एसजी	एसजीसी	एफ़ आई एवं अन्य	कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	केंद्र सरकार की कंपनियाँ	एसजी	एसजीसी	एफ़ आई एवं अन्य	कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	केंद्र सरकार की कंपनियाँ	एसजी	एसजीसी	एफ़ आई एवं अन्य	कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	केंद्र सरकार की कंपनियाँ	एसजी	एसजीसी	एफ़ आई एवं अन्य
1	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	27310.49	0.00	0.00	0.00	0.00	27310.49	33150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	33150.81	37396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	37396.23	44095.14	0.00	0.00	0.00	0.00	44095.14	46672.92	0.00	0.00	0.00	0.00	46672.92
2	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	भारतीय रेलवे वित निगम	323110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	323110.68	388416.62	0.00	0.00	0.00	0.00	388416.62	418929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	418929.25	412032.10	0.00	0.00	0.00	0.00	412032.10	412129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	412129.40
5	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	1845.92	0.00	1845.92	0.00	0.00	0.00	1230.62	0.00	1230.62	0.00	0.00	0.00	615.31	0.00	615.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	रेल विकास निगम लिमिटेड	5671.51	0.00	5671.51	0.00	0.00	0.00	6315.43	0.00	6315.43	0.00	0.00	0.00	6030.58	0.00	6030.58	0.00	0.00	0.00	5515.77	0.00	5515.77	0.00	0.00	0.00	4889.51	0.00	4889.51	0.00	0.00	0.00
7	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8	आरआईटीई एस लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ब्रेथवेट एवं कंपनी लिमिटेड	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	विघटित																							
11	कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	6043.65	2673.32	0.00	0.00	0.00	3370.33	4539.48	1057.76	0.00	0.00	0.00	3481.72	4853.03	1331.64	0.00	0.00	0.00	3521.39	5089.51	1949.72	0.00	0.00	0.00	3139.79	5665.72	2570.88	0.00	0.00	0.00	3094.84
12	भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	विघटित																							
13	कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड	2680.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2680.73	3116.21	199.92	0.00	0.00	0.00	2916.29	3023.32	338.39	0.00	0.00	0.00	2684.93	2506.74	133.06	0.00	0.00	0.00	2373.68	2499.90	603.72	0.00	0.00	0.00	1896.18
14	मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	वैगन इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	परिसमापन के अधीन																		विघटित					
16	एनआरटीयू फाउंडेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग		**366697.16**	**2707.50**	**7517.43**	**0.00**	**0.00**	**356472.23**	**436769.17**	**1257.68**	**7546.05**	**0.00**	**0.00**	**427965.44**	**470847.72**	**1670.03**	**6645.89**	**0.00**	**0.00**	**462531.80**	**469239.26**	**2082.78**	**5515.77**	**0.00**	**0.00**	**461640.71**	**471857.45**	**3174.60**	**4889.51**	**0.00**	**0.00**	**463793.34**
सहायक कंपनियाँ																															
18	कॉनकोर एयर लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	फ्रेश एवं हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	पंजाब लॉजिस्टिक्स	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	63.63	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	57.27	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड																														
21	सिड्कुल कॉनकोर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	196.51	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	196.51
23	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	240.66	0.00	240.66	0.00	0.00	0.00	228.56	0.00	228.56	0.00	0.00	0.00	162.59	0.00	162.59	0.00	0.00	0.00	180.20	0.00	180.20	0.00	0.00	0.00
24	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	499.86	0.00	0.00	0.00	0.00	499.86	493.06	0.00	0.00	0.00	0.00	493.06	467.17	0.00	0.00	0.00	0.00	467.17	450.52	0.00	0.00	0.00	0.00	450.52
25	इरकॉन दावणगेरे-हावेरी हाईवे लिमिटेड	357.39	0.00	26.46	0.00	0.00	330.93	382.89	-	38.76	0.00	0.00	344.13	372.42	0.00	47.13	0.00	0.00	325.29	322.17	0.00	47.13	0.00	0.00	275.04	299.25	0.00	47.13	0.00	0.00	252.12
26	इरकॉन वडोदरा-किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	589.50	0.00	589.50	0.00	0.00	0.00	589.50	0.00	34.48	0.00	0.00	555.02	724.12	0.00	68.96	0.00	0.00	655.16	620.68	0.00	68.96	0.00	0.00	551.72	482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	482.76
27	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज़ लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	इरकॉन लुधियाना-रूपनगर हाईवे लिमिटेड	दिसंबर 2021 को निगमित						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	444.15	0.00	0.00	0.00	0.00	444.15
29	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	दिसंबर 2021 को निगमित						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	112.96	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	216.98
30	इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड	जनवरी 2022 को निगमित						लेखे देय नहीं हैं						30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	30.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	155.70	350.55	0.00	0.00	0.00	0.00	350.55

31	इरकॉन भोज-मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	जनवरी 2022 को निगमित						लेखे देय नहीं हैं						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129.37	305.17	0.00	0.00	0.00	0.00	305.17
32	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	जनवरी 2022 को निगमित						लेखे देय नहीं हैं						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.21	0.00	0.00	0.00	0.00	371.21	1520.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1520.44
33	एचएसआर सी इंफ्रा सर्विसेज़ लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	रेलटेल एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	मूल कंपनी के साथ विलय किया गया											
35	आईएमसी लिमिटेड (पहले रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड)	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	32.31	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	मसकानी पारादीप रोड विकास लिमिटेड	21 अगस्त 2023 को निगमित																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	आईआरसी टीसी पेमेंट्स लिमिटेड	10 फरवरी 20243 को निगमित																								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	ब्रेथवेट नैकोफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड	5 जनवरी 2023 को निगमित																		25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
योग		**1904.83**	**0.00**	**1477.96**	**0.00**	**0.00**	**426.87**	**1794.83**	**0.00**	**313.90**	**0.00**	**0.00**	**1480.93**	**1899.77**	**0.00**	**344.65**	**0.00**	**0.00**	**1555.12**	**2760.36**	**0.00**	**278.68**	**0.00**	**0.00**	**2481.68**	**4471.53**	**0.00**	**227.33**	**0.00**	**0.00**	**4244.20**
संयुक्त उपक्रम																															
39	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

40	सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	सेल आरआईटीई एस बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	19.80	0.00	2.80	0.00	0.00	17.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	192.47	690.02	0.00	0.00	0.00	0.00	690.02	खातों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है					
योग		**19.80**	**0.00**	**2.80**	**0.00**	**0.00**	**17.00**	**152.30**	**44.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107.34**	**238.37**	**45.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**192.47**	**738.84**	**48.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**690.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
विशेष प्रयोजन वाहन																															
44	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	**1437.09**	0.00	0.00	0.00	0.00	1437.09	1200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.03	1200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.03	1132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1132.03	870.19	0.00	0.00	0.00	0.00	870.19
45	भरूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड	**77.75**	0.00	0.00	0.00	0.00	77.75	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	63.97	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	कृष्णपट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	**991.66**	0.00	0.00	0.00	0.00	991.66	851.91	0.00	0.00	0.00	0.00	851.91	776.67	0.00	0.00	0.00	0.00	776.67	566.53	0.00	0.00	0.00	0.00	566.53	354.42	0.00	0.00	0.00	0.00	354.42
47	कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड	**276.15**	0.00	0.00	0.00	0.00	276.15	938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	938.40	924.63	0.00	0.00	0.00	0.00	924.63	1059.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1059.80	931.26	0.00	0.00	0.00	0.00	931.26
48	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	**798.40**	0.00	0.00	0.00	0.00	798.40	1373.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1373.42	1934.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1934.36	2228.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2228.85	2437.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2437.59

49	पिपावाव रेलवे निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग		3581.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3581.05	4427.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4427.73	4851.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4851.36	4987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4987.21	4593.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4593.46
सकल योग		372202.84	2707.50	8998.19	0.00	0.00	360497.15	443144.03	1302.64	7859.95	0.00	0.00	433981.44	477837.22	1715.93	6990.54	0.00	0.00	469130.75	477725.67	2131.60	5794.45	0.00	0.00	469799.62	480922.44	3174.60	5116.84	0.00	0.00	472631.00

अनुलग्नक-3.4

रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लाभप्रदता (₹ करोड़ में)

		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
क्र. सं.	रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया	लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया	लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया	लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया	लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया
रेलवे कंपनियाँ											
1	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	112.45	0.00	-16.15	0.00	-19.70	0.00	-29.58	0	42.92	0
2	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	503.33	304.65	1062.34	548.36	1169.08	670.22	1230.79	700.69	1271.98	700.69
3	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम	189.90	80.00	659.55	280.00	1005.88	440.00	1111.26	520.00	1314.66	640
4	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	4416.13	1372.19	6089.83	1829.60	6337.01	1960.28	6412.10	1960.28	6502	3005
5	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	404.56	221.02	544.32	235.13	776.83	282.15	862.9	291.56	737.59	249.23
6	रेल विकास निगम लिमिटेड	940.55	329.43	1087.35	381.56	1267.97	444.11	1462.95	439.94	1188.62	358.62
7	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	140.41	70.61	208.34	77.02	187.38	81.83	246.21	91.47	299.81	91.47
8	आरआईटीईएस लिमिटेड	424.35	312.39	497.10	408.52	530.54	492.62	454.11	456.57	380.22	362.87
9	ब्रैथवेट एवं कंपनी लिमिटेड	24.72	0.00	42.42	0.00	49.72	0.00	16.47	0	19.79	0
10	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	-0.14	0.00	विघटित							
11	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	0.00	0.00	0.06	0.00	0.75	0.00	-0.012	0	-0.0027	0
12	भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड	95.58	0.00	विघटित							
13	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-366.41	0.00	-140.87	0.00	278.93	0.00	329.27	0	137.69	0
14	मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन	23.25	0.00	7.57	0.00	86.27	0.00	133.71	0	168.41	0
15	वैगन इंडिया लिमिटेड		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0
16	एनआरटीयू फाउंडेशन	0.00	0.00	0.22	0.00	-2.46	0.00	-0.15	0.00		0
17	रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड	0.79	0.00	-5.10	0.00	3.10	0.00	-6.56	0.00	0.00	0.00
	कुल रेलवे कंपनियाँ	**6909.47**	**2690.29**	**10036.98**	**3760.19**	**11671.30**	**4371.21**	**12223.47**	**4460.51**	**12063.69**	**5407.88**
सहायक कंपनियाँ											

		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
क्र. सं.	रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया	लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया	लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया	लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया	लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया
18	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	-2.93	0.00	-9.65	0.00	-1.10	0.00	3.13	0.00	2.03	0
19	फ्रेश एवं हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	-4.84	0.00	-3.73	0.00	-2.57	0.00	0.63	0.00	1.08	0
20	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	-9.13	0.00	-5.93	0.00	-0.91	0.00	0.14	0.00	3.64	0
21	सिडकुल कॉनकॉर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	-0.29	0.00	0.21	0.00	1.61	0.00	5.51	0.00	4.99	0
22	इरकॉन गुरुगांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	0.01	0.00	-0.01	0.00	3.67	0.00	4.14	0	3.31	0
23	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	-21.38	0.00	-24.62	0.00	-17.17	0.00	-7.76	0	-31.6	0
24	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	-14.06	0.00	-12.05	0.00	-14.34	0.00	-6.39	0	-22.58	0
25	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	0.65	0.00	5.87	0.00	26.37	0.00	23.87	0	23.76	0
26	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	0.28	0.00	60.16	0.00	21.74	0.00	48.11	0	46.42	0
27	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज लिमिटेड	5.75	0.00	5.30	0.00	5.33	0.00	8.86	8.83	17.37	7.41
28	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0	6.59	0
29	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	2.7	0	1.32	0
30	इरकॉन अकोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	7.06	0	6.08	0
31	आईआरसीओएन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.012	0.000	10.91	0	11.48	0
32	आईआरसीओएन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.29	0.00	-0.32	0	1.05	0
33	एचएसआरसी इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड	-0.21	0.00	1.91	0.00	3.30	0.00	7.07	0.00	11.84	3.6
34	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	2.05	0.00	1.30	0.00	1.01	0.00	मूल कंपनी के साथ विलय किया गया			
35	आरईएमसी लिमिटेड	24.13	9.00	45.32	13.65	59.04	57.75	81.22	80.85	79.31	78.43
36	मसाकानी पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	**21 अगस्त 2023 को निगमित**					0.00	-1.14	0.00	11.97	0
37	आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड	**10 फरवरी 20243 को निगमित**					0.00	0	0	0.07	0

		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
क्र. सं.	रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया	लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया	लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया	लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया	लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया
38	ब्रैथवेट नैकोफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड	5 जनवरी 2023 को निगमित					0.00	-0.02	0.00	-0.02	0
कुल सहायक कंपनियाँ		**-19.97**	**9.00**	**64.08**	**13.65**	**86.76**	**57.75**	**189.25**	**89.68**	**178.11**	**89.44**
संयुक्त उपक्रम											
39	भारतीय रेलवे स्टेशनों का विकास निगम लिमिटेड	5.06	0.00	1.34	0.00	1.64	0.00	4.72	0.00	10.23	0
40	सूरत एकीकृत परिवहन विकास निगम लिमिटेड	0.20	0.00	0.24	0.00	0.22	0.00	1.88	0	13.27	0
41	सेल आरआईटीईएस बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	2.48	0.00	1.62	0.00	0.33	0.00	8.06	2.4	21.75	9.6
42	राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड	22.43	0.00	83.93	0.00	53.79	0.00	80.16	0.00	68.35	0
43	महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	1.28	0.00	3.41	0.00	25.90	0.00	24.97	0	खातों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है	
कुल संयुक्त उपक्रम		**31.45**	**0.00**	**90.54**	**0.00**	**81.88**	**0.00**	**119.79**	**2.40**	**113.60**	**9.60**
विशेष प्रयोजन वाहन											
44	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	38.84	0.00	31.20	13.00	48.19	15.60	79.42	52.00	122.78	78
45	भरूच दहेज रेल कंपनी लिमिटेड	-1.57	0.00	29.07	0.00	39.27	3.10	30.91	4.65	40.18	2.33
46	कृष्णपट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	-106.82	0.00	-115.82	0.00	29.53	0.00	117.35	0.00	81.28	0
47	कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड	225.06	35.00	137.44	0.00	73.82	0.00	17.92	0.00	13.94	0
48	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	0.70	0.00	0.53	0.00	0.44	0.00	-48.48	0.00	-1.49	0
49	पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	26.02	9.80	10.55	0.00	55.09	9.80	23.32	0.00	44.17	0
50	हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	-32.04	0.00	-39.99	0.00	-30.82	0.00	11.62	0.00	4.77	4.25
कुल विशेष प्रयोजन वाहन		**150.19**	**44.80**	**52.98**	**13.00**	**215.52**	**28.50**	**232.07**	**56.65**	**305.63**	**84.58**
महा योग		**7071.14**	**2744.09**	**10244.58**	**3786.84**	**12055.46**	**4457.46**	**12764.57**	**4609.24**	**12661.03**	**5591.50**

अनुलग्नक-3.5

क्र. सं.	रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	रेलवे पीएसई द्वारा लाभांश का भुगतान (₹ करोड़ में)						
		2024-25						
		लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया	कुल संपत्ति	लाभ का 30 %	कुल संपत्ति का 4%	भुगतान किया जाने वाला लाभांश	कमी
रेलवे कंपनियाँ								
1	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	42.92	0	15988.35	12.88	639.53	639.53	639.53
2	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1271.98	700.69	12349.48	381.59	493.98	493.98	0.00
3	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम	1314.66	640	3663.30	394.40	146.53	394.40	0.00
4	भारतीय रेलवे वित्त निगम	6502	3005	52667.77	1950.60	2106.71	2106.71	0.00
5	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	737.59	249.23	6237.43	221.28	249.50	249.50	0.27
6	रेल विकास निगम लिमिटेड	1188.62	358.62	8623.72	356.59	344.95	356.59	0.00
7	रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	299.81	91.47	2000	89.94	80.00	89.94	0.00
8	आरआईटीईएस लिमिटेड	380.22	362.87	2533.3	114.07	101.33	114.07	0.00
9	ब्रैथवेट एवं कंपनी लिमिटेड	19.79	0	233.6	5.94	9.34	9.34	9.34
10	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	विघटित						
11	कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	-0.0027	0	3759.35	0.00	150.37	150.37	150.37
12	भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड	विघटित						
13	कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड	137.69	0	2047.97	41.31	81.92	81.92	81.92
14	मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड	168.41	0	581.88	50.52	23.28	50.52	50.52
15	वैगन इंडिया लिमिटेड	विघटित						

क्र. सं.	रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	रेलवे पीएसई द्वारा लाभांश का भुगतान (₹ करोड़ में)						
		2024-25						
		लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया	कुल संपत्ति	लाभ का 30 %	कुल संपत्ति का 4%	भुगतान किया जाने वाला लाभांश	कमी
16	एनआरटीयू फाउंडेशन	विघटित						
17	रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**12063.69**	**5407.88**	**110686.15**	**3619.11**	**4427.45**	**4736.87**	**931.95**
सहायक कंपनियाँ								
18	कॉनकोर एयर लिमिटेड	2.03	0	28.29	0.61	1.13	1.13	1.13
19	फ्रेश एवं हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	1.08	0	40.63	0.32	1.63	1.63	1.63
20	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	3.64	0	162.70	1.09	6.51	6.51	6.51
21	सिडकुल कॉनकोर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	4.99	0	102.4	1.50	4.10	4.10	4.10
22	आईआरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	3.31	0	99.52	0.99	3.98	3.98	3.98
23	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	-31.6	0	109.69	-9.48	4.39	4.39	4.39
24	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	-22.58	0	18.39	-6.77	0.74	0.74	0.74
25	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	23.76	0	270.93	7.13	10.84	10.84	10.84
26	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	46.42	0	382.75	13.93	15.31	15.31	15.31
27	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज लिमिटेड	17.37	7.41	185.12	5.21	7.40	7.40	0.00
28	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	6.59	0	119.03	1.98	4.76	4.76	4.76
29	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	1.32	0	87.22	0.40	3.49	3.49	3.49
30	इरकॉन अकोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड	6.08	0	122.6	1.82	4.90	4.90	4.90
31	आईआरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	11.48	0	114.2	3.44	4.57	4.57	4.57

क्र. सं.	रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	रेलवे पीएसई द्वारा लाभांश का भुगतान (₹ करोड़ में)						
		2024-25						
		लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया	कुल संपत्ति	लाभ का 30 %	कुल संपत्ति का 4%	भुगतान किया जाने वाला लाभांश	कमी
32	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	1.05	0	147.59	0.32	5.90	5.90	5.90
33	एचएसआरसी इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड	11.84	3.6	68.88	3.55	2.76	3.55	0.00
34	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	मूल कंपनी के साथ विलय किया गया						
35	आरईएमसी लिमिटेड (पूर्व में रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड)	79.31	78.43	222.66	23.79	8.91	23.79	0.00
36	मसकानी पारादीप रोड विकास लिमिटेड	11.97	0	84.04	3.59	3.36	3.59	3.59
37	आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड	0.07	0	25.02	0.02	1.00	1.00	1.00
38	ब्रैथवेट नैकोफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड	-0.02	0	0.05	-0.01	0.00	0.00	0.00
	योग	**178.11**	**89.44**	**2391.71**	**53.43**	**95.67**	**111.58**	**76.83**
संयुक्त उपक्रम								
39	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम	10.23	0	316.36	3.07	12.65	12.65	12.65
40	सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	13.27	0	23.1	3.98	0.92	3.98	3.98
41	सेल आरआईटीईएस बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	21.75	9.6	79.51	6.53	3.18	6.53	0.00
42	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	68.35	0	15385.29	20.51	615.41	615.41	615.41
43	महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**113.60**	**9.60**	**15804.26**	**34.08**	**632.17**	**638.57**	**632.05**
विशेष प्रयोजन वाहन								
44	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर	122.78	78	1515.10	36.83	60.60	60.60	0.00
45	भरूच दहेज रेल कंपनी लिमिटेड	40.18	2.33	314.51	12.05	12.58	12.58	10.25

क्र. सं.	रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	रेलवे पीएसई द्वारा लाभांश का भुगतान (₹ करोड़ में)						
		2024-25						
		लाभ	लाभांश का भुगतान किया गया	कुल संपत्ति	लाभ का 30 %	कुल संपत्ति का 4%	भुगतान किया जाने वाला लाभांश	कमी
46	कृष्णपट्टनम रेल कंपनी लिमिटेड	81.28	0	648.65	24.38	25.95	25.95	25.95
47	कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड	13.94	0	2583.25	4.18	103.33	103.33	103.33
48	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	-1.49	0	1005.88	-0.45	40.24	40.24	40.24
49	पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	44.17	0	781.02	13.25	31.24	31.24	31.24
50	हासन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	4.77	4.25	293.11	1.43	11.72	11.72	7.47
	योग	**305.63**	**84.58**	**7141.52**	**91.69**	**285.66**	**285.66**	**218.48**
	महा योग	**12661.03**	**5591.50**	**136023.64**	**3798.31**	**5440.95**	**5772.68**	**1859.31**

परिशिष्ट-I
सैंपल क्राइटेरिया और चुने गए सैंपल का ब्यौरा
(संदर्भ पैराग्राफ संख्या 4.6)

क्रम संख्या	अभिलेख/आँकड़ा	जनसंख्या का योग	प्रतिदर्श मानदंड (प्रतिशत में)	अध्ययन के लिए चुना गया प्रतिदर्श
1	आर. आर. एस. के. के लिए आई. पी. ए. एस. से निकाली गई बजट प्रतिवेदन - (सी. ए. आर.) का डेटा आधार	बजट प्रतिवेदन - i) सीएआर-दत्तमत, (ii) सीएआर-प्रभारित, iii) सीएआर-(दत्तमत और प्रभारित)	100	48 प्रतिवेदन -16 क्षेत्रों से 3 प्रतिवेदन - i) सीएआर-दत्तमत, (ii) सीएआर-प्रभारित, iii) सीएआर-(दत्तमत और प्रभारित)
2	आर. आर. एस. के. के लिए आई. पी. ए. एस. से निकाले गए पूंजी आवंटन रजिस्टर और अनुमानित आवंटन प्रतिवेदन - का डेटा आधार	i) एस. आर. की पूंजी आवंटन रजिस्टर प्रतिवेदन (ii) एस. आर. के. आर. आर. एस. के. से संबंधित अनुमानित आवंटन प्रतिवेदन	100	32 प्रतिवेदन -16 क्षेत्रों से 2 प्रतिवेदन i) पूँजी आवंटन रजिस्टर ii) अनुमानित आवंटन प्रतिवेदन
3	आर. आर. एस. के. कोष से संबंधित अनुदान संख्या 16 और ब्लॉक खाता	i) एस. आर. की अनुदान संख्या 16 (ii) एस. आर. का खाता अवरुद्ध करें	100	32 प्रतिवेदन -16 क्षेत्रों से 2 प्रतिवेदन i) अनुदान संख्या 16 ii) ब्लॉक खाता
4	आर. आर. एस. के. के लिए आई. पी. ए. एस. से निकाले गए उचंत शीर्ष का डेटा बेस	आर. आर. एस. के. के लिए एस. आर. की उचंत शीर्ष प्रतिवेदन -	100	16 प्रतिवेदन -16 क्षेत्रों से 1 प्रतिवेदन - 1) उचंत शीर्ष
5	आर. आर. एस. के. के लिए आई. पी. ए. एस. से निकाले गए पूंजी अनुसूची 7 का डेटा आधार	एस. आर. के चालू खाते की पूँजी अनुसूची 7	100	16 प्रतिवेदन -16 क्षेत्रों से 1 प्रतिवेदन - (क) पूँजी-अनुसूची 7
6	एस. आर. में लागत साझा करने की परियोजनाएं	325 परियोजनाएं	100	325 परियोजनाएं
7	क) सी. ओ. 7 वाउचर (डेबिट)	सी. ओ. 7 वाउचर की योग संख्या		चयनित सीओ 7 वाउचरों की योग संख्या
	1) 5 लाख तक	7315	10	736
	(ख) 5 लाख-25 लाख	6545	25	1639
	(ग) 25 लाख-50 लाख	3159	50	1584
	4) 50 लाख-1 करोड़	2551	75	1918
	v) 1 करोड़ और उससे अधिक	2380	100	2380
	योग	21950		8257
	ख) कैपिटल जर्नल वाउचर (डेबिट)	पूँजी संयुक्त उद्यमों की योग संख्या		चयनित पूंजी संयुक्त उद्यमों की योग संख्या

क्रम संख्या	अभिलेख/आँकड़ा	जनसंख्या का योग	प्रतिदर्श मानदंड (प्रतिशत में)	अध्ययन के लिए चुना गया प्रतिदर्श
	1) 5 लाख तक	629	10	70
	(ख) 5 लाख-25 लाख	380	25	98
	(ग) 25 लाख-50 लाख	155	50	80
	4) 50 लाख-1 करोड़	188	75	145
	v) 1 करोड़ और उससे अधिक	364	100	364
	योग	1716		757
	ग) राजस्व पत्रिका वाउचर (डेबिट)	राजस्व जे. वी. की योग संख्या		कुल राजस्व संयुक्त उद्यमों का चयन किया गया
	1) 5 लाख तक	4970	10	710
	(ख) 5 लाख-25 लाख	1801	25	457
	(ग) 25 लाख-50 लाख	658	50	333
	4) 50 लाख-1 करोड़	608	75	461
	v) 1 करोड़ और उससे अधिक	1092	100	1092
	योग	9129		3053
8	महाप्रबंधक, एस. आर. द्वारा स्वीकृत आर. आर. एस. के. निधि के संबंध में पुनर्विनियोजन	पुनर्विनियोजन के 198 मामले	100	पुनर्विनियोजन के 198 मामले

अनुलग्नक 4.1

वर्ष 2024-25 के दौरान योजना शीर्ष-वार बजट अनुदान का कम उपयोग

[संदर्भ पैराग्राफ संख्या 4.9.2.2 (ii)]

योजना शीर्ष	क्षेत्रों की संख्या	बजट अनुदान का कम उपयोग (₹ करोड़ में)	बजट अनुदान का कम उपयोग-क्षेत्रवार (प्रतिशत में)
16-यातायात सुविधाएँ	12	462.83	ईसीओआर-39.52, ईसीआर-16.82, ईआर-53.24, एनसीआर-44.54, एनईआर-100, एनआर-60.83, एससीआर-38.67, एसईसीआर-93.25, एसईआर-44.81, एसआर-22.21, डब्ल्यूसीआर-25.65, डब्ल्यूआर-30.12
30-सड़क सुरक्षा निर्माण (आरओबी/आरयूबी)	7	239.21	सीआर-38.67, ईसीओआर-20.02, एनएफआर-67.10, एसईसीआर-30.64, एसआर-51.20, डब्ल्यूसीआर-33.16, डब्ल्यूआर-19.30
31- लाइनों का नवीनीकरण	3	134.78	ईसीओआर-74.59, एनईआर-21.08, एसईआर-30.66
32- सेतु कार्य, सुरंग कार्य और पहुंच मार्ग	8	283.57	ईसीओआर-43.78, ईसीआर-16.47, ईआर-12.29, एनसीआर-46.12, एनडब्ल्यूआर-25.73, एससीआर-15.53, एसईआर-11.88, डब्ल्यूसीआर-54.56
33- संकेत और दूरसंचार कार्य	7	253.23	ईसीओआर-17.24, ईसीआर-10.74, एनआर-13.50, एनडब्ल्यूआर-28.16, एससीआर-29.93, एसईसीआर-60.49, एसआर-18.84
36- टी. आर. डी. कार्य सहित अन्य विद्युत कार्य	8	179.40	ईसीओआर-11.98, ईसीआर-38.20, एनएफआर-32.33, एनआर-31.23, एससीआर-66.91, एसआर-55.09, एसडब्ल्यूआर-26.57, डब्ल्यूसीआर-79.60
41-मशीनरी और संयंत्र	9	47.52	सी. आर.-61.95, ईसीओआर-90.54, एन. सी. आर.-69.42, एन. एफ. आर.-76.28, एन. आर.-48.60, एन. डब्ल्यू. आर.-96.59, एस. सी. आर.-39.81, एस. डब्ल्यू. आर.-69.89, डब्ल्यू. सी. आर.-52.58
42 - उत्पादन इकाइयों सहित कार्यशाला	8	49.53	ईसीओआर-43.85, ईसीआर-37.80, एनसीआर-37.37, एनईआर-39.32, एनआर-18.78, एसईसीआर-22.93, एसआर-39.65, एसडब्ल्यूआर-36.65

योजना शीर्ष	क्षेत्रों की संख्या	बजट अनुदान का कम उपयोग (₹ करोड़ में)	बजट अनुदान का कम उपयोग-क्षेत्रवार (प्रतिशत में)
53-ग्राहक सुविधाएँ	13	644.77	सी. आर.-55.86, ई. सी. ओ. आर.-25.62, ई. सी. आर.-59.33, ई. आर.-11.59, एन. सी. आर.-24.70, एन. ई. आर.-39.91, एन. एफ. आर.- 41.68, एन. आर.-79.49, एन. डब्ल्यू. आर.-67.70, एस. सी. आर.-83.44, एस. आर.-27.00, एस. डब्ल्यू. आर.-80.40, डब्ल्यू. आर.-14.93
64-अन्य निर्दिष्ट कार्य	6	41.25	ईसीआर-30.28, एनएफआर-76.46, एनआर-30.15, एनडब्ल्यूआर-33.50, एससीआर-65.22, एसईआर-77.32
65-प्रशिक्षण/मानव संसाधन विकास	16	139.83	सीआर-49.66, ईसीओआर-98.53, ईसीआर-98.17, ईआर-86.41, एन. सी. आर.-69.62, एन. ई. आर.-41.61, एन. एफ. आर.-72.32, एन. आर.-69.57, एन. डब्ल्यू. आर.-88.29, एस. सी. आर.-85.04, एस. ई. सी. आर.-52.62, एस. ई. आर.-91.09, एस. आर.-91.10, एस. डब्ल्यू. आर.-96.54, डब्ल्यू. सी. आर.-46.14, डब्ल्यू. आर.-18.47

अनुलग्नक 4.2
2024-25 के दौरान बजट अनुदान पर अतिरिक्त व्यय
[संदर्भ पैराग्राफ संख्या 4.9.2.2 (iv)]

योजना शीर्ष	क्षेत्रों की संख्या	बजट अनुदान पर अतिरिक्त व्यय (करोड़ में)	बजट अनुदान पर अधिक व्यय (प्रतिशत में)
16-यातायात सुविधाएँ	4	70.86	सी. आर.-82.53, एन. एफ. आर.-18.69, एन. डब्ल्यू. आर.-178.11, एस. डब्ल्यू. आर.-60381.19
30-सड़क सुरक्षा कार्य (आरओबी/आरयूबी)	6	293.48	एन. सी. आर.-56.07, एन. ई. आर.-34.48, एन. आर.-10.48, एन. डब्ल्यू. आर.-25.95, एस. ई. आर.-20.54, एस. डब्ल्यू. आर.-110.71
31- लाइनों का नवीनीकरण	12	1127.23	सी. आर.-10.61, ई. सी. आर.-139.19, ई. आर.-98.57, एन. सी. आर.-40.34, एन. एफ. आर.-115.66, एन. आर.-75.12, एन. डब्ल्यू. आर.-43.11, एस. ई. सी. आर.-105.31, एस. आर.-156.83, एस. डब्ल्यू. आर.-282.57, डब्ल्यू. सी. आर.-72.61, डब्ल्यू. आर.-123.67
32- सेतु कार्य सुरंग कार्य और पहुँच मार्ग	7	355.38	सी. आर.-57.88, एन. ई. आर.-63.76, एन. एफ. आर.-26.19, एस. ई. सी. आर.-54.46, एस. आर.-18.61, एस. डब्ल्यू. आर.-79.94, डब्ल्यू. आर.-45.77
33-संकेत और दूरसंचार कार्य	4	269.50	सीआर-73.52, ईआर-37.34, एन. सी. आर.-23.26, एन. ई. आर.-26.15
36- टी. आर. डी. कार्य सहित अन्य विद्युत कार्य	4	101.06	ईआर-73.51, एनईआर-22.85, एसईआर-38.07, डब्ल्यूआर-80.17
41-मशीनरी और संयंत्र	4	3.19	ईसीआर-40.32, एनईआर-29.58, एसईसीआर-50.67, डब्ल्यूआर-10.88
42 - उत्पादन इकाइयों सहित कार्यशाला	4	28.02	सीआर-51.65, ईआर-73.13, एनएफआर-77.29, डब्ल्यूसीआर-29.95
53-ग्राहक सुविधाएँ	2	32.86	एस. ई. सी. आर.-101.13, एस. ई. आर.-47.99
64-अन्य निर्दिष्ट कार्य	7	42.14	सीआर-20.06, ईसीओआर-48.58, ईआर-38.90, एन. सी. आर.-83.56, एस. ई. सी. आर.-45.38, एस. डब्ल्यू. आर.-118.88, डब्ल्यू. सी. आर.-18.55

अनुलग्नक 4.3
क्षेत्रों में आर. आर. एस. के. निधि का उपयोग
[संदर्भ पैराग्राफ संख्या 4.9.2.2 (v)]

(हजारों में ₹)

क्षेत्रीय रेलवे	योजना शीर्ष	क्षेत्रीय रेलवे द्वारा धन की मांग	बजट अनुदान	संशोधित अनुदान	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय	बजट अनुदान में अंतर %	अंतिम अनुदान में अंतर %
सीआर	16	2363263	622316	1100200	1135900	1135920	82.53	0.0018
सीआर	21	85079	96607	77287	42290	42290	- 56.22	0.0000
सीआर	29	0	0	0	0	0	0	0
सीआर	30	497500	545000	355000	334200	334243	- 38.67	0.0129
सीआर	31	0	1270000	1364300	1405000	1404745	10.61	- 0.0181
सीआर	32	1907871	1907913	2617900	3012300	3012277	57.88	- 0.0008
सीआर	33	1307082	1555500	2700000	2699100	2699099	73.52	0.0000
सीआर	36	1294330	1076257	1200000	1169915	1169879	8.70	- 0.0031
सीआर	41	200	79839	79800	30400	30379	- 61.95	- 0.0691
सीआर	42	94002	93667	126900	142100	142050	51.65	- 0.0352
सीआर	53	501579	581020	300000	256500	256489	- 55.86	- 0.0043
सीआर	64	628000	475100	580000	570400	570427	20.06	0.0047
सीआर	65	155000	199000	150700	100200	100168	- 49.66	- 0.0319
ईसीओआर	16	0	218208	176900	132000	131977	- 39.52	- 0.0174
ईसीओआर	21	65875	65875	354748	633397	633399	861.52	0.0003
ईसीओआर	29	0	0	0	0	0	0	0
ईसीओआर	30	772693	575000	500000	459900	459877	- 20.02	- 0.0050
ईसीओआर	31	286865	1075500	287500	273200	273231	- 74.59	0.0113
ईसीओआर	32	1464565	1474567	795000	829067	829021	- 43.78	- 0.0055
ईसीओआर	33	1129397	1109400	1066900	918100	918108	- 17.24	0.0009
ईसीओआर	36	349385	298433	300000	262700	262680	- 11.98	- 0.0076
ईसीओआर	41	139267	8205	5900	800	776	- 90.54	- 3.0000
ईसीओआर	42	160900	240084	210000	134800	134805	- 43.85	0.0037
ईसीओआर	53	254400	299708	210000	222961	222926	- 25.62	- 0.0157
ईसीओआर	64	177000	125644	190000	186700	186688	48.58	- 0.0064
ईसीओआर	65	185000	90563	5000	1300	1330	- 98.53	2.3077
ईसीआर	16	23539	6648	10000	5500	5530	- 16.82	0.5455
ईसीआर	21	64012	64012	419028	948731	948730	1382.11	- 0.0001
ईसीआर	29	0	0	0	0	-1	- 100	- 100
ईसीआर	30	2288768	945100	850000	866500	866480	- 8.32	- 0.0023
ईसीआर	31	6934420	1013744	2000000	2425000	2424789	139.19	- 0.0087
ईसीआर	32	1066093	1053517	933400	880000	880025	- 16.47	0.0028

क्षेत्रीय रेलवे	योजना शीर्ष	क्षेत्रीय रेलवे द्वारा धन की मांग	बजट अनुदान	संशोधित अनुदान	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय	बजट अनुदान में अंतर %	अंतिम अनुदान में अंतर %
ईसीआर	33	2032687	1637100	1741800	1461300	1461277	- 10.74	- 0.0016
ईसीआर	36	729115	593377	403500	366700	366686	- 38.20	- 0.0038
ईसीआर	41	83314	26012	50000	36500	36499	40.32	- 0.0027
ईसीआर	42	120005	100035	120000	62200	62219	- 37.80	0.0305
ईसीआर	53	774600	794703	300000	323200	323200	- 59.33	0.0000
ईसीआर	64	254969	165960	110000	115700	115703	- 30.28	0.0026
ईसीआर	65	2500	75000	5000	1400	1376	- 98.17	- 1.7143
ईआर	16	172207	205100	85000	95900	95900	- 53.24	0.0000
ईआर	21	122341	122300	665900	911200	911200	645.05	0.0000
ईआर	29	0	0	0	0	0	0	0
ईआर	30	1617652	779700	693400	782700	782700	0.38	0.0000
ईआर	31	1380052	778000	1500000	1545000	1544900	98.57	- 0.0065
ईआर	32	1766420	1476400	1150000	1294900	1294900	- 12.29	0.0000
ईआर	33	3377953	1905000	2500000	2616300	2616300	37.34	0.0000
ईआर	36	1035936	789300	1194600	1369500	1369500	73.51	0.0000
ईआर	41	68685	59800	62500	63200	63200	5.69	0.0000
ईआर	42	346001	254600	319000	440800	440800	73.13	0.0000
ईआर	53	399522	460800	331100	407400	407400	- 11.59	0.0000
ईआर	64	109047	91000	100000	126400	126398	38.90	- 0.0016
ईआर	65	38814	123600	20000	16800	16800	- 86.41	0.0000
एनसीआर	16	100817	478304	410000	265300	265260	- 44.54	- 0.0151
एनसीआर	21	36840	36844	382546	426519	426517	1057.63	- 0.0005
एनसीआर	29	0	0	0	0	0	0	0
एनसीआर	30	1466730	1009684	1550000	1575749	1575765	56.07	0.0010
एनसीआर	31	245061	830000	1500000	1165000	1164840	40.34	- 0.0137
एनसीआर	32	1937471	1597471	872400	860800	860773	- 46.12	- 0.0031
एनसीआर	33	3818682	3205000	4000000	3950295	3950343	23.26	0.0012
एनसीआर	36	742729	626269	620000	573200	573155	- 8.48	- 0.0079
एनसीआर	41	17	3796	4500	1200	1161	- 69.42	- 3.2500
एनसीआर	42	108191	130218	109400	81500	81550	- 37.37	0.0613
एनसीआर	53	275836	315013	276100	237200	237202	- 24.70	0.0008
एनसीआर	64	226798	136000	300000	249600	249644	83.56	0.0176
एनसीआर	65	190	48503	25900	14700	14737	- 69.62	0.2517
एनईआर	16	2000	2001	2000	0	0	- 100.00	0
एनईआर	21	0	0	1989-28	105049	105049	100	0.0000
एनईआर	29	0	0	0	0	0	0	0

क्षेत्रीय रेलवे	योजना शीर्ष	क्षेत्रीय रेलवे द्वारा धन की मांग	बजट अनुदान	संशोधित अनुदान	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय	बजट अनुदान में अंतर %	अंतिम अनुदान में अंतर %
एनईआर	30	3015576	955000	950000	1284300	1284272	34.48	- 0.0022
एनईआर	31	407810	580800	437700	458400	458386	- 21.08	- 0.0031
एनईआर	32	1018878	753878	1098000	1234500	1234541	63.76	0.0033
एनईआर	33	263304	362400	460000	457200	457168	26.15	- 0.0070
एनईआर	36	53016	41650	75,600	51200	51169	22.85	- 0.0605
एनईआर	41	18503	24933	26000	32300	32307	29.58	0.0217
एनईआर	42	203103	68206	61500	41400	41388	- 39.32	- 0.0290
एनईआर	53	590827	686108	350000	412300	412285	- 39.91	- 0.0036
एनईआर	64	414646	287000	300000	291100	291139	1.44	0.0134
एनईआर	65	32894	45003	32500	26300	26279	- 41.61	- 0.0798
एनएफआर	16	333623	60103	120000	71300	71335	18.69	0.0491
एनएफआर	21	21430	21430	235135	165573	165572	672.62	- 0.0006
एनएफआर	29	0	0	0	0	1981	100	100
एनएफआर	30	161594	550000	300000	180900	180935	- 67.10	0.0193
एनएफआर	31	1320259	1072700	2000000	2314000	2313435	115.66	- 0.0244
एनएफआर	32	1787593	1787593	2507400	2255800	2255759	26.19	- 0.0018
एनएफआर	33	731344	525000	500000	557600	557642	6.22	0.0075
एनएफआर	36	315856	269909	200000	182600	182641	- 32.33	0.0225
एनएफआर	41	233250	63857	25000	15100	15147	- 76.28	0.3113
एनएफआर	42	25000	22031	40000	39100	39059	77.29	- 0.1049
एनएफआर	53	197227	230800	120000	134600	134597	- 41.68	- 0.0022
एनएफआर	64	96000	108000	25000	25400	25424	- 76.46	0.0945
एनएफआर	65	29001	35001	5000	9700	9687	- 72.32	- 0.1340
एनआर	16	1788640	3353056	1412000	1313200	1313242	- 60.83	0.0032
एनआर	18	0	10000	90000	7962	7962	- 20.38	0.0000
एनआर	21	98168	108172	3099203	871684	871684	705.83	0.0000
एनआर	29	17000	0	0	0	0	0	0
एनआर	30	3589357	2323700	2350000	2569900	2567204	10.48	- 0.1049
एनआर	31	3166674	1682958	3200000	2948321	2947227	75.12	- 0.0371
एनआर	32	2177739	2041635	2100000	2033600	2033633	- 0.39	0.0016
एनआर	33	4032442	3715000	3000000	3213481	3213529	- 13.50	0.0015
एनआर	36	5177869	803200	790000	552300	552335	- 31.23	0.0063
एनआर	41	36998	649545	221096	333855	333866	- 48.60	0.0033
एनआर	42	322990	310008	310000	251800	251787	- 18.78	- 0.0052
एनआर	53	1051322	2338212	500000	479500	479549	- 79.49	0.0102
एनआर	64	753732	436192	3196600	304700	304663	- 30.15	- 0.0121

क्षेत्रीय रेलवे	योजना शीर्ष	क्षेत्रीय रेलवे द्वारा धन की मांग	बजट अनुदान	संशोधित अनुदान	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय	बजट अनुदान में अंतर %	अंतिम अनुदान में अंतर %
एनआर	65	23982	74418	54200	22600	22644	- 69.57	0.1947
एन.डब्ल्यू.आर	16	600000	68937	330000	191700	191719	178.11	0.0099
एन.डब्ल्यू.आर	21	0	0	196801	219342	219310	100	- 0.0146
एन.डब्ल्यू.आर	29	0	0	0	0	0	0	0
एन.डब्ल्यू.आर	30	2266000	1679000	1990000	2114700	2114685	25.95	- 0.0007
एन.डब्ल्यू.आर	31	150000	670000	1340000	960000	958811	43.11	- 0.1239
एन.डब्ल्यू.आर	32	528021	453500	355900	336800	336830	- 25.73	0.0089
एन.डब्ल्यू.आर	33	1609404	1524400	1320000	1095100	1095125	- 28.16	0.0023
एन.डब्ल्यू.आर	36	129531	112200	165700	120300	120300	7.22	0.0000
एन.डब्ल्यू.आर	41	3029	4250	100	145	145	- 96.59	0.0000
एन.डब्ल्यू.आर	42	0	4	4	0	0	- 100.00	0
एन.डब्ल्यू.आर	53	512269	593605	209900	191800	191757	- 67.70	- 0.0224
एन.डब्ल्यू.आर	64	104655	43000	35000	28,600	28593	- 33.50	- 0.0245
एन.डब्ल्यू.आर	65	10000	31000	10000	3600	3630	- 88.29	0.8333
एससीआर	16	72121	74100	40000	45400	45444	- 38.67	0.0969
एससीआर	21	0	33	328555	656513	656511	1989327.27	- 0.0003
एससीआर	29	0	0	0	0	0	0	0
एससीआर	30	1171547	895000	920000	819400	819352	- 8.45	- 0.0059
एससीआर	31	545136	1470000	1570000	1451100	1451128	- 1.28	0.0019
एससीआर	32	1050175	1060174	1060000	895500	895526	- 15.53	0.0029
एससीआर	33	1196810	1153300	873800	808100	808121	- 29.93	0.0026
एससीआर	36	646774	547800	248326	181300	181268	- 66.91	- 0.0177
एससीआर	41	209707	19735	20000	11913	11879	- 39.81	- 0.2854
एससीआर	42	169467	218259	200000	213900	213906	- 1.99	0.0028
एससीआर	53	863227	1007107	210000	166800	166798	- 83.44	- 0.0012
एससीआर	64	58902	81000	25000	28200	28175	- 65.22	- 0.0887
एससीआर	65	30000	204606	50000	30600	30615	- 85.04	0.0490
एस.ई.सी.आर	16	0	800	800	100	54	- 93.25	- 46.0000
एस.ई.सी.आर	21	22500	22504	18224	405351	405350	1701.24	- 0.0002
एस.ई.सी.आर	29	0	0	0	0	10	100	100
एस.ई.सी.आर	30	1390900	883000	877900	612500	612478	- 30.64	- 0.0036
एस.ई.सी.आर	31	1854062	630000	1781763	1293963	1293462	105.31	- 0.0387
एस.ई.सी.आर	32	655800	665750	915300	1028300	1028290	54.46	- 0.0010
एस.ई.सी.आर	33	721200	726200	300000	286900	286916	- 60.49	0.0056
एस.ई.सी.आर	36	228100	279487	350000	278800	278839	- 0.23	0.0140
एस.ई.सी.आर	41	1100	8508	12700	12800	12819	50.67	0.1484

क्षेत्रीय रेलवे	योजना शीर्ष	क्षेत्रीय रेलवे द्वारा धन की मांग	बजट अनुदान	संशोधित अनुदान	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय	बजट अनुदान में अंतर %	अंतिम अनुदान में अंतर %
एस.ई.सी.आर	42	7000	15642	16300	12100	12055	- 22.93	- 0.3719
एस.ई.सी.आर	53	21515	25403	56500	51075	51092	101.13	0.0333
एस.ई.सी.आर	65	10700	26049	19400	12300	12343	- 52.62	0.3496
एस.ई.सी.आर	64	4000	20000	25400	29100	29075	45.38	- 0.0859
एसईआर	16	4145010	3807200	2300000	2101300	2101286	- 44.81	- 0.0007
एसईआर	17	0	0	0	0	114	100	100
एसईआर	21	113251	113280	678698	1326408	1326289	1070.81	- 0.0090
एसईआर	29	0	0	0	0	0	0	0
एसईआर	30	208400	370000	450000	446000	445981	20.54	- 0.0043
एसईआर	31	152718	1380000	1380000	957000	956883	- 30.66	- 0.0122
एसईआर	32	1445479	1434481	1175900	1264000	1264001	- 11.88	0.0001
एसईआर	33	953374	908400	900000	930500	930531	2.44	0.0033
एसईआर	36	228428	281920	400000	389300	389258	38.07	- 0.0108
एसईआर	41	130156	87654	86500	91000	91016	3.84	0.0176
एसईआर	42	256103	113171	117400	120400	120383	6.37	- 0.0141
एसईआर	53	544184	631104	850000	934000	933980	47.99	- 0.0021
एसईआर	64	160000	104602	25000	23700	23725	- 77.32	0.1055
एसईआर	65	4000	142150	10800	12700	12668	- 91.09	- 0.2520
एसआर	16	41200	77406	132400	60200	60216	- 22.21	0.0266
एसआर	21	59596	59619	419292	709269	709271	1089.67	0.0003
एसआर	29	0	0	0	0	0	0	0
एसआर	30	3525354	1823000	937960	889648	889657	- 51.20	0.0010
एसआर	31	1739664	1289900	2769463	3313663	3312911	156.83	- 0.0227
एसआर	32	1106137	1105237	1469798	1310898	1310891	18.61	- 0.0005
एसआर	33	2387029	2389000	2000000	1938980	1938999	- 18.84	0.0010
एसआर	36	531871	835379	495871	375171	375140	- 55.09	- 0.0083
एसआर	41	65969	34820	35000	33900	33949	- 2.50	0.1445
एसआर	42	402367	291011	200000	175600	175613	- 39.65	0.0074
एसआर	53	822562	958908	697116	69994	700024	- 27.00	0.0043
एसआर	64	138202	125000	130000	123500	123453	- 1.24	- 0.0381
एसआर	65	36777	156316	45000	13900	13916	- 91.10	0.1151
एसडब्ल्यूआर	16	80000	101	64000	61100	61086	60381.19	- 0.0229
एसडब्ल्यूआर	21	45939	45934	277309	332473	332476	623.81	0.0009
एसडब्ल्यूआर	29	0	0	0	0	4729	100	100
एसडब्ल्यूआर	30	2601866	1160000	2000000	2444277	2444251	110.71	- 0.0011
एसडब्ल्यूआर	31	3824000	654500	2000000	2504738	2503896	282.57	- 0.0336

क्षेत्रीय रेलवे	योजना शीर्ष	क्षेत्रीय रेलवे द्वारा धन की मांग	बजट अनुदान	संशोधित अनुदान	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय	बजट अनुदान में अंतर %	अंतिम अनुदान में अंतर %
एसडब्ल्यूआर	32	404300	414419	577500	744900	744882	79.74	- 0.0024
एसडब्ल्यूआर	33	634504	689500	680000	719900	719883	4.41	- 0.0024
एसडब्ल्यूआर	36	148721	125537	95100	92200	92180	- 26.57	- 0.0217
एसडब्ल्यूआर	41	99397	44097	50000	13300	13277	- 69.89	- 0.1729
एसडब्ल्यूआर	42	483690	271548	180000	172000	172020	- 36.65	0.0116
एसडब्ल्यूआर	53	1972728	2028802	350000	397600	397581	- 80.40	- 0.0048
एसडब्ल्यूआर	64	109000	61157	85000	133900	133861	118.88	- 0.0291
एसडब्ल्यूआर	65	16700	195001	7000	6800	6753	- 96.54	- 0.6912
डब्ल्यूसीआर	16	255602	265685	265700	197589	197537	- 25.65	- 0.0263
डब्ल्यूसीआर	21	4473	4473	345392	1050428	1050429	23383.77	0.0001
डब्ल्यूसीआर	29	0	0	0	0	0	0	0
डब्ल्यूसीआर	30	1279703	622000	807900	415800	415770	- 33.16	- 0.0072
डब्ल्यूसीआर	31	2997077	370000	540000	639030	638670	72.61	- 0.0563
डब्ल्यूसीआर	32	1175227	1185237	635000	538600	538595	- 54.56	- 0.0009
डब्ल्यूसीआर	33	1041127	1046100	1179000	1062798	1062770	1.59	- 0.0026
डब्ल्यूसीआर	36	517470	418675	300000	85385	85399	- 79.60	0.0164
डब्ल्यूसीआर	41	19779	16113	7200	7600	7641	- 52.58	0.5395
डब्ल्यूसीआर	42	90125	95488	120000	124094	124085	29.95	- 0.0073
डब्ल्यूसीआर	53	207473	234297	234300	254200	254186	8.49	- 0.0055
डब्ल्यूसीआर	64	276521	184554	220000	218800	218785	18.55	- 0.0069
डब्ल्यूसीआर	65	35000	63503	50000	34200	34205	- 46.14	0.0146
डब्ल्यूआर	16	914050	1182500	1170000	826300	826301	- 30.12	0.0001
डब्ल्यूआर	21	37309	37309	1383332	630379	630376	1589.61	- 0.0005
डब्ल्यूआर	29	0	0	0	0	0	0	0
डब्ल्यूआर	30	7857910	1487416	1000000	1200400	1200350	- 19.30	- 0.0042
डब्ल्यूआर	31	1110000	830000	1367962	1856965	1856449	123.67	- 0.0278
डब्ल्यूआर	32	1339545	1315272	1937300	1917300	1917253	45.77	- 0.0025
डब्ल्यूआर	33	4436623	2345000	2341200	2423800	2423826	3.36	0.0011
डब्ल्यूआर	36	473116	391099	550000	704700	704654	80.17	- 0.0065
डब्ल्यूआर	41	68550	89688	97300	99400	99446	10.88	0.0463
डब्ल्यूआर	42	110003	182090	275600	174900	174853	- 3.97	- 0.0269
डब्ल्यूआर	53	478549	553913	398600	471200	471192	- 14.93	- 0.0017
डब्ल्यूआर	64	221611	166591	160000	150300	150280	- 9.79	- 0.0133
डब्ल्यूआर	65	5811671	1059886	978100	864200	864162	- 18.47	- 0.0044

अनुलग्नक 4.4
गैर-सुरक्षा वस्तुओं के लिए आरआरएसके का उपयोग
(संदर्भ पैराग्राफ संख्या 4.9.3.2)

क्षेत्रीय रेलवे का नाम	व्यय का विवरण	राशि (करोड़ में)
सीआर	फर्नीचर, प्रिंटर, कल्याण कार्यक्रम, नया केंद्रीकृत छात्रावास भवन, वाहन किराए पर लेना, बुकिंग कार्यालय में एयर कंडीशनर, कुर्सियां, स्टाफ क्वार्टरों की रीवायरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, वेतन, स्प्लिट एसी का प्रतिस्थापन	30.59
ईसीओआर	स्टेडियम के प्रावधान के संबंध में विद्युत कार्य, कार्यालय के लिए रेलनेट कनेक्टिविटी, नए ओ. आर. एच. में ऑडियो सिस्टम, टीकवुड बेड, एल. जी. वॉशर, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, एयर कंडीशनर, इन्वर्टर, डीप फ्रीजर, पर्दे, सोफा सेट, पी. सी., चेयर, प्रिंटर, कंप्यूटर, टेबल, स्मार्ट टीवी, आलमारी, यू. पी. एस	1.53
ईसीआर	मीडिया बिल, फोम गद्दे, वाहन किराए पर लेना, रेफ्रिजरेटर, धातु के पलंग, फर्नीचर, मुख्यालय सम्मेलन कक्ष में आई. टी. उपकरण, वातानुकूलन, भूमि अधिग्रहण, ज़ेरॉक्स मशीन, पी. सी., डी. जी. सेट की नियुक्ति	3.35
ईआर	वाहनों को किराए पर लेना, टीवी, कैमरा को किराए पर लेना, जलपान की लागत, सी. यू. जी. बिल, इम्प्रेस्ट, पुरानी पी. ए. सम्मेलन प्रणाली को बदलना, वेतन बिल, जी. पी. एस. इनडोर घड़ी	5.11
एनसीआर	वाहन किराया, इम्प्रेस्ट, सी. यू. जी. टेलीफोन बिल, डी. आर. एम. सम्मेलन कक्ष का उन्नयन, धातु पलंग, कैमरा, एयर कंडीशनर, स्टील अलमारी, उच्च धातु अलमारियाँ रैक, कुर्सी, वेतन, स्टील बुककेस	1.58
एनईआर	वाहन, जल पुनर्चक्रण संयंत्र, कुर्सियां, वातानुकूलन मशीनें, कंप्यूटर, स्टील शेल्फ वाले अलमारी कैबिनेट किराए पर लेना	0.98
एनएफआर	ट्रेकिंग जूते, लैपटॉप, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन का स्थान	0.01
एन.डब्ल्यू.आर	स्टाफ कॉलोनी में स्वच्छता स्थापना और जल निकासी की व्यवस्था, वाहनों को किराए पर लेना, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की आपूर्ति, बिजली का बिल, स्टेशनरी आइटम, सफाई और कीटाणुशोधन सेवा, स्टेशनरी आइटम	0.66
एससीआर	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाशिंग साइडिंग में सर्विस बिल्डिंग का निर्माण, मौजूदा एक्सचेंजों के सुधार कार्य, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीसीटीवी कैमरे, पीएसआई डिपो में ओएचई में चारदीवारी, सीओपी कार्य, वेतन, जोनल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग स्कूल का नवीनीकरण, विज्ञापन शुल्क	8.35
एस.ई.सी.आर	ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली में वृद्धि, कर्मचारियों के आवासों में सुधार, कर्मचारियों के आवासों का निर्माण, अधिकारियों के विश्राम गृह में लिफ्ट का प्रावधान, कंप्यूटर सहायक उपकरण, वाहन किराए पर लेना, अलमीरा स्टील, फर्नीचर की मरम्मत, सर्विस बिल्डिंग की रीवायरिंग, पीसी, नॉन ट्रैक्शन ईंधन बिल, रेलवे क्वार्टरों के लिए ऊर्जा मीटर, कंप्यूटर सहायक उपकरण, यूपीएस	11.52

क्षेत्रीय रेलवे का नाम	**व्यय का विवरण**	**राशि (करोड़ में)**
एसईआर	लैपटॉप, यूपीएस, चेयर, कर्व इंडिकेटर/पॉइंट इंडिकेटर/एसईजे बोर्ड, कैनन मल्टीफ़ंक्शन मशीन, टोनर, डेस्कटॉप	0.46
एसआर	लैपटॉप/पीसी, यूपीएस, प्रिंटर, रसोई उपकरण, सम्मेलन कक्ष, वाहनों को किराए पर लेना, अपशिष्ट पृथक्करण शेड का निर्माण, कार्यालय के फर्नीचर की आपूर्ति, जल पुनर्चक्रण संयंत्र, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, स्विमिंग पूल का निर्माण, एचएसडी तेल, ओआरएच के लिए बिजली के बिल, कुर्सी, प्रिंटर, पीसी, टेबल, प्रोजेक्टर, कार्यालय भवन आवास का निर्माण, कार्यालय की सफाई, पानी, स्वच्छता सेवाएं	3.14
एसडब्ल्यूआर	स्टेज आइटम, कुर्सी, टेबल, संपर्क सड़क में सुधार, ट्रैक विश्राम कक्ष का निर्माण, विश्राम कक्ष में सुधार, जल निकासी में सुधार, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का प्रावधान, छोटे स्टेशनों पर ट्रैक मशीन साइडिंग का निर्माण, कोच पानी की सुविधाओं में सुधार, कंप्यूटर कुर्सी, निष्पादन योग्य टेबल, सीयूजी बिल, रिटेनिंग वॉल का निर्माण, नए बुकिंग कार्यालय प्रतीक्षा कक्ष का निर्माण, विज्ञापन बिल, ट्रैक मैन विश्राम कक्ष का निर्माण	24.39
डब्ल्यूसीआर	कंप्यूटर, वाहन किराए पर लेना, कार्यकारी मेज, इम्प्रेस्ट	0.06
डब्ल्यूआर	वॉल माउंटेन इन्वर्टर की आपूर्ति	0.29
	योग	**92.02**

अनुलग्नक 4.5
लागत साझा करने वाली परियोजनाओं पर आर.आर.एस.के. का अनियमित व्यय
(संदर्भ पैराग्राफ संख्या 4.9.3.3)

क्षेत्रीय रेलवे	स्वीकृति का वर्ष	लागत साझाकरण परियोजना का विवरण	परियोजना आईडी
ईसीआर	2014-2015	छावनी रेलवे क्रॉसिंग पर लेवल क्रॉसिंग नंबर 2 के बदले बेतिया-रोड ओवर ब्रिज	03.00.30.14.1.30.002
ईसीआर	2017-2018	गोल्डनगंज यार्ड-लेवल क्रॉसिंग नंबर 32/सी के बदले रोड ओवर ब्रिज	03.05.30.17.1.30.001
ईआर	2011-2012	सिउरी पश्चिम छोर पर लेवल क्रॉसिंग नंबर 22-बी/टी के बदले में अंडाल-सैंथिया-रोड ओवर ब्रिज	02.01.30.11.1.30.001
ईआर	2016-2017	बाराचक-हीरापुर यार्ड लाइन-कुमारपुर के पास पुरानी जी. टी. रोड पर लेवल क्रॉसिंग नंबर 1-ए/ई-3 के बदले में रोड ओवर ब्रिज	02.01.30.16.1.30.001
ईआर	2011-2012	मुरारई-नलहाटी-लेवल क्रॉसिंग संख्या 32 के स्थान पर सड़क पुल	02.02.30.11.1.51.012
ईआर	2015-2016	हावड़ा डिवीजन-सैंथिया स्टेशन पर मौजूदा रोड ओवर ब्रिज के बदले में रोड ओवर ब्रिज	02.02.30.15.1.55.001
ईआर	2012-2013	बेरहामपुर कोर्ट-लेवल क्रॉसिंग गेट नं. 131/टी के बदले में रोड ओवर ब्रिज और सीमित उपयोग वाला सबवे	02.04.30.12.1.30.001
एन.डब्ल्यू.आर	2021-2022	रेलवे-कि. मी. 234/7-8 पर एल. सी.-189 के स्थान पर आर. ओ. बी. (2 लेन) का निर्माण। रिंगस-सीकर खंड।	09.03.30.21.1.30.002
एन.डब्ल्यू.आर	2015-2016	रेलवे-अजमेर डिवीजन-लेवल क्रॉसिंग 44,108,18,72,43 और 74 (6 संख्या) के बदले में सबवे के साथ रोड ओवर ब्रिज	09.01.30.15.1.30.001
एन.डब्ल्यू.आर	2021-2022	रेलवे-मकराना-देगाना-किमी 107/7-8 बेट पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 72 के बदले में आरओबी (2 लेन) का निर्माण। एम. के. एन.-डी. एन. ए. खंड पर गंचीपुर-डेगाना	09.04.30.21.1.30.002
एन.डब्ल्यू.आर	2015-2016	रेलवे-रेवाड़ी-जयपुर-लेवल क्रॉसिंग के बदले रोड ओवर ब्रिज-242, 156,175,206 (4 संख्या) (2-लेन) और (1 संख्या) 211 (4-लेन)	09.03.30.15.1.30.001
एन.डब्ल्यू.आर	2016-2017	रेलवे-फुलेरा-सांभर झील-लेवल क्रॉसिंग नंबर 1 के बदले रोड ओवर ब्रिज	09.03.30.16.1.30.004

क्षेत्रीय रेलवे	स्वीकृति का वर्ष	लागत साझाकरण परियोजना का विवरण	परियोजना आईडी
एसईआर	2013-2014	चाईबासा-सिंगपोखरिया-लेवल क्रॉसिंग नंबर आर. बी. के.-14 के बदले रोड ओवर ब्रिज	12.00.30.13.1.30.002
एसईआर	2017-2018	जमाडोबा-भागा-लेवल क्रॉसिंग नंबर ए. एम.-34 के स्थान पर सड़क पुल	12.01.30.17.1.30.001
एसडब्ल्यूआर	2009-2010	बेल्लारी कैंट-बेल्लारी जंक्शन-सबवे के साथ लेवल क्रॉसिंग नंबर 111 के बदले रोड ओवर ब्रिज	14.02.30.09.1.30.002
एसडब्ल्यूआर	2009-2010	देसुर-बेलगाम-सबवे के साथ लेवल क्रॉसिंग संख्या. 382 के बदले रोड ओवर ब्रिज	14.02.30.09.1.30.005
एसडब्ल्यूआर	2013-2014	मलुगुर-चकरलापल्ली-सबवे के साथ लेवल क्रॉसिंग नंबर 71 के बदले में सड़क पुल	14.01.30.13.1.30.003
एसडब्ल्यूआर	2015-2016	लेवल क्रॉसिंग नंबर 25 के बदले में लोंडा-वास्को-रोड ओवर ब्रिज	14.02.30.15.1.30.001
एसडब्ल्यूआर	2016-2017	सोमनायकनपट्टी के पास सबवे के साथ एल. सी. संख्या 92 के स्थान पर बंगरापेट-जोलार पेट्टाई-रोड ओवर ब्रिज	14.01.30.16.1.30.001
एसडब्ल्यूआर	2016-2017	पचुर-मल्लानुर-सबवे के साथ एल. सी. संख्या 95 के स्थान पर सड़क पुल	14.01.30.16.1.30.003
एसडब्ल्यूआर	2016-2017	कुडियानकुप्पम रोड पर सबवे के साथ एल. सी. नंबर 91 के बदले में सोमनायकनापट्टी-जोलार पेट्टाई-रोड ओवर ब्रिज	14.01.30.16.1.30.004
एसडब्ल्यूआर	2018-2019	कोप्पल-गिनिगेरा-लेवल क्रॉसिंग नंबर 66 (PB#148 2018-19 एस. डब्ल्यू. आर.) के बदले में रोड ओवर ब्रिज	14.02.30.18.1.30.001
एसडब्ल्यूआर	2018-2019	गिनिगेरा-मुनिराबाद-लेवल क्रॉसिंग नंबर. 72 (PB#148 2018-19 एस. डब्ल्यू. आर.) के बदले में रोड ओवर ब्रिज	14.02.30.18.1.30.002
एसडब्ल्यूआर	2018-2019	मुनीराबाद-होसापेट-लेवल क्रॉसिंग नंबर 79 (PB#148 2018-19 एस. डब्ल्यू. आर.) के बदले में सड़क पुल	14.02.30.18.1.30.003
एसडब्ल्यूआर	2019-2020	लागत बंटवारे के आधार पर लोंडा-मिराज खंड पर रेलवे किमी. 606/900-607 000 पर एल. सी. संख्या 380 के बदले में आरओबी का निर्माण।	14.02.30.19.1.30.002
एसडब्ल्यूआर	2019-2020	कंबरगनवी और काशीनाट्टी स्टेशनों के बीच लागत बंटवारे के आधार पर 517 कि. मी. पर	14.02.30.19.3.11.003

क्षेत्रीय रेलवे	स्वीकृति का वर्ष	लागत साझाकरण परियोजना का विवरण	परियोजना आईडी
		एल. सी. संख्या 316 के बदले आर. ओ. बी. का प्रस्तावित निर्माण	
एसडब्ल्यूआर	2019-2020	बिरूर-तलगुप्पाः कि. मी. 66 पर एल. सी. संख्या 52 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	14.03.30.19.1.30.004
एसडब्ल्यूआर	2019-2020	बिरूर-तलगुप्पाः एल. सी. संख्याः 49 के बदले रोड ओवर ब्रिज 1x30 मीटर कम्पोजिट गर्डर + 8 x 30 मीटर पी. एस. सी. गर्डर का निर्माण	14.03.30.19.1.30.006
एसडब्ल्यूआर	2019-2020	बिरूर-तलागुपापाः एल. सी. संख्या 34 के बदले 47 किलोमीटर पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	14.03.30.19.1.30.010
एसडब्ल्यूआर	2020-2021	रेल मार्ग में एल. सी. 392 के बदले में आर. ओ. बी. का निर्माण। लागत बंटवारे के आधार पर लोंडा-मिराज खंड पर किमी. 613/800-900	14.02.30.20.1.30.001
एसडब्ल्यूआर	2021-2022	एस. बी. सी.-जे. टी. जे. सेक. एल. सी. के बदले में सबवे (1x30) कम्पोजिट गर्डर के साथ आर. ओ. बी. कि. मी. 298/100-200 पर संख्या 120	14.01.30.21.1.30.001
एसडब्ल्यूआर	2021-2022	एम. वाई. एस.-एच. ए. एस. खंड के एच. एल. एन.-एम. वी. सी. स्टेशन के बीच कि. मी. 87/800-900 पर एल. सी. संख्या. 78 के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	14.03.30.21.1.30.001
एसडब्ल्यूआर	2021-2022	हासन-मैंगलोर जंक्शनः येदामंगला और कबकपुथुर स्टेशनों के बीच 139 कि. मी. पर एल. सी. संख्या 105 के बदले आर. यू. बी. का निर्माण	14.03.30.21.1.52.003

अनुलग्नक 4.6

आर.आर.एस.के. के दौरान 2024-25 से प्रतिस्थापन, नवीकरण और सुधार कार्यों पर किया गया व्यय जो पहले मूल्य आरक्षित निधि और विकास निधि से वित्त पोषित था

(संदर्भ पैराग्राफ संख्या 4.9.3.4)

क्षेत्रीय रेलवे	मूल्य आरक्षित निधि कार्यों के लिए राशि (₹ करोड़ में)	विकास निधि कार्यों के लिए राशि (₹ करोड़ में)
सीआर	320.79	36.30
ईसीओआर	136.58	55.05
ईसीआर	20.85	12.86
ईआर	59.33	8.05
एन सी आर	216.79	226.46
एनईआर	19.83	71.76
एनएफआर	214.39	252.47
एनआर	67.95	21.92
एन.डब्ल्यू.आर	62.26	3.40
एससीआर	152.41	89.47
एस.ई.सी.आर	44.11	22.78
एसईआर	158.99	31.89
एसआर	549.16	132.20
एसडब्ल्यूआर	394.77	77.39
डब्ल्यूसीआर	5.75	6.22
डब्ल्यूआर	159.40	30.51
योग	**2583.36**	**1078.73**

अनुलग्नक 4.7
आर.आर.एस.के. के माध्यम से वित्त पोषित 2017-18 से पहले स्वीकृत चल रहे कार्यों के लिए आवश्यक अग्रेनीत कार्य
(संदर्भ पैराग्राफ संख्या 4.9.4)

क्र. सं.	स्वीकृति का वर्ष	आर.आर.एस.के. से पूरी तरह से वित्त पोषित कार्य		आर.आर.एस.के. से आंशिक रूप से वित्त पोषित कार्य	
		कार्यों की संख्या	अग्रेनीत (₹ करोड़ में)	कार्यों की संख्या	अग्रेनीत (₹ करोड़ में)
1	1996-1997	-	-	1	7.87
2	1997-1998	-	-	3	35.75
3	1998-1999	-	-	2	4.35
4	1999-2000	-	-	2	11.58
5	2000-2001	-	-	4	11.71
5	2001-2002	1	24.63	5	14.83
6	2002-2003	-	-	14	33.66
7	2003-2004	-	-	12	102.48
8	2004-2005	1	0.32	13	45.83
9	2005-2006	1	0.90	11	32.18
10	2006-2007	-	-	23	57.38
11	2007-2008	2	10.34	40	190.70
12	2008-2009	3	1.33	49	747.47
13	2009-2010	4	16.01	46	172.45
14	2010-2011	4	1.96	92	599.99
15	2011-2012	17	76.50	107	1320.00
16	2012-2013	67	61.49	208	3551.87
17	2013-2014	10	6.65	191	3185.55
18	2014-2015	8	2.99	37	290.31
19	2015-2016	21	8.67	299	2435.07
20	2016-2017	42	120.01	409	3226.47
योग		**181**	**331.80**	**1568**	**16077.50**

अनुलग्नक 4.8
आर.आर.एस.के. को क्रेडिट की गलत बुकिंग
(संदर्भ पैराग्राफ संख्या 4.9.5.1)

वर्ष	क्षेत्र	योजना शीर्ष	राशि *(हजारों में)*	टिप्पणियां
2024-25	एनसीआर	31	6667	शीर्ष 29314107, ₹ 0.67 करोड़ से संबंधित क्रेडिट स्लीपर बिल का अग्रिम था और इस राशि को गलत तरीके से क्रेडिट के रूप में लिया गया था और क्रेडिट या वसूली के खिलाफ अनियमित रूप से दिखाया गया था।
2024-25	एससीआर	21	163777	₹ 16.37 करोड़ गलत तरीके से डी. आर. एफ. के बजाय आर.आर.एस.के. में जमा किए गए थे।
2024-25	डब्ल्यूआर	32	7870	आर.आर.एस.के. कोष में ₹ 0.79 करोड़ की क्रेडिट राशि बुक की गई है जबकि खर्च डी.आर.एफ. से किया गया था।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/hi/audit-report